राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4] विधान सभा के चतुर्थ सत्र का तेइसवां दिवस [संख्या 16

मंगलवार,

दिनांक 18 मार्च, 1969

विधान सभा की बैठक म० पू० 11·02 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष-पदासीन)

[विद्युत, सिंचाई, वित्त, वन, पंचायत, चिकित्सा, समाज कल्याण, अकाल सहायता, योजना, श्रम, खाद्य]

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 345

श्री हरिवल्लभ शर्मा ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 346

श्री मजलिस खां ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री गंगासहाय ।

बिक्री कर

347. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बुनकरों द्वारा बुने कपड़े पर सेल्स टैक्स नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि बुनकरों द्वारा निर्मित मोटे कपड़े को रंगकर जब उसकी रजाई आदि बनाई जाती है तब उस पर सेल्स टैक्स लगाया जाता है ?

(3) क्या सरकार के ध्यान में है कि उक्त टैक्स का सर्वाधिक भार गरीब मजदूर और किसान पर ही पड़ता है ?

(कृपया आगे देखिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई : मंत्री जी नहीं हैं ! वित्त मंत्री इज नॉट हियर ।

श्री अध्यक्ष : डिप्टी मिनिस्टर, वित्त, स्टेट मिनिस्टर, वित्त, मिनिस्टर वित्त ।

None of them ?

Mr. Chief Whip ? No.

I am tried of this,

Page No 2

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): It is disrespect to the august proceedings of this House.

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्ण कुमार गोयल !

प्रश्न संख्या 348

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री विट्ठल प्रसाद !

अजमेर जिला परिषद् के प्रमुख

349. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** (अकलेरा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिला परिषद् के प्रमुख लोक सभा के सदस्य हैं ?

(2) उक्त सदस्य कितने समय से प्रमुख पद पर चले आ रहे हैं ?

उप-मंत्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (1) जी हां।

(2) दिनांक 2-10-59 से।

श्री विट्ठल प्रसाद : क्या यह सही है कि पंचायत समिति और जिला परिषद् सर्विस रूल्स के अमेन्डमेंट के अनुसार विधान सभा का सदस्य प्रधान नहीं रह सकता है और लोक सभा का सदस्य प्रमुख नहीं रह सकता है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी, यह सही नहीं है। रूल्स में इस तरह की बाधा नहीं है।

श्री विट्ठल भाई : केवल प्रधानों के लिये मना है या प्रमुखों के लिए भी मना है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : नहीं मैंने दोनों के लिए कहा है। कृपया सुनने की कोशिश कीजिये।

श्री जुझारसिंह : क्या सरपंच मिनिस्टर रह सकता है ?

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न आने वाला है।

श्री दौलतराम सारण।

प्रश्न संख्या 350

भगवानदास अस्पताल, चूरू

350. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या चूरू में सन् 1895 से स्थापित भगवानदास अस्पताल को अपने भवन से हटाकर किसी धनिक के व्यक्तिगत भवन में भेज दिया गया है ? अगर हां, तो कब और किस आदेश के अनुसार ? उक्त आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस अस्पताल को हटाने के विरुद्ध जन आन्दोलन हुआ, चूरू में आम हड़ताल रही, प्रदर्शन हुए और भूख हड़ताल व धरणा दिया गया ?

(3) क्या भगवानदास अस्पताल को स्थापित किया गया उस समय राय बहादुर सेठ भगवानदास बागला के साथ एक लाख रुपयों के दान के संबंध में कोई शर्तें तात्कालिक बीकानेर राज्य द्वारा की गई थीं ?

Page No 3

(श्री दौलतराम सारण)

अगर हां, तो उन शर्तों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सत्य है कि सरकार मई, 1968 से पूर्व उन शर्तों का पालन कर रही थी ? यदि हां, तो अब इनका पालन क्यों नहीं किया जाता ?

(5) क्या यह सत्य है कि इस अस्पताल के लिए औजार, एक्सरे मशीन आदि काफी सामान दान में जनता से प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस सामान की सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) एक प्राइवेट व्यक्ति द्वारा संचालित संस्था पर सरकारी सामान और स्टॉफ किस आधार पर दिया गया है ? क्या इसके लिये उस व्यक्ति से कोई शर्तनामा लिखवाया गया है ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या राज्य सरकार गढ़ में स्थित भगवानदास अस्पताल को दानदाता के साथ की गई शर्तों की पालना करते हुए और जनता की सुविधा और मांग को देखते हुए वापिस पुराने भवन में ही स्थानान्तरित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक कर दिया जावेगा और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा): अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में अगले टर्न पर जवाब दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया। नेक्स्ट। श्री केशरी सिंह हाड़ा।

हिन्डोली छात्रावास में सुविधायें।

351 श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) हिन्डोली, जिला बूंदी में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये छात्रावास कब खोला गया था?

(2) इस छात्रावास में कितने छात्रों के आवास का बजट में प्रावधान रखा गया है ?

(3) क्या इन छात्रों को कपड़ा भी पहनने को दिया जाता है ? आवास के अलावा इन छात्रों को क्या क्या सुविधायें दी जाती हैं?

(4) क्या सरकार छात्रों के आवास की संख्या बढ़ाना चाहती है ? यदि हां, तो कितनी तथा कब-कब ?

(5) क्या यह सत्य है कि इनका अध्ययन समाप्त होने के बाद इनको नौकरी मिलने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है ?

(6) अब तक बूंदी जिला के जन-जाति के निकले कितने छात्रों को काम दिया गया और कितनों को काम नहीं मिल सका?

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री मनफूलसिंह): (1) अनुमानतः रु० 92,00,000 के पेड़ हैं इनमें से हर वर्ष लगभग 4-5 लाख रुपये के पेड़····

श्री केशरीसिंह हाडा : अध्यक्ष महोदय, यह तो समाज कल्याण का प्रश्न है। पेड़ों का कहां से आ गया ? 352 का उत्तर दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : समाज कल्याण मंत्री ।

(अनुपस्थित)

श्री केशरीसिंह हाड़ा : यह सारे देश का कल्याण हो रहा है ? 37 की फौज है। यहां कोई नहीं ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय हैं नहीं । मिस्टर चीफ व्हिप आप बता सकते हैं ?

(मौन अस्वीकृति)

मैं खेद प्रकट करता हूं इस मसले पर ।

श्री रामचन्द्र आर्य ।

गंग केनाल के पेड़ों की नीलामी

352. **श्री रामचन्द आर्य** (नोहर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला श्री गंगानगर में गंग केनाल पर कितनी कीमत के पेड़ हैं और उनमें से कितने पेड़ सालाना नीलाम किये जाते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि गंग केनाल के पेड़ों की नीलामी से होने वाली आमदनी को नहर पर खर्च नहीं किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों नहीं ? यदि नहीं तो हर साल कितने रुपये इस आमदनी से गंग केनाल के विकास पर खर्च किये जाते हैं ?

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री मनफूलसिंह): (1) अनुमानतः रु० 92,00,000 के पेड़ हैं । इनमें से हर वर्ष लगभग 4-5 लाख रुपये के पेड़ नीलाम किये जाते हैं ।

(2) गंग नहर से जो भी आमदनी होती है वह राजस्व खाते में जमा की जाती है । इस नहर के सुधार एवं संधारण पर हर साल आवश्यक खर्च किया जाता है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि मंत्री महोदय ने बताया 4-5 लाख के पेड़ बेचे जाते हैं, निश्चित कितनी आय होती है और नहर पर उसका कितना खर्च किया जाता है । मैं इसका उत्तर जानना चाहता हूं ।

श्री मनफूलसिंह : अध्यक्ष महोदय अलग से ब्यौरा है । 63-64 के अन्दर कुल 49 लाख 36 हजार के पेड बेचे गये । 64-65 में 43 लाख 67 हजार के, 65-66 में 42 लाख 63 हजार के, 66-67 में 43 लाख 82 हजार के, 67-68 में 51 लाख 88 हजार के और वर्ष 68-69 में अनुमानित है 81 लाख 3 हजार के पेड़ बेचे गये हैं ।

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी सी गलतफहमी दूर कर दूं । यह जो फिगर बताया है 81 लाख का यह टोटल इन्कम है । 63-64 में 5 लाख 41 हजार है, 64-65 में 6 लाख 30 हजार है, 65-66 में 4 लाख 64 हजार, 66-67 में 5 लाख 33 हजार है, 67-68 में 1 लाख 61 हजार है और 68-69 में अनुमानित 4 लाख है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है···

श्री दौलतराम सारण : उत्तर कौनसा सही है ?

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या राज्य मंत्रीजी ठीक हैं या सिंचाई मंत्रीजी ठीक हैं ?

श्री मनफूलसिंह : मैंने आमदनी की बात बताई है, अगर बेचने की बात है तो वह दूसरी है···

श्री रामप्रसाद लड्ढा : न ये गलत हैं और न मैं गलत हूं। टोटल इन्कम से एक्सपेन्डिचर बाईफरकेट करके पेड़ों का [redacted]

श्री रामचन्द्र आर्य : जितने पेड़ काटे जाते हैं नहरों के, इस दृष्टि से खराब है कि वहां पर खर्च नहीं किया जाता है। कितना रुपया खर्च किया जाय, इसको नहीं देखते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो कुछ इससे आमदनी होती है वह कन्सोलिडेट फन्ड में जमा होती है और मेन्टिनेन्स की कास्ट होती है वह कन्सोलिडेट फन्ड में होती है। जो फारमूला है 14-15 लाख का मेन्टिनेन्स पर खर्च किया जाता है। उसका इस आमदनी से कोई सम्बन्ध नहीं है। मेन्टिनेन्स के हैड से इस पर खर्च होता है।

श्री रामसिंह कुड़ी : क्या ये पेड़ बेचे जाते हैं नीलामी से बेचे जाते हैं या कैसे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नीलामी से।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री केदार नाथ।

प्रश्न संख्या 353

बीकानेर जिले में अकाल राहत कैम्पों के मजदूरों की मजदूरी का भुगतान

353. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले में अकाल राहत कैम्पों में पूरे दिन काम करने वाले मजदूरों को किस किस कैम्प में प्रतिदिन पैसा 10, 20, 25 व 30 पैसों के हिसाब से पेमेन्ट किया गया ?

(2) जिन स्थानों पर इस तरीके का पेमेन्ट किया गया वह कितने दिन काम करने के बाद किया गया ?

(3) क्या इन केम्पों में बच्चे व अन्य मजदूर मरे हैं ? यदि हां, तो कितने और क्या उनकी जांच करवाई गई ? वे क्यों मरे हैं ? जांच किसने और कैसे की ?

उप-मंत्री, अकाल (श्री गंगाराम चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से सम्बन्धित सूचनायें प्राप्त नहीं हुई हैं इसलिये इसको स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

नैक्स्ट। श्री रघुनाथ विश्नोई।

जिला जालोर में कृषि कुओं पर बिजली

354. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर के कृषि क्षेत्र में कुओं पर बिजली सबसे कम सप्लाई की गई है ?

(2) क्या यह सत्य है कि कृषि कुओं पर पम्पिंग सेट्स की संख्या को देखते हुये कुओं पर बिजलीकरण करने का जिला जालोर में बड़ा भारी स्कोप है अगर हां, तो कृषि कुओं पर बिजलीकरण के लिये सरकार निकट भविष्य में क्या योजना बनाने का विचार रखती है ? वह योजना कब तक लागू करदी जावेगी ?

(3) तहसील भीनमाल एवं सांचोर में कृषि कुओं पर सिंचाई के लिये बिजली

Page No 6

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

करण के लिये सरकार क्या योजना [redacted] में लाना चाहती है ? यह योजना कब तक लागू करदी जावेगी ?

उप-मंत्री, विद्युत (श्री खेतसिंह): (1) जी नहीं।

(2) व (3) प्रति वर्ष डिवीजन वाईज लक्ष्य रखे जाते हैं और इसी प्रकार आगामी वर्ष में प्राप्त धनराशि के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किये जायेंगे आगामी वर्ष में पर्याप्त धनराशि मिलने पर ।

श्री रघुनाथ विश्नोई:- जालोर में कितने कुओं पर बिजली लगाई गई है ?

श्री खेतसिंह : 112 का विद्युतिकरण किया गया है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जिले में कुओं की संख्या क्या है ?

श्री खेतसिंह : अलग से प्रश्न है। कृषि विभाग से सम्बन्धित है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपका टारगेट क्या है ? थोड़ी सी बिजली से हजारों किसानों को फायदा पहुंचता है । बिजली देने की गवर्नमेंट की पालिसी क्या है ?

विद्युत मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : अध्यक्ष महोदय, यह सत्य है कि जालोर में बिजली कम गयी है क्योंकि 11,888 कुए हैं उसके मुकाबले में 112 कुओं को इलेक्ट्रिफाई किया है लेकिन यह सही नहीं है कि सबसे कम आपके यहीं किये हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : फिर सबसे कम में क्या बाड़मेर और जैसलमेर का नाम लेंगे ।

श्री शिवचरण माथुर : डूंगरपुर में 72 कुओं पर बिजली है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, गुजरात से सरप्लस बिजली आपको मिल रही थी और वहां से पूरे जिले में बहुत सी पावर लग जाती लेकिन आपने उसका उपयोग क्यों नहीं किया ?

श्री शिवचरण माथुर : बिजली का उपयोग केवल उनके दे देने से नहीं होता है। उसके लिए ट्रान्समिशन लाईन खींची जाती है तब बिजली का उपयोग किया जाता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जब सरप्लस पावर हमारे यहीं थी और आप मन्जूर करते हैं कि पावर आ चुका है तो उसका उपयोग क्यों नहीं करना चाहते हैं ? क्या नीति है ?

श्री शिवचरण माथुर : जालोर के सम्बन्ध में और दूसरे जिलों के संबंध में जहां जहां भी इस प्रकार के इम्बेलेन्सेज हैं उनको मिटाने का हम इस साल प्रयत्न करेंगे और मने पहले भी कहा था कि हम आधार बना रहे हैं उसमें यह है कि जहां इम्बेलेन्सेज हैं उनको मिटाने का प्रत्यन करेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसके लिए क्या नीति है यह इम्बेलेन्स कब तक मिटा दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री रघुनाथ विश्नोई: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत इम्पार्टेन्ट सवाल है। यह इम्बेलेन्स कब तक दूर हो जायेगा ?

श्री शिवचरण माथुर : माननीय अध्यक्ष जी, इस वर्ष हमारा जो बिजली देने का आधार बिजली उत्पादन समिति की रिपोर्ट के आधार पर जितनी प्राप्त धनराशि है उसको ध्यान में रखते हुए अगली साल हम योजना बनायेंगे और उसमें इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि जालोर में बिजली कम है इसलिए उसको ज्यादा दी जायें और अप्रेल में हम योजना बनायेंगे उस समय बता सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

प्रश्न संख्या 355

श्री रामानन्द अग्रवाल ।

(अनुपस्ति, कृपया आगे देखिये)

श्री जुझारसिंह ।

भेड़ बकरियों की चराई और वनों का विकास

356. **श्री जुझारसिंह** (रामगंजमंडी): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि भेड़ व बकरी का जंगल में चराया जाना वन विकास की दृष्टि से अत्यधिक हानिकारक माना गया है व इनकी चराई के लिये विशेष बीड़ या पहाड़ियों को विकसित करने की फोरेस्ट इन्क्वायरी कमेटी द्वारा सिफारिश की गई है जिसे सरकार ने मन्जूर किया है ? यदि हां, तो भेड़ों की चराई कहां कहां रेस्ट्रिक्ट की हुई है और वन विभाग द्वारा उनके लिए कोटा डिवीजन में किस-किस स्थान पर चरागाह बनाये गये है ?

(2) क्या यह सही है कि पिछले दो सालों से कच्छ की हजारों की तादाद में भेड़ मंडाना, वन्याणी, टोला दरा व बहुत से जंगलों में बे रोकटोक चराई जा रही हैं जिनकी स्थानीय जनता ने विशेषतया खजूरना, खजूरी, आंवादरा पंचायतें, पंचायत समिति, सांगोद ने वन विभाग व पुलिस विभाग में लिखा-पढ़ी की है ? यदि हां, तो उन भेड़ों की चराई को नियंत्रित किये जाने की दशा में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वन मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (1) जी हां, कोटा जिले में इस प्रकार के चरागाह नहीं बनाए गए।

(2) कच्छ की तरफ की, भेड़ बकरी, आई किन्तु बे रोकटोक कहीं नहीं चराई जा रही हैं। केवल ये भेड़ें मंडाना, बनियानी, टोलादरा, कनवास व जगपुरा आदि स्थानों से होकर निकली हैं। स्थानीय लोगों के शिकायत करने पर उन्हें कोटा जिले से बाहर तुरन्त निकाला गया । ये भेड़ें वर्षा की मौसम में आती हैं जो राजस्थान की सीमा में होकर मध्य प्रदेश में चली जाती हैं। एक स्थान पर चराई हेतु नहीं आतीं अतः चराई को नियंत्रित करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं वन मंत्री महोदय की इन्फार्मेशन के लिए बता दूं कि वह भेड़ें इन-ट्रान्जिट नहीं होती हैं। वह बारहों ही महीने तक उसी एरिया में रहती हैं और वहां पर कई तरह के केसेज हो रहे हैं। लोग बाग घायल होते हैं, मारपीट होती है और आप कहते हैं कि आपके पास शिकायत ही नहीं आई।

श्री नारायणसिंह मसूदा : गतवर्ष सततपुरा के अन्दर और कुछ ऐसे गांवों में यह शिकायत हुई थी कि वह भेड़ें वहां रुक गई थीं और यह मैं मानता हूं कि काठियावाड़

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

और सौराष्ट्र से यह भेड़ें आती हैं। वह बराबर आती हैं और वह काफी हिमाकत करती हैं भेड़ें।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या यह सही है कि यहां 37 भेड़ बकरियों पर 35 लाख रुपया खर्च किया जा रहा है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या वन अधिकारी ने इन भेड़ों वालों से चराई वसूल की है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : जहां यह भेड़ें नुकसान करती हैं इनको कोई एलॉट नहीं किया जाता है स्थान लेकिन जहां यह भेड़ें नुकसान करती है वहां से इनको निकालने का प्रबंध किया जाता है।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मन्डोर रेन्ज में और कनवास रेन्ज में यह भेड़ बकरियां बराबर वहां बारहों महीने रहती हैं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : गत वर्ष काफी अर्से तक रही हैं।

श्री जुझारसिंह : कितने समय तक रही हैं आपके पास इन्फार्मेशन क्या है।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मुझे एग्जेक्टली इस बात की सूचना नहीं है कि कितने अर्से तक रहीं लेकिन रहीं।

श्री जुझारसिंह: आपने कहा कि यह तो इनट्रान्जिट थीं तो यह बता दें कि कितने अर्से रही हैं ? मैं जानकारी दे रहा हूं कि बारहों महीने रही हैं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं इस समय यह जरूर कह सकता हूं कि वहां पर काफी अर्से रही हैं और उससे लोगों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ी हैं। उनको हटाने की कोशिश की। इसके लिए पुलिस को बुलाना पड़ा, फौजदारी हुई, मारपीट हुई और सभी बातें हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इनसे चराई वसूल की है और यह कई महीने रही हैं ?

श्री जुझारसिंह : फॉरेस्ट इन्क्वायरी कमेटी ने एक पालिसी डिसीजन लिया है कि भेड़ बकरियों के लिए सेग्रीगेट एरिया रखा जाये जिससे जंगल में नुकसान नहीं हो। आपने कोटा डिविजन में इस रिपोर्ट के आने के 10 वर्ष तक इस एरिया को डीमार्केट नहीं किया इसके क्या कारण हैं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : इस तरह के एरिया भेड़ बकरियों के लिए फॉरेस्ट इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्व क्षेत्र में से करने का था और उसके लिए जो उचित सहयोग सब जगह से मिलना चाहिए वह नहीं मिला और उसकी कमी रही इसलिए वह एलाट नहीं हो सका।

श्री जुझारसिंह : आपके डिपार्टमेंट की तरफ से इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है और राजस्व विभाग से सहयोग लेने के लिए आपने क्या-क्या कार्यवाही की ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : हमारे डिपार्टमेंट ने मौखिक रूप से यह बात कही कि इसके लिए क्षेत्र निर्धारित किया जाये लेकिन माननीय सदस्य स्वयं परिचित हैं कि जितने जंगल हैं उनको ही रखने की नीयत नहीं रहती है तो और अधिक चरागाह के लिए और भेड़ों के लिए अलग एलाट करने के लिए आज इस समय में कौन व्यक्ति तैयार होगा कि जो अपने गांव में से टुकड़ा निकाल कर दे ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि यह पॉलिसी का और महत्वपूर्ण प्रश्न है। काठियावाड़ से या कच्छ से राजस्थान में चराई के लिए भेड़ें आती हैं इस संबंध में जो माननीय वन मंत्री महोदय ने प्रश्नकर्ता को उत्तर दिया वह अवास्तविक है और संतोषजनक नहीं है। मैं समझता हूं कि यह एक नीति का प्रश्न यों है कि अगर भेड़ें उधर से ज्यादा यहां आती हैं तो राजस्थान सरकार को पड़ौसी राज्य के नाते गुजरात सरकार को कहना चाहिए कि वह अनावश्यक रूप से भेड़ों को यहां नहीं भेजें। भेड़ें आती हैं बारहों महीने वहां रहती हैं और जो भी बचे-खुचे जंगल के पौधे हैं वह बिलकुल साफ-सफाचट कर जाती हैं। यह उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में दोनों में यह समस्या है। मंत्री महोदय को चाहिए कि वह जो कुछ भी उत्तर दें वह जानकारी प्राप्त करने के बाद ही दें, और अगर यह भेड़ें मैं तो समझता हूं कि यह भेड़ें अनावश्यक हैं और इनका आना हानिकारक है और इन भेड़ों को यहां आने भी दिया जाये तो एक सीमित मात्रा में आने दी जायें। यह सब पॉलिसी के प्रश्न अगर आप जंगलों की रक्षा करना चाहते है तो ठीक है, नहीं तो यह सरकार वन-रक्षक के नाम से वन-भक्षक बनना चाहती है तो बने।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं निवेदन कर सकता हूं कि माननीय सदस्य को इस विषय में जो कुछ भी जवाब दिया गया है वह पूरी जानकारी करने के बाद ही दिया गया है। यह भेड़ें बराबर आती रही हैं और आज से नहीं आ रही हैं। अब वनों और चरागाहों के क्षेत्र कम हो रहे हैं तब इन दिक्कतों को हम महसूस करने लगे हैं और जन-संख्या बढ़ रही है, हर जगह काश्त बढ़ रही है....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : भेड़ों को क्यों आने देते हैं? यह तो आत्महत्या कर रहे हैं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : भेड़ें तो कैसे रुकें।

श्री विजयसिंह (मकराना) : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न ले लिया गया है।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जो अनावश्यक भेड़-बकरियों की संख्या बढ़ रही है यह अनावश्यक बढ़ रही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न ले लिया गया है।

श्री दिग्विजयसिंह।

ग्राम पंचायत, नगर के कोष में गबन

357. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम पंचायत नगर, तहसील देवली, जिला टोंक का गत चार वर्ष से ऑडिट नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या कारण है?

(2) क्या यह सत्य है कि उक्त पंचायत के विरुद्ध वहां की जनता ने कई बार लिखकर शिकायतें की हैं कि पंचायत के कोष में गबन है पर जिला अधिकारियों ने कुछ ध्यान नहीं दिया है?

उप-मंत्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (1) जी नहीं।

(श्रीमती प्रभा मिश्रा)

(2) कोई शिकायत नहीं की गई।

श्री दिग्विजयसिंह : आपने प्रश्न (1) के उत्तर में कहा जी नहीं और ऑडिट हो चुका है तो क्या यह सही है कि उसमें कई अनियमिततायें और गबन के आरोप सिद्ध हुए हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जी नहीं, ऑडिट में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी।

ग्राम गूगोर में पारवती नदी पर बांध का सर्वे

358. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा) [**श्री भवरलाल** (हिन्डौन) द्वारा पूछा गया] : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान सरकार ने छबड़ा तहसील के ग्राम गूगोर में पारवती नदी पर बांध बंधवाने की सर्वे कराई थी ?

(2) क्या इसकी रिपोर्ट सर्वे एण्ड इनवेस्टीगेशन डिपार्टमेंट के पास छबड़ा-गूगोर बहुउद्देश्यीय पॉवर परियोजना के नाम से मौजूद है ?

(3) अगर हां, तो अब सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही कर रही है ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

प्रश्न संख्या 359

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मूलचन्द डागा।

ढंढ का मोहल्ला, पाली में भांभियों की कॉलोनी

360. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पाली में ढंढ के मोहल्ले में समाज कल्याण विभाग की सहायता से कोई भांभियों की कॉलोनी बनाई जा रही है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह सत्य है कि पिछले वर्ष दस भांभी जाति के लोगों को अनुदान के रूप में एक-एक हजार रुपये या कम रकम भवन निर्माण हेतु स्वीकार की गई थी ?

(3) क्या यह सत्य है कि नौ मकान अभी तक अनुदान न मिलने के कारण बन नहीं पाये हैं ? क्या सरकार शेष नौ व्यक्तियों (भांभियों) को अनुदान के रूप में रकम देकर कॉलोनी का काम पूरा कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, समाज-कल्याण (श्री विश्वम्भरनाथ जोशी) : (1) जी नहीं, कोई कॉलोनी नहीं बनाई। कुछ अनुसूचित जाति के लोगों को मकान सहायता दी गई है।

(2) जी हां।

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी) :

(3) जी हां, शेष को परिवारों में से प्रत्येक परिवार को एक हजार रुपये की स्वीकृति दिनांक 26 फरवरी, 1969 को दी जा चुकी है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

जैसलमेर में बिजली के बिलों को जमा कराने की व्यवस्था

361. **श्री बालसिंह सोढ़ा** (जैसलमेर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर नगर के बिजली के बिलों को पोकरण में जमा करना पड़ता है ? अगर हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार इन बिलों को जैसलमेर में ही जमा कराने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो इसको कब तक कार्य रूप में लाया जावेगा ?

उप-मन्त्री, विद्युत् (श्री खेतसिंह) : (1) जी नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता ।

(2) व्यवस्था इस समय भी है। प्रश्न ही नहीं उठता है ।

एक माननीय सदस्य : बिलों का भुगतान नहीं हो सकता है तो प्रश्न क्यों नहीं उठता है ?

श्री खेतसिंह : इसलिए कि वहां पर व्यवस्था है पहले से ।

श्री विजयसिंह (मकराना) : जैसलमेर में कितने दिनों तक बिजली के बिल जमा होते हैं ?

श्री खेतसिंह : 6 दिन के लिए कैशियर वहां जाता है और वहां पर बिजली के बिल जमा होते हैं ।

श्री बालसिंह सोढ़ा : कन्ज्यूमर्स जैसलमेर में ज्यादा हैं कि पोकरण में ज्यादा हैं ? पोकरण जैसलमेर से 70 मील दूर पड़ता है। वहां पर केशियर महीने में 6 दिन के लिये जाता है । उसके बाद में किसी को बिल जमा कराना होता है तो उसको पोकरण जाना पड़ता है। जबकि कन्ज्यूमर्स वहां पर ज्यादा हैं और पोकरण में बहुत कम हैं तो हैडक्वार्टर वहां पर क्यों नहीं रखा जाय ?

विद्युत् मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : बिजली के डिविजन और सब-डिविजन डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स के खयाल से नहीं रखे जाते हैं। वहां की जितनी क्षमता होती है और जितने अधिक कन्ज्यूमर्स होते हैं उन्हीं के हिसाब से रखे जाते हैं। जहां तक जैसलमेर का सवाल है पोकरण में असिस्टेन्ट इन्जीनियर का हैडक्वार्टर है और जैसलमेर में जूनियर इन्जीनियर रहता है। वहां सुविधानुसार महीने में 6 दिन के लिए कैशियर आ जाता है। रहा सवाल यह कि आपके यहां कन्ज्यूमर ज्यादा हैं और पोकरण में ज्यादा नहीं हैं तो यह देखने की बात है । जितने हमारे कन्ज्यूमर्स बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए डिविजन और सब-डिवीजन को रिआर्गेनाइज करने का विचार चल रहा है। उसमें ऐसी बात होगी तो देख लेंगे ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित यों करना चाहूंगा कि जैसलमेर जिले की भौगोलिक स्थिति समस्त भारतवर्ष के अन्दर अजीब है । अकेला जैसलमेर जिला 16 हजार वर्ग मील का है।

Page No 12

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

अब कहां पोकरण और कहां जैसलमेर ? जैसलमेर एक महत्वपूर्ण स्थान है और वहां पर एक कैशियर की व्यवस्था 6 दिन के लिए महीने में रखी है तो आपके द्वारा मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करके निवेदन करना चाहता हूं कि 6 दिन को बढ़ाकर 10 दिन तक नहीं कर सकते ?

श्री शिवचरण माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, पोकरण बीच में, केन्द्र में आता है। वहां से बालासर, फलौदी और जैसलमेर, आदि तीन चार जगह और जाता है। अगर असिस्टेन्ट इन्जीनियर का हैडक्वार्टर जैसलमेर में रख दिया जाता है तो दूसरी जगहें दूर हो जाती हैं। इसलिए बीच के स्थान पोकरण में हैडक्वार्टर रखा गया है। जहां तक इसके दिन बढ़ा देने का सवाल है उसमें दिक्कत आती है और कन्जूमर्स की कठिनाइयां का सवाल है तो हम दिन बढ़ाने की बात हम कर सकते हैं। 6 दिन जैसलमेर के लिए नियत हैं और उसमें अगर दिक्कत अनुभव करते हैं तो इसके बारे में सोचा जा सकता है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : जब वहां पर बैंक की व्यवस्था है तो बैंक के थ्रू ही क्यों नहीं कर लेते हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : यह अलग से प्रश्न है।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : जब वहां पर बैंक की व्यवस्था है तो बैंक में क्यों नहीं जमा करने देते है जब कि सारी जगहों पर बैंकों में जमा होता है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

बाड़मेर जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का कार्यालय

362. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर नगर में जो सीमावर्ती बाड़मेर जिले का हैड-क्वार्टर है जिला चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी का कार्यालय नहीं है ?

(2) क्या सरकार इस विस्तृत क्षेत्र में तुरन्त ही उक्त कार्यालय खोलने का विचार रखती है ?

(3) अगर हां, तो इस संबंध में कब तक कदम उठा लिया जायगा ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा (श्रीमती सुमित्रा) : (1) जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का हैड क्वार्टर जालोर और बाड़मेर के लिए मुख्यालय जालोर है।

(2) बाड़मेर व जैसलमेर जिलों के लिए जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का कार्यालय व मुख्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। यदि इन दोनों जिलों के लिए एक ही जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रखे जाने का निर्णय लिया गया तो उसका मुख्यालय बाड़मेर रहेगा।

(3) यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है, शीघ्र ही निर्णय लिया जायगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री जयनारायण सालोदिया।

टोंक में टी० बी० अस्पताल की योजना

363. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या टोंक में टी० बी० अस्पताल बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन थी ? यदि हां, तो इस योजना पर किस स्तर पर विचार हो रहा है और वह कब तक पूरी हो जावेगी ?

(2) क्या यह सच है कि टोंक एरिया में काफी लोग टी० बी० के शिकार होते हैं पर अस्पताल के अभाव में परेशान होकर वापिस चले जाते हैं ?

(3) क्या सरकार टोंक में टी० बी० अस्पताल की कमी महसूस करती है ? यदि हां, तो नया अस्पताल कब तक और कहां बनाने का विचार है ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा (श्रीमती सुमित्रा) : (1) जी हां, 1960 में ऐसी मांग सरकार के सामने आई थी जिसमें सरकार ने निश्चय लिया था। अब धनाभाव के कारण यह योजना कार्यान्वित नहीं हो सकी।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह जो 1960 में इस तरह की मांग थी उस पर किस स्तर पर विचार हुआ है ?

श्रीमती सुमित्रा : वह मैंने कहा कि विचार हुआ और विचार करके......

श्री जयनारायण सालोदिया : किस स्तर पर हुआ है यह मैं जानना चाहता हूं।

श्रीमती सुमित्रा : 1960 के अन्दर टोंक के अन्दर केबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें टोंक के लोगों ने यह मांग रखी थी और उस समय केबिनेट की ओर से यह निश्चय भी लिया गया था कि टोंक में एक टी० बी० सेनिटोरियम बनाया जाय, लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया कि धनाभाव के कारण यह काम अभी विचाराधीन ही है और क्रियान्वित नहीं हो सका है।

श्री जयनारायण सालोदिया : अब सरकार कब तक इस विचार को पूर्ण रूप देना चाहती है ?

श्रीमती सुमित्रा : इस बारे में कुछ नहीं कह सकती हूं। धनाभाव का कारण है।

श्री जयनारायण सालोदिया : धनाभाव का कारण सरकार की दृष्टि में कब तक दूर होगा ?

श्रीमती सुमित्रा : कह नहीं सकती, क्योंकि इसका राज्य की आर्थिक परिस्थितियों से संबंध है जिसमें प्रकृति का भी बड़ा हाथ है।

प्रश्न संख्या 364

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 365

श्री सुमेर सिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री विजयसिंह।

मकराना क्षेत्र में अकाल राहत कार्य

366. **श्री विजयसिंह** (मकराना) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मकराना क्षेत्र में अकाल राहत कार्य कहां प्रारम्भ किये गये हैं और वे कब तक चलाये जावेंगे ?

(2) इन कार्यों में कितना रुपया खर्च किया जायगा ?

(3) अन्य किस-किस क्षेत्र में अकाल के लिए कितना-कितना रुपया खर्च किया जायेगा ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उप-मंत्री, अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) मकराना क्षेत्र में निम्नलिखित राहत कार्य स्वीकृत किये गये हैं :—

(क) रानी गांव से मकराना ।

(ख) बोरावड़ से परबतसर वाया किणसरिया ।

(ग) तोसीना-कुचामन ।

इनमें से बोरावड़ से परबतसर के किणसरिया कैम्प पर और तोसीना से कुचामन सड़क पर कार्य बूडसू कैम्प पर चल रहा है । रानी गांव से मकराना सड़क कार्य की अभी सर्वे समाप्त हुई है और 1-2 दिन में कार्य प्रारम्भ किया जाने वाला है ।

(2) इन कार्यों पर आवश्यकतानुसार रुपया खर्च किया जायेगा ।

(3) अन्य क्षेत्र में भी वहां जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुसार रुपया खर्च किया जावेगा ।

श्री विजयसिंह : आपने जो किणसरिया कैम्प बताया है तो उसमें कितने मजदूर काम करते हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : 325 के करीब ।

श्री विजयसिंह : क्या 325 मजदूर ही वहां पर उपलब्ध हैं या उससे अधिक मजदूर उपलब्ध हो सकते हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : किसी भी मजदूर को मना नहीं किया जाता है काम से लगाने के लिए। जो भी आयेगा उसको लगा दिया जायेगा ।

प्रश्न संख्या 367

श्री अध्यक्ष : राजवी श्री रूपसिंह ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

नेक्स्ट; श्री नाथूराम ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत पद तथा अनुसूचित जन-जाति के लोगों के लिए सुरक्षित स्थान

368. **श्री नाथूराम** (बागीडोरा) : क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) परिवार नियोजन कार्यक्रम की प्रगति के लिए 1967-68 में किस-किस श्रेणी, कितने-कितने पद स्वीकृत हुए व कब से तथा उनमें अनुसूचित जन-जाति के लिए कितने-कितने स्थान सुरक्षित थे ?

(2) उक्त पदों के लिए साक्षात्कार कब हुए व नियुक्तियां कब-कब हुई तथा कितने-कितने स्थान भरे गये ? उनमें अनुसूचित जन-जाति के कितने-कितने प्रार्थी नियोजित हुए ?

(श्री नाथूराम)

(3) क्या यह भी सही है कि अनुसूचित जन-जाति के प्रार्थियों को नियोजन के अवसर नहीं मिले ? यदि नहीं, तो उक्त पद की पूर्ति के लिए कौन-कौन सी संस्थाओं, विभागों से पत्राचार करके कितने-कितने प्रार्थियों के विवरण प्राप्त कर नियोजित किये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा (श्रीमती सुमित्रा) : (1) परिवार नियोजन कार्यक्रम की प्रगति के लिए सन् 1967-68 में समय समय पर जो पद स्वीकृत किये गये और जिन पदों पर नियुक्तियां की गईं तथा नियुक्त किये गये उम्मीदवारों में से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के जितने उम्मीदवार नियोजित किये गये उनका विवरण अनुसूची 'क' में संलग्न है। साढ़े बारह प्रतिशत पद अनुसूचित जाति एवं जन जाति के लिए नियमानुसार सुरक्षित होते हैं।

(2) परिवार नियोजन सेवा चयन समिति द्वारा वरिष्ठ लिपिक व वरिष्ठ लिपिक कम-आशुटंकणकर्ता के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा ली गई तथा सांख्यिकी सहायक आर्टिस्ट-कम फोटोग्राफर, क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यकर्ता (इन पदों का नाम अब संगणक-कम-लिपिक कर दिया गया है) तथा परिवार नियोजन, शिक्षा एवं प्रचार अधिकारियों के पद के लिए साक्षात्कार लिये गये थे। साक्षात्कार कब कब लिये गये इसका विवरण अनुसूची 'क' में अंकित है। इन पदों में से केवल वरिष्ठ लिपिक-कम-आशुटंकणकर्ता के पदों पर नियुक्ति माह फरवरी, 1968 में की गई तथा अन्य सभी पदों पर नियुक्ति क्रमशः मई, 1968, जुलाई, 1968 एवं अक्टूबर, 1968, में की गई। इसके अतिरिक्त जो अन्य पद सन् 1967-68 में स्वीकृत हुए थे, उन पर नियुक्ति विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नति, स्थानान्तरण अथवा अधिशेष कर्मचारियों के समावेश द्वारा पद सृजित होने के तुरन्त बाद की गई। इनमें से कुछ पदों पर भरती नियोजन कार्यालय द्वारा की गई। प्रशासनिक अधिकारियों के पद पर नियुक्ति सचिवालय के नियुक्ति विभाग द्वारा की जाती है। सन् 1967-68 में जो पद स्वीकृत किये गये तथा उन पर कितने-कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गई एवं उनमें से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के कितने-कितने प्रार्थी नियोजित हुए उनका विवरण अनुसूची 'क' में ही उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा माह जुलाई, 1967 में......

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस [× × ×] में इतना हो-हुल्लड़ हो रहा है कि सुनाई ही नहीं देता है।

श्री अध्यक्ष : सदन को [× × ×] नहीं कहते हैं। वह उपयुक्त नहीं है।

श्री विजयसिंह : इस तरह से हो-हुल्लड़ हो रहा है कि [× × ×] हो।

श्री अध्यक्ष : एक्सपन्ज किया जाय।

श्रीमती सुमित्रा : ...परिवार नियोजन सेवा चयन समिति का गठन किया गया तथा इस समिति ने समाचार पत्रों में विज्ञप्ति निकालकर और नियोजन कार्यालयों से

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

(श्रीमती सुमित्रा)

उम्मीदवारों के नाम मांगकर वांछित योग्यता रखने वालों का चयन किया गया इसलिये संस्थानों एवं विभागों से पत्राचार करके नियोजन करने का प्रश्न नहीं उठता है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री नाथूराम : क्या यह सही है कि किसी भी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के आदमी को अधिकारी पद पर नहीं लिया गया ?

श्रीमती सुमित्रा : जी नहीं, यह सही नहीं है। सभी पदों पर 12½ प्रतिशत के हिसाब से लिया गया।

श्री नाथूराम : सूची से साफ मालूम पड़ता है कि केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में 10 लिये है और कनिष्ठ लिपिक के पद पर 5 लिये हैं, वरिष्ठ लिपिक पर 4 और आफिसर्स के पद पर किसी को भी नहीं लिया गया अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी देना चाहता हूं कि सारे राजस्थान में हजारों लड़के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के बी० ए०, एम० ए०, और एलएल० बी० पास किये बैठे हैं जो बेकार हैं लेकिन उच्च पदों पर किसी भी अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के लड़के को नहीं लिया जाता।

श्रीमती सुमित्रा : अध्यक्ष महोदय, यह सही नहीं है। क्योंकि आपने 1967-68 के बारे में सवाल पूछा था तो इसका मतलब हुआ वित्तीय वर्ष 1967-68 जो कि मार्च तक होता है और उसकी सूचना दे दी। अगर आप 1968 के पूरे वर्ष का पूछते तो यह बता सकते थे कि गजेटेड ऑफिसर्स के पदों पर भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को लिया है।

श्री नाथूराम : साल भर में आपको एक भी लड़का इन जातियों का नहीं मिला ऑफिसर पद के लिए ?

श्रीमती सुमित्रा : मैंने जैसा निवेदन किया, आपने 1967-68 के लिए प्रश्न किया था जिसका मतलब होता है वित्तीय वर्ष। यदि आप पूरे 1968 वर्ष का पूछते तो मैं पूरी सूची उस संबंध में दे देती कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लड़कों को किस-किस पद पर लिया।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : जब-जब एपाइन्टमेंट किया जाता है, तब-तब इस बात का ध्यान रखा जाता है क्या कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति वालों को 12½ प्रतिशत का प्रतिनिधित्व दिया जाये ?

श्रीमती सुमित्रा : जी हां, हर समय रखा जाता है, लेकिन जहां पदोन्नति से कोई पद भरा जाता है वहां 12½ प्रतिशत अवेलेबिल नहीं होते। बाकी डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट जहां भी होता है उसमें 12½ प्रतिशत का ध्यान रखा जाता है और उनको एपाइन्टमेंट दिया जाता है।

श्री नाथूराम : चयन समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ?

श्रीमती सुमित्रा : वैसे तो यह अलग से प्रश्न है, पर मैं बता देती हूं। चयन समिति के सदस्य हैं : (1) डिप्टी सेक्रेटरी, फैमिली प्लानिंग, (2) स्टेट फैमिली प्लानिंग ऑफिसर और (3) डिप्टी सेक्रेटरी, एपाइन्टमेंट्स।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री राम प्रसाद बोहरा।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री रामप्रसाद बोहरा।

आवर वन खण्ड में कत्थे का ठेका

369. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1968-69 के लिये आवर वन खण्ड जिला झालावाड़ में कत्थे का ठेका दिया गया ? यदि हां, तो किसको कितने रुपयों में ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ठेकेदार ने अपने ठेके के जंगल के सिवा गैर कानूनी तरीके से सालरिया वन खंड में जंगल खैर को काट डाला है ? यदि हां, तो कितने ऐसे पेड़ नाजायज तौर से काटे गये ?

(3) इस प्रकार जंगल के कटने पर पिड़ावा रेंज, अधिकारी एवं डी० एफ० ओ०, जिला झालावाड़ अनभिज्ञ रहे हैं अथवा जिला उप-वन अधिकारी को इसकी जानकारी थी ?

(4) उक्त ठेकेदार एवं अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

वन मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (1) जी हां। श्री अहमद हुसैन बोहरा, ठेकेदार, निवासी कोटा जंक्शन को रुपये 58,100 में ठेका दिया गया।

(2) जी हां। ठेकेदार द्वारा 804 खैर के पेड़ नाजायज़ काटे गये।

(3) जी नहीं। रेन्ज ऑफिसर, पिड़ावा एवं मंडल वन अधिकारी, झालावाड़, को इस अवैधानिक कटाई की सूचना 15-12-68 को मिल गई थी।

(4) श्री अहमद हुसैन, ठेकेदार, कोटा जन्कशन के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

श्री रामप्रसाद बोहरा : जिन जिला वन अधिकारी और रेन्ज ऑफिसर ने इस वन को कटने दिया उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायणसिंह : श्री हुसैन अली, असिस्टेन्ट फारेस्टर और मुमताज अली, फारेस्टर को सस्पेंड किया गया।

श्री जुझारसिंह : क्या मंत्री महोदय डी० एफ० ओ० और रेंजर को रेस्पांसीबिल नहीं मानती ?

श्री नारायणसिंह : मुख्य में रेस्पांसीबिलिटी इन लोगों की थी और डी० एफ० ओ० की सुपरवाइजरी नेग्लीजेन्स मानी जाती है अगर उनको दोषी पाया गया तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : रेंज ऑफिसर की क्या रेस्पान्सीबिलिटी है ? पिड़ावा के रेंज ऑफिसर के कार्यालय से यह जगह कितनी दूर है ?

श्री नारायणसिंह : रेंज ऑफिसर ने समय पर रिपोर्ट की है, उनकी दो इन्सपेक्शन रिपोर्ट्स मौजूदा हैं और उनके अनुसार ही मआवज़ा वगैरह तय किया गया।

श्री जुझारसिंह : क्या यह सही है कि झालावाड़ में कत्थे के ठेकों में पिछले साल, इस साल जगह जगह अनियमित कटाव हुआ है ? इसके लिये क्या किया जा रहा है ?

श्री नारायणसिंह : हो सकता है, परन्तु यह अलग से प्रश्न है।

श्री जुझारसिंह : अलग से नहीं है। यह इसलिये चल रहा है क्योंकि आपने किसी बड़े अधिकारी के खिलाफ ऐक्शन नहीं लिया है।

श्री नारायणसिंह : आप स्पेसीफिक बतायेंगे तो जरूर ऐक्शन लेंगे।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या यह सही है कि आपने किसी के ऊपर सुपरवाइजरी नेग्लीजेन्स कायम नहीं की है ?

श्री नारायणसिंह : जिस वक्त यह सारी जांच होगी, उस वक्त में मालूम पड़ जायेगा कि किसकी कितनी नेग्लीजेन्स रही और उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री दौलतराम सारण : क्या यह सही है कि जिस समय में ये पेड़ काटे गये उस समय के अन्दर सम्बंधित अधिकारी कई बार उस जंगल में गये और उन्होंने दौरा किया जिसका टी० ए० और डी० ए० भी उठाया ?

श्री नारायणसिंह : दौरे पर अगर जाते हैं तो टी० ए० और डी० ए० भी लेंगे ही। लेकिन पहली ही रिपोर्ट जो आई उसमें गलत काटना मालूम नहीं पड़ता है। उसके बाद में इस बात को चैक किया गया है।

श्री नत्थीसिंह : क्या यह सही है कि उप-वन मंत्री उस जंगल में गये थे और उनको बात का पता था कि पेड़ कट रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री रामकुमार नन्दवाना।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, उप-मंत्रीजी वहां के सरपंच हैं, उनको तो पूरी जानकारी होनी चाहिये थी।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। नैक्स्ट।

राणा प्रताप सागर बांध की डूब में आने वाले ग्रामों के निवासियों को सहायता

370. **श्री रामकुमार नन्दवाना** (चित्तौड़गढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ जिले की भैंसरोड़गढ़ पंचायत समिति के क्षेत्र के राणा प्रताप सागर बांध के डूब में आने वाले ग्रामों के निवासियों को जहां-जहां जितने परिवारों को जिन ग्रामों में बसाया है उनको प्रोजेक्ट से मिलने वाली सहायता दी जा चुकी है ? यदि हां, तो सहायता का क्या स्वरूप रहा है ?

(2) जिन जिन बस्तियों में यह विस्थापित बसे हैं क्या वहां पर प्राथमिक स्कूल व चिकित्सा व सड़कों तथा पीने के पानी के कुओं आदि की व्यवस्था की जा चुकी है ? यदि हां, तो कहां-कहां, किन-किन बस्तियों में यह व्यवस्था कर दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि अभी तक भी कई सौ परिवारों को भूमि आवंटित नहीं की गई है ? इसके कारण क्या रहे हैं और किस अधिकारी की असावधानी से विस्थापित ी तक नहीं बस पाये हैं ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (1) जी हां, विस्थापित परिवारों को उनकी जमीन व मकानों के मुआवजे के अलावा मकान बनाने व खेती करने के लिये निशुल्क भूमि दी गई है एवं कृषि के लिये आवंटित भूमि में खड़े चम्बल का एक मालकाना भी विस्थापितों को दिया है तथा दो साल का लगान माफ करने की सुविधा भी दी गई है। विस्थापितों की नई कालोनियों में पाठशाला, फेयर वेदर रोड, कुआ, चौपाल, औषधालय आदि भवनों की व्यवस्था भी की गई है। जिन विस्थापितों की कोई भूमि डूब में नहीं आई उनको भी नगद मुआवजा दिया गया है, और जहां जहां सम्भव है उनकी भूमि के लिये सिंचाई की सुविधा भी प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही है।

(2) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) अधिकांश विस्थापितों के बसने एवं खेती करने हेतु भूमि आवंटित की जा चुकी है परन्तु कुछ विस्थापितों को भूमि पसन्द न आने से उन्हें जंगलात विभाग से भूमि रिलीज करवा दी गई है। और उस भूमि में बसे हुए विस्थापितों को बसाया जा रहा है और आशा है कि आने वाली बरसात के पहले बचे हुए लोगों को भूमि का आवंटन कर दिया जायेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

श्री रामकुमार नन्दवाना : अध्यक्ष महोदय, नम्बर (3) में कहा गया है कि भूमिहीनों को बसाया जा रहा है, इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा। आपने बताया कि राजाखेड़ा, माखूपुरा आदि के 397 परिवारों के लिये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जमीन दिलाई जा रही है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अभी तक जमीन रिलीज नहीं की है। तो उन 397 परिवारों को कब तक जमीन दे देंगे? दूसरा ये जो नई बस्तियां बनाई गई हैं वहां पर पानी नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों को पानी उपलब्ध कराने की क्या व्यवस्था कर रहे है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: माननीय अध्यक्षजी, 397 परिवार ऐसे है जिनमें से कुछ ने तो भूमि का फार्म भर दिया था और कुछ ने नहीं भरा, लेकिन भूमि पसन्द नहीं आने के कारण उन्होंने दूसरी जमीन प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की। उसके बारे में जंगलात विभाग से उस जमीन को रिलीज करने के आदेश तो हो गये लेकिन उसमें जो वन सम्पत्ति है उसके बारे में डिस्प्यूट है। हमने फैसला किया कि जमीन पर जो भी वन सम्पत्ति है वह भी ऐलाटीज को बांट कर दी जाये, लेकिन उसके आर्डर्स अभी गवर्नमेंट लेवल पर इश्यु होकर नीचे नहीं आये जिससे जमीन तो एलॉट हो गई परन्तु कब्जा नहीं दिया जा सका। इसके ऑर्डर्स अन्डर इश्यू है और दो तीन रोज में फोरेस्ट डिपार्टमेंट से इश्यु हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री रिद्धीचन्द पालीवाल।

श्री रामकुमार नन्दवाना: क्या हाई फ्लड लेवल में आने वाले व्यक्तियों को भी मुआवजा देने का इरादा है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: इसका इससे ताल्लुक नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अलग से प्रश्न।

श्री जुझारसिंह : इन 397 परिवारों को कम्पेंसेट किया गया है और उनको जमीन दी गई है। गांधीसागर और दूसरों को भी दिया गया है, तो क्या कारण है कि बाकी के 8 गांवों को मुआवजा और जमीन नहीं दी गई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इनके साथ और उनके साथ समान व्यवहार किया जायगा और समान व्यवहार किया जा रहा है। केवल आॅर्डर्स होने में कुछ देरी हुई है। कल मैंने मालूम किया, अन्डर इश्यू है और जल्द हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रिद्धीचन्द पल्लीवाल।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अगर आॅर्डर्स इश्यू करने में देरी हुई है, तो डिले तो हो गई। उन लोगों की हार्डशिप का प्रश्न है उसको भी सरकार को देखना चाहिये। रेड टेपिज्म और लैतलाली के कारण अगर उनको ऐलोटमेंट नहीं हुआ तो वे खेती नहीं कर सकेंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐलोटमेंट तो हो गया।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ऐलोटमेंट हो गया और कब्जा नहीं दिया, इससे क्या फायदा ? यह तो आपकी वाहवाही की पराकाष्ठा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 24 हजारों को ऐलोट हुई है और सबको ऐलोट हो चुकी है। केवल 200 या 300 फैमिलीज हैं जिनको जमीन पसन्द नहीं आई और इसलिये दुबारा ऐलोट करनी पड़ी।

प्रश्न संख्या 371

श्री अध्यक्ष : श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्रममंत्री।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : Question has not been asked.

श्री अध्यक्ष : Yes, I pass on.

प्रश्न संख्या 372

श्री भैरोंसिंह शेखावत।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 374

श्री परसराम ?

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री बृजवल्लभ बोहरा : प्रश्न सं० 373

तहसील दीगोद एवं लाडपुरा में सीपेज से नुकसान

373. **श्री बृजवल्लभ बोहरा** : (दीगोद) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि चम्बल नहर की राइट मेन से अनेक किसानों की भूमि सीपेज के कारण पड़त व खराब हो गई है ?

(2) क्या यह सही है कि इस सीपेज को दूर करने के लिए किसानों ने कई बार दरख्वास्त पेश की थी ?

(श्री बृजवल्लभ बोहरा)

(3) तहसील दीगोद और लाडपुरा में किन किन आदमियों की जमीन सीपेज से खराब हो गई है?

(4) क्या सरकार ड्रेनेज द्वारा इस सीपेज को मिटाने का रादा रखती है? यदि हां, तो कब से काम चालू किया जावेगा?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा): (1) राइट मेन कैनाल तथा उसकी शाखाओं, उप-शाखाओं से कुछ किसानों की भूमि सीपेज से प्रभावित हुई है?

(2) जी हां।

(3) जो जमीन सीपेज से प्रभावित हुई है उनके अलग अलग क्षेत्रों का क्षेत्रफल कुओं के जलस्तर के माप द्वारा आंका जाता है। आदमीवार सूची इस विभाग में तैयार नहीं की जाती है।

(4) जी हां। धन की उपलब्धि पर।

श्री बृजवल्लभ बोहरा: अध्यक्ष महोदय, बहुत से खेत खराब हो गये है। वह चार चार साल से पड़त हो गये है। बार बार मांग करने पर भी मुआवजा नहीं दिया गया। न देखभाल की गई। और किसानों से लगान लेते रहे है।

श्री अध्यक्ष : क्या यह ठीक है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: मुआवजा के सम्बन्ध में जो सूचना दी जाती है उसके अनुसार जो मुआवजा डायरेक्टली सीपेज की वजह से पानी के अधिकारी बनते है, उसको हम मुआवजा देते है। और हमने मुआवजे दिये है। लेकिन डाइरेक्टली सीपेज से नुकसान नहीं हो, उसको हम नहीं देते है।

श्री बृजवल्लभ बोहरा: क्या यह सही है कि 6 साल से जिनकी जमीन माइनर डिस्ट्रीब्यूट्री में गई है, उनको मआवजा नहीं दिया गया है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: यह अलग से सवाल है। सीपेज और वाटर लोगिंग का सवाल पूछा नहीं है। केवल नहर में आई हुई जमीन का मुआवजा दिया गया है या नहीं। इसका जवाब देना सम्भव नहीं है। अलग से पूछेंगे तो उत्तर दे दूंगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): मैं अध्यक्ष महोदय, बताऊं कि तहसील लाडपुरा में और दीगोद में जो जमीन वाटर लोगिंग और सीपेज, इफेक्ट में आ रही है, उस जमीन पर ड्रेनेज डालने के लिए कोई योजना बनाई है? और अगर योजना है तो ड्रेनेज किस एरिया में डाली जाएगी?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: माननीय अध्यक्ष महोदय, चम्बल प्रोजेक्ट की राजस्थान में वाटर लोगिंग की प्रोब्लम अपने आप में एक विशेष समस्या है जिसको हल करने के लिए कम्प्रीहेन्सिव स्कीम 9 करोड़ 46 लाख की बनाई है जो सी० पी० डब्ल्यू० सी० से अप्रूव हो गई है। और चम्बल कण्ट्रोल बोर्ड के एप्रूवल के वास्ते पेंडिंग है। यह कम्प्रीहेन्सिव स्कीम लेफ्ट मेन कैनाल और राइट मेन कैनाल दोनों के लिए बनादी है। इस बीच में हमने 54 लाख खर्च करके जो बहुत जरूरी काम थे वह भी पिछले वर्ष में किये हैं। लाडपुरा और दीगोद तहसील के बारे में यह क्वश्चन है। लाडपुरा में सूरसागर और रायपुर योजना 9 लाख 36 हजार खर्च करके कार्यान्वित की गई। कुछ योजना और है। जो धन की उपलब्धि पर हाथ में लेंगे। यह बात सही है

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

कि दीगोद के अन्दर हमारे विभाग द्वारा कोई योजना हाथ में नहीं ली गई है। लेकिन युनाइटेड नेशन्स की जो आर्गेनाइजेशन है, यू० एन० डी० पी०, इसके द्वारा कुछ काम प्रोजेक्ट का किया जाता है ड्रेनेज का। उससे कुछ राहत मिलेगी और मैं भी कुछ योजनाओं में पहले साल धन उपलब्ध होने पर कुछ काम करूंगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने लम्बा चौड़ा भाषण दे दिया। मेरा साधारण सा प्रश्न यह है कि कुल एरिया सीपेज से और वाटर लोगिंग से इफेक्टेड है, उसमें कितनी ड्रेनेज डालना चाहते हैं और अब आपने कितनी डाली है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह साधारण सवाल नहीं है। वाटर लोगिंग हर साल एक सा नहीं रहता। हर साल बांध पर पानी की अधिकता या कम होने पर निर्भर करता है। जीरो प्वाइंट से 5 फुट तक पानी कितने एरिया में रहता है। 0.5 से 10 फुट तक कितने एरिया में रहता है। वाटर लोगिंग से प्राब्लम पैदा होती है और सरफेस में पानी आ जाने से ही नुकसान हो ऐसी बात नहीं है। जमीन के नीचे भी पानी रहने से नुकसान पहुंच सकता है मुझसे आप फिगर्स चाहते है। चूंकि बरसात बीच में कम हुई। इसलिये एरिया में कमी हुई लेकिन जब बरसात ज्यादा हुई, उसके जून, 68 के फिगर्स आपको दे सकता हूं। 0.25 लेफ्ट मेन कैनाल में और राइट मेन कैनाल में इस प्रकार दोनों को मिलाकर 18,920 है। 44,687 एकड़ जमीन है जिसमें जीरो प्वाइंट पांच फुट पानी रहता है।

श्री जुझारसिंह : कौनसे महीनों में ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, जो फण्ड आयें और अलाट हों और जो काम हो, उसमें स्टेप मदर्ली ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिये मेरा यह चार्ज है कि जो फण्ड अलाट होता है चाहे पानी का सवाल हो चाहे ड्रेनेज का सवाल हो हर सवाल में जो क्षेत्र बृजसुन्दर जी के क्षेत्र में आता है उस लेफ्ट मेन कैनाल में राइट मेन कैनाल का पैसा दे दिया जाता है। यहां तक स्थिति पैदा हो गई है कि जो सुपरिटेंडिंग इन्जीनियर और एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर हैं उनको तबादले का भय दिलाकर दबाव डाला जाता है इस प्रकार राइट मेन कनाल जो कोटा डिस्ट्रिक्ट से होती हुई मध्य-प्रदेश में जाती है। क्योंकि यह राजनैतिक आधार पर भेदभाव किया जाता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राजनैतिक आधार पर भेदभाव बरता जाता है, ऐसा एलीगेशन मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। कोई भी काम इस आधार पर नहीं लिया गया है। आवश्यकतानुसार राइट और लेफ्ट दोनों पर काम किया गया है। ओवरआल पर्टीक्युलर तहसील में काम नहीं हुआ हो, ऐसी आपकी मान्यता है। यह कम्प्रीहेन्सिव स्कीम है। इस स्कीम को एक्जीक्यूट करना है। यह प्रश्न चम्बल कण्ट्रोल बोर्ड के सामने रखा था। राइट मेन कैनाल की योजना रखी गई है। उसके लिए कहा गया है कि कम्प्रीहेन्सिव स्कीम बनाकर रखी ताकि उसकी स्वीकृती दे दें। उसके बाद धन उपलब्धि के हिसाब से एक्जीक्यूट करेंगे।

Page No 23

श्री अध्यक्ष : आप उत्तर को संक्षिप्त रखें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : चम्बल कण्ट्रोल बोर्ड की स्वीकृति के बाद इसको कार्य रूप में परिणित करेंगे। और माननीय सदस्य देखेंगे कि राजनैतिक आधार पर कोई काम नहीं किया गया।

श्री जुझारसिंह : आपने सूरसागर और रायपुर स्कीम है, उसको बन्द करने का निर्णय ले लिया है ? दूसरा प्रश्न इण्डीवीजुअल की लिस्ट नहीं बनाई है तो कम्पनसेशन किस आधार पर देंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लिस्ट नहीं बनाई है लेकिन जो क्लेम करते हैं उसको एग्जामिन करते हैं। अगर वह रीजनेबिल होता है, तो दे देते हैं। सूरसागर और रायपुर योजना को बन्द करने का प्रश्न ही नहीं है न इस सम्बन्ध में आदेश दिया गया है। जो बजट में प्रावधान है उसके अन्तर्गत ही योजना पूरी की जाएंगी।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न, श्री विट्ठल भाई।

श्री नत्थीसिंह : 204 ।

श्री मुकुटबिहारी लाल : यह बहुत ही प्रमुख सवाल है।

श्री खेतसिंह : प्रश्नकर्ता उपस्थित नहीं है।

श्री मुकुटबिहारीलाल : अध्यक्ष महोदय ने इजाजत दे दी है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न का उत्तर देने की इजाजत दे दी है, पूरक प्रश्न की नहीं ।

श्री नत्थी सिंह : घबराते क्यों हो।

स्थगित प्रश्न

(10-3-69)

तहसीलदार घाटोल द्वारा पकड़ी गई शक्कर की बोरियां

204. **श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा** (अकलेरा) : **की अनुपस्थित में श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) **द्वारा पूछा गया** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा, तहसील घाटोल में तहसीलदार ने ग्राम पंचायतों की शक्कर की बोरियां बेची हुई पकड़ी थीं और उन डीलरों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

(2) वे शक्कर की बोरियां किन किन ग्राम पंचायतों की और कितनी कितनी बोरियां थीं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री, खाद्य (श्री रामदेव सिंह): (1) जी हां, डीलरों के खिलाफ राजस्थान शुगर डीलर्स लाइसेंसिंग आर्डर, 1967 की धारा 3 व 4 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 (2) (डी) के अन्तर्गत एस० डी० एम० कोर्ट में चालान पेश किये गये है। मुलजिमान जमानत पर है और शहादत पैरवी के लिये 12-3-69 व 21-3-69 पेशी तारीख मुकर्रर है।

(2) सूची निम्न प्रकार है :

(1) ग्राम पंचायत केलामेला	22 बोरी
(2) ग्राम पंचायत जगपुरा	7॥ बोरी
(3) ग्राम पंचायत पीपलखूंट	कुल मिला कर 8 बोरी
(4) ग्राम पचायत सोडलपुर	
(5) ग्राम पंचायत सेमलिया	
कुल ..	37॥ बोरी

Page No 24

स्थगित प्रश्न

(11-3-69)

प्रश्न संख्या 236

श्री अध्यक्ष : श्री मजलिस खां !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रामकुमार नन्दवाना !

स्थगित प्रश्न

(11-3-69)

जिला चित्तौड़गढ़ में भेड़-बकरी की चराई हेतु सुविधाएं

242. **श्री रामकुमार नन्दवाना** (चित्तौड़गढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ तहसील, गंगरार तहसील, जिला चित्तौड़गढ़ में भेड़ बकरी आदि के लिए चराई हेतु कोई वन-खण्ड सुरक्षित नहीं है ? यदि हां, तो इन जानवरों के चराई हेतु राज्य सरकार द्वारा क्या सुविधाएं दी जा रही हैं ? यदि नहीं, तो इस पर राज्य सरकार क्या विचार कर रही है ?

(2) क्या यह सही है कि इसी जिले की अन्य तहसील बेगूं भेंसरोडगढ़ में इन पशुओं को चराई की सुविधा उपलब्ध है ? यदि हां, तो कहां-कहां, किस-किस वन-खण्ड में ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ तहसील के किसानों ने सन 57, सन् 60, सन् 61 से पूर्व गिलण्ड-घटियावली, नेतावल आदि चन्द वन-खण्डों की चराई हेतु सुविधा दिलाने के लिए वन संरक्षक व सीमांकन योजना को आवेदन किया था और उस पर वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा क्रमांक सर्वे 541-3928-29, दिनांक 22-12-60 एवं मिसल नं० 320, दिनांक 23-1-60 को कोई सिफारिश कर इन्हें सुविधा देने हेतु लिखा है ? यदि हां, तो उन मूल पत्रावली पर क्या निर्णय लिया गया और वह मूल पत्र अभी तक कहां पेंडिंग हैं ? उन पत्रों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

वन मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (1) जी हां। अभी ऐसे पशुओं की चराई आरक्षित व रक्षित वन-खण्डों के बाहर के क्षेत्र व गांवों की चरनोट में होती है क्योंकि चित्तौड़गढ़ एवं गंगरार क्षेत्रों से आरक्षित वन हैं जिनमें वन बन्दोबस्त में भेड़ बकरी की चराई के अधिकार नहीं दिये गए है।

(2) जी हां, भेंसरोडगढ़ रेंज के खेड़ली तथा पाठामर और बेगूं रेंज के 1. नन्दवास पार्ट प्रथम, 2. नन्दवास पार्ट द्वितीय, 3. चरछा निलादेह, 4. राजगढ़, 5. कान्दिड़ा, 6. गलीया बावडी, 7. नीमघाटी, 8. कोटा, 9. देवलच, 10. घाटारानी, 11. नीमघाटी, 12. पाट, 13. मारण, 14. चन्दाखेडी, 15. मेहसरा, 16. भिचोर 17. मोहपुरा, 18. बीना का खेड़ा वन-खण्डों में वन बन्दोबस्त के निर्णय अनुसार इन पशुओं की चराई की सुविधा उपलब्ध की हुई है।

(3) इस प्रकार के प्रार्थना-पत्र वन संरक्षक योजना एवं सीमांकन को सीधे तो नहीं भेजे गए किन्तु वन मंत्री महोदय को दिनांक 6-1-60 को दिये थे....

श्री मनोहर सिंह मेहता : ठीक है साहब !

श्री नारायण सिंह: वन बन्दोबस्त अधिकारी, उदयपुर द्वारा क्रमांक 541-3928, दिनांक 22-12-60 के पत्र द्वारा कोई सिफारिश नहीं की थी। नं० 320, दिनांक 23-1-60 की कोई मिसल वन बन्दोबस्त विभाग में नहीं है। अतः इस मिसल से सिफारिश करने का प्रश्न नहीं उठता। ये ब्लाक्स भूतपूर्व मेवाड़ राज्य के समय में ही फाइनल हो चुके हैं जिनकी सूचना विकास अधिकारी, पंचायत समिति को मुख्य वन संरक्षक के पत्र संख्या एफ II (1) 60। मिस०। सी० सी० एफ० 5125...

श्री मनोहरसिंह मेहता: ठीक है साहब।

श्री नारायण सिंह: दिनांक 20-1-62 द्वारा देकर मामला समाप्त कर दिया गया।

श्री मनोहरसिंह मेहता: बिल्कुल ठीक है।

श्री रामकुमार नन्दवाना: जो बेगूं और भैंसरोडगढ़ में जंगल रिजर्व किये गये हैं उसके क्या कारण हैं? भैंसरोडगढ़ में चराई की इजाजत नहीं है।

श्री नारायण सिंह: इसमें कारण का प्रश्न नहीं है। वर्किंग प्लान के अन्तर्गत चराई की इजाजत नहीं दी गई है, न उपयुक्त समझा जाता है कि भेड़ बकरी ऊंट को चराई की इजाजत दी जाय। यह जनरल पॉलिसी है। उसके बाद भी कोई ऐसा निर्णय करना होगा तो वह हो सकता है, स्पेशल चराई के लिए इजाजत देने का प्रश्न आ सकता है।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट! श्री गंगासहाय!

बिक्री कर

347. **श्री गंगासहाय** (कठूमर सु०): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बुनकरों द्वारा बुने कपड़े पर सेल्स टैक्स नहीं है?

(2) क्या यह सही है कि बुनकरों द्वारा निर्मित मोटे कपड़े को रंग कर जब उसकी रजाई आदि बनाई जाती है तब उस पर सेल्स टैक्स लगाया जाता है?

(3) क्या सरकार के ध्यान में है कि उक्त टैक्स का सर्वाधिक भार गरीब मजदूर और किसान पर ही पड़ता है?

उप-मंत्री, वित्त (श्री बृजप्रकाश गोयल): अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं कि जिस समय यह प्रश्न लिया गया था उस समय मैं सदन में उपस्थित नहीं हो सका था।

(1) जी हां।

(2) जी हां, खोली तथा रजाई की बिक्री पर उन व्यापारियों से कर लिया जाता है, जो राजस्थान बिक्री कर अधिनियम की धारा 3 के अनुसार कर देने के जिम्मेदार हैं।

(3) कर का भार प्रत्येक उपभोक्ता पर पड़ता है।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट। श्री केसरीसिंह!

हिण्डोली छात्रावास में सुविधाएं

351. **श्री केसरीसिंह हाडा** (हिन्डोली): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) हिन्डोली, जिला बूंदी में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जन-जाति

(श्री केसरीसिंह हाडा)
के छात्रों के लिए छात्रावास कब खोला गया था ?

(2) इस छात्रावास में कितने छात्रों के आवास का बजट में प्रावधान रखा गया है ?

(3) क्या इन छात्रों को कपड़ा भी पहनने को दिया जाता है ? आवास के अलावा इन छात्रों को क्या-क्या सुविधायें दी जाती हैं ?

(4) क्या सरकार छात्रों के आवास की संख्या बढ़ाना चाहती है ? यदि हां, तो कितनी तथा कब तक ?

(5) क्या यह सत्य है कि इनका अध्ययन समाप्त होने के बाद इनको नौकरी मिलने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है ?

(6) अब तक बूंदी जिला के जन-जाति के निकले कितने छात्रों को काम दिया गया और कितनों को काम नहीं मिल सका ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री बी० एन० जोशी) : अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा याचना करता हूं कि यह प्रश्न जब लिया गया था तब गाड़ी खराब हो जाने के कारण मैं सदन में उपस्थित नहीं हो सका था। I am sorry.

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : सौरी की जगह खेद कह देते।

श्री बी० एन० जोशी : (1) हिन्डोली, जिला बूंदी में अनुसूचित जन–जाति के छात्रों के लिये कोई छात्रावास नहीं खोला गया।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

(5) प्रश्न नहीं उठता।

(6) यह जानकारी समाज कल्याण विभाग द्वारा एकत्रित नहीं की जाती है।

श्री केसरीसिंह : यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्डोली में जन-जाति के और अनुसूचित जाति के छात्रावास हैं ?

श्री बी० एन० जोशी : न जन-जाति के हैं, न अनुसूचित जाति के हैं, विमुक्त जाति के छात्रावास हैं।

श्री केसरीसिंह : क्या इसके अन्दर और जाति के नहीं रह सकते ?

श्री बी० एन० जोशी : विमुक्त जाति के लोग ही रह सकते हैं और बीस पर्सेन्ट तक शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के रह सकते हैं और 80 पर्सेन्ट विमुक्त जाति के रहेंगे।

श्री केसरीसिंह : विमुक्त में कौन कौन आते हैं ?

श्री बी० एन० जोशी : सांसी, कंजर, बाबरी वगैरह जो हैबिचुअल क्रिमिनल ट्राइब में थे वह अब विमुक्त जाति में हो चुके हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री सतीशचन्द्र : 359 !

श्री अध्यक्ष : 359। योजना मंत्री !

Page No 27

उप-मंत्री (श्री खेतसिंह) : कौनसा ?

श्री नत्थीसिंह : आपको किसी योजना का पता नहीं है।

पंचवर्षीय योजना पर व्यय

359. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तीनों पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) सन् 66-67 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत जो धनराशि खर्च की गई है उसका भी जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। जिलेवार प्रति व्यक्ति औसत क्या आई ?

(3) तीन पंचवर्षीय योजनाओं में खर्च की गई धनराशि का प्रति व्यक्ति औसत क्या आता है और उस हिसाब से प्रत्येक जिले में संख्या के अनुपात में कितनी धनराशि खर्च होनी चाहिये थी ?

उप-मंत्री, योजना (श्री खेतसिंह) : (1) तीनों पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कुल व्यय 36,994 लाख रुपये किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना का विवरण जिलेवार उपलब्ध नहीं है। द्वितीय तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में किये गये व्यय की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है जो तालिका एक है।

(2) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है जो तालिका दो है।

(3) प्रथम पंचवर्षीय योजना के जिलेवार व्यय की सूचना उपलब्ध नहीं है। द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में जिलों के अन्तर्गत व्यय की हुई धनराशि का प्रति व्यक्ति औसत लगभग 100 आता है, व्यय का प्रति व्यक्ति औसत निकाला है वह द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में जिलों के अन्तर्गत खर्च की गई धनराशि में सन् 1961 की जन संख्या का भाग देकर निकाला गया है। 1961 की जिलेवार संख्या के अनुपात में द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में जो धनराशि व्यय होनी चाहिए थी वह तालिका तीन में बतला दी गई है जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति व्यय किस जिले में हुआ है ?

श्री खेतसिंह : वह तालिका में है जो आपके पास है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तालिका के सम्बन्ध में निवेदन है कि तालिका की मांग की थी, तालिका की जानकारी की तो कहा गया है कि कोई तालिका प्राप्त नहीं हुई है। मुझे तालिका दिलाई जाय ताकि मैं पूरक प्रश्न पूछूं।

श्री अध्यक्ष : आप उत्तर दे दीजिये। नहीं है ?

श्री खेतसिंह : तालिका दे दी है। तालिका में सूचना दे दी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे तालिका दे दीजिये, ताकि में पूछ लूं।

श्री खेतसिंह : जयपुर जिले में सबसे ज्यादा खर्च किया गया है, 2,168 लाख.....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा प्रश्न है, प्रति व्यक्ति सबसे अधिक धनराशि तीनों पंचवर्षीय योजनाओं में किस जिले में खर्च की गई ?

श्री खेतसिंह : प्रति व्यक्ति ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हां।

श्री खेतसिंह : मैंने जैसा निवेदन किया, पहली पंचवर्षीय योजना के जिलेवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री नत्थीसिंह : द्वितीय व तृतीय के बतला दें।

श्री खेतसिंह : द्वितीत तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के आंकड़े मेरे पास हैं, जो मैं आपको बतला देता हूं। प्रति व्यवित व्यय किया गया है राज्य में सबसे अधिक.......

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह तो सोचने लायक प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के आंकड़े आपके पास जिलेवाइज नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि सब जगह घोटाला है, खा गये पैसा।

श्री अध्यक्ष : माननीय नेता महोदय !

श्री खेतसिंह : गंगानगर जिले में।

श्री अध्यक्ष : माननीय नेता महोदय, उत्तर आने दीजिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह प्रश्न पूछा है तो आखिरकार सरकार के पास आंकड़े नहीं हैं तो क्या है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री !

श्री खेतसिंह : मैं 26 जिलों के बता सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप कह दीजिये कि सबसे अधिक कहां हुआ है।

श्री खेतसिंह : सबसे अधिक बतलाया, गंगानगर में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और सबसे कम ?

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : जयपुर जिले में क्या है, यह भी बतला दें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता ! सबसे कम कहां हुआ ?

श्री खेतसिंह : सबसे कम जैसलमेर और बाड़मेर जिले में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सबसे अधिक धनराशि कितनी है और सबसे कम धनराशि जिलों में प्रति व्यक्ति के हिसाब से कितनी है और अन्तर कितना है ?

श्री खेतसिंह : प्रति व्यक्ति गंगानगर जिले में 17.82 और बाड़मेर में 3.93.....

(12 म० प०)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार इस क्षेत्रीय असंतुलन को उचित समझती है और इस क्षेत्रीय असंतुलन को मिटाने के लिये क्या सरकार ने कोई कदम उठाया है। प्रति व्यक्ति हर जिले में जो खर्चा किया जाता

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हैं, उसमें इतना घोर क्षेत्रीय असंतुलन है, इसको मिटाने के लिये क्या सरकार ने कोई निर्णय लिया है ?

श्री खेतसिंह : योजनाएं प्रान्तीय बेसिस पर बनती हैं, प्रति व्यक्ति खर्च के लिहाज से नहीं बनाई जाती, जिलेवार अलग अलग मदों पर राशियां दी जाती हैं, जैसे राजस्थान कैनाल है, कोटा में चम्बल बैराज है, विद्युत् है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, जितनी जहां पोसिबिलिटीज होती है उस लिहाज से धनराशि दी जाती है। योजनाओं में यह संभव नहीं है कि प्रति व्यक्ति हर जिले में समान व्यय कर दिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सीमावर्ती क्षेत्र होने से सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति ज्यादा खर्च किया जाय, क्या सरकार इसको आवश्यक नहीं समझती है ?

श्री खेतसिंह : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं सीमावर्ती क्षेत्रों में बोर्डर रोड्स पर ट्यूब वैल्स पर ज्यादा खर्चा किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ज्यादा खर्चा किया गया है तो प्रति व्यक्ति में वह आना चाहिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : बोर्डर रोड्स राज्य सरकार की नहीं है।

श्री खेतसिंह : भारत सरकार की है पर भारत सरकार और राज्य सरकार का सवाल नहीं है, माननीय सदस्य ने पूछा है इस लिये मैंने जवाब दिया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में....

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप अगर इजाजत दें तो पूछूं, इजाजत नहीं दें तो नहीं पूछूं।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, मैं बैठ जाता हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इसके लिये धन्यवाद।

मन्त्री महोदय ने कहा कि प्रति व्यक्ति जो व्यय किया गया है वह अधिक से अधिक 17 रुपया और न्यूनतम 3 रुपया खर्च किया गया है, यह तो करीब 6 गुना फरक है। मैं मानता हूं कि सब जगह समान आप प्रति व्यक्ति खर्च नहीं कर सकते पर आखिर यह जनता की योजना का प्रश्न है, उसमें 6 गुना डिफरेंस मेरे ख्याल से बहुत ही बुरी चीज है, आप अगर समाजवाद की व्यवस्था करना चाहते हैं, योजना को समान रूप से फैलाना चाहते हैं तो प्रति व्यक्ति व्यय में दो गुना, तीन गुना फरक हो तो मैं सरकार के साथ हूं, पर यह 6 गुना फरक है तो मेरे ख्याल से आज की योजनाएं गलत हैं।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

सवाई माधोपुर क्षेत्र में विद्युत् विस्तार हेतु स्वीकृत धनराशि

345 **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सवाई माधोपुर, एक्स० ई० एन० क्षेत्र में विद्युत् विस्तार के लिये वर्तमान वित्ती

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

वर्ष में कितनी धनराशि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) इस राशि में कौन कौनसी योजना ग्रामीण विद्युतिकरण एवं कृषि विस्तार हेतु ली गई है और उनमें से किस किस का कार्य आरम्भ हो चुका है ?

उत्तर

(1) 20,81,560

प्रश्न ही नहीं उठता ।

(2) विस्तृत विवरण संलग्न सूची ए, बी, सी, डी और ई में दिया गया है जो सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

कैथवाड़ा में नहर से सिंचाई

346. **श्री मजलिस खां** (कामां) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सीकरी बांध से पुरानी शाखा का टेल कैथवाड़ा ग्राम की सरहद पर है और क्या यह भी सही है कि कैथवाड़ा ग्रामवासियों की मांग पर उनको खेती के लिये इस नहर से पानी भी दिया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उन्होंने यह मांग की है कि उक्त नहर की दो फर्लांग कैथवाड़ा की सरहद में खुदाई करा दी जावे ? यदि हां, तो दो फर्लांग नहर आगे नहीं बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) सीकरी बांध की हुसेपुर-दोभोरा पुरानी शाखा का टेल कैथवाड़ा की सरहद 792 फीट दूर है । सं० 2022 में इस नहर से कैथवाड़ा ग्राम की कुछ जमीन को सिंचाई के लिये पानी दिया गया था ।

(2) जी हां, नहर को आगे नहीं बढ़ाने के निम्न कारण हैं:—

(i) हुसेपुर-दोभोरा पुरानी शाख की टेल कैथवाड़ा बंध के भराव तक बनी हुई है । और उसको आगे बढ़ाना निरर्थक है ।

(ii) अगर इस नहर की टेल को आगे तक बढ़ा दिया गया तो यह नहर बढ़ी हुई लम्बाई में हर साल खराब हो जायेगी । क्योंकि यह कैथवाड़ा वर्षा की डूब में आयेगी ।

(iii) कैथवाड़ा की भूमि कैथवाड़ा के भराव में आती है । इसलिये नहर की टेल को कैथवाड़ा केरकंडे को सिंचित करने के लिये बढ़ाना अनावश्यक है ।

चम्बल भू-संरक्षण परियोजना के अधीन ऋण एवं अनुदान

348. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चम्बल भू-संरक्षण परियोजना के अधीन एग्रीकल्चर सेक्टर में ऋण व सबसीडी दी गई है ?

(2) अगर हां, तो सन् 64 से 68 तक कितना-कितना ऋण व अनुदान किन-किन को किस-किस कार्य के लिये ? कृपया सूची देने का कष्ट करें ।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(3) उपरोक्त ऋण अथवा अनुदान किन नियमों के अन्तर्गत दिया गया है ?

(4) उपरोक्त ऋण किन शर्तों पर दिया गया तथा कितनी बकाया है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) 64-65 से 67-68 तक 67,274/- ऋण 67,274/- अनुदान भू-संरक्षण कार्य के लिए कृषकों को दिया गया । नामों की सूची संलग्न है ।

(3) नियम अभी स्वीकृति नहीं हुए हैं। प्रस्तावित नियमों के आधार पर ही ऋण एवं अनुदान परियोजना अधिकारी द्वारा दिया गया है जिनकी दर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है ।

(4) ऋण तथा अनुदान संलग्न इकरारनामे की शर्तों पर दिया गया । कुल 67,274/– ऋण बकाया है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

मलेरिया निरीक्षक के पद पर पदोन्नति

355. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार मिनिस्टीरियल पोस्ट से सबोर्डिनेट पोस्ट पर पदोन्नति के समय वरिष्ठता प्रमोशन के आदेश की तारीख से न मानी जाकर कार्य संचालन की तारीख से मानी जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि संचालक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने अपने आदेश अंक ई० जी० 5537, दिनांक 8-2-66 द्वारा श्री रमेशचन्द्र, जूनियर मलेरिया निरीक्षक की पदोन्नत पद पर नियुक्ति की तिथि कार्य संभालने की तारीख के बजाय आदेश प्रसार की तारीख से मानी है ? यदि हां, तो सेवा नियमों की अवहेलना करके एक विशेष व्यक्ति के साथ पक्षपात क्यों किया गया ? कृपया उक्त प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि उक्त आदेश के कारण वरिष्ठता सूची के अनुसार 9 मलेरिया निरीक्षकों को उनकी वरिष्ठता में हानि हुई है ?

(4) क्या यह सही है कि श्री महावीर प्रसाद गुप्ता, मलेरिया निरीक्षक ने इस गलत आदेश के विरुद्ध सचिव स्वास्थ्य विभाग को प्रतिवेदन भी दिया है ? यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । श्री रमेशचन्द्र, जूनियर मलेरिया निरीक्षक को पदोन्नति पर नियुक्ति की तिथि आदेश प्रसार की तारीख से माना गया है, किन्तु विभाग द्वारा कोई पक्षपात नहीं किया गया है । उक्त आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है ।

(3) जी नहीं ।

(4) जी हां । श्री महावीर प्रसाद गुप्ता, मलेरिया निरीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था, जिसका मामला अभी तक राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

सरपंच, चांडी के विरुद्ध जांच

364. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मोहनाराम, सरपंच, चांडी के विरुद्ध गबन व अनियमितताओं के भारी आरोप लगाये गये थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आरोपों की जांच हेतु राज्य सरकार ने एस० डी० ओ०, परबतसर को जांच अधिकारी 29-5-62 को मुकर्रर किया था ?

(3) यदि हां, तो आज तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि इतने लम्बे अर्से तक कोई कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों व अब कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जिलाधीश ने उप-खण्ड अधिकारी, परबतसर को जांच के निर्देश दिये थे ।

(3) प्रारम्भिक जांच के पश्चात विभागीय जांच शुरू की गई । पुलिस इस मामले में अनुसंधान कर रही है अतएव आगे विभागीय जांच अनुसंधान की समाप्ति पर की जावेगी ।

उद्योग को दी जाने वाली बिजली की रेट्स

365. **सुमेरसिंह** (किशनगढ़): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में छोटे व बड़े उद्योगों को जो बिजली दी जाती है उसमें बिजली खर्च के क्या चार्जेज लिये जाते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान के पड़ोस के उत्तर प्रदेश, बम्बई आदि प्रान्तों में उद्योगों की बिजली चार्जेज की रेट्स राजस्थान की अपेक्षा कम है ?

(3) क्या यह भी सही है कि किशनगढ़ के उद्योग वाले बिजली की रेट्स अन्य पड़ोसी प्रान्तों के माफिक चार्ज करने की मांग कर रहे हैं ?

(4) यदि हां, तो इनकी मांग के अनुसार कब तक बिजली की रेट्स कम करदी जाने का विचार है ?

उत्तर

(1) स्वीकृत टेरिफ के प्रावधानों के अनुसार, जिसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं । सभी प्रदेशों से राजस्थान की रेट अधिक नहीं है ।

(3) लघु उद्योग संघ, किशनगढ़ की ओर से लघु उद्योगों के लिये बिजली की दर कम करने की मांग आयी थी ।

(4) उपरोक्त मांग अस्वीकार कर दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

चूरू जिले में कृषि कार्य के लिए बिजली

367. **राजवी श्री रूपसिंह** (सरदारशहर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चौथी पंचवर्षीय योजना में चूरू जिले में कृषि उत्पादन हेतु बिजली ग्रामीण

(राजवी श्री अमरसिंह) :

क्षेत्रों को दिये जाने की राज्य सरकार की क्या योजना है ?

(2) वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना का कौन सा अंश पूरा किया जाना है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किये जाने वाले ग्रामीण विद्युतिकरण का विवरण अभी तक निश्चित नहीं हुआ है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

हरिजन श्रमिक को हर्जाना

371. श्री रिद्धीचन्द पल्लीवाल (गंगानगर): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गंगापुर (जि० सवाई माधोपुर) में एक हरिजन श्रमिक की टांग दिवाली के आस-पास श्रीनिवास आइल एण्ड राइस मिल लि० में कट जाने पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह सच है कि एस० डी० एम० ने श्रम विभाग के प्रतिनिधि के नहीं पहुंचने पर मुकदमे को खारिज कर दिया था ? क्या ऐसे गरीब श्रमिकों के सम्बन्ध में हर्जाना दिलाने की व्यवस्था करने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

कर्मकार क्षतिपूर्ति आयुक्त, भरतपुर के समक्ष, जिसके क्षेत्र में उक्त कारखाना स्थित है, श्रमिक द्वारा क्षतिपूर्ति का कोई दावा पेश नहीं किया गया।

कर्मकार क्षतिपूर्ति कानून के अंतर्गत राजस्थान में प्रादेशिक सहायक, श्रम आयुक्त इस प्रकार के दावे सुनने के लिए नियुक्त हैं इसलिये एस० डी० एम० के समक्ष इस प्रकार का दावा प्रस्तुत करने एवं श्रम विभाग के प्रतिनिधि के पहुंचने का प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सरकार द्वारा मजदूरों को मुआवजा दिलाने की व्यवस्था कामगार क्षतिपूर्ति कानून, 1923 के अन्तर्गत की हुई है। श्रमिक को उक्त कानून के अन्तर्गत संबंधित कर्मकार क्षतिपूर्ति आयुक्त के समक्ष अपना दावा पेश करना चाहिए।

उदयपुर डिस्टीलरी से शराब की खरीद

372. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 अप्रेल, 1965 से लेकर अब तक राज्य सरकार ने उदयपुर डिस्टीलरी के मालिक, श्री फलीइलावियां से कौन-कौन सी कितनी-कितनी मात्रा में और कब-कब कितने कितने मूल्य की शराब खरीदी है और क्यों ?

(2) सरकार द्वारा राजस्थान में और राजस्थान के बाहर से किस-किस प्रकार के और किस-किस मात्रा में एक्साइज मेटेरियल क्रय करने का लाइसेंस दिया गया और क्यों ?

(3) इस प्रकार की सुविधाएं क्या अन्य व्यक्तियों को दी गई हैं ? यदि हां, तो किन किन को और कब ?

(4) सरकार ने उपरोक्त व्यक्ति को शराब या रेक्टीफाइड स्प्रिट का अन्य राज्यों में आयात करने के लिये कब-क और किस-किस मात्रा का परमिट दिया और क्यों ?

(आबकारी मन्त्री)

उत्तर

(1) 1-4-65 से अब तक कोई शराब नहीं खरीदी गई है।

(2) एक्साईजेबिल मेटीरियल क्रय करने के लिये कोई लाइसेन्स नहीं दिया गया है। अलबत्ता मोलासेज जो एक्साइजेबिल वस्तु नहीं है, व रेक्टीफाइड स्प्रिट के आयात के लिये परमिट अवश्य दिये गये हैं, जिसकी मात्रा व देने के कारण प्रश्न के भाग (4) के उत्तर में दिये गये हैं।

(3) जी हां। गंगानगर शुगर मिल्स को स्प्रिट तथा मोलासेज आयात करने के लिये दिये परमिटों की सूचियां संलग्न हैं।

(4) सूची संलग्न है। उदयपुर डिस्टीलरी भारत निर्मित विदेशी मदिरा का निर्माण करती है और भारत की सेना को रम सप्लाई करती है। अतः उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर परमिट जारी किये जाते है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

पंचायत समिति, परबतसर में गबन के मामले

374. **श्री परसराम गंगाराम** (परबतसर सु०): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या पंचायत समिति परबतसर, जिला नागौर का वर्ष 1965-66 और 1966-67 का ऑडिट हो चुका है ?

(2) ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार कौन कौन सी और कितनी कितनी रकम के गबन का उल्लेख है ?

उत्तर

1. जी हां।

2. गबन के आक्षेप इस प्रकार हैं :-

(1) श्री जहूर अहमद, खजान्ची द्वारा दिनांक 19-1-66 को 161 रु० वसूल किये गये जिसमें से केवल 100 रु० जमा कर 61 रु० का गबन किया।

(2) श्री जहूर अहमद, खजान्ची द्वारा 40 रु० का सम्भावित गबन।

(3) श्री जहूर अहमद, खजान्ची द्वारा दिनांक 26-3-66 को रु० 755.63 प्राप्त किये गये किन्तु रोकड़ में दिनांक 25-4-66 को जमा किये।

(4) श्री जहूर अहमद द्वारा दिनांक 30-3-66 को रु० 86.58 प्राप्त किये गये किन्तु रोकड़ में दिनांक 25-4-66 को जमा किये।

(5) श्री जहूर अहमद द्वारा दिनांक 10-12-65 को रु० 0.10 पैसे प्राप्त किये गये जो दिनांक 25-4-66 को रोकड़ में जमा किये गये।

इन रकमों का अस्थाई गबन किया गया।

स्थगित प्रश्न

(11-3-69)

कस्बा डीग में बिजली की व्यवस्था

236. **श्री मजलिस खां** (कामां): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कस्बा डीग में किशनपुर हाता वार्ड नम्बर 2 (मोहल्ला

(श्री मजलिस खां)

जाटव) वार्ड नम्बर 7 (मोहल्ला जाट) और वार्ड नम्बर 8 (मोहल्ला जाटव) में अभी तक बिजली की लाइन नहीं खींची गई है ? नहीं खींची गई तो क्यों जब कि समाज कल्याण विभाग की ओर से हरिजन बस्तियों को बिजली देने के लिये विद्युत् विभाग को धनराशि दी जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि कस्बा डीग में रोड लाइट भी महीने में दस दिन बन्द रहती है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि ट्यूब लाइट के कनेक्शन लूज होने के कारण ऐसा होता है ? यदि हां, तो कनेक्शन्स चैक न करने का क्या कारण है ?

(3) क्या यह भी सही है कि रोड लाइन्स का फ्यूज यदि उड़ जाता है तो वह भी कई कई दिन तक नहीं लगाया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि तारीख 3-12-68 से 11-12-68 तक गुरुद्वारा रोड आर्य समाज रोड़ की बिजली फ्यूज उड़ जाने से बन्द रही ?

(4) क्या यह सही है कि वार्ड नम्बर 2 में 200 से भी कम वोल्टेज पहुंचने के कारण ट्यूब लाइट लुप लुप करके बुझती रहती है ? यदि हां, तो क्या पूरा वोल्टेज पहुंचाने की व्यवस्था की जावेगी ?

(5) क्या यह सही है कि कन्ज्यूमर्स से नये कनेक्शन्स देने के लिये पैसे जमा करा लिये जाते हैं और उनको पूरा सामान विभाग की ओर से सप्लाई नहीं किया जाता ? क्या यह सही है कि कस्बा डीग के श्री महेन्द्रकुमार सेठी ने पैसा जमा कराया था ? यदि हां, तो किस तारीख को और उसको सामान न मलने का क्या कारण रहा ?

(6) क्या यह सही है कि सन् 1966 में नगरपालिका डीग के कन्वीनर श्री विशम्बर नाथ के द्वारा 3,400) की राशि वार्ड नम्बर 2, 4, 5, 7, 8, 11 को बिजली सप्लाई कराने हेतु वार्ड-वाइज दो लट्ठे लगाने के लिये सर्वे के एस्टीमेट के आधार पर जमा कराई गई थी ? यदि हां, तो फिर भी क्या कमी रही जिससे उन वार्डों को बिजली सप्लाई नहीं की गई ?

(7) क्या यह सही है कि डीग के कुछ किसानों ने सिंचाई के लिये कनेक्शन लेने के लिये प्रार्थना-पत्र दिये हैं ? यदि हां, तो कब और कितने और किस किस नाम के ?

उत्तर

(1) जी हां।

केवल इस वर्ष में समाज कल्याण विभाग द्वारा हरिजन बस्तियों में कार्य करने के लिये लगभग 9 लाख रुपये मण्डल को देने के लिये तारीख 21-9-68 को लिखा। इन कार्यों की सूची में नगरपालिका, डीग की हरिजन बस्तियों के लिए 7,386 रु० का प्रावधान था। इसके लिये कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जी नहीं।

(विद्युत मंत्री)

(4) जी नहीं। कुछ समय पूर्व तक वोल्टेज की शिकायत थी किन्तु अगस्त, 1968 में कैपेसीटर्स लगा देने के बाद ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

(5) इच्छुक उपभोक्ताओं से नियमानुसार अनुमानित धनराशि ली जाती है और तदनुसार मण्डल से पूरा सामान लगाकर ही कनेक्शन दे दिया जाता है।

(6) अपवाद स्वरूप यदि कभी कोई उपभोक्ता मण्डल द्वारा सामान उपलब्ध कराने तक नहीं ठहरना चाहता और शीघ्रातिशीघ्र कनेक्शन कराना चाहता है तो उसके हित में उसकी इच्छानुसार यदि वह स्वेच्छा से सामान देना चाहे तो यथाशक्ति उसकी पूर्ति करने का प्रयत्न किया जाता है।

जी हां।

16-10-68 को।

कुछ सामान डीग के स्टोर पर उस समय उपलब्ध नहीं था।

(6) जी नहीं। परन्तु जून, 1965 में चेयरमैन नगरपालिका, डीग ने 3,403.39 पैसे वार्ड नं० 1,2,4,6,7,8 व 11 में 2-2 लट्ठे लगाने के लिये जमा कराये थे। प्राप्त हुई धनराशि के अनुसार वार्ड नं० 1,4,6,7,8 व 11 में कार्य कभी पूर्ण करवा दिया गया।

(7) जी हां। सूची संलग्न है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मानसिक बीमारी के लिये संस्था

232. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या मेन्टली अंडरडेवलप्ड बीमारी के लिए कोई संस्था राजस्थान में है ?

(2) अगर हां, तो किस जगह और कितने बीमारों के लिए ?

(3) अगर नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या विचार रखती है ?

(4) अगर ऐसी संस्था राज्य में नहीं है तो क्या राज्य के किसी बीमार को सरकार की ओर से दूसरी जगह रहने के लिए सहायता देने की क्या नीति है ? यदि हां, तो वह क्या है?

(5) भारत में ऐसी संस्थायें किस किस जगह हैं और वहां एक बीमार पर मासिक कितना खर्चा आता है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(3) योजना मद में प्रावधान होने पर विचार किया जा सकता है।

(4) वर्तमान में इस तरह की सहायता देने के लिए कोई योजना नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(5) भारत में निम्नलिखित संस्थाऐं हैं एवं वहां रोगियों पर प्रति माह खर्चा उनके सामने अंकित है :—

स्थानों का नाम	प्रति माह खर्चा	
आन्ध्र प्रदेश	60	रुपये
बिहार	150 से 350	„

(चिकित्सा मंत्री)

स्थानों का नाम	प्रति माह खर्चा
देहली	20 से 50 रुपये
गुजरात	60 से 120 ,,
मद्रास	60 से 300 ,,
महाराष्ट्र	15 से 50 ,,
मैसूर	5 से 25 ,,
पंजाब	30 ,,
उत्तर प्रदेश	30 से 50 ,,
वेस्ट बंगाल	120 से 125 ,,
केरल	5 ,,
मध्य प्रदेश	मुफ्त

औद्योगिक विवादों से मजदूरों को हानि

233. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत दो वर्षों में राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों में कितने औद्योगिक विवाद खड़े हुए और कहां कहां ? उन विवादों के क्या कारण थे ?

(2) उन विवादों को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए और उनमें कितनी सफलता मिली ?

(3) विवादों के कारण मजदूरों को कितनी हड़ताल करनी पड़ी और कहां कहां ? कित‍े दिन कुल हड़तालों में व्यतीत हुए ?

(4) हड़तालों और विवादों के परिणाम स्वरूप कितने मजदूरों को काम पर से निकाल दिया गया ?

(5) हड़तालों और विवादों के कारण मजदूरों को कितनी हानि हुई अथवा उन्हें कितना लाभ मिला ?

(6) हड़तालों के कारण औद्योगिक उत्पादन को कितनी हानि हुई ?

(7) क्या अधिकांश हड़तालें और विवाद मालिकों के दुर्व्यवहार, मजदूरों की उचित मांगों की उपेक्षा और कानून और कानूनी प्रावधानों के अनुसार मजदूरों को लाभ न देने के कारण तथा सरकार द्वारा मालिकों के विरुद्ध कानूनी प्रावधानों की उपेक्षा करने और अनुपालना न करने के उपरान्त भी कोई कार्यवाही न करने के कारण हुए ?

उत्तर

(1) राजस्थान के विभिन्न औद्योगिक स्थानों पर वर्ष 1967 व 1968 में क्रमशः 806 व 728 औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुए। इन विवादों में उठाए गए मुद्दों में से मुख्य मांगें वेतन व भत्ते में वृद्धि, बोनस भुगतान तथा कुछ संस्थानों में कार्य के समय व कार्य दशा में तब्दीली से संबंधित थी।

(2) इन विवादों को सुलझाने के लिये संबंधित समझौता अधिकारियों द्वारा समझौता कार्यवाही की गई जिसके फलस्वरूप (213 व 293) विवादों में क्रमशः दोनों पक्षों में समझौता सम्पन्न हुआ।

(3) कुछ विवादों के कारण वर्ष 1967 व 1968 में क्रमशः 21 व 23 हड़तालें हुईं, जिनमें 36,269 व 50,236 मानव दिवसों की क्षति हुई। हड़तालों की सूची संलग्न है।

(4) वर्ष 1967 व 1968 में छंटनी किये गये श्रमिकों की संख्या 1,356 तथा 1,505 थी। हड़तालों व विवादों के

(श्रम मंत्री)

फलस्वरूप श्रमिकों को निकालने की जानकारी नहीं है।

(5) उपरोक्त हड़तालों के फलस्वरूप मजदूरी का नुकसान क्रमश: 1,89,498 व 2,78,286 रुपयों का हुआ।

(6) औद्योगिक उत्पादन में इन हड़तालों के कारण रुपये 14,21,850 रु० व 48,35,359 रुपयों की क्रमश: हानि हुई।

(7) अधिकांश विवाद श्रमिक संघों द्वारा उठाये गये थे जिसमें मंहगाई भत्ते में वृद्धि, बोनस भुगतान, कार्य-भार व कार्य दिशा में सुधार आदि मांगें सम्मिलित थीं। जिन मालिकों द्वारा बोनस भुगतान में विलम्ब करना पाया गया उन संस्थानों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने हेतु राज्य सरकार ने अब तक 328 मामलों में चालान स्वीकृति दे दी है।

इन मामलों में से कुछ तो अदालतों के विचाराधीन हैं तथा कुछ मामलों में सजायें दी गई हैं। राज्य सरकार ने मालिकों के पालनार्थ बनाये गये कानूनों का पालन करवाने में सदैव तत्परता बरती है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

तेन्दू के पत्तों का राष्ट्रीयकरण

234. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार ने तेन्दू के पत्तों का राष्ट्रीयकरण करने की योजना बनाई है ? यदि हां, तो कब लागू करने का विचार है ?

उत्तर

जी हां। यह अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

खानपुर तहसील के ग्रामों में जलाऊ एवं काश्तकारी लकड़ी की सुविधा

235. **श्रीमती शिवकुमारी** (खानपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खानपुर तहसील के ग्राम उम्मेदपुरा, आंकोदिया, चौसला, पनवाड़ आदि हमेशा से कनवास रेन्ज के घूलेट व कानपुरा क्षेत्र से जलाऊ व काश्तकारी की लकड़ी लेते आये हैं व इसी प्रकार खानपुर व आसपास के ग्राम बारापाटी अटरू रेन्ज से लकड़ी लेते आये हैं ? यदि हां, तो अब इन्हें उपरोक्त क्षेत्रों से लकड़ी उपलब्ध नहीं करवाने के क्या कारण हैं ?

(2) सरहदी गांवों को उनकी सहूलियत अनुसार सबसे नजदीक पड़ने वाली दूसरे फॉरेस्ट डिवीजन की रेन्ज से लकड़ी उपलब्ध करवाने में सरकार की क्या नीति है ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम उम्मेदपुरा, आंकोदिया, चौसला, पनवाड़ के ग्राम वासियों को कन्सेशनिस्ट कूप रेन्ज कनवास से लकड़ी यहां के काश्तकारों की मांग पूरी होने पश्चात दी जाती है। किन्तु खानपुर व आस-पास के ग्रामीण बारापाटी वन खण्ड से लकड़ी पहले से नहीं लेते आये हैं। अटरू रेन्ज के वन-क्षेत्र स्थानीय काश्तकारों की आवश्यकता पूर्ति हेतु भी पर्याप्त नहीं हैं। अतः अन्य

Page No 39

(वन मंत्री)

स्थानों के काश्तकारों को लकड़ी लाने की अनुमति देना संभव नहीं है ।

(2) वन प्रबन्ध तथा प्रशासनिक दृष्टि से सामान्यतः एक वन मण्डल के काश्तकारों को दूसरे वन मण्डल के वनों से लकड़ी लाने की सुविधा दिया जाना संभव नहीं होता । ऐसी लकड़ी प्रत्येक डिविजन में काश्तकारों को उन क्षेत्रों के लिए बने कर्म-करण योजनानुसार दी जाने की व्यवस्था की जाती है । वन बन्दोबस्त के समय कृषकों तथा ग्रामीणों को जो सुविधायें जिस क्षेत्र से उपयोग करने की अनुमति दी गई है उन्हें तद्नुसार लकड़ी लाने की अनुमति दे दी जाती है ।

सांगोद तहसील में काली सिन्ध के देह में लिफ्ट योजना से सिंचाई

236. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सांगोद तहसील में काली सिन्ध नदी में किन-किन स्थानों पर ऐसे 'देह' हैं जिसमें लिफ्ट योजना द्वारा रकबा सिंचित किया जा सकता है ? क्या सरकार इसका सर्वे करने का विचार रखती है ?

(2) ग्राम कन्दाफल, खेडली, घटाल, सुलोन्या में उपलब्ध लिफ्ट साधनों का उपयोग करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ? क्या सरकार इन गांवों में भविष्य में लिफ्ट स्कीम चालू करने पर विचार करेगी ?

उत्तर

(1) यह नदी की आवश्यक सर्वे के पश्चात ही बतलाया जा सकता है । धनाभाव के कारण सर्वे करने का अभी कोई प्रोग्राम नहीं है ।

(2) कोई नहीं, भविष्य में भी धनाभाव के कारण इन्हें लेने का कोई विचार नहीं है ।

सांगोद तहसील में परवन नदी से लिफ्ट द्वारा सिंचाई

237. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सांगोद तहसील में परवन नदी पर ऐसे कितने स्थान कौन कौन से गांवों में हैं जिनमें लिफ्ट से सिंचाई की जा रही है या की जा सकती है ? कृपया सूची संदन की मेज पर रखने का कष्ट करें । कृपया यह भी बतायें कि इन स्थानों पर कितने-कितने रकबे में पानी दे सकने योग्य क्षमता है ?

(2) ग्राम उमरदा, डाबरी व दूसरे बड़े बड़े पानी के 'देह' मौजूदा पावर लाइन्स से कितनी कितनी दूर हैं और इनको बिजली से जोड़ने की विभाग की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) इस समय सिर्फ उमरदा पम्पिंग स्टेशन से केवल उमरदा गांव में ही सिंचाई हो रही है इसके अलावा परवन पर डाबरी गांव में लिफ्ट द्वारा सिंचाई सम्भव है । उमरदा पम्पिंग स्टेशन द्वारा 460 एकड़ में सिंचाई संभव है । डाबरी लिफ्ट योजना की सर्वे अभी नहीं की गई ।

(2) उमरदा व डाबरी क्रमशः पॉवर लाईन से 2 मील व 3 मील की दूरी पर हैं इन्हें बिजली से जोड़ने हेतु राज्य विद्युत मंडल को सिफारिश की गई है जो अपेक्षित है

टोरडी सागर से सिंचाई

238. **श्री जगन्नाथ** (टोडारायसिंह) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला टोंक में टोरडी सागर में कितने फुट पानी की भराई है ?

(2) इस वर्ष टोरडी सागर में कितने फुट पानी की भराई हुई थी ?

(3) जब सिंचाई के लिए प्रथम बार नहर छोड़ी गई उस समय कितने पानी की भराई थी ?

(4) टोरडी सागर पूरा भर जाने पर कितने क्षेत्र को सिंचित कर सकता है ?

(5) टोरडी सागर से सिंचाई एक ही नहर द्वारा होती है या अधिक से ?

(6) सम्वत् 2025 की खरीफ एवं रबि की फसल में इस बांध से कितने क्षेत्र में सिंचाई हुई थी ?

(7) ग्राम पंचायत खरेडा व मोरभाटियान में सम्वत् 2024 में कितने क्षेत्र में सिंचाई हुई, पंचायतवार अलग अलग रकबा बताने का कष्ट करें। तथा सम्वत् 2025 में उक्त दोनों पंचायतों में कितने रकबे में सिंचाई हुई है ?

(8) सम्वत् 2024 में टोरडी सागर में कितने फुट के पानी की भराई थी ?

उत्तर

(1) कुल 30 फुट की भराई है।

(2) इस वर्ष बांध 21'-10" भरा।

(3) बांध में 21'-6" पानी था।

(4) 16,600 एकड़ भूमि को सिंचित कर सकता है।

(5) अधिक से।

(6) खरीफ एवं रबि की फसलों में 40,50,60,70 क्रमशः 4589, 7460 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई हुई।

(7) ग्राम पंचायत खरेडा व मोरभाटियान में की गई सिंचाई निम्न है:—

सिंचाई एकड़ में

वर्ष	ग्राम पंचायत खरेडा	ग्राम पंचायत मोरभाटियान
2024	444	19
2025	57	—

(8) बांध में 21'-10" पानी भरा था।

पंचायत समिति मेड़ता के सरपंचों को कुआ निर्माण एवं मरम्मत के लिए धनराशि

239. **श्री गोरधन सोनी** (मेड़ता) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति मेड़ता में कुछ सरपंचों ने सार्वजनिक कुओं के निर्माण व मरम्मत के लिये रकम उठा रखी है ?

(2) क्या यह सही है कि उन्होंने वह रकम अपने निजी कार्य में लगा दी और

(श्री गोरधन सोनी)
सार्वजनिक कुओं का निर्माण व उनकी मरम्मत नहीं कराई गई ?

(3) क्या यह सही है कि ऐसे सरपंचों के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

(4) जिन सरपंचों ने रकम उठाकर खर्च नहीं की एवं हिसाब पेश नहीं किया, उन्होंने कितनी रकम उठाई एवं किस तारीख को ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी नहीं ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(4) विवरण सदन की मेज पर रखा गया है ।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

पंचायत खेड़ा रसूलपुर द्वारा रक्षा कोष के लिए एकत्रित राशि

240. **श्री बृजवल्लभ बोहरा** (दीगोद) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाकिस्तान की लड़ाई के समय पंचायत खेड़ा रसूलपुर में जो पंचायत समिति लाडपुरा कोटा में है कितनी रकम रक्षा कोष में एकत्रित हुई ?

(2) उसमें अनाज कितना था और नकदी कितनी थी । तथा किन किन आदमियों के द्वारा यह रकम दी गई थी ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) जो रसीदें काटी गई हैं उनका बुक नं० तथा क्रमांक कहां से कहां तक है ?

उत्तर

(1) 714 रु० की राशि एकत्रित हुई है ।

(2) नकदी के अतिरिक्त 2,419 किलो गेहूं तथा 100 किलो ज्वार भी एकत्रित हुई । सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(3) बुक नं० 31 रसीद नं० 1 से 16 तक है, किन्तु रसीदें कुछ ही काटी गई बाकी की रकम, पंचायत ने रजिस्टर में ही दर्ज कर प्राप्त की ।

(4) जी नहीं । कमेटी बिठाने के लिए कोई आधार राज्य सरकार के पास नहीं है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

पंचायतों के चुनाव

241. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार ने ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, न्याय पंचायतों और जिला परिषदों के चुनाव एक साल आगे कराने का फैसला किया है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

(पंचायत मंत्री)

उत्तर

राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 7 तथा राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1959 की धारा 14 एवं 46 में चुनाव अवधि 3 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष किये जाने का निर्णय लिया है। निर्णय के अनुसार राजस्थान पंचायत विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1959 भी प्रसारित हो चुका है। इकोनॉमी कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही चुनाव अवधि 3 वर्ष से 5 वर्ष किये जाने का निर्णय हुआ है।

अकाल ग्रस्त क्षेत्रों पर व्यय

242. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या अकाल—सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:---

(1) इस वर्ष राजस्थान में किस-किस जिले में कितने-कितने गांव अभाव ग्रस्त घोषित किये गये? उनकी आबादी कितनी कितनी है तथा एकड़ों में क्षेत्रफल कितना कितना है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त जिलों में कितना-कितना रुपया अब तक अकाल—सहायता पर खर्च किया गया है?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जितना 2 रुपया अब तक सहायता कार्य के लिए स्वीकृत किया गया हैं उसकी जिलेवार सूची सदन की मेज पर प्रस्तत है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

अकाल की समस्या का स्थाई हल

243. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या अकाल-सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) राज्य में अकाल की समस्या के स्थाई हल के लिए क्या-क्या योजनायें कब-कब कितने-कितने रुपयों की बनाई गईं?

(2) उपरोक्त योजनाओं से कौन-कौन सी योजनायें कब-कब कितना-कितना रुपया लगाकर कार्यान्वित की गईं?

(3) भविष्य में इस समस्या के समाधान के लिए क्या-क्या योजनायें कितने कितने रुपये की हैं?

उत्तर

(1) राज्य में अकाल की समस्या के स्थाई हल के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना काल से अब तक बृहद्, मध्यम एवं लघु सिंचाई के लिए लगभग 208 करोड़ रु० की योजना तैयार की गई हैं।

(2) इनमें से अधिकांश योजनायें पूरी की गईं जिन पर 205 करोड़ रु० व्यय हुआ।

(3) भविष्य में इस समस्या के समाधान के लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कई योजनायें विचाराधीन हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारुप को अन्तिम रूप दिये जाने पर धनराशि की मात्रा निश्चित हो सकेगी।

जिला टोंक में अकाल राहत कार्य

244. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा) : क्या अकाल-सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि जिला टोंक में अकाल राहत कार्य चालू कर दिए गए हैं ? यदि हां, तो कितने और कौन कौन से ? कृपया तहसीलवार व कार्यवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सत्य है कि जिला टोंक में सबसे अधिक प्रभावित तहसील उनियारा है, जहां पर कि सबसे कम वर्षा हुई है ?

(3) क्या यह सत्य है कि जिला टोंक की अकाल राहत कमेटी द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि ग्राम राजकोट, तहसील देवली, में एक ऐनीकट का निर्माण कराया जावे ? यदि हां, तो क्या कार्य चालू कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या यह सत्य है कि ग्राम राजकोट में जल का भीषण संकट है, और इसको मद्देनजर रखते हुए यह निर्णय लिया गया था ?

(5) अब यह कार्य कब तक चालू कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां । यह सच है कि टोंक जिले में अकाल राहत कार्य चालू कर दिये गये हैं । तहसीलवार व कार्यवार सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(2) जी हां । तहसील उनियारा में यद्यपि वर्षा कम हुई है, किन्तु सिंचाई के साधन होने के कारण इस तहसील में और तहसीलों के मुकाबले नुकसान कम रहा है ।

(3) जी हां । अकाल राहत कमेटी द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि ग्राम राजकोट, तहसील देवली में ऐनीकट का निर्माण कराया जाय, किन्तु यह कार्य अभी आरम्भ नहीं कराया जा सका है, क्योंकि इस कार्य का तखमीना और टैक्निकल रिपोर्ट सिंचाई विभाग के विचाराधीन है ।

(4) ग्राम राजकोट में जल के भीषण संकट होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(5) एनीकट का तखमीना बनकर आने पर उस पर विचार किया जायेगा ।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

जोधपुर के विद्युत् उपभोक्ताओं से बकाया की वसूली

245. **श्री ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विद्युत् विभाग, जोधपुर शहर में सन् 1959, 1960, 1961, 1962 व 1963 की बकाया रकम उपभोक्ताओं से वसूल गत वर्ष से कर रहा है ?

(2) इस रकम को पहले वसूल न कर अब वसूल करने का कारण क्या है ? ऐसी रकम किस-किस उपभोक्ता पर कितनी कितनी किस-किस समय की निकाली है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(श्री ओमदत्त भाटी)

(3) जिन अधिकारियों की लापरवाही से रकम बकाया रही है उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(स्थगित किया गया)

आदिवासी होस्टल्स पर व्यय

246. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान में सन् 1968 में कितने आदिवासी होस्टल खोले गये हैं । तथा कहां-कहां और उनमें से प्रत्येक में कितने विद्यार्थी रह रहे हैं ? प्रत्येक होस्टल का मासिक खर्च क्या आ रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

राजस्थान में सन् 1968 में एक राजकीय तथा दो अनुदानित आदिवासी छात्रावास खोले गये हैं । प्रत्येक छात्रावास का स्थान छात्र संख्या और मासिक व्यय की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

मांडलगढ़ में महतरों के शिक्षित बच्चे

247. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ) : क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

मांडलगढ में कितने महतर बच्चे मैट्रिक तथा हायर सैकन्डरी पास हैं ?

जो-जो बच्चे सैकन्डरी तथा हायर सैकन्डरी पास कर चुके हैं उनमें से किस किस को नौकरी मिली है और यदि नहीं मिली है तो क्यों नहीं मिली है ?

उत्तर

विभाग द्वारा इस तरह का सर्वेक्षण नहीं कराया जाता इसलिये यह जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

परिवार नियोजन का प्रचार

248. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ) : क्या परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 जनवरी सन् 68 से लेकर आखिर दिसम्बर सन् 68 तक राज्य भर में कितने लोगों ने नसबन्दी करवाई और कितनी स्त्रियों ने लूप लगवाये ?

(2) वर्ष भर में परिवार नियोजन पर कुल कितना खर्च हुआ और एक-एक ओपरेशन पर कितना खर्च पड़ा ?

(3) क्या परिवार नियोजन में ब्रह्मचर्य को भी कहीं स्थान है ? यदि है तो फिर दिवालों पर 'ब्रह्मचर्य ही जीवन है' ऐसा क्यों नहीं लिखा जाता ?

(4) क्या सरकार इस तरह प्रचार कराने का विचार रखती है जिससे अधिक सन्तान पैदा करना मनुष्य खुद बुरा मानने लगे और फीस जमा कराकर ऑपरेशन कराये ?

(5) क्या सरकार को विदित है कि ऑपरेशन कराने वाले, आपरेशन के लिए लाने वाले तथा डाक्टर को हर ऑपरेशन पर

(श्री मनोहर सिंह मेहता)

फीस मिलने के कारण गलत आंकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं ?

(6) क्या यह सही है कि परिवार नियोजन के लिए शिक्षा, विवाह की आयु तथा सिनेमा में परिवर्तन लाना तथा उस पर दृढ़ता से पालन करना जरूरी है ?

(7) क्या यह सही है कि परिवार नियोजन के इस अन्धाधुन्ध प्रचार से कृत्रिम साधन विवाहित स्त्रियों तक ही सीमित रहते हैं ?

उत्तर

(1) 1 जनवरी, सन् 1968 से 31 दिसम्बर, 1968 तक 29,133 पुरुषों की नसबन्दी तथा 3,819 महिला नसबन्दी एवं 20,484 स्त्रियों ने लूप लगवाये। माह जनवरी, 68 से 31 दिसम्बर, 68 तक का विवरण अनुसूची 'क' पर संलग्न है।

(2) वर्ष भर में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर 1 जनवरी, 1968 से 31 दिसम्बर, 68 तक 1,23,77,786.00 रुपये की धनराशि खर्च हुई है। तथा एक ऑपरेशन पर कुल कितनी धनराशि खर्च होती है उसके सही आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हो सकते लेकिन जितना भी अनुमानित हो सका है वह, 147) रु० प्रति ऑपरेशन आता है और यह '67-68 के वित्तीय वर्ष के खर्च पर आधारित है। 68-69 का वित्तीय वर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ अतः यह प्रति ऑपरेशन का खर्चा निकालने में असमर्थता है।

(3) परिवार नियोजन में ब्रह्मचर्य को भी कहीं स्थान है के संबंध में निवेदन है कि ब्रह्मचर्य का महत्व तो वैदिक काल से चलता आ रहा है। तथा परिवार नियोजन के अन्तर्गत इस विभाग द्वारा संयम से रहने के विषय में भी परामर्श दी जाती है। तथा इस संबंध में समय-समय पर पोस्टरों, इश्तहारों, एवं समाचारपत्रों के माध्यम से जनता में प्रचार किया जाता है। परिवार नियोजन के यह तरीके तो उन्हीं लोगों के लिये बतलाये जाते हैं जो कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हैं और चूंकि 99.9 प्रतिशत लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते ऐसी हालत में कृत्रिम साधनों का उपयोग करना जरूरी है।

(4) जी हां। सरकार इसी तरह के प्रचार करने का उद्देश्य रखती है तथा प्रचार कर भी रही है तथा यह भी महसूस किया गया है कि समयानुसार लोगों में परिवार नियोजन के प्रति काफी हद तक जागृति पैदा हो जावेगी। एवं लोग इस के महत्व को महसूस करने लगेंगे और स्वयं ही परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों को अपनाने के लिए स्वतः ही अग्रसर होंगे तथा प्रेरक धनराशि आदि लोगों को इस समय दी जाती है उनकी भी आवश्यकता धीरे-धीरे समाप्त हो जावेगी। तथा एक दिन ऐसा आयेगा कि लोग परिवार नियोजन संबंधित सेवाओं की कीमत चुकाकर हासिल करना शुरू कर देंगे, जैसे कि वे अन्य चिकित्सा सुविधाओं के लिए करते हैं।

(5) जी नहीं। यह बात सत्य नहीं है कि आमतौर पर ऐसा किया जाता है, परन्तु यदि ऐसा किये जाने की शिकायत राज्य सरकार को मिलती है तो उस पर तुरन्त ध्यान दिया जाता है वैसे भी अक्सर सत्यापन का कार्य होता ही रहता है।

(चिकित्सा मंत्री)

(6) सैद्धान्तिक रूप में इन प्रश्न में जो सुझाव दिया गया है । वह निस्संदेह प्रशंसनीय है किन्तु इसके लिए समय की एवं उपयुक्त पहुंच (Approach) की आवश्यकता है ।

(7) परिवार नियोजन प्रचार अनुसार कृत्रिम साधन विवाहित स्त्रियों, पुरुषों के लिये ही सीमित है ।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

(12.04 म० प०)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था ।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नांकित दो स्थगन प्रस्ताव राज्य सरकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु पैंडिंग रखे गये हैं :

(1) पहले स्थगन प्रस्ताव का सम्बन्ध जयपुर नगर में रात्रि के 11 बजे तक समस्त दूकानें, होटलें, रिक्शा आदि बन्द कर देने तथा 11 बजे के बाद नागरिकों के आवागमन पर रोक लगाए जाने से संबन्धित जिला अधीक्षक आरक्षी के आदेश से उत्पन्न स्थिति से हैं । इसकी सूचना श्री भैरोंसिंह, सदस्य विधान सभा ने दी थी ।

(2) दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई थी जिसमें उन्होंने यह कहा हैं कि राजस्थान नॉन गजेटेड पुलिस कर्मचारी संघ के मंत्री एवं शाहपुरा पुलिस स्टेशन पर नियुक्त पुलिस कर्मचारी को शाहपुरा के थानेदार द्वारा घायल कर उसका बांया हाथ तोड़ दिया गया हैं ।

उपरोक्त दोनों स्थगन प्रस्ताव पुलिस विभाग से संबंधित है और आज इस विभाग की मांग पर बहस होगी । अतः मैं माननीय गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि कटौती प्रस्तावों का उत्तर देते समय इन विषयों पर भी प्रकाश डालने की कृपा करें । अतः मैं इन स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं ।

इनके अतिरिक्त दो और स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं :

(1) श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है, जिसमें यह बतलाया है कि कस्बा नौहर में जबसे नगरपालिका को भंग किया गया है तब से शहर में सफाई नहीं होने के कारण चारों तरफ गंदगी के ढेर लग गये हैं और जिसके कारण कस्बे में महामारी फैलने का खतरा हो गया है ।

(2) दूसरा स्थगन प्रस्ताव श्री विजयसिंह मकराना, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुअ है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि सरपंच ग्राम बोरावड़, जिला नागौर के खिलाफ बहुत सी शिकायतें होने से जिलाधीश नागौर ने राज्य सरकार को उनको सस्पेन्ड करने के लिये लिखा है किन्तु किन्हीं कारणों से उन्हें सस्पेन्ड नहीं किया गया है ।

उपरोक्त दोनों मामले इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जा कर इन पर आज विचार किया जाय । अतः मैं इनको प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने म असमर्थ हूं ।

(श्री अध्यक्ष)

एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री श्रवणलाल, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसका संबंध बीकानेर जिले की लूणकरणसर तहसील में मनुष्यों एवं पशुओं के लिए पानी एवं चारे की कठिनाई से है। इस आशय के एक स्थगन प्रस्ताव की की सूचना श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा से भी प्राप्त हुई थी जिसे 13 मार्च, 1969 को अस्वीकार कर दिया गया था। इसके अलावा अकाल राहत कार्यों से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु प्रत्येक गुरुवार को अकाल सहायता मंत्री महोदय के कक्ष में बैठक भी हुआ करेगी। ऐसी स्थिति में मैं इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं देता हूं।

एक और स्थगन प्रस्ताव श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुआ है जिसमें बारां राजकीय डिग्री कालेज के फर्स्ट ईयर टी० डी० सी० साइन्स के एक विद्यार्थी का फार्म उक्त कॉलेज द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय को न भेजे जाने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर इस पर निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा।

ग्राम कटवाना, तहसील टोंक में पुलिस की कार्यवाही पर गृह मंत्रीजी द्वारा वक्तव्य

श्री देवीदत्त गाड़िया: अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव पर आपने व्यवस्था दे दी वह ठीक है पर उस विद्यार्थी को परीक्षा...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। जानकारी प्राप्त की जा रही है, इतना ही उपयुक्त होगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : परीक्षा चल रही है ......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैं अतिशीघ्र जानकारी कर लूंगा।

श्री विजयसिंह (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव पर आपने व्यवस्था दी है वह ठीक है पर सरपंच जो बोरावड़ का है वह आधी आधी रात तक..

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं देंगे, स्थान ग्रहण करें, व्यवस्था दे दी गई उस पर कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री विजयसिंह : मैं यह चाहूंगा कि मंत्री महोदय को और मुझको दोनों को आपके कमरे में बात करा दें।

श्री अध्यक्ष : यह ठीक है। मैं इस पर विचार करूंगा, आप मुझसे मिल लें।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया था......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दे दी गई है उस पर अब कोई चर्चा नहीं होगी....

श्री श्रवणलाल : पानी की इतनी कठिन समस्या पैदा हो गई है...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री परसराम मदेरणा : पानी की कोई समस्या नहीं है।

श्री अध्यक्ष : गृह मंत्री महोदय।

शासकीय वक्तव्य

श्री हीरालाल देवपुरा (राज्य मंत्री, गृह विभाग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री कृष्णकुमार गोयल, सदस्य विधान सभा द्वारा ग्राम कठमाना, तहसील टोंक में दिनांक 31-1-69 को हुए एक मृत्यु भोज के सम्बन्ध में पुलिस कार्यवाही का उल्लेख करते हुए स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस विषय में जिला प्रशासन से जानकारी प्राप्त की गई है। हालात निम्न प्रकार पाये जाते हैं :

दिनांक 30-1-69 को श्री राजकुमार हैड कान्स्टेबल, इन्चार्ज, चौकी बनवाड़ा, थाना पीपलू ने टोंक पहुंचकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को लिखित सूचना पेश की कि उसे ज्ञात हुआ है कि ग्राम कठमाना में बिरधा पुत्र सूजा मीणा उसके घर पर उसकी पत्नी की मृत्यु के उपलक्ष में एक मृत्यु भोज दिनांक 31-1-69 को करेगा, जिसमें करीब 7-8 हजार आदमियों को भोजन कराने की व्यवस्था है। पर्याप्त खाद्य सामग्री मंगवा ली गई है।

सूचना मिलते ही एक केस न० द० 3/7 एसेन्शियल कोमोडिटीज एक्ट व गेस्ट कन्ट्रोल ऑर्डर के तहत कायम कर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, टोंक मय फोर्स के ग्राम कठमाना के लिये रवाना हुए। मौके पर उन्हें लगभग 20 मन मालपुए मिले व और मालपुए बनाने की कार्यवाही जारी थी। एक गाड़ी भर कर आटा, 4 बोरी गुड़ भी भट्टियों के पास पड़ा था। करीब 150 व्यक्ति खाना खा रहे थे व अन्य कई उपस्थित थे। पुलिस दल ने जैसे ही पहुंच कर तैयारशुदा व कच्चे माल को तहवील पुलिस में लेने की कार्यवाही की तो वहां पर उपस्थित समुदाय ने विरोध किया और जीमने वाले व्यक्ति व अन्य 4-5 हजार व्यक्ति जो वहां खाना खाने आये थे, खड़े हो गये व उन्होंने चारों तरफ से पुलिस फोर्स को घेर लिया। औरतों ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया कि "तुमने हमारा दूध लजा दिया", "पुलिस वाले कुत्ते हैं", "इनकी लाशें बिछा दो।" इस पर चारों तरफ से फरसे लाठियां, कुल्हाड़ियां लेकर लोग हमलावर होने लगे। पुलिस की गाड़ियों के आगे खाली बैलगाड़ियां अड़ा दी गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने काफी समझाया लेकिन वह नहीं माने और पुलिस कर्मचारियों को कत्ल करने की धमकी देते हुए आमादा फसाद हो गये और यह कहने लगे कि जब तक भोजन समाप्त नहीं हो जावे तब तक पुलिस के एक भी आदमी को बाहर नहीं निकलने देंगे। परिस्थिति को बिगड़ते देख अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, टोंक तरकीब से घेरे से बाहर निकल आये व वरिष्ठ अफसरान को सूचित करने व फोर्स लेने टोंक पहुंचे।

पुलिस दल के साथ जो घटना गुजरी उसके बाबत थाना पीपलू पर एक केस नं० 6 हस्ब दफा 147 148/149/341/342/307/353/427 दर्ज किया गया व तफतीश प्रारम्भ की गई।

टोंक पहुंच कर सारे हालात जिलाधीश व पुलिस अधीक्षक को बताये गये। जिलाधीश टोंक ने प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट टोंक को तुरन्त कठमाना के लिये रवाना किया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, टोंक को भी कुछ फोर्स और लेकर रवाना किया गया। ये पार्टियां शाम लगभग साढ़े पांच बजे कठमाना पहुंची। पुलिस

(श्री हीरा लाल देवपुरा)

को आते हुए देख कर आदमियों ने लाठी, फरसे, कुल्हाड़ियां सम्भाल लीं और गांव में प्रवेश के रास्ते रोक दिये। मजिस्ट्रेट ने भीड़ को काफी समझाया लेकिन इन व्यक्तियों ने कुछ नहीं सुना और मजिस्ट्रेट व पुलिस दल पर पत्थर फेंकना प्रारम्भ कर दिया। इस घटना बाबत एक केस नं० 7/69 और थाना पीपलू पर हृ० द० 147/148/149/341/352 ता० हि० मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की सूचना पर दर्ज किया जाकर तफ़तीश प्रारम्भ की गई।

मृत्यु भोज सम्बन्धी केस में 98 मुलजीमान मय बिरघा मीणा गिरफ्तार किये गये हैं व ये सब बाद में जमानत पर छोड़ दिये गये हैं।

अब तक जिन मुलजीमान को गिरफ्तार किया गया उन्हें अन्दर मयाद 24 घण्टे अदालत में पेश किया गया था व किसी भी मुलजीम के साथ मार पीट या किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार पुलिस द्वारा नहीं किया गया है। जबरन पेशाब पिलाने आदि के जो आरोप लगाये गये हैं, वे बिल्कुल निराधार पाये जाते हैं।

यह केस अब न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है व मामला सब-जुडिस है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा): अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में जानकारी चाहूंगा। जिस मृत्युभोज की बात की जाती है और मृत्युभोज संबंधी दावत की बात कही जाती है, जिस व्यक्ति ने यह भोज दिया था उसके घर में गत 4-5 महीनों के अन्दर कोई मौत नहीं हुई? क्या यह सही है, फरसे, भाले वगैरह लेकर आए, पत्थर मारे पुलिस का कोई भी आदमी इन्जर्ड नहीं हुआ और न ही मेडीकल एक्जामिनेशन हुआ? क्या यह सही है कि जो व्यक्ति लगभग 125 लोग जो गिरफ्तार किए गए वे घटना के दिन गिरफ्तार न किये गये बल्कि 15 दिन के अंदर 125 आदमियों को जहां जो कोई मिला उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 3/7 एसेन्शियल कोमोडिटीज एक्ट एक बेलेबल ओफेन्स होते हुए भी, न पुलिस ने, न मजिस्ट्रेट ने उनकी जमानतें मांगी, न रिमांड के समय जमानतें मांगी। बल्कि 10-15 दिन लोगों को गिरफ्तार रखा?

क्या यह सही है कि आज उन लोगों के खिलाफ जो कि अधिकतर मीणा हैं और टोंक क्षेत्र के रहने वाले हैं आगामी मध्यावधि चुनाव को देखकर मीणा जाति को भयभीत करने के लिए साजिश कर यह मुकदमा बनाया गया है? अगर यह सही नहीं है तो, अध्यक्ष महोदय, जब कि घटना इस प्रकार बताई जाती है कि मृत्युभोज होने वाला था, मैं कैटेगरीकली जानना चाहता हूं, क्या इस घटना के 12-13 दिन पहले जो व्यक्ति दावत दे रहा था उसके घर में किसी की मृत्यु हुई थी? 3-4 महीने पहले कोई मृत्यु नहीं हुई थी। केवल मृत्युभोज की बात कहकर, दावत की बात कहकर मीणा जाति के लोगों को भयभीत करने के लिए सारी साजिश की गई थी और पुलिस की साजिश थी जिसमें मजिस्ट्रेट भी शामिल है। उन्होंने जमानतें नहीं ली, उन्हें जमानतें देने के लिए नहीं कहा गया और उन लोगों को पकड़कर गिरफ्तार करने के पश्चात उनके मुंह में पेशाब जबर्दस्ती डाला गया और इस प्रकार यह 3/7 एसेन्शियल कोमोडिटीज एक्ट एक तरफ रह गया और उन

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)
लोगों को आतन्दा दबाने के लिए कि वे सरकार के सामने झुककर रहें, गृह मंत्री के सामने घूमते रहें और आने वाले उप-चुनाव में कांग्रेस पार्टी के टूल्स बनकर रहें—इस नीयत से सारा कांड कराया गया।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, स्पष्टीकरण करें।

श्री हीरालाल देवपुरा : सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो यह आरोप लगाया है कि पुलिस ने जानबूझकर केवल इस दृष्टि से कि टोंक में उप-चुनाव होने वाले हैं, इन लोगों को दबाया जिससे वे कांग्रेस के साथ रहें,—यह आरोप बिल्कुल निराधार है। जिस गांव के अंदर यह घटना हुई है, उस गांव में कोई चुनाव नहीं होने वाले हैं। जिस कान्सटीट्यूएन्सी में चुनाव होने वाला है उसमें यह गांव नहीं आता है।

दूसरी बातें जो माननीय सदस्य ने पूछी हैं, कैसे मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया, मैंने सारे वाकयात आपके समक्ष रखे और साथ साथ यह भी निवेदन किया कि केस अदालत में दे दिया गया, मामला सब-जुडिस है, इस मामले में मैं विशेष कहने में मजबूर हूं, क्योंकि मामला अदालत में चल रहा है और उस पर असर पड़ सकता है।

श्री अध्यक्ष : बेलेबल होते हुए भी जमानत नहीं ली गई ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या माल बरामदी के अंदर जहां 20-30 मन सामान तैयार हो रहा था, एक रत्ती भी बरामद किया गया ?

श्री हीरालाल देवपुरा : माल बरामद करने की कोशिश की गई, बरामद नहीं हो सका.....

श्री कृष्ण कुमार गोयल : कोई पुलिस का आदमी घायल हुआ या मरा ? आप कहते हैं कि पत्थरों से हमला हुआ। यह सब कुछ जानबूझकर किया गया है लोगों को फंसाने के लिए...

श्री अध्यक्ष : पुलिस वालों में से कोई घायल हुआ ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने कहां कहा कि कोई घायल हुआ ?

श्री भैरोंसिंह : मंत्री महोदय उस मृतक का नाम बतायें जिसके भोज कराने का आरोप लगाया गया है। क्या यह सही है कि इसी गांव के इन्हीं व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस के हैड कांस्टेबल ने आज से कुछ समय पहले झूंठी रिपोर्ट दर्ज कराई, दफा 353 में इन्क्वायरी हुई, फाइनल रिपोर्ट दी गई, फाइनल रिपोर्ट के साथ साथ...

श्री हीरालाल देवपुरा : स्थगन प्रस्ताव से कोई संबंध नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : कैसे नहीं ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : स्थगन प्रस्ताव पढ़ें। मैंने लिखा है कि रिश्वत खाने की नीयत से एक मुकदमा जो पहले दर्ज किया गया था उसको झूंठा पाने के बाद जान-बूझकर कार्यवाही की गई है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : कोई भी जानबूझकर, किसी के खिलाफ बदले की भावना लेकर कार्यवाही नहीं की गई। इत्तला आई...

श्री नत्थीसिंह : आदमी कौन मरा था जिसका मृत्यु भोज दिया गया था ?

श्री हीरालाल देवपुरा : उसकी पत्नी..

श्री नत्थीसिंह : कब मरी थी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : सब-जुडिस केस है। उस पर असर पड़ेगा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जिस दिन की घटना बताई जाती है, वहां 12-13 दिन के अंदर किसी प्रकार की दावत नहीं थी। जबर्दस्ती लोगों को फंसाने के लिए कार्यवाही की गई है। लोगों को घेर लिया, एक भी आदमी पुलिस का जख्मी नहीं हुआ, एक रत्ती माल भी जब्त नहीं किया गया, न पूरी है, न साग है, न और कोई सामान है। सारी कार्यवाही कैसे हुई.....

श्री दामोदरलाल व्यास (गृहमंत्री) : ध्यक्ष महोदय, यह परम्परा सदन में बननी चाहिए कि जो केस सब-जुडिस है उस पर बहस न हो। बारबार मंत्री महोदय ने कहा है कि यह केस सब-जुडिस है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : एक परम्परा और होनी चाहिएं कि जब स्थगन प्रस्ताव पेश किए जायं या किसी प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाय, तो सरकार का रवैया बन गया है कि तुरन्त चालान पेश कर देती है....

श्री दामादरलाल व्यास : बिल्कुल ठीक है। हैड कान्सटेबल मौके पर नहीं गया था, पर एडीशनल एस० पी० गया था और उसके बाद खुद कलेक्टर और एस० पी० दोनों मौके पर पहुंचे। ऐसा नहीं है कि एडीशनल एस० पी० पर छोड़ दिया गया है। तो यह सही नहीं है कि पोलिटिकल एक्स-प्लाइटेशन करने की दृष्टि से क्योंकि उस क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, ऐसा किया गया। आपको पता नहीं कि यह गांव मालपुरा कान्सटीट्यूएन्सी में है, टोंक में नहीं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : वह ठीक है, लेकिन वहां प्रभावशाली लोग हैं। योजना के अनुसार सारी कार्यवाही की गई है, जिस प्रकार से लोगों को इन्वाल्व करने की कोशिश की गई है, चुनावों में दबाव डालने की कोशिश की गई है।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द कटेवा।

श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं :

(1) ग्राम बख्तावरपुरा, जिला झुन्झुनू में टोंक वाटर सप्लाई स्कीम चालू कराने,

(2) कस्बा सुल्ताना, जिला झुन्झुनू में वाटर सप्लाई स्कीम के कार्य में अनावश्यक देरी, तथा

(3) कस्बा मंड्रेला, जिला झुन्झुनू में वाटर सप्लाई स्कीम के कार्य में अनावश्यक देरी।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान कैनाल की रावतसर ब्रांच कैनाल को पक्का कराने से संबंधित याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिक प्रस्तुत करता हूं।

Page No 52

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष: श्री नत्थीसिंह, श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल, श्री रामानंद अग्रवाल, श्री रामकिशन व श्री केदार नाथ ने 19 सितम्बर, 1968 को केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल से संबंधित मामलों पर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्ताव दिया है। उसकी मुझे सूचना दी गई है कि इस प्रस्ताव पर, जब गृह मंत्री मांगों का उत्तर देंगे तब इस संबंध में अपना उत्तर देंगे।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना): यह तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय आज संतोषजनक उत्तर दे दें तब तो कोई बात नहीं है, दूसरे दिन रख दें।

श्री अध्यक्ष: प्रोफेसर केदार मुझसे मिले थे और आप सबकी ओर से भावना व्यक्त कर दी थी। ऐसा कोई यह विवाद-ग्रस्त मामला नहीं है।

अनुदानों के प्रस्तावों पर मतदान

मांगों के सम्बन्ध में 5 बजे उत्तर हो जावेगा। कल कौन दल कितना समय लेगा इसकी सूचना दे दी गयी है।

बैरी आयोग की सिफारिशों के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु धरना व भूख हड़ताल की घोषणा

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आप से एक जानकारी यह चाहता हूं कि मैंने कल नियम-263 के अन्तर्गत तीन अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करने के लिये प्रस्ताव द्वारा निवेदन किया है कि "बैरी आयोग के प्रतिवेदन में मृतकों के परिवार जन एवं घायलों को मुआवजा दिये जाने के प्रश्न पर विचार करने हेतु, राज्य सरकार ने जिस समिति के गठन की घोषणा दिनांक 14-3-69 को की है उस निर्णय पर सदन में विचार किया जावे"। दूसरा "बैरी आयोग के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों की क्रियान्विति हेतु राज्य सरकार द्वारा अभी तक किसी वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी को नियुक्त नहीं किये जाने की सरकारी नीति के प्रश्न पर विचार किया जावे"। तीसरा "लोक सभा में दिनांक 14 मार्च को केन्द्रीय गृह मंत्री श्री यशवन्तराव चव्हाण द्वारा बैरी आयोग के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में दिये गये वक्तव्य पर विचार किया जावे।"

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। ये तीनों प्रस्ताव मुझे मिल गये हैं। मैं इन पर अपनी व्यवस्था दे रहा हूं। आप मुझसे चैम्बर में मिल सकते हैं। आप इस को यहां नहीं उठावें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष मैं आपकी चिन्ता को समझ रहा हूं। आज पुलिस की डिमान्ड का प्रश्न है। इसलिये यह कहीं रह न जाय मैं आपकी इस चिन्ता को समझ रहा हूं लेकिन मैं उससे पूर्व ही अपनी व्यवस्था दे दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, मैं इन प्रश्नों को पुलिस की डिमान्ड

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

के साथ मिलाना नहीं चाहता। यह अलग प्रश्न है। सब ही माननीय सदस्य पुलिस की मांगों पर अपने अपने विचार रखेंगे अपने अपने क्षेत्रों के संबंध में। चार शोर्ट नोटिस क्वेश्चन भी दिये थे। मैं दिल्ली चला गया था उस तारीख को। उस विभाग के सम्बन्ध में जो सबसे बड़ी मांग है वह यह है कि इस प्रकार के आश्वासन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दिये थे या नहीं ? इसका स्पष्टीकरण हो और कुछ तथ्य आयें। माननीय गृह मंत्री महोदय ने जिस प्रकार का सदन में वक्तव्य दिया उससे सदन को संतोष नहीं हुआ, गृह मंत्रीजी को सदन को संतोष कराना चाहिये था। केन्द्रीय गृह मंत्री ने उनको जो सर्टिफिकेट दिया है...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर माननीय सदस्य।

मैं आज ही इसका निर्णय दे दूंगा आपने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उनके सम्बन्ध में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन फिर करना चाहता हूं। मैं इस प्रश्न पर भावनात्मक नहीं हूं। मैं इस प्रश्न पर राजनैतिक दृष्टि से भी नहीं देखता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार को हमने कह लिया, जितना दबाव हो सकता था दे लिया, जितनी चर्चा करनी थीं चर्चा करली। राजस्थान में कहीं पर न्याय नहीं मिला तो राजस्थान की सर्वोच्च सत्ता यह विधान सभा है और, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह पूर्व सूचना देना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने बेरी कमीशन की रिपोर्ट को इन टोटो इम्पलीमेंट नहीं किया, इसको एक्सेप्ट नहीं किया, फोलो अप के सम्बन्ध में यहां चर्चा करने के बाद आपने समिति बनायी, समिति का निर्माण मानवीय दृष्टि से किया वह अलग प्रश्न है, लेकिन बेरी कमीशन ने जो रिकमन्डेशन्स की हैं उनका एक्सेप्टेन्स इन टोटो नहीं किया, हायर ज्युडिशियल अथोरिटी के रिकमन्डेशन्स को फोलो अप की व्यवस्था नहीं की तो मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस सदन में और बाहर का वातावरण गम्भीर होगा.....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : और सदन के चरणों में बैठ कर मैं धरना दूंगा।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। ऑर्डर।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सात दिन का नोटिस देना चाहता हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप न्याय दिलाने के लिये, जनता के साथ जो अन्याय हुआ है उसका प्रतिकार करने के लिये आप हमें न्याय देंगे, जनता को न्याय देंगे, फैसला करने के लिये सरकार पर दबाव डालेंगे। राजस्थान के इतने बड़े ज्युडिशियल ऑफिसर ने जो फाइन्डिंग्स दी हैं उनका सम्मान करेंगे जैसा कि लोक सभा में भारत सरकार के गृह मंत्री ने भी कहा...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपकी भावना को समझ गया हूं।

ऑर्डर प्लीज।

Page No 54

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप व्यवस्था दें। नहीं तो कल में सदन में धरने पर बैठूंगा और सात दिन में निर्णय नहीं लिया तो 25 तारीख का तो इन्तजार है और नहीं तो 26 तारीख को मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री मूलचन्द डागा : भाषण ढंग से हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ढंग से ही होता है। आगे से सदन छोड़ कर चले जाओगे..

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : दबाव डाल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

माननीय गृह मंत्री।

अनुदान की मांगों पर विचार

श्री दामोदर लाल व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,61,25,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : माननीय कारागार मंत्री।

श्री बरकतुल्ला खां (कारागार मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि **मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22**–कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 61,42,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : विधि मंत्री।

श्री बरकतुल्ला खां (विधि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,02,37,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : श्री दौलतराम सारण!

उपरोक्त मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या 12

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : 1. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (पुलिस की डकैतियों, हिंसा व चोरियों के निरोध की, असफल नीति के बारे में नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या 10

2. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (न्याय पालिका में कार्यरत प्रोसीक्यूशन ब्रांच को पुलिस से अलग न करने की सरकार की नीति के बारे में नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या 12

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : 3. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण आम जनता की रिपोर्टों की उचित तफतीश नहीं होने पर चर्चा के लिये) ।

4. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (इन्टरमीजियेट की योग्यता वाले व्यक्तियों की ही पुलिस विभाग में लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 11

5. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलरों द्वारा कारागार में बन्दीजनों के भोजन में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 10

6. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मुकदमों के फैसलों में अनावश्यक विलम्ब पर चर्चा के लिये) ।

7. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय प्रशासनिक पदों पर वकीलों की नियुक्तियां करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): 8. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा सक्रिय कदम न उठाने के बारे में चर्चा के लिये) ।

9. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस द्वारा बाड़मेर जिले में कत्ल के मामलों में जांच करने में लापरवाही बरतने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 10

10. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

11. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय को सस्ता करने एवं आवश्यक सुधार लाने के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): 12. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23- पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेल्वे पुलिस कर्मचारी वर्ग में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

13. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया

Page No 56

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

जाय (पुलिस थाना, सांचोर व सरवान में जे.पी. की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

14. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निम्न स्तर के पुलिस कर्मचारियों में अप्रजातान्त्रिक दृष्टिकोण में सुधार किये जाने पर चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (संगीन जुर्मों में निरपराध व्यक्तियों को फंसाने की पुलिस की अवांछनीय प्रवृत्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

16. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रोसीक्यूशन ब्रान्च के कर्मचारियों की अनुभवहीनता एवं पुलिस मुकदमात की असफलताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

17. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम खेजड़ियाली पुलिस आउट-पोस्ट जिला जालौर के स्थायीकरण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

18. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रों में पुलिस प्रशिक्षण की कमियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

19. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचोर में होमगार्ड प्रशिक्षण केम्प से चयनित ट्रेनीज को 22 दिन ट्रेनिंग देने के उपरान्त कमान्डेन्ट द्वारा अनियमित रूप से निकालने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 10

20. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी वकीलों की नियुक्तियों में आवश्यक नियमों के अभाव पर चर्चा के लिए)।

21. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (महंगी न्याय प्रणाली को सस्ता करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सम्पूर्ण जुडीसियरी एक्जीक्यूटिव से पृथक करने के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डोली) : 23. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में बढ़ती हुई चोरियों व डकैतियों का पुलिस द्वारा न रोकना तथा इस संबंध में नागरिकों के साथ अभद्र व्यवहार पर चर्चा के लिये)।

24. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस की अकर्मण्यता के कारण प्रान्त के नागरिकों का जनजीवन भयंकर संकट में है, इस पर चर्चा के लिए)।

25. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय

(श्री केसरीसिंह हाडा)
(जिला बूंदी की पुलिस के दुर्व्यवहार एवं आतंक पर चर्चा के लिए)।

26. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर नगर में पुलिस द्वारा उचित रूप से ट्रेफिक कन्ट्रोल नहीं हो पा रहा है, इस पर चर्चा के लिए)।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : 27. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक जिले में पुलिस द्वारा हो रही पक्षपात पूर्ण कार्यवाहियों पर चर्चा के लिए)।

28. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग के कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

श्री कल्याणमल मीणा (जहाजपुर) : 29. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस द्वारा किये जाने वाले अत्याचार पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 10

30. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला न्याय प्रशासन में उत्पन्न प्रशासनिक कठिनाइयों पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

श्री अमीलाल यादव (बहरोड) : 31. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त अव्यवस्था तथा प्रोमोशन्स एवं नियुक्तियों में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 10

32. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय प्रशासन को सस्ता एवं सुलभ बनाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

डा० श्री गंगासहाय (कठूमर-सु०) : 33. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [जिला कार्यकारी (पुलिस) दल की असफलता पर चर्चा के लिए]।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : 34. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस कर्मचारियों के आचरण पर सुधार किये जाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 11

35. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22—कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कारागारों में कैदियों के चरित्र निर्माण हेतु चरित्रवान अधिकारियों की नियुक्ति पर चर्चा के लिए)।

36. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22—कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कारागारों में नियुक्त कर्मचारी या अधिकारी शराबखोर न हों इस पर चर्चा के लिए)।

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

मांग संख्या 10

37. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जनता को न्याय सस्ता दिलाने हेतु जयपुर में हाई कोर्ट बैंच की स्थापना पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

श्री नाथूलाल करौल (जमवा रामगढ़) : 38. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

श्री बुगलाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : 39. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23— पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग नियुक्तियों के संबंध में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

40. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग अपराधों को कम करने में असफल रहा है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 11

41. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22—कारागार के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर 100 रुपया कर दिया जाय (कारावासों में दण्ड भोगने वाले व्यक्तियों को सुविधाएं दिलाने हेतु चर्चा करने के लिए)।

मांग संख्या 10

42. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्यायालयों में महीनों पद रिक्तियों के कारण जनता को होने वाली परेशानियों के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): 43. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग के कर्मचारियों द्वारा समुचित रूप से कर्त्तव्य पालन नहीं करने पर चर्चा के लिए)

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : 44. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मण्डावा थाने के थानेदार द्वारा ग्राम तेतरा में हुई आगजनी की घटना की तफतीश उचित प्रकार से नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए)।

45. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [ग्राम पहाड़सर (थाना मंडावा तहसील झुंझुनू) के फरारी केस में पुलिस द्वारा की गई ज्यादती एवं अनियमितता पर चर्चा के लिए]।

46. मांग संख्या 12, शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

47. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनू शहर में चोरियों को रोकने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिए)।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : 48. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस

(श्री जुझारसिंह)
में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा क्षेत्र में बढ़ती हुई डकैतियों को रोक सकने में पुलिस की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिए)।

49. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [थाना डग (जिला झालावाड़) के पुलिस कर्मचारियों द्वारा राजनैतिक कार्यकर्त्ताओं का अवैधानिक तरीके से परेशान करने पर चर्चा के लिए]।

श्री महेन्द्रसिंह (पीपल्दा) : 50. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जन धन की सुरक्षा में पुलिस विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 10

51. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्यायालयों द्वारा न्याय में बर्ती जाने वाली ढ़िलाई आदि पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : 52. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीमा क्षेत्रों में पुलिस की व्यवस्था अपर्याप्त होने व भ्रष्टाचार के कारण जनता की असुरक्षा पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 10

53. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैसलमेर व पोकरण में क्रमशः मुन्सिफ व सिविल जज की नियुक्ति न होने से जनता की कठिनाईयों पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

श्री शंकरलाल (जैतारण) : 54. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैतारण तहसील में चोरियों का पुलिस द्वारा पता न लगाने के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 10

55. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले के बाली सब-डिवीजन के न्यायिक मुकद्दमों का क्षेत्राधिकार पाली रखने के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी-सु०) : 56. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश न लगाने के कारणों पर चर्चा के लिए)।

57. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग के कर्मचारियों द्वारा लोगों को नाजायज तौर पर तंग करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

58. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस द्वारा बरामद माल की फर्द आदि तैयार न करने के संबंध में चर्चा के लिए)।

(श्री देवीलाल बुरासिया)

59. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज करने में भी रिश्वत व उपेक्षा बरतने पर चर्चा के लिए)।

60. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में सब-इन्सपेक्टरों के चयन में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार से असन्तोष पर चर्चा के लिए)।

61. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस सब-इन्सपेक्टरों में अनुसूचित जाति के सदस्यों को उचित स्थान न मिलने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 11

62. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22—कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [आदर्श (model) कारागारों के निर्माण पर चर्चा के लिए]।

63. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22—कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर कारागार में व्याप्त अव्यवस्था के कारण कैदियों की मृत्यु हो जाने बाबत चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 10

64. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सस्ता न्याय न मिलने के कारण जनता की कठिनाइयों व जनता में असंतोष पर चर्चा के लिए)।

65 मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मुन्सिफ कोर्टों में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) :

66. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस में नियुक्तियों, प्रमोशन्स, ट्रान्सफर्स आदि में अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

67. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग के छोटे कर्मचारियों को वेतन कम देने किन्तु ड्यूटी अधिक लेने पर चर्चा के लिए)।

68. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाकार पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 11

69. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22—कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हर जिले के कारागार में सहकार समितियां होने के संबंध मे चर्चा के लिए)।

70. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22—कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कारागारों में व्याप्त अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 10

71. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग म से 100

(श्री जयनारायण सालोदिया)
रुपया कम कर दिया जाय (शीघ्र व सस्ते न्याय के लिये जयपुर में हाई कोर्ट की बैंच कायम करने पर चर्चा के लिये)।

72. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय प्रशासन मंहगा व देरी से मिलने के संबंध में चर्चा के लिए)।

73. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की समाप्ति पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

श्री लाभचन्द वैद्य (सुजानगढ़) : 74. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला पुलिस कार्यकारी दल की जनता के प्रति उपेक्षा व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

श्री सुवालाल चौधरी (दूदू) : 75. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (थाना दूदू के तहत के ग्रामों में चोरियों से जनता में व्याप्त त्रास के संबंध में चर्चा के लिए)।

76. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में फैले भ्रष्टाचार की रोक थाम पर चर्चा के लिए)।

77 मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस के थानेदार के पद के चयन में सरकार के पक्षपात पर चर्चा के लिए)।

78. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस कर्मचारियों की चोर, डाकू व समाज विरोधी तत्वों से सांठ-गांठ के संबंध में चर्चा के लिए)।

79. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस कर्मचारियों में समाज सेवा की भावना पैदा करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 10

80. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गरीब जनता को सस्ता व शीघ्र न्याय नहीं मिलता इस पर चर्चा के लिए)।

81. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसी राजनैतिक दल के व्यक्ति को न्याय प्रशासन के किसी पद पर नियुक्त न करने के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन सु०) : 82. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बूंदी में डाकुओं के आतंक से ग्रामीण जनता की परेशानी व पुलिस के मौन पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 11

83. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री नन्दलाल बैरवा)
कम कर दिया जाय (जिला कारागारों में सुधार करने पर चर्चा के लिए)।

84. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22--कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला कारागारों में विशेष सुधार न होने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 10

85. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21--न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिय जाय (न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों की तामील में होने वाले विलम्ब पर चर्चा के लिए)।

86. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21--न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आम जनता को समय पर न्याय नहीं मिलने के कारणों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (गोगुन्दा सु०): 87. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23--पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [कोटड़ा तहसील (जिला उदयपुर) में आदिवासियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के संबंध में चर्चा के लिए]।

श्री नाथुराम (बागीडोरा) : 88. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23--पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आदिवासियों के क्षेत्र में पुलिस की सुचारु व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिए)।

श्री रणजीतसिंह (ओसियां) : 89. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23--पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 10

90. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21--न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जनता को सुलभ व सस्ता न्याय मिले, इस संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

श्री भगवानदास ईश्वरदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : 91. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23--पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोर्ट केसेज में पुलिस विभाग द्वारा अनुचित हस्तक्षेप पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 11

92. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22--कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कारागार में कैदियों के रहन-सहन एवं भोजन आदि अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 10

93. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21--न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय प्रशासन में संबंधित प्रचलित न्यायिक प्रणाली के तरीकों में परिवर्तन करने के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : 94. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23--

Page No 63

(श्री हंसराज आर्य)

पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस केसेज में पुलिस विभाग के कर्मचारियों द्वारा दिलचस्पी नहीं लेने पर चर्चा के लिए)।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : 95. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां नगर एवं तहसील क्षेत्र में होने वाली चोरियों में पुलिस अधिकारियों द्वारा पता नहीं लगाने के संबंध में चर्चा के लिए)।

96. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले में गत डेढ़ दो माह में हुई डकैतियों व अपहरण के मामलों में पुलिस की अकर्मण्यता, शिथिलता व भारी लापरवाही पर चर्चा के लिए)।

97. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आबू रोड क्षेत्र के ग्राम तरओली में मुसम्मात भूरीबाई की कातिलाना हमले से हुई हत्या के मामले को आबू रोड पुलिस द्वारा दबाये जाने पर चर्चा के लिए)।

98. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां नगर में आए दिन होने वाले अपराधों एवं पुलिस द्वारा अपराधियों को संरक्षण देने के संबंध में चर्चा के लिए)।

99. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रतापगढ़ थाने में रियासत के किले वाले मन्दिर में पुजारी द्वारा की गई सोने की मूर्ति की चोरी की रिपोर्ट के मामले को दबाए जाने पर चर्चा के लिए)।

100. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्रतापगढ़ क्षेत्र के ग्राम अमलावद में मार्च, 68 में राजस्थान एवं मध्य प्रदेश पुलिस थानेदार की छोटे खां एवं उसके साथी से जो मुठभेड़ हुई और बिना लाइसेंस के हथियारों के संबंध में चर्चा के लिए)।

101. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [बाड़ी (धौलपुर) पुलिस कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले अत्याचारों एवं गैर कानूनी कार्यवाहियां करने के संबंध में चर्चा के लिए]।

102. मांग संख्या 12 मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां क्षेत्र के मांगरोल एवं अन्ता क्षेत्र में हो रही चोरियां व हत्या काण्ड और उस पर पुलिस अधिकारियों द्वारा बरती जा रही अकर्मण्यता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 11

103. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22—कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बारां सब-जेल के जेलर द्वारा कैदियों के साथ अत्याचार करने एवं रिश्वत लेने बाबत चर्चा के लिए)।

104. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22—कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनू जेल में

(श्री देवीदत्त गाडिया)
डाकू आदि मुल्जिमों द्वारा जेल तोड़कर भागने की घटनाओं पर चर्चा के लिए)।

105. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22—कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलों में कैदियों को पूरा राशन एवं अच्छी सब्जी नहीं देना तथा वहां भी भ्रष्टाचार है इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

श्री रामसिंह कुडी (जायल) 106 मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 6,76,000 रुपये कम कर दिये जायें (नरेशों के प्रासादों पर नियुक्त रक्षा दल तुरन्त हटा दिये जाने के संबंध में मितव्ययता)।

107. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 9,04,000 रुपये कम कर दिये जायें (मेवाड़ भील कोर्प्स को हटा दिया जावे या केन्द्र को संभला दिया जावे, इस पर मितव्ययता)।

108. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 1,46,33,000 रुपये कम कर दिये जायें (राजस्थान सशत्र सिपाही दल को समाप्त कर केन्द्रीय सीमा सुरक्षा फोर्स में Merge किये जाने पर मितव्ययता)।

109. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 48,00,000 रुपये कम कर दिये जायें (भ्रष्टाचार निरोधक विभाग खत्म किया जाकर अकारण अपव्यय को तुरन्त रोकने के संबंध में मितव्ययता)।

110. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग के कर्मचारियों को आवश्यक सभी पुस्तकें सप्लाई करने के संबंध में चर्चा के लिए)।

111. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डी० आई० जी० पी० व इसी प्रकार के अन्य अतिरिक्त आई० जी० पी० के पद तुरन्त समाप्त कर दिये जाने एवं उनसे संबंधित कार्यालय समाप्त किये जाने पर चर्चा के लिए)।

112. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला स्तर पर पुलिस को दो भागों में बांट दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिए)।

113. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस सर्विसेज एवं उसके कार्यकलापों का जनतन्त्रीय प्रणाली के अनुकूल ढांचा करने हेतु कमीशन बठाने के संबंध में चर्चा के लिए)।

114. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस को आधुनिक इन्वेस्टीगेशन के तरीकों में प्रशिक्षित किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 11

115. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22—कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कैदियों के

(श्री रामसिंह कुड़ी)
पहिनने, ओढ़ने, दवाइयों इत्यादि हेतु अधिक राशियों के प्रावधान की व्यवस्था पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 10

116. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर जिला मुख्यालय पर अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन्स कोर्ट्स की स्थापना नहीं करने के बारें में चर्चा के लिए)।

117. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागौर सब-डिविजन में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के बारें में चर्चा के लिए)।

118. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अदालतों में स्टेशनरी, लाईब्रेरी बुक्स एवं गवाहान के खर्चे के चुकारे हेतु राशि की वक्त भारी कमी की चर्चा के लिए)।

119. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में मुन्सिफ-मजिस्ट्रेटों एवं सिविल जजों की तनख्वाह अन्य राज्य अधिकारियों के मुकाबले में कम है इस पर चर्चा के लिए)।

मांग-संख्या 12

श्री देवीलाल (सराड़ा सु.) : 120. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर जिले के आदिवासियों के विरुद्ध जागीरदारों द्वारा लगाये गये मामलों की चर्चा के लिए)।

121. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर की तहसील सराड़ा की पुलिस चौकियों के भवनों की दुर्दशा पर चर्चा के लिए)।

122. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर जिले के सलुम्बर में मानपुर, पाल आदि गांवों के आदिवासियों पर पुलिस की ज्यादतियों पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 10

123. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर जिले की तहसील सराड़ा में मुन्सिफ आदि न्यायालयों के केम्पस् रखवाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

राजवी श्री रूपसिंह (सरदारशहर) : 124. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उच्च अधिकारियों एवं सिविल डिफेन्स होम गार्ड पर फिजूल खर्चे के संबंध में चर्चा के लिए)।

125. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस सब-इन्सपेक्टर्स, इन्सपेक्टर्स के तबादलों में सरकार

Page No 66

(राजवीय श्री रूपसिंह)

के अनुचित हस्तक्षेप व व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

126. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मुकदमात की तफतीश में अनुचित देरी पर चर्चा के लिए)।

127. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरदारशहर तहसील के गांव मेहरी में कत्ल के मामले में पुलिस द्वारा मुलजिमान को गिरफ्तार आदि के संबंध में चर्चा के लिए)।

128. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग से पैरोकारी शाखा जुडिशियरी के आधीन करने के संबंध में चर्चा के लिए)।

129. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थानों में जनता की सुनवाई न करने, cases रजिस्टर न करने, तफतीश ढंग से न करने व चालान पेश करने में अनावश्यक देरी करने के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 10

130. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला न्यायाधीशों के निवास-स्थान, वेतन एवं क्षेत्राधिकारों के संबंध में चर्चा के लिए)।

131. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मुन्सिफ-मजिस्ट्रेट्स की नियुक्तियों बाबत चर्चा के लिए)।

132. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गवर्नमेंट एडवोकेट्स व पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स की नियुक्ति के बाबत चर्चा के लिए)।

133. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्यायालयों में मुकदमात के फैसलों में देरी व न्याय सस्ता नहीं होने के बाबत चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 12

श्री महेन्द्र कुमार (पाड़वा सु०): 134. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डूंगरपुर जिले की पुलिस व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

श्री नथमल चौहला (लक्ष्मणगढ़ सु०): 135. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस की लापरवाही व भ्रष्टाचार के बाबत चर्चा के लिये)।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन): 136. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सब-इन्सपेक्टर, पुलिस थाना, असनावर, जिला झालावाड़ की अनुचित कार्यवाहियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : 137. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में भारी भ्रष्टाचार होने से जनता को न्याय मिलने में जनता को भारी कठिनाई पर चर्चा के लिये)।

138. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस के रिटायर्ड कर्मचारियों को पेन्शन, ग्रेच्युटी इत्यादि नहीं मिल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

139. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मौजा सिरंगसर के बुन्धा पुत्र उमा जाट सारिन देह का अनाज जबर्दस्ती ले जाने संबंधी मामले में पुलिस द्वारा आवश्यक कार्यवाही न करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

140. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [पुलिस थाना, किशनगढ़ के कर्मचारियों द्वारा रिश्वत लेने के संबंध में चर्चा के लिये)।

141. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [पुलिस थाना, नोहर (जिला गंगानगर) में थाने में सिपाहियों द्वारा होली के दिन शराब पीकर एक सुनार की पिटाई करने के संबंध म चर्चा के लिये]।

142. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर शहर में रात को 11 बजे के बाद एक दम कर्फ्यू जैसी स्थिति हो जाती है और पुलिस द्वारा तंग किया जाता है इस पर चर्चा के लिये)।

143. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थाना, सूरतगढ़ में दर्ज हुए विभिन्न मुकदमों के संबंध में चालान पेश नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

144. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हनुमानगढ़ पुलिस द्वारा की जाने वाली अनियमित कार्यवाहियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

145. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नोहर में करीब 1,000-1,000 की तादाद में बम बावरी नाजायज हथियारों से लेस होकर काश्तकारों की फसल व भेड़ बकरी लूट रहे हैं, किन्तु पुलिस इस संबंध में निष्क्रीय व उदासीन है तथा अपराधियों के साथ हाथ मिलाई हुई है, इसके सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 11

146. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (कारागारों में कैदियों को भोजन देने सम्बन्धी सरकार की वर्तमान नीति का अननुमोदन)।

147. मांग संख्या 11, मख्य शीर्षक 22–कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100

(श्री रामचन्द्र आर्य)

रुपया कम कर दिया जाय (कारागारों की उचित व्यवस्था न होने से कैदियों के साथ दुर्व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 10

148. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्यायालयों में सरे आम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने जैसी कार्यवाहियां हो रही हैं, इस पर चर्चा के लिये) ।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : 149 मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान पुलिस का जनता पर आतंक के संबंध में चर्चा के लिये) ।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलुम्बर): 150. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [कोटड़ा थाने, जिला उदयपुर में की पुलिस द्वारा जनता पर अत्याचार के संबंध में चर्चा के लिये) ।

श्री जयनारायण (लसाड़िया) : 151 मांग संख्या 12, संख्या शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सलुम्बर में भबराना गांव में पुलिस का थाना स्थापित करने हेतु चर्चा के लिये) ।

152. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील घरियावद में पारसोला के थानेदार द्वारा आदिवासियों को नाजायज रूप से परेशान करने पर चर्चा के लिये) ।

153. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सलुम्बर तहसील के भानपुर एवं घरियावद तहसील के देवला, लोहागढ़ के बेगुनाह आदिवासियों की निर्दयतापूर्वक हुई पुलिस द्वारा पिटाई पर चर्चा के लिये) ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): 154. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय(पुलिस पर भारी खर्च बढ़ा कर भी सरकार पुलिस में दक्षता, कर्तव्य परायणता, निष्ठा, नागरिकों के प्रति सद्व्यवहार व शान्ति व्यवस्था कायम करने में असफल रही है इसके बारे में नीति का अननुमोदन) ।

मांग संख्या 10

155. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (सभी स्तरों के न्यायलयों में हिन्दी भाषा का प्रयोग कराने, सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने में सरकार की असफल नीति का अननुमोदन) ।

मांग संख्या 12

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (बीकानेर) : 156. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अधीक्षण के मद में बढ़ते हुये खर्च को कम करने हेतु चर्चा के लिये) ।

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

157. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गुप्तचर विभाग अपने कार्य के प्रति उदासीन व अकर्मण्य रहा है अतः इस मद में होने वाली फिजूल खर्ची को रोका जाय, इस पर चर्चा के लिए)।

158. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला पुलिस की अकर्मण्यता, लापरवाही व धांधली रोकने के संबंध में चर्चा के लिये)।

159. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नरेशों के प्रासादों पर से पुलिस गार्ड्स हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 11

160. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22—कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बन्दियों से वर्षों काम लेकर लाखों रुपयों की आय होती है, फिर भी उन्हें मजदूरी एवं आवश्यक सुविधाऐं न देने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 10

161. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय प्रशासन में निरन्तर बढ़ते हुए खर्च को कम किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : 162 मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील लाडनूं व डीडवाना क्षेत्र के मामले जो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में चल रहे है उनका चालान नहीं किया जाकर अनावश्यक देर करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

163. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लाडनूं पुलिस की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

164. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (थानेदार, लाडनूं द्वारा एफ० आई० आर० व मुस्तगीस के बयान बदल देने की शिकायतों पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

165. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला नागौर के ग्राम ललासरी, थाना दरड़वा में हुये दंगों का रजिस्टर्ड केस अब तक पुलिस द्वारा दबाये रखने पर चर्चा के लिये)।

166. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (थाना लाडनूं में झूठे चोरी के केस दर्ज करने व लोगों को फंसाकर पुलिस द्वारा अपना स्वार्थ सिद्ध करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

167. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (थाना लाडनूं

(श्री हरजीराम बुरड़क)
में दर्ज चोरी के मामलों में माल बरामद नहीं करने व पुलिस की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

168. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम इन्द्रपुरा, जिला नागौर में थानेदार, बरड़वा को व सिपाहियों को मारपीट की गई जिसमें सरकार द्वारा कार्यवाही नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 10

169. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्यायालयों में कर्मचारियों की कमी के कारण फरीकेन को समय पर नकलें नहीं मिलतीं, इस पर चर्चा के लिये)।

170 मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्यायालयों में हिन्दी भाषा को समुचित स्थान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

श्री आलम अली खां (फतेहपुर): 171. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस प्रशासन में भारी भ्रष्टाचार पनप चुका है, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री बृजाराम राजोरिया (दौसा सु०): 172. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में व्याप्त अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 10

173. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में सस्ता न्याय नहीं मिलता जिससे जनता दुःखी व परेशान है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

श्री राम कुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़): 174. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चित्तौड़गढ़ जिले में आये दिन थानेदारों के तबादले किए जाने तथा पुलिस व्यवस्था ठीक करने तथा चोरियां, डाकेजनी नहीं रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 10

175. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़, में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट कायम करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

श्री रतनलाल रौत (चौरासी सु०): 176. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में हो रही अव्यवस्था के बारे में पुलिस अधिक कारगर कार्य नहीं कर रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

Page No 71

(श्री रतनलाल रौत)

मांग संख्या 10

177. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में डिस्ट्रिक्ट सेशन्स जज की स्थापना हेतु चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

श्री लक्ष्मण सानीवाल (डग सु०): 178. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस की गैर जिम्मेदारी, कर्तव्य, विमुखता, स्वार्थ सिद्धि तथा दुर्व्यवहार पर चर्चा के लिये)।

179. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस द्वारा पद का दुरुपयोग एवं पक्षपात पूर्ण कार्यवाहियां करने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 11

180. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22—कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जेलर्स की गैर जिम्मेदारियां रोकने के संबंध में ठोस कदम उठाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 10

181. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पक्षपात-पूर्ण न्याय एवं उनमें अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

श्री बनवारीलाल (धौलपुर)
182. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर उप-जिले में लॉ एण्ड ऑर्डर की व्यवस्था ठीक नहीं है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 11

183. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22—कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर जेल को अपग्रेड करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी): 184. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस थानों का क्षेत्र बढ़ाकर थानों में जीप गाड़ियों की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): 185. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23—पुलिस के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग में छोटे पुलिस कर्मचारियों का वेतन न बढाने व रहने के लिए क्वार्टरों का इंतजाम न करने संबंधी सरकार की असफल नीति का अननुमोदन)।

186. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23-पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस अधिकारियों की कार्यकुशलता में कमी के कारण गांवों

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
में बढ़ रही गुण्डा गर्दी को रोकने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये)।

187. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [पुलिस स्टेशन नोखा (जिला बीकानेर) की अव्यवस्था व गरीब जनता की कोई सुनाई नहीं हो रही है इस पर चर्चा के लिये]।

188. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस स्टेशन, नोखा के विशेषतः ग्राम बेरासर, ग्राम हिम्मतसर व अन्य गांवों में हुई चोरियों का पता लगाने एवं चोरों को पकड़ने में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिये)।

189. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग के सुतर सवारों को सवारी भत्ता व वेतन पर्याप्त नहीं मिलने के संबंध में चर्चा के लिये)।

190. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [पुलिस स्टेशन श्री डूंगरगढ़ व पुलिस स्टेशन बापेऊ (जिला चूरू) के क्षेत्र में ग्राम केऊ में पड़े डाके के सम्बन्ध में चर्चा के लिये]।

मांग संख्या 11

191. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22-कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कारागार में रहते वाले मुलजिमों को खाना, वस्त्र इत्यादि की सुविधाएं दिलाने में सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 10

192. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय प्रशासन में गरीब जनता को, विशेषतः पिछड़ी हुई हरिजन जाति को, विभाग की तरफ से न्याय दिलाने में विभाग असफल रहा है इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : 193. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छीपाबड़ौद एवं छबड़ा में आए दिन होने वाली चोरियों एवं डकैतियों को रोकने में पुलिस की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 11

194. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छबड़ा सब-जेल में चल रही अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 10

195. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में न्याय सस्ता दिलाए जाने के लिये तारीख पेशियां नहीं बदलती रहें और रेवेन्यू स्टाम्प्स में छूट दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 12

श्री शंकरलाल जाट (कपासन) : 196. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस

(श्री शंकरलाल जाट)

के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पुलिस विभाग द्वारा कार्य करने में ढिलाई व सरकार के अनुचित हस्तक्षेप पर चर्चा के लिये) ।

197. मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नोन–गजेटेड पुलिस कर्मचारियों को आवश्यक सुविधा नहीं देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 10

198. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्याय प्रशासन में ढिलाई व न्याय शीघ्र नहीं मिलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 11

श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : 199. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कारागारों में कैदियों के मानस में सुधार के लिये समुचित व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिए) ।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): 200. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कारागार में कैदियों के लिये उचित भोजन-व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये) ।

श्री शिवनाथसिंह (गुढा) : 201. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में जेलों में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

202. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनु Lock-up के लिये उचित भवन निर्माण पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 10

203. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों तथा हरिजनों के लिये सरकार की तरफ से अभिवक्ता नियुक्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

204. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सस्ता न्याय दिलाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 11

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा) : 205. मांग संख्या 11, मुख्य शीर्षक 22–कारागार के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिये जायें (अकलेरा जेल में कैदियों के भोजनादि के दुरुपयोग पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 10

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : 206. मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21–न्याय प्रशासन के अंतर्गत इस मांग को

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (सवाईमाधोपुर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर सिविल एण्ड सैशन्स न्यायालय न खोलने की सरकार की नीति का अननुमोदन) ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ) : अध्यक्ष महोदय, सदन के सम्मुख प्रस्तुत मांगों पर मैं मेरे कटौती प्रस्तावों के जरिये से अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं । मैं पुलिस और न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा ।

अध्यक्षजी, लोकतन्त्रीय व्यवस्था में शासन समाज की सुरक्षा, समाज को सुविधा और समाज को विकास के अवसर देने के लिये होता है । लेकिन इस मोटे आधार पर आज की व्यवस्था को आंकते हैं तो स्थिति यह नजर आती है, अध्यक्ष महोदय, आज पुलिस जहां समाज में शान्ति और व्यवस्था के लिये होती है, पुलिस समाज की सुरक्षा और शान्ति कायम करने की एक एजेन्सी होती है, पुलिस जहां शासन की विधि सम्मत अनुपालना का जरिया है वह आज की पुलिस इस दायित्व को पूरा करने में असमर्थ रह रही है । अध्यक्ष महोदय, आज की पुलिस जनता की सुरक्षा करने में, शान्ति और व्यवस्था कायम करने में सर्वथा असफल है । मैं कुछ आंकड़ों से यह प्रमाणित करूंगा कि किस प्रकार लगातार जुर्म बढ़ता जा रहा है लेकिन पुलिस की दक्षता, पुलिस की कारगुजारी और पुलिस की शान्ति और व्यवस्था की कार्य-प्रणाली गिरती जा रही है। अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह हो रही है । होना तो यह चाहिये था कि लोकतन्त्र के अन्दर पुलिस मर पूर्ण

(12.39 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

भरोसा होता, जनता की जान-माल की रक्षा के साथ-साथ शान्ति और व्यवस्था और इसके साथ-साथ जनता द्वारा पुलिस को सहयोगी और रक्षक समझने की बात होनी चाहिये थी लेकिन आज जनता में पुलिस के प्रति एक भय है, आतंक है, अविश्वास है और पुलिस के लिये जनता में आस्था हिली हुई है । जनता आज पुलिस को रक्षक नहीं मानती । पुलिस से भयभीत होती है ।

आज अपने जान और माल की रक्षा के लिए पुलिस के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने से जनता भयभीत होती है क्योंकि पुलिस पर जनता का विश्वास नहीं है कि वह उनके मामले में उनकी मदद करेगी, उनके साथ सहयोग करेगी, अपराधियों को पकड़ने में मदद करेगी और उनको सजा दिलाने में और उनको माल वापिस दिलाने में मदद करेगी । ऐसा भरोसा जनता का पुलिस पर नहीं रहा है । इसका परिणाम उपाध्यक्ष महोदय, आज यह है कि बहुत से जुर्म पुलिस में रिपोर्ट नहीं होते हैं । बीच की एक ऐसी एजेन्सी क्रियेट हो गई है, जो पुलिस और अपराधियों के बीच में दलाली का काम करती है और उनके बीच में आकर माल वापिस कराने में मदद करती है । इस तरह की स्थिति, उपाध्यक्ष महोदय, आज पुलिस ने पैदा कर दी है । उपाध्यक्ष महोदय, कानून और व्यवस्था बनाये रखने का काम पुलिस का है, जनता की जान और माल की रक्षा करने और उसकी सेवा करने के लिए हर वक्त हाजिर रहने वाली यह पुलिस आज अपने

(श्री दौलतराम सारण)
दायित्व निभाने में असमर्थ है। यह मैं कहना चाहता हूं और इसके प्रमाण स्वरूप, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 67-68 में सिर्फ 9 करोड़ रु० पुलिस पर खर्च होता था वहां आज 69-70 में 10 करोड़, 58 हजार 241 रुपयों का प्रावधान किया गया है। पुलिस का खर्चा बढ़ता जारहा है एवं पुलिस की कारगुजारी क्षीण होती जारही है। तत्परता, दक्षता और कुशलता उसमें गिरती जारही है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर यह तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं कि प्रशासनिक प्रगति कितनी भयावह है। 68-69 की प्रगति के आंकड़े राज्य सरकार ने हमारे सामने प्रस्तुत किये हैं। जिससे साफ जाहिर होता है कि राज्य में जुर्म बढ़ते जारहे हैं, इतना खर्चा होने के बाद, पुलिस का अमला बढ़ने के बाद, दूसरी तरह का खर्चा बढ़ने के बाद और उपाध्यक्ष महोदय, आफिसरों के पदों के बढ़ने के बाद, उनके लिए अतिरिक्त और विशिष्ट पद बनने के बाद, लगातार जुर्म बढ़ते जारहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जहां राजस्थान के अन्दर भारी संख्या में पुलिस है, वहां आज जुर्म की स्थिति यह बनती जारही है कि 1966 के अन्दर डाके 95 पड़े, लूट के केसेज 753 हुए, हत्याएं 531 और बलवे 2,495, हुए, गृह भेदी के केसेज 6,912 चोरियां मवेशी 1,719, साधारण चोरी के केस 7,657 और भारतीय दंड संहिता के अन्य अपराध 12,602 हुए हैं। कुल अपराधों की संख्या 32,962 बतायी गयी है। इसी प्रकार 1967 के अपराधों की संख्या 34,457 बतायी गयी है और 1968 के अन्दर ये अपराध और भी ज्यादा बढ़ गये हैं। सन् 66 में डाके 95 के मुकाबले में सन् 68 में ये 132 हो गये और लूट 893 हो गयी, कत्ल 531 के मुकाबले में 621 हो गयी। इस तरह कुल जुर्म 37,001 हो गये 32,962 के मुकाबले में। इस प्रकार जुर्म बढ़ता जारहा है। 73 प्र० श० जुर्म बढ़े हैं, अपराध बढ़े हैं। सन् 1968 में गत वर्ष की तुलना में अपराधों में 7.3 प्रतिशत और सन् 66 की तुलना में 12.2 प्रतिशत वृद्धि हुई है। यह राज्य में कानून की अनुपालना, एवं शांति की व्यवस्था की स्थिति है। उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह जानकर सन्तोष किया जा सकता है? लेकिन यह स्थिति यहीं तक नहीं है। हमारे यहां पुलिस की संख्या अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है। हमारे राजस्थान में एक दस हजार की जनसंख्या पर 15 पुलिस कर्मचारी हैं, मध्य प्रदेश में 13 आते हैं, उत्तर प्रदेश के अन्दर दस आते हैं, गुजरात में 15 आते हैं और महाराष्ट्र में 11 आते हैं। पुलिस की संख्या हमारी केवल एक गुजरात को छोड़कर सबसे अधिक है और इधर हमारे जुर्म की संख्या सिर्फ गुजरात को छोड़कर सबसे अधिक है। संख्या के हिसाब से हम देखते हैं कि दूसरों की तुलना में हमारे यहां पुलिस की कारगुजारी क्षीण है, संख्या अधिक है और खर्चा भी अधिक है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको थोड़ा सा पुलिस की कारगुजारी का नक्शा पेश करना चाहता हूं कि यहां चालान की क्या स्थिति है। इसका प्रतिशत निरंतर घटता जा रहा है। सन् 1963 में चालान पेश करने का प्रतिशत 62.3 था, वह 1966 में 61.5 प्रतिशत रह गया और 1968 में 61.01 ही रह गया। इस प्रकार चालान का प्रतिशत घटता जा रहा है। पुलिस पर इतना खर्चा बढ़ जाने के बाद भी यह स्थिति सन्तोषप्रद नहीं है। सन्

(श्री दौलतराम सारण)

1963 की अपेक्षा कम रह गया है और बाद में यह घटता ही गया है। इसी तरह बरामदगी के बारे में उपाध्यक्ष जी बताऊंगा। 1963 में यह 45.5 प्रतिशत थी, 1964 में 54.6, 1965 में 52.05, 1966 में 50.66, 1967 में 48.49 और 1968 में यह 49.43 रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बरामदगियों की पोजीशन भी खर्चे के अनुपात में, संख्या के अनुपात में गिरती जा रही है। यह स्थिति आज पुलिस प्रशासन की है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां यह बताना चाहूंगा कि पुलिस की यह भयावह स्थिति क्यों पैदा हुई है। प्रशासन के अन्दर सुरक्षा का दायित्व पूरा नहीं किया जा रहा है। इसके निश्चित कारण हैं। वह यह है कि पुलिस को स्वतन्त्र रूप से काम करने का अवसर दिया जाय। परन्तु उसके कार्य में बार-बार हस्तक्षेप किया जाता है। पुलिस अधिकारियों की पोस्टिंग्स, ट्रान्सफर, चयन यह सब राजनैतिक आधार पर किये जाते हैं, जिससे वहां बहुत बुरा भ्रष्टाचार है। आज बाजार की, आम-अवाम की चर्चाएं दिल दहला देने वाली हैं। पुलिस कर्मचारियों, अधिकारियों के सिलेक्शन के अन्दर बाकायदा पैसा लिया जाय, और थानों की नीलाम किया जाय, यह स्थिति तो आज पुलिस विभाग की है। किस प्रकार से इसमें पैसा लिया जाता है, यह राजस्थान सरकार के देखने की बात है। परन्तु आज आम लोग यह बताते हैं कि पुलिस के अन्दर बहुत बुरा भ्रष्टाचार है। किसी भी थानेदार को ले लीजिए उसको किसी थाने में अपॉइन्टमेंट किया जाता है, तो निश्चित रूप से उससे पैसा लिया जाकर अपाइन्टमेंट किया जाता है। पोस्टिंग्स में पैसा लिया जाता है, सिलेक्शन पैसा लेकर किया जाता है। इनके अन्दर पुलिस विभाग के इन लोगों से निश्चित रूप से पैसा की बटोरने चेष्टा की जाती है, तो ये अधिकारी भी जनता से पैसा बटोरेंगे। इसी प्रकार जब थानों का निरीक्षण होता है, मातहत थानेदारों का निरीक्षण के लिए जो अधिकारी जाता है, उसको पार्टियां दी जाती हैं और उसमें भारी खर्चा थानेदार को करना पड़ता है। थाने के निरीक्षण कर्ताओं को टी० ए०, डी० ए० सरकार देती है। फिर भी उनके लिए सुन्दर और थिरकने वाली पार्टियां की जाती हैं। इसका सारा खर्चा थानेदार को वहन करना पड़ता है जिसकी कि मामूली तनख्वाह होती है। इस प्रकार के अनावश्यक खर्चे का उसे भुगतान करना पड़ता है तो वह थानेदार निश्चित रूप से भ्रष्ट तरीके क्यों नहीं अपनायेगा। यह थानों की स्थिति है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि पुलिस की अकर्मण्यता, अकुशलता, निष्ठा में कमी होने के कई कारण हैं। मैंने जो बताया उसके अतिरिक्त यह है कि प्रशिक्षण का नियमित और सही तरीके से संचालन नहीं किया जाता है। रिटायरमेंट के समय लोगों को थानों से प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है और प्रशिक्षण होते-होते या उसके पहले ही उनका पीरियड समाप्त हो जाता है। ऐसे कई इन्स्टान्सेज पुलिस डिपार्टमेन्ट के हैं। यही नहीं, यह स्थिति भी है कि वहां जो अधिकारी ईमानदारी, एफीसियेन्सी से काम करते हैं, उनका इस विभाग में कोई स्थान नहीं है। इस विभाग में उनका सबसे ऊंचा स्थान है, जो दूसरी तरह की कारगुजारियां दिखा सकते हैं, चापलूसी करते हैं और पैसा बटोर सकते हैं, पैसे का इन्तजाम कर सकते हैं और दूसरी तरह के इन्तजाम कर सकते हैं, ऐसे लोगों का इस पुलिस डिपार्टमेंट में बोलबाला है।

(श्री दौलतराम सारण)

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस विभाग में पुलिस कर्मचारियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। एक कान्स्टेबिल को मैस अलान्स 11 रुपया लाइन में और थाने में 7 रुपया मासिक अलाउन्स दिया जाता है। इसमें अन्तर क्यों है, यह मैं गृह मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं। इसके अलावा वे यदि ड्यूटी पर कहीं जाते हैं और एक निश्चित समय के बाद बाहर रह जाते हैं तो यह अलाउन्स काट दिया जाता है। इसी तरह ऊंट सवार को आप 40) रुपया मासिक देते हैं। इससे तो उसको चारा ही नहीं पोसाता है। उसको केवल 40) रु० मासिक दिया जाता है। इसी प्रकार वर्दी का सवाल है। इनके बारे में पुलिस विभाग में कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जो पुलिस वेलफेयर फण्ड है, उपाध्यक्ष महोदय, इस वेलफेयर फंण्ड का हाल सुनकर आपको आश्चर्य होता है। इस फण्ड से बड़े अधिकारियों को फायदा पहुंचाया जाता है और जो इससे सहायता पाने के अपेक्षित हैं, उनको सहायता नहीं दी जाती है। सिर्फ सिपाही की एक लड़की को सहायता दी गई है जबकि सबसे ज्यादा कन्ट्रीब्यूशन इन छोटे कर्मचारियों का है। बाकी दूसरे बड़े अहलकारों का कम है। मध्यम श्रेणी के अहलकारों को ज्यादा फायदा इससे पहुंचाया गया है। यह दृष्टिकोण इस विभाग का है। इस विभाग के छोटे कर्मचारियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं हो रहा है। इस विभाग में ऐसी अनेक खामियां हैं। जनता को उचित न्याय दिलाने, कानून और व्यवस्था कायम करने के लिए यह एक एजेन्सी है, अगर उसमें एफिशियेन्सी, प्रामाणिकता, कुशलता न होगी तो फिर जो हमारा यह ढांचा है, लड़खड़ा जायेगा, व्यवस्था लड़खड़ा जायेगी और जो असामाजिक तत्व हैं, वे समाज पर हावी हो जायेंगे और जुर्म बढ़ेगा। यही स्थिति आज हो रही है जुर्म बढ़ रहे हैं। इसका कारण क्या बतलाते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है अधिक जनसंख्या होने के कारण अधिक जुर्म बढ़ रहे हैं, अकाल पड़ गया इस कारण जुर्म बढ़ रहे हैं। यह दलील सही नहीं है। सही दलील तो यह है कि पुलिस में कार्यकुशलता की कमी है। अकाल पड़ने से जुर्म नहीं बढ़ते क्योंकि भूखा आदमी जुर्म की तरफ कदम नहीं रखता। आज तो जुर्म करने की एक तकनीक बन गई है। लेकिन जुर्म को पकड़ने का पुराना ही तरीका बना हुआ है। इन्वेस्टीगेशन के जो तरीके अपनाये हुए हैं वे पुराने हैं। नये वैज्ञानिक तरीके खोजने चाहिएं। नये प्रयत्नों के लिए बजट में कुछ प्रावधान रखा गया है जो नाकाफी है। इसलिए जो इन्वेस्टीगेशन के तरीके हैं उसके कारण जुर्म पकड़ नहीं पाते, हमारी बरामदगी का परसेन्टेज बहुत पुअर है। दूसरे प्रान्तों से भी हमारे यहां की स्थिति खराब है। आप यह कहेंगे कि हमारे यहां से तो दूसरे प्रान्तों की स्थिति खराब है हम किसी प्रान्त से कम्पेरिजन नहीं चाहते। जनता यह चाहती है उनके जान और माल की सुरक्षा होनी चाहिए और कानून की अवहेलना करने वालों को ठीक किया जाना चाहिए।

जुर्म बढ़ने और उसको नहीं होने देने के लिए, बरामदगी के लिये मुलजिम नामजद करने में कई दिक्कतें और भी हैं। एक तो इसमें दिक्कत यह है कि पुलिस की आपकी अलग-अलग ब्रान्चेज हैं जिनको आपने मिला रखा है। सी० आई० डी० ब्रान्च, सिविल पुलिस, आर्म्ड पुलिस, एन्टी-करप्शन ये सब शाखायें ऐसी हैं कि इसमें एक दूस

(श्री दौलतराम सारण)

अधिकारी का तबादला हो सकता है। इससे क्या होता है मान लीजिये एक आदमी सिविल पुलिस में एक अधिकारी के नीचे है और उसके बाद वह कर्मचारी एन्टी करप्शन में चला जाता है तो वह कर्मचारी उस अधिकारी के खिलाफ कोई मामले की जांच नहीं कर सकता क्योंकि वह सोचता है आज तो इस विभाग में हूं कल वापिस उसी के नीचे जाना होगा। इसी प्रकार कोई सी० आई० डी० का आदमी सी० आई० डी० के अधिकारी के खिलाफ जांच नहीं कर सकता। उसके खिलाफ तथ्य मालूम करना चाहें तो गुप्तचर विभाग अपने तरीके से मालूम नहीं कर सकता क्योंकि वह उस अधिकारी के नीचे काम करने वाला है इसलिए सही तरीके से काम नहीं कर सकता। इसलिए इनके लिये अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए और एक विभाग के अधिकारी को दूसरे में तबादला भी नहीं करना चाहिए। जब तक अलग व्यवस्था नहीं होगी तो जुर्म को भी ठीक प्रकार से लाकेट नहीं कर पाते। थाने का इन्चार्ज जो होता है वह अपराधियों को नामजद नहीं कर सकता और इसके लिये कार्यवाही भी ठीक प्रकार से नहीं की जाती है। मुल्जिम नामजद करके केवल कानून की तकमील कर देते हैं। उसके खिलाफ सबूत आदि पेश करने में कामयाब नहीं हो पाते। आज इसका कारण यह है कि सुपरवाइजरी स्टाफ सही काम नहीं करता इसी कारण पुलिस में एफीसियेन्सी नहीं आ सकती। अगर पुलिस में ईमानदारी, प्रामाणिकता और कुशलता चाहते हैं तो इस तरह से यह आने वाली नहीं है। बहुत से एस० पी० तो ऐसे हैं कि जिनको पुलिस की कारगुजारियों का पता तक नहीं वे केवल थानेदार पर निर्भर रहते हैं। जिस तरह से थानेदार गाइड करता है उसी तरह से वे प्रोसीड होते हैं। अनुभवहीन होने के कारण मातहतों पर उनका नियन्त्रण नहीं रहता यही इनकी अकुशलता का सबसे बड़ा कारण है। इस प्रकार मैं देखता हूं अगर आप पुलिस को ठीक बनाना चाहते हैं; प्रामाणिक बनाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए दो तीन काम अवश्य करने चाहिए।

एक तो यह कि विभिन्न शाखाओं में एक दूसरे का ट्रान्सफर नहीं होना चाहिए हरेक के लिए सेपरेट अधिकारी होने चाहिये ताकि वे अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा सकें।

दूसरा पैरोकारी शाखा पुलिस को अपने पास नहीं रखनी चाहिए इसको विधि विभाग के सुपुर्द कर देना चाहिए या जुडिशियरी का सुपुर्द कर देना चाहिए। पुलिस के साथ इसको रखने का मतलब न्याय के अन्दर हस्तक्षेप करना है। इस कारण वे पूरी तरह से केस नहीं लड़ पाते। क्योंकि पुलिस और पैरोकार एक होते हैं ठीक प्रकार से पैरवी नहीं होती इसलिए विधि विभाग से डायरेक्ट नियन्त्रण होना चाहिए इस पैरोकारी शाखा का। या इसको जुडिशियरी के अन्तर्गत कर देना चाहिए अगर आप इसको सक्षम बनाना चाहते हैं तो।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा आपकी जीपें परिवार नियोजन के कार्य के लिए अलग अलग दौड़ रही हैं प्रति वर्ग मील में 6 मनुष्यों की आबादी वाले क्षेत्र में इनकी जीपें दौड़ रही हैं। बेकार योजनाओं में इस तरह से दौड़ाने से कोई फायदा नहीं है, इससे तो यह अच्छा हो कि पुलिस वालों को ये जीपें दे दें और उन स्थानों

(श्री दौलतराम सारण)

का क्षेत्र बढ़ा दें । इससे अपराधी पकड़ने में सहूलियत हो सकेगी । इसका नतीजा यह होगा कि जो पुलिस की जीपें भागती हैं पैट्राल का सारा खर्चा फरियादी से वसूल करते हैं, यह नहीं होगा । इसके अलावा स्टेशन्स पर रिपोर्ट करने वाले जो आते हैं उनसे कागज और पेन्सिल तक मांगी जाती है । इस तरह से एफीसियेन्सी किस तरह से बढ सकती है । अगर भ्रष्टाचार को मिटाना है और पुलिस में कार्य कुशलता लानी है तो इसमें बहुत बड़े परिवर्तन करने होंगे ।

आज की पुलिस इस लोकतन्त्र के समय में नहीं चल सकती । लोकतन्त्र में पुलिस का व्यवहार जनता के साथ किस प्रकार होना चाहिए यह आज की पुलिस में नहीं है । पुलिस अपने को जनता का सेवक समझे, रक्षक समझे । जनता के दिल में यदि सही माने में यह आजाय कि पुलिस हमारी सेवक है, रक्षक है तो पुलिस सक्षम हो सकती है और वह पुलिस कारगर भी हो सकती है ।

आज पुलिस को लोग यमदूत समझते हैं । जनता में पुलिस के बारे में सही धारणा नहीं है इसलिए विश्वास नहीं होता । तब तक बरामदगी करने में, अपराध रोकने में पुलिस कामयाब नहीं हो सकेगी । सबसे पहले यह आवश्यक है कि पुलिस का व्यवहार जनता के साथ जंगली व्यवहार सा नहीं होना चाहिए । नागरिकों के साथ पशुओं का सा व्यवहार नहीं होना चाहिए । आज हालत यह है कि जिस प्रकार का व्यवहार पुलिस वाले आम जनता के साथ करते हैं वह जंगली तरीके का व्यवहार होता है जिसको जनता पसन्द नहीं करती । और जो पुलिस असामाजिक तत्वों से मिली रहती है उसके कारण उनको बदमाशी करने की छूट रहती है । यहां तक होता है कि पुलिस के अधिकारी यहां तक कह देते हैं कि मेरे थाने में गड़बड़ी मत करना, दूसरी जगह चाहे कुछ भी करके आजाना । वे अपने यहां इस तरह के मुल्जिम को पनाह दे देते हैं इस वजह से जुर्म बढ़ते हैं ।

न्यायालय में जब पुलिस किसी केस को ले जाती है तो उसमें क्या होता है अपराधी से पैसा लेकर वे केस को कमजोर कर देते हैं यही हालत होने की वजह से कोई भी केस में बराबर न्याय नहीं मिल पाता । इसी तरह के एक मामले को जो भरतपुर का है उसको मैंने सदन में रखा था । उसमें जितना ध्यान देना चाहिए था, नहीं दिया गया । बहुत सी दफा हम देखते हैं कि न्यायालयों के न्यायाधीशों तक का यह मानना है कि पुलिस मुकदमे फेल कराती है । लोगों से पैसा ले लिया जाता है और गलत लोगों को फंसाकर उनसे पैसा लेकर मुल्जिम को छोड़ दिया जाता है और गलत आदमियों को फंसा लेते हैं । किसी मामले में लोकल पुलिस जहां ठीक इन्वेस्टीगेशन करती है उसी को वहां सी० आई० डी० द्वारा उसकी इन्क्वायरी करा के उसको निर्दोष करार दे दिया जाता है । इसी प्रकार का एक केस मेरे क्षेत्र का है जिसमें एक मुल्जिम नामजद किया जाता है । तब उसकी इन्क्वायरी सी० आई० डी० से कराकर उसको उस मामले से निकाल दिया गया । किस प्रकार मजिस्ट्रेट को बदलवाकर उसको रफा-दफा करवा देते हैं यह मामला पिछली दफा मैंने रखा था । इस तरह के अनेक उदाहरण हैं पुलिस के काम में हस्तक्षेप करके राजनैतिक तरीके से कारगुजारी ठीक प्रकार से नहीं करने देते हैं । उसको दबा दिया जाता है ।

(श्री दौलतराम सारण)

अब मैं कुछ पुलिस के मामले, जिनके संबंध में मैंने शिकायत की है, पेश करना चाहता हूं ।

एक लावा पुलिस चौकी का मामला है। 13-11-68 का मामला है । इसमें लिखा है पुलिस के रोजनामचे में नम्बर 163 पर 11 ए० एम० । श्री चांदबिहारीलाल व्यास, जिला प्रमुख टोंक जरिये जीप आर०जे०एफ० 462 पधारे और कागजात बाबत जमीन खसरा नम्बर 2561 रामसागर की हालत पूछी । अर्ज किया तो फरमाया कि अगर राजाजी का साथ दिया तो नुकसान उठाओगे। सेवक ने अर्ज किया कि सेवक तो शान्ति भंग नहीं होने देगा । जमीन कोई भी पावे । राजा साहब या किसान । और बहुतसी बातें नाकाबिले जिक्र के फरमाईं । रिपोर्ट दर्ज है । एस० डी० खुशीराम । यह एक नमूना है राजनैतिक हस्तक्षेप का । इस रोजनामचे में और भी उनके आने का दो-तीन जगह जिक्र है ।

इसके अलावा कारगुजारी समय पर नहीं होती । इसके भी उदाहरण बताता हूं । सूरतगढ़ के थाने की बात है । नम्बर 45 पर ता० 25-4-63 को रिपोर्ट नम्बर 409 दर्ज हुई, 54 पर 25-4-63 को 409 की रिपोर्ट दर्ज हुई । 64 पर 26-4-63 को दर्ज दफा 409 में हुई । 38 पर 1-5-63 को दफा 402/420/680 में दर्ज हुई । इन मुकद्दमों का कोई भी चालान नहीं किया गया । इसलिये कि इनमें राज्य सरकार के मिनिस्टर दिलचस्पी ले रहे थे, इनमें उनके आदमी फंसे हुए थे । पार्टी के आदमी इन्वोल्व्ड थे । मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह की हरकतें होंगी अगर कानून और न्याय में इस तरह की व्यवस्था में हस्तक्षेप किया जावेगा तो फिर आपका यह लॉ और ऑर्डर नहीं रह सकता ।

यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको और भी कहना चाहता हूं । ये शिकायतें की जाती हैं पर कोई जांच नहीं की जाती । मैं बताना चाहता हूं ग्राम आवर थाना डग के अन्दर जिला झालावाड़ में एक श्री भूरालालजी सरपंच के खिलाफ बन्दूक की चोरी का एक नाजायज झूंठा मामला दर्ज किया गया । तलाशी ली गई । बन्दूक बरामद नहीं हुई । इसके बाद भी इसलिए कि वे कांग्रेस के विरुद्ध हैं, डिप्टी मिनिस्टर के खिलाफ हैं, भारतीय क्रान्ति दल के सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनको परेशान किया जाता है राजनैतिक द्वेषवश । उनको बारबार जलील किया जाता है । यह स्थिति इस मामले में है ।

इसके अलावा एक थानेदार है असनावर का । लिखित में वहां के सरपंच ने शिकायत की मिनिस्टर को एस०पी०, आई०जी०, को सबको । पर उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई । जांच भी कुछ नहीं कराई गई । यह स्थिति आज है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी का पूरा समय है । और कर्मचारियों के प्रति इस विभाग का दृष्टिकोण क्या है । यह भी थोड़ा मैं बता देना चाहता हूं । सरदारा रामजी एक सर्किल इन्सपेक्टर थे । 16-8-66 को इस विभाग से उनको कम्पलसरी रिटायरमट दिया गया । केस लम्बा है । समय थोड़ा है । ज्यादा डिटेल मैं नहीं बता सकूंगा । पर सुनकर आश्चर्य होगा कि इतने अरसे के बाद

Page No 81

(श्री दौलतराम सारण)

भी न उनके ड्यूज उनको दिये गये हैं, जो फिक्सेशन से पहले का बाकी है, ग्रेच्युटी भी नहीं दी गई है अभी तक और तनखा के भी हजारों रुपये बकाया पड़े हैं और पेन्शन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता जल्दी देने का। ये लोग अभी तक फैसला नहीं कर पाये। ऐसा आप क्यों करते हैं? क्यों जलील करते हैं लोगों को इस तरह।

यही नहीं, मैं एक और मजेदार किस्सा बताना चाहता हूं। लाडनूं के एक डाक्टर बी०वी० व्यास ने वहां के थानेदार को 4-8-67 को लेटर लिखा कि एक औरत को डुबाकर मारे जाने की जांच की जाय। पर इस मामले में भी कोई मुनासिब कार्यवाही नहीं की गई। उस थानेदार को लिखा गया पत्र मैं सदन की मेज पर आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूं।

इसी तरह के और भी केस हैं। पर समयाभाव के कारण उन सबको रखने में इस समय असमर्थ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जुडिसियरी के संबंध में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आपने राज की नीति बनाई कि सब विभागों में हिन्दी में काम होगा। पर मैं जानना चाहता हूं कि आपके न्यायालयों में नीचे के और ऊपर के सभी में आज भी हिन्दी को कोई स्थान नहीं है। अधिकांश काम आज भी वहां अंग्रेजी में होता है। जिनका सीधा संबंध साधारण जनता को न्याय देने से है उनमें भी अंग्रेजी प्रयोग की जाती है। क्यों नहीं सख्ती से हिन्दी लागू करते। जिससे कि आम आदमी अच्छी तरह यह समझ सके कि न्याय की प्रक्रिया और व्यवस्था क्या है।

साथ ही यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि स्थिति यहां तक हो गई है कि न्यायालय की हालत भी गम्भीर है। न्याय में यहां विलम्ब होता है। न्याय मंहगा है। साधारण आदमी की क्षमता से बाहर है। आज न्याय दिया नहीं जाता, लिया जाता है। लेने वाले की क्षमता पर वह निर्भर करता है कि वह लेने की स्थिति में है या नहीं। आज वह अच्छा वकील कर सकता है या नहीं और और भी तरह की क्षमता है तो वह न्याय प्राप्त कर सकता है। साधनहीन आदमी गरीब आदमी आज की न्याय प्रणाली में न्याय प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस सारी प्रक्रिया में जनता को न्याय देने का प्रबन्ध करना चाहिए।

न्यायालयों की हालत आज यह है कि हजारों मुकद्दमें पैंडिंग में हैं। हाई कोर्ट से लेकर छोटे छोटे कोर्टों तक। वर्षों तक फैसले नहीं हो पाते। पेशियां पड़ती रहती हैं। इसके लिए भी आपको अतिरिक्त व्यवस्था करनी चाहिए। न्याय में विलम्ब न्याय के उद्देश्य को ही गौण बना देता है। न्याय सस्ता मिले, और शीघ्र मिले यह आपको व्यवस्था करनी चाहिए ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो न्याय नहीं होगा वह।

आज का न्याय तो केवल कानून की खानापूर्ति मात्र है। आज का न्याय केवल निर्णय है। और यह निर्णय भी समय पर नहीं दिला सकते हैं तो इसे न्याय भी कहना बेकार होगा। इसलिए मेरी आपसे अर्ज है कि आप इस मामले में सोचें और कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि साधनहीन गरीब से गरीब आदमी भी न्याय प्राप्त कर सके। उसको न्याय दिया जा सके।

(श्री दौलतराम सारण)

मुंसिफ कोर्टों का यह हाल है कि जुडिशियरी के सैपरेशन के बाद आपने उनमें आर० जे० एस० की जगह आर० ए० एस० के आदमियों को भी नियुक्त किया है। आर० जे० एस० ही नियुक्त किये जाने चाहिएं। आर० ए० एस० नहीं। यह मेरा आपसे निवेदन है। क्योंकि न्याय सेवाएं और प्रशासनिक सेवाएं अलग-अलग होनी चाहिए। उनको आपस में मिलाना किसी तरह युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकेगा।

प्रोसीक्यूशन ब्रान्च के बारे में मैंने पहले ही निवेदन कर दिया। इस मामले में खासतौर से ध्यान देना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अलावा यह भी निवेदन कर दूं कि आज तो न्यायालयों की यह हालत है कि वहां पर पूरी स्टेशनरी और कागज भी नहीं मिलते। लोगों से मांगते रहते हैं। और फिर वहां भी भ्रष्टाचार व्याप्त है उपाध्यक्ष महोदय। आज कोई भी नकल नहीं ले सकता वकील बिना रिश्वत खिलाये। जितने वकील सदस्य हैं सदन के, वे यह जानते हैं कि पैसा लिया जाता है। वह तो फीस उनकी पकी पकाई है। किसी को दो रुपया तो किसी को तीन और किसी को पांच। यह सब बन्धा-बन्धाया मामला है। किसी को बुरा भी नहीं लगता अब तो यह। सब एक तरीके से देते हैं। क्या आप इसको रोक नहीं सकते ? न्यायालयों में यह स्थिति होगी तो दूसरी जगहों का क्या हाल होगा ? न्याय के प्रति लोगों की निष्ठा होनी चाहिए। आस्था जमनी चाहिए विश्वास और भरोसा होना चाहिए। अगर यह नहीं होता है तो न्याय न्याय नहीं होगा और कुछ हो जायगा।

अदालतों के समय के बारे में पहले भी चर्चा हुई। दूसरे कोर्ट हैं मजिस्ट्रेट कोर्टस् हैं उनके और इन न्यायालयों के समय में फर्क है। उसे मिटाकर एक समय करने की चेष्टा करें ताकि अभिभाषकों और दूसरों को फायदा हो सके।

(1 म० प०)

जनता के लोगों को फायदा हो सके। इनमें फर्क है, अड़चन है, भेद है वह अच्छा नहीं है। उसमें काम की व्यवस्था में अड़चन आती है। यह मेरा निवेदन है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में यह कहना चाहता हूं आप इन दोनों मदों में जो प्रावधान रखा है, बराबर उनमें खर्च बढ़ता गया है लेकिन दोनों जगह पर जनता की भावना और जनता की आकांक्षा पूरी नहीं हो रही है इसलिए जनता को विश्वास में लीजिए। न्याय के प्रति विश्वास पैदा हो और पुलिस प्रशासन में जनता का विश्वास हो—ऐसे प्रयास कीजिये, अगर ऐसा विश्वास पैदा कर सकें तो लोकतन्त्र मजबूत होगा; प्रशासन में अच्छी भावना होगी। यह नहीं होगा तो जनता के सुख के बिना सुरक्षा कामयाब नहीं होगी और लोकतन्त्र डिगमिगा जायगा इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सालोदिया !

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग पर, न्याय विभाग पर जो आज कटौती के प्रस्ताव हैं आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं पुलिस

(श्री जयनारायण सालोदिया)

का विभाग बहुत ही जरूरी विभाग है और उनकी जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है लेकिन हम शनैः शनैः देखते हैं पुलिस अपनी जिम्मेदारी से परे होती जा रही है और धीरे-धीरे पुलिस का विभाग जनता की सेवा करने की भावना से दूर होकर जनता पर प्रशासन चाहे लाठी से, चाहे गोली से और चाहे अश्रु गैस से जनता को परेशान करके इस राज्य में पुलिस का राज्य कायम रहे—इस तरह की जो भावना पुलिस में जागृत हो रही है वह प्रजातन्त्र के लिए, देश के लिए और स्वयं पुलिस के लिए शोचनीय है, चिन्तनीय है और लज्जा का विषय है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ देर पहले टोंक डिस्ट्रिक्ट के संबंध में यहां कुछ बातें उठाई गई थीं। मैं वहां का रहने वाला हूं। जहां तक मेरी जानकारी है टोंक डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा बदकिस्मत डिस्ट्रिक्ट है जहां से हमारे गृह मंत्री जी आते हैं, वे राजस्थान का गृह मंत्रित्व करते हैं। जितना पुलिस का अत्याचार टोंक में होता है उतना कहीं नहीं होता है। इसका आपको सहज ही अन्दाज हो जायगा। हमारे गृह मंत्रीजी पुलिस के द्वारा जनता को दबाकर अपना असर कायम रखना चाहते हैं, अपनी इज्जत कायम रखना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी पुलिस द्वारा बनी है। यह उन आंकड़ों से पता लगेगा जिसमें टोंक डिस्ट्रिक्ट के गृह मंत्री गृह विभाग को संभालते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कटवाड़े ग्राम का प्रश्न है यह तो सरकार भी साबित नहीं कर सकी उस गांव में मृत्यु भोज था, कोई भी आयोजन हो सकता है ऐसी बात है लेकिन वहां इतनी लार्ज स्केल पर 125 आदमियों की गिरफ्तारी की है, 10 दिन उनको वहां रखा है। मैं कह सकता हूं, जहां तक मेरी जानकारी है उनको जलील किया गया, यह खराब बात है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा केस है टोंक डिस्ट्रिक्ट में खिराना में चोरी हुई—8 हजार की चोरी दिन-दहाड़े हुई। उन्होंने उसी दिन रिपोर्ट दर्ज करा दी और रिपोर्ट दर्ज हो जाने पर कुछ लोग गिरफ्तार किये गये लेकिन गिरफ्तार होने पर, मुझे जहां तक जानकारी मिली है ऊपर से उनके पास सूचना आई, उनको छोड़ दिया गया। थोड़े से समय में चोरी हो गई। औरत रोटी देने खेत में गई और पीछे से चोरी होने में देर नहीं लगी। दिन-दहाड़े चोरी हो गई। यह भी नहीं हो सकता कि पुलिस की जानकारी में नहीं हो। उसके बावजूद गिरफ्तार किया गया और छोड़ दिया गया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से पुलिस का एक और केस मैं निवेदन करना चाहता हूं। सांगानेर थाने में हमारे यहां के टोंक के एम० पी० हैं श्री जमनलालजी ने वहां के इन्चार्ज के खिलाफ राज्य सरकार को लिखा। वह क्या मामला था—लम्बी बहस में नहीं जाना चाहता हूं। वे देवपुरा साहब से मिले। उन्होंने यह आदेश दिया कि इसका ट्रान्सफर करके जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं देवपुरा साहब से इसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ। उनके खिलाफ आज तक भी कुछ नहीं कर सके बावजूद आपके आदेश के। आप पुलिस को प्रबल बनाकर जनता को दबाना चाहते हैं, यह आपकी भावना का प्रतीक है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरी कतई इच्छा नहीं है कि किसी पर व्यक्तिगत तौर पर आक्षेप करूं लेकिन एक केस कटवाड़े

(श्री जयनारायण सालोदिया)

का है जिसको नाहक में तूल दिया गया। दूसरा केस जिसमें किशनलाल पटेल की मां का नुकता हुआ। मैं यह जानना चाहता हूं क्या इसमें गृह मंत्रीजी को जानकारी नहीं हुई। 8 हजार आदमी जीम गये और जीम ही नहीं गये लेकिन उनमें काम करने वाले, परोसगारी करने वाले थे वह सब पुलिस के थे, तहसील के थे। एक तरफ आप इस तरह की बात करें उसको दर गुजर करें क्योंकि वे आपकी पार्टी के हैं। दूसरी तरफ नाहक में आप इस तरह की बात करें। टोंक डिस्ट्रिक्ट में जहां गृह मंत्रीजी हैं—इस तरह की बात हो यह विचारणीय बात है, इसके लिये आपको सोचना चाहिये।

एक ग्राम पंचायत नगर का केस है। नगर के सरपंच श्री रतन लालजी जैन हैं। उन्होंने झूंठी पुलिस फोर्स कायम की और कायम करके किसी की खेती को हटाने के लिये तीन हजार रुपये ले लिये और झूंठी पुलिस फोर्स लेजा कर बेदखल किया गया, गांव में आतंक फैलाया। उन लोगों के पास झूंठी फोर्स थी। उनको आपने गिरफ्तार किया लेकिन रतन लालजी को नहीं किया, यह मेरी समझ में नहीं आता।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी सिलसिले में मैं एक-दो बात और निवेदन करना चाहता हूं। आपने अपनी पुलिस विभाग की रिपोर्ट दी उसमें मंजूर किया है गत साल से इस साल 7 प्रतिशत मामले ज्यादा बढ़े हैं। एक तरफ हमारा पुलिस पर खर्चा बढ़े, हम वैज्ञानिक तरीके अपनायें उसके बाद हर साल जुर्मों के आंकड़े बढ़ते जायं। यह पुलिस के लिये अच्छी बात नहीं है। आपने बताया है अकाल पड़ा है, बेरोजगारी है ये दो बातें कहीं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं आपके पास इस तरह के आंकड़े हैं गत साल के मुकाबले कितने जुर्मों में वृद्धि हुई है जो आपने यह आधार बनाया है। मेरी जहां तक जानकारी है यह पुलिस की लापरवाही और अयोग्यता के कारण ही हुये हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो पुलिस की भावना है वह तो मेरे पूर्व वक्ता श्री सारण साहब ने बताई, पुलिस की भावना हमेशा इस ओर रहती है कि किस तरह से किस भले आदमी को फंसाया जाय, किस तरह की बात की जाय-इस तरह की पुलिस की भावना रहती है। मैं यह कहता हूं जो असामाजिक तत्व हैं उनसे पुलिस मिली हुई है और उनके मार्ग दर्शन में यह बात करते हैं। उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है और झूंठे आदमियों के मुकदमें बनाने में तल्लीन रहती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके साथ साथ एक बात निवेदन कर देना चाहता हूं जो कि मैंने पहले भी कई बार निवेदन की है। हमारे यहां पुलिस विभाग में जो सिपाही स्तर के आदमी हैं उनका वेतन वाकई कम है। उनकी ड्यूटीज हार्ड हैं और वेतन बहुत कम है। यह सिलसिला चलता है थानेदार केडर तक। अगर पुलिस की हमें ज्यादा सेवायें लेनी हैं और पुलिस में संतोष रखना है और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कदम बढाना है तो हमें पुलिस के जो छोटे कर्मचारी हैं उनकी वेतन वृद्धि की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारे सिपाहियों को बहुत थोड़ा वेतन मिलता है और उनको बहुत हार्ड ड्यूटीज देनी पड़ती हैं और थानेदार की भी यही हालत है। उनका भी वेतन कम है और उनको भी ड्यूटीज हार्ड देनी पड़ती हैं और उनका जनता की रक्षा और सारे कानूनों का पालन कराना

(श्री जयनारायण सालोदिया)

मात्र काम है जिनको हम नार्मल तनख्वाह देते हैं। इसके अलावा जो ऊंचे आफिसर्स हैं वह दफ्तरों में बैठते हैं और आप उनको बड़ी-बड़ी तनख्वाहें देते हैं लेकिन उनके पास सिवाय पालिसी मैटर्स के और कोई काम नहीं है। जो लोग हमारे इस स्थिति में हैं उनको आपको गारन्टी देनी पड़ेगी कि हम भी उनके लिए चिन्तित हैं और उनके लिए ज्यादा तनख्वाह करना चाहते हैं उनकी ड्यूटीज के माफिक उनको पे करना चाहते हैं। यह विचारधारा आप को अपनानी पड़ेगी तभी पुलिस में कुछ सुधार हो सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ मैं जेल के संबंध में भी निवेदन कर देना चाहता हूं। जहां तक जेलों का प्रश्न है मैं यह सोचता हूं कि हर जेल के अन्दर एक सलाहकार समिति का गठन किया जाये जो कि जेल की हर सुविधायें, सुख आदि का निरीक्षण करे जेलों का और समय-समय पर सुझाव दें जिससे गवर्नमेंट गाइडेड हो। इस प्रकार की व्यवस्था कुछ जेलों में कर रखी है लेकिन हर बड़ी जेल में जिसमें 50 से ज्यादा मुलजिम हों इस तरह की सब-कमेटी का निर्माण करें और समय-समय पर उसकी रिकमन्डेशन्स के अनुसार सुधार किया जाये ताकि उसमें जो कैदी हों वह अच्छे नागरिक बनकर हमारे सामने आ सकें और दुबारा जुर्म करने के लिए प्रोत्साहित न हों।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ-साथ मैं संक्षिप्त में न्याय प्रशासन के संबंध में एक बात निवेदन कर देना चाहता हूं। न्याय प्रशासन जितना मंहगा, जितना कठिन, जितना असम्भव होता जा रहा है यह हमारे जैसे गरीब प्रान्त के गरीब लोगों के लिए एक शोचनीय विषय बना हुआ है। आज आप देखते हैं कि हमारे यहां न्याय पंचायतों में भी भ्रष्टाचार का बोलबाला है जिससे साधारण स्थिति का गरीब किसान, गरीब आदमी वाजिब न्याय, सच्चा न्याय, सस्ता न्याय लेने में असमर्थ है इसके लिए भी सरकार को विचार करना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं वह है जयपुर में हाई कोर्ट की बैंच के बारे में। इसके लिए मेरा कटमोशन भी है। मैं इसको इसलिए जरूरी समझता हूं कि जो जोधपुर में हाई कोर्ट है वह राजस्थान के मध्य में नहीं होकर एक कोने में है और इसके कारण वह सारी जनता के लिए और साधारण स्थिति के आदमियों के लिए जोधपुर में जाकर अच्छा वकील करना—क्योंकि आप देखते हैं कि सिवाय आजकल अदालतों में पेशी बदलने के कुछ नहीं होता है। एक आदमी जो जोधपुर आयेगा-जायेगा और वकील करेगा इसमें उसका कितना खर्चा पड़ेगा। मुझे जोधपुर से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं चाहता हूं कि जोधपुर में हाई कोर्ट रहे लेकिन उसकी एक बैंच जयपुर में भी स्थापित हो और इस क्षेत्र के लोगों को सस्ता, सुलभ न्याय मिल जाये इसमें राजस्थान सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है? क्योंकि यह दुख की बात है कि राज्य सरकार जनता से हर संबंधित मामले को भी पार्टीबाजी की दृष्टि से देखती है कि यह मांग विरोधी दल की तरफ से हुई है इसलिए वाजिब मांग होते हुए भी जयपुर के साथ इस तरह की बात है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री जयनारायण सालोदिया)

नहीं तो कोई कारण नहीं है। आप इसके लिए जयपुर में कुछ हजार रुपयों का प्रावधान कर दें, उससे लाखों आदमियों को सस्ता, सच्चा न्याय मिले तो राज्य सरकार क्यों अड़ी हुई है कि हम जयपुर में बैंच नहीं लायेंगे। इसकी कोई वजह नहीं है जब कि हर बजट में नये नये आफिसर्स और नये नये दफ्तर और नयी-नयी परम्परायें कायम करके लाखों रुपया खर्च करते हैं तो यह भी पुरानी परम्परा थी, यह राजधानी भी है और आने जाने के संबंध में सारी बातों को देखते हुए हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में होना मैं अत्यन्त आवश्यक समझता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रघुनाथ विश्नोई !

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पुलिस की डिमाण्ड संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23 पर 8 कटौती प्रस्ताव हैं और उनको मैं एक साथ ही प्रस्तुत करता हूं।

राजस्थान के राज्य का जो रेल्वे पुलिस विभाग है उसके बारे में हम रेलों में यात्रा करते हैं तो हमारा अनुभव है और लोगों में जो अविश्वास है कि जो लोअर स्तर का स्टाफ ट्रेन में ट्रेवल करता है पुलिस का उनके द्वारा जनता की जान और माल सेफ नहीं है। कई ऐसे केसेज हमारी नजर में आये हैं कि जिनके द्वारा अगर कोई पैसेंजर किसी भूल के कारण कोई सामान भूल कर चला जाये तो वह गायब कर दिया जाता है और वह भी पुलिस की मिलावट से। दूसरे इसके बारे में जो आज रेल्वे की टिकट की आमदनी है—जो वैस्टर्न रेल्वे की लाइन है उसमें हमारा पर्सनल अनुभव है कि पुलिस वाले मिलकर बहुत से टिकटलैस ट्रेवलर्स को प्रोत्साहन देते हैं। इसके बारे में मैं राज्य सरकार का ध्यान आपके जरिये आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान की रेल्वे पुलिस के जो नीचे के स्तर के हैड कान्सेटेबल और कान्सटेबल हैं जो ट्रेन में सफर करते हैं उनके बारे में राज्य सरकार सख्ती बरते जिससे कि जो जनता के अन्दर विश्वास हट गया है वह विश्वास बढ़े। इसके लिए राज्य सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्षजी, दूसरा जो मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा है वह सांचोर और सरवाना के पुलिस स्टेशन के लिए है। उनमें जीप की व्यवस्था करने के लिए मैंने लिखा है। यह दोनों पुलिस स्टेशन्स ऐसे हैं कि जिनके अन्दर जुर्मों की संख्या बढ़ी है और सांचोर थाना 'ए' क्लास का थाना है और सरवाना का थाना ऐसा थाना है कि जहां गुजरात, बाड़मेर और पाकिस्तान की बोर्डर लगती है। वहां कैटल लिफ्टिंग के केसेज बहुत होते हैं और दूसरे पाकिस्तान के बोर्डर के नजदीक होने से ऐसे केसेज होते हैं कि जिनको रोकने के लिए एक बड़ा एरिया होते हुए और पुलिस का थोड़ा स्टाफ होने के फलस्वरूप वहां के जुर्मों को पुलिस नहीं रोक पाती है और पूर्ण व्यवस्था के अभाव में जिस सतर्कता से काम कर सकती है वह करने में असमर्थ है। हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात में हर थाने में जीप है और वहां पर स्टाफ भी ज्यादा है इसलिए, माननीय उपाध्यक्षजी, हमारे थानों में जो स्टाफ का पुराना पैटर्न है उसको चेन्ज करने की आवश्यकता है। जहां जुर्म ज्यादा हैं और नये-नये तरह के जुर्म हैं और ज्यादा जुर्म होने की वजह से पुलिस वालों को जो मुस्तगीस हैं उनसे जीप की डिमाण्ड

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

करनी होती है। इसलिए राज्य सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि लॉ एण्ड आर्डर की समस्याओं को जहां हर तरह के केसेज ज्यादा होते हैं, जहां जान और माल का खतरा ज्यादा होता है ऐसे इलाकों के अन्दर राज्य सरकार को जीपों का प्रावधान थानों पर करना चाहिए ताकि वहां के लोगों को जल्दी से न्याय मिल सके और प्रापर्टी जो जाती है उसकी रिकवरी की जा सके और जो जुर्म होते हैं उनका अनुसंधान शीघ्र किया जा सके।

माननीय उपाध्यक्षजी, इसके अलावा दूसरा हमारा पिछले सालों का यह अनुभव है कि जो राज्य सरकार ने मामले के केसेज रजिस्ट्रेशन की जो नीति अख्त्यार की है वह स्वागत योग्य है ताकि जो लोगों की शिकायतें थीं कि शिकायत दर्ज नहीं करते हैं वह नहीं रहती है। एफ० आई० आर० थाने में जुर्म की दर्ज कराना जरूरी होता है, परन्तु दर्ज होने के साथ-साथ आज पंचायतों के इलेक्शन के बाद लोगों में आपस में रंजिश की भावनाएं बढ़ गई हैं और उससे संगीन जुर्म होते हैं आपसी अदावत के कारण तो झूठे मुकद्दमें भी दर्ज करा दिये जाते हैं तो संगीन जुर्मों के साथ में कुछ मुलजिमान तो झूठे होते हैं और कुछ सही होते हैं तो ऐसी हालात में पुलिस छानबीन करने में सावधानी करे, क्योंकि एफ० आई० आर० दर्ज हो जाती है तो पुलिस के लोअर कर्मचारी यानी हैड कान्स्टेबल तफतीश ऐसे संगीन जुर्म की कर लेते हैं उसके बाद में सीनियर ऑफिसर तफतीश करते हैं तो जो झूठे मुलजिमान होते हैं उनको निकालने में असमर्थ रहते हैं। इस बारे में पहले भी मैंने इस विधान सभा में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और कई मुकद्दमों के उदाहरण भी दिये हैं। मैंने पुलिस थाना सांचोर के अरणाय का उदाहरण दिया था कि उसमें एक नाबालिग बच्चे और एक औरत को मुलजिम बना दिया गया और वे अदालत में जाकर छूटे हैं। सीनियर ऑफिसर बाद में पहुंचा और हैड कान्सटेबल ने तफतीश कर ली तो 162 के तहत सीनियर आफिसर स्वयं बयानात चेन्ज करने में असमर्थ पायेंगे, और अदालत में इस प्रकार का चालान करें तो सारा केस फेल हो जायगा। अदालत में केस वैसे ही फेल हो जाते हैं, क्योंकि अदालत के अन्दर भी आखिर जाकर यह झूठ जरूर सामने आती है, और इस तरह के हालात नजर आते हैं और सारे केस फेल होते हैं। इस बारे में, माननीय उपाध्यक्षजी, आपके जरिये मैं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि पुलिस के ट्रेनिंग सेन्टर्स से या सीनियर ऑफिसर्स को उनको इस बारे में गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है। हमने रजिस्ट्रेशन की पालिसी अख्त्यार की है तो उसके साथ-साथ इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि ऐसे संगीन जुर्म दर्ज होते हैं तो पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को उसी वक्त तफतीश में शामिल होना चाहिए और शुरू से ताकि जो मुलजिमान झूठे दर्ज कराये गये हैं आपसी रंजिश के कारण उनको चैक करने का प्रबन्ध करे ताकि अदालत में उनके मामले फेल न हों। इस बारे में राज्य सरकार और पुलिस विभाग की ओर से सक्रिय कदम नहीं उठाया गया तो नतीजा यह निकलता है कि यदि निर्दोष व्यक्ति पुलिस में फंस जाते हैं तो अदालत में कई सालों तक फिरते रहते हैं और खर्चे से जेरबार होते हैं और सारे का सारा उनका

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

समय खर्च हो जाता है । इस पर गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है ताकि जो एफ० आई० आर० दर्ज होती है और यदि गलत दर्ज होती है तो मुकदमें की तफतीश सीनियर ऑफिसर करे तो चैक किया जा सकता है और सच्चाई सामने आ सकती है ।

माननीय उपाध्यक्षजी, इसके बारे में इस के अलावा इसके साथ-साथ पुलिस विभाग की ओर से जो प्रोसीक्यूशन ब्रान्च है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा । पुलिस में संगीन जुर्म के अन्दर आपको भलीभांति मालूम है कि मुल्जिम कत्ल के होते हैं, डकैती के मुल्जिम होते हैं वे अच्छे से अच्छे वकील अपनी तरफ से एन्गेज कर लेते हैं, परन्तु प्रोसीक्यूशन ब्रान्च में वे ही पुराने सब-इन्सपेक्टर, पुराने पी० एस० आई० होते हैं जिनका अनुभव बहुत कम होता है । ऐसी हालत में लोअर कोर्ट्स से ही मुल्जिम अपनी पैरवी के लिए शुरू से ही अपनी पैरवी के लिए अच्छे वकील एन्गेज कर लेते हैं तो प्रोसीक्यूशन जो कि अनुभवहीन ब्रान्च है उसका कम्पीटीशन नहीं कर सकते हैं, और नतीजा यह होता है कि संगीन जुर्म के अन्दर बहुत से पुलिस के केसेज फेल हो जाते हैं, और नतीजा यह होता है कि लॉ एण्ड आर्डर खराब होने को प्रोत्साहन मिलता है । तो माननीय उपाध्यक्षजी, प्रोसीक्यूशन ब्रान्च की ओर राज्य सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए । पुरानी प्रोसीक्यूशन ब्रान्च है और पुराने जो लोग इसमें काम कर रहे हैं उनका कानून का इन्वेस्टीगेशन पूरा नहीं होता है और इन्वेस्टीगेशन स्टेज के अन्दर ही खामियां रह जाती हैं तो उन खामियों को वे पूरा नहीं कर पाते हैं और अदालत में अच्छी तरह से पैरवी नहीं कर पाते हैं और सामने के वकील को ढीले होकर बैठ जाते हैं और नतीजा यह होता है कि मुल्जिम का लेटीट्यूड मिलता है और पुलिस के केसेज फेल हो जाते हैं । मैं जालोर जिले का उदाहरण देता हूं कि वहां के पुलिस केसेज के 10 सालों के फीगर्स आपके सामने रखे 52 से 68 तक के संगीन केसेज के अगर गृह मंत्रीजी सामने रखेंगे तो मालूम होगा कि संगीन केसेज में मुल्जिम डिसचार्ज हुए हैं या एक्विट हुए हैं । इसका वास्तविक कारण क्या है ? इसका वास्तविक कारण यह है कि आपने सैशन्स कोर्ट में जो प्रोसीक्यूशन की व्यवस्था कर रखी है वह ठीक नहीं है । इस बारे में राज्य सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए जहां कि मुल्जिम इतनी अच्छी पैरवी का इन्तजाम रखते हैं जब कि इन केसेज को प्रूव करने का बहुत बड़ा बरडन राज्य के प्रोसीक्यूशन पर होता है और प्रोसीक्यूशन को केसेज प्रूव करने में बहुत दिक्कत पैदा होती है । इस हालत में अनुभवी वकील या अनुभवी या ट्रेनिंग प्राप्त पी० एस० आई० और पी० आई० नहीं होंगे तब तक आप भलीभांति जानते हैं कि उन केसेज में किसी तरह भी कामयाब नहीं हो सकते हैं । इस बारे में लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन के लिए कि संगीन जुर्म ज्यादा न हों उसके प्रिवेन्शन के लिए राज्य सरकार को प्रोसीक्यूशन ब्रान्च की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए । पिछले सालों से राज्य सरकार ने कुछ ध्यान दिया है और पी० एस० आई० में अब एल० एल० बी० का रिक्रूटमेंट किया गया है और ज्यादातर इस तरह के रिक्रूटमेंट के साथ साथ जो सीनियर और पुराने आदमी ऐसा काम कर रहे हैं उनके जरिये केसेज फेल होते हैं उस बारे में राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए ।

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

माननीय उपाध्यक्षजी, इसके अलावा हमारे यहां सांचोर में खेजलिया ग्राम है वहां पर पुलिस की 6-7 सालों से अस्थाई आउट-पोस्ट चल रही है। खेजलिया की आउट-पोस्ट पुलिस के पाइन्ट आफ व्यू और सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन वहां पर राज्य सरकार की परमानेन्ट आउट-पोस्ट नहीं है और लोकल पुलिस के जरिये ही उसको चला रहे हैं अस्थाई तौर से। काफी पुलिस वाले वहां पर लगाने पड़ते हैं और वहां लाइन में स्टाफ भी बहुत कम है। इस हालत में राज्य सरकार को परमानेन्ट तौर से इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि लगातार वहां से होकर पाकिस्तानी केटल लिफ्टर और डकैत माल लूटकर वहीं से जाते हैं। वही एक रास्ता है उनको रोकने के लिए। इसलिए उस आउट-पोस्ट को परमानेन्ट बनाने की बहुत आवश्यकता है। इस ओर राज्य सरकार का आपके जरिये ध्यान आकर्षित करूंगा और मैं आग्रह करता हूं कि गृह मंत्रीजी इसका आश्वासन दें कि इसको परमानेन्ट कर दिया जायगा।

माननीय उपाध्यक्ष, इसके अलावा जो पुलिस ट्रेनिंग सेन्टर्स हैं उसके बारे में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पुलिस ट्रेनिंग सेन्टर्स में कई तरह की शिक्षा दी जाती है, परन्तु, माननीय उपाध्यक्षजी, विशेष रूप से हमारे यहां प्रजातन्त्र होने के बाद में जनता के साथ में नीचे के कर्मचारी यानी लोअर पुलिस स्टाफ की क्या ड्यूटीज हैं, किस तरह की मुश्किलात में किस तरह से जनता के साथ व्यवहार करना चाहिए। आज कल आन्दोलन जो होते हैं तो लोअर स्टाफ आफ पुलिस को जनता के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, उस बारे में ट्रेनिंग कम दी जाती है। मैं, माननीय उपाध्यक्षजी, आपके जरिये माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आजकल ग्रामीण लोगों के साथ में जब वे एफ० आई० आर० लेकर जाते हैं तो उनके साथ में वहां के लोअर आफिसर्स का व्यवहार अनुचित होता है। अभी तक सीनियर आफिसर्स का एटीट्यूड तो चेन्ज हुआ है उस तरह से लोअर का नहीं हुआ है। इस बारे में ट्रेनिंग सेन्टर्स में प्रोहिबिशन और मोरल ट्रेनिंग जो नीचे के कर्मचारियों को दी जानी चाहिए, तो उस शिक्षा में प्रजातन्त्र के युग के दृष्टिकोण को समझाकर जनता के साथ क्या ड्यूटीज हैं उनकी, उनको किस तरह से एक्ट करना चाहिए ताकि लोगों को प्रोवोकेशन नहीं मिले और सिचुएशन को किस तरह से कन्ट्रोल किया जाय, इस बारे में नीचे के स्तर के पुलिस के लोगों को, पुलिस के स्टाफ को ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। इस ओर राज्य सरकार विशेष रूप से ध्यान दे। जो पर्चे ट्रेनिंग सेन्टर में होते हैं तो जनता के साथ पुलिस का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए उसके बारे में पर्चे हों। उसकी परीक्षा पास करें और उसके जो कुछ कोई रिजल्ट्स हों और अच्छे हों तो उनको प्रोत्साहन देना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष, इसके साथ साथ मैं यह कहे बगैर भी नहीं रह सकता कि पुलिस का जो लोअर स्टाफ है वह बड़ा लो पेड स्टाफ है और पुलिस आज जिस वातावरण में एक्ट करती है तो उसकी दोनों तरफ एक तरफ तो कुआ और एक तरफ खाड़ है। जिस वक्त आन्दोलन होते हैं और लोअर स्टाफ के सामने उस वक्त जो सिचुएशन पेश हो जाती है और

(श्री रघनाथ विश्नोई)

उसके अन्दर जो ड्यूटीज हैं और उसके अन्दर जो नुकसान होता है उसके बारे में पुलिस बेनिवोलेन्ट फण्ड है उससे उनके लड़के लड़कियों को पढ़ाने का इन्तजाम करना चाहिए और डेकोयट्स से मुठभेड़ में यदि कोई मारा जाता है या इस तरह की सिचुएशन में किसी प्रकार का उनको नुकसान होता है तो उसके बारे में राज्य सरकार को गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है, और जो उनकी तनख्वाहें हैं, सेलेरीज हैं उनको बढ़ाने की आवश्यकता है। वर्ना पुलिस विभाग के लिए जो भ्रष्टाचार का नारा दिया जाता है तो भ्रष्टाचार किस जगह पर है और किस जगह पर नहीं है, लेकिन पुलिस के लिए जो जनता का दृष्टिकोण बनता जा रहा है इसके बारे में सोचना पड़ेगा। उनकी जो छोटी-छोटी तनख्वाहें हैं उनको बढ़ाने की आवश्यकता है। इस बारे में हमारी दृष्टि लिबरल होनी चाहिए और राज्य सरकार इन लोगों की तनख्वाहें बढ़ाने पर गम्भीरता से विचार करे। उसके बाद सख्ती से करप्शन को मिटाये और उसके लिए किसी दण्ड की व्यवस्था सब की जा सकती है। माननीय उपाध्यक्षजी, सांचोर में एक होम गार्ड ट्रेनिंग सेंटर था, वहां के बारे में मैंने एक स्पेसिफिक कट मोशन दिया है। वहां 22 दिन की ट्रेनिंग के बाद, 22 केडेट्स को निकाल दिया गया। और कमाण्डेंट ने उनका खाना-खर्चा बाकी रहने वाले केडेट्स पर डाल कर निकाला। यह ऐसा क्यों किया गया है? क्या सेलेक्शन गलत हो गया? तो यह स्पष्ट किया जाय कि ऐसी ज्यादती उन लोगों के साथ क्यों हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, आज जो इन्फ्लुएंसल व्यक्ति हैं, उनके लड़के जो कालेज में पढ़ने वाली गर्ल्स हैं उनके साथ उन लड़कों द्वारा अभद्र व्यवहार हो रहा है। आज यह टेंडेंसी बढ़ती जारही है। जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार बढ़ता जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय की ओर मैं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं कि चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, इन्फ्लूएंसल व्यक्ति हो कितने ही प्रभावशाली व्यक्ति का पुत्र हो, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। वर्ना यह लॉ एण्ड आर्डर के लिए उल्टा असर कर सकता है। जो भी रिपोर्ट आती है गृह मंत्रीजी बिना किसी भी हिचकिचाहट के कार्यवाही होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। माननीय उपाध्यक्षजी, जो न्याय प्रशासन की मांग है उसके बारे में मैंने दो-तीन कटौती प्रस्ताव रखे हैं। इसके बारे में माननीय न्याय मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि वह जुडिशियरी को सैपरेट करने जा रहे हैं। जो माइनर एक्ट्स हैं, उनको कहीं भी नहीं लिया है। अगर कम्प्लीट जुडिशियरी को अलग करने की बात है तो जो प्रोसीक्यूशन ब्रांच है वह भी जूडिशियरी में दे देनी चाहिए। वहां जो आप पर चार्ज लगाते हैं, अच्छाइयां और बुराइयां हैं, अगर कम्प्लीट सैपरेशन होता है तब किसी प्रकार की कोई गुंजाइश कहने की नहीं रहेगी। इसके अलावा जो लोअर कोर्ट्स हैं उनमें मुंसिफ-मजिस्ट्रेटों में काफी करप्शन हो गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी का विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जूडिशियरी को कम्प्लीट सैपरेट कीजिये। पहले जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, निरीक्षण करते थे, परन्तु हाई कोर्ट के जज कोई इन्स्पेक्शन नहीं करते हैं। इस बारे में न्याय मंत्री को विचार करना चाहिए। एक जज को

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

यह काम सौंपना चाहिए । और उसके साथ एक डी वाई० एस० पी० को रखना चाहिए । जो कि रिश्वत खोरी होने लगी है, उसको रोकने के लिए काम करेगा । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो लोग लोअर कोर्ट्स में जाते हैं वहां उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। डर के कारण उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करता है । इसका नतीजा बुरा होता है । दूसरी जगह सामने जाकर किसी से शिकायत करने की हिम्मत नहीं होती है । अगर जुडिशियरी में करप्शन हो गया तो यहां एनार्की फैल जाएगी । इसका भी बन्दोबस्त राज्य सरकार को करना आवश्यक है । माननीय उपाध्यक्षजी,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस विभाग के बारे में इधर के बैठने वाले दो माननीय सदस्यों ने जो फ्रीली दो एलीगेशन लगाये हैं इसके बारे में कहूंगा कि हमारी पुलिस खराब काम करे तो उसको चैक अप करने की आवश्यकता है । जनता और पुलिस का साथ-साथ सहयोग की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने इस दिशा में काफी प्रयोग किये हैं । यहां पर पुलिस आफिसर्स की एक कान्फ्रेंस हुई है । साइन्टीफिक इन्वेस्टीगेशन किस तरह से हो, इस के बारे में । राज्य सरकार ने काफी प्रयास किया है । हाल यह है कि जुर्मों के आंकड़े तो बढ़ गये हैं । लेकिन एक्चुअल में 17.4 झूठे केस रजिस्टर हैं । हालांकि यहां पर धारा 182 भी चालू है । झूठी रिपोर्ट में मुकदमा चलाया जा सकता है । पुलिस कर्मचारी अगर अभद्र व्यवहार करे तो उस पर एक्शन होना चाहिए । अच्छे-अच्छे आन्दोलनों में पुलिस अच्छी सक्सेसफुल हुई है। सैण्ट्रल कर्मचारियों का आन्दोलन हुआ । यहां जो आन्दोलन हुए अन्य प्रान्तों के कम्पेरीजन में अगर हम देखते हैं तो जो बात कही जाती है तो मैं कहूंगा कि इस बारे में कुछ भ्रम हैं । सदन में इस ओर बैठने वाले और उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्य पुलिस की कठिनाई को समझें । पुलिस की बहुत कठिन ड्यूटी है । उसको निभाने में वह तभी कामयाब होगी जब आप का सहयोग होगा । पुलिस में जो खामियां हैं, उनको सुधारने का मौका देना पड़ेगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार !

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह तो क्रम से होना चाहिए ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब पुलिस विभाग पर विचार करने का अवसर आता है ।

श्री उपाध्यक्ष : समय केवल 11 मिनट है ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं बहुत ही शीघ्रता करूंगा ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे वह कहावत याद आती है, –आंख के अन्धे नाम नयन सुख । जनम के दुखिया नाम चैन सुख । माननीय उपाध्याक्ष महोदय, मैं यह मानकर चलता हूं कि न्याय विभाग और पुलिस विभाग के जो मंत्री हैं, दोनों ही लॉ ग्रेजुएट हैं । मैं निवेदन कर दूं कि रिकन्सीलिएशन आफ अमेरिका में माननीय बर्कले ने कहा था–

The study of law makes a man ready in attack and prompt in defence and full of resources but Hon'ble Deputy Speaker Sir,

(श्री दुर्गालाल बाढ़ार)

when we visualise the condition of the two ministers, I feel they are not properly discharging their duties.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जनता में यह आस्था फैल गई है। उनके बारे में दुनियां यह कहती है कि एक तरफ गर्दन ले जाइये और दूसरे हाथ में थैली ले जाइये। तो थैली वाला जीत जाएगा, और गर्दन वाले की गर्दन चली जाएगी। जहां मन्त्रियों पर सदन में आरोप लगते हैं पक्षपात और भ्रष्टाचार के। ऐसे व्यक्तियों को न्याय पालिका में अपाइन्टमेंट देते हैं, जिन पर इ प्रकार के आरोप लगे हैं। मैं सदन की गम्भीर परम्पराओं की अनुपालना करते हुए व्यक्तिगत दृष्टान्त नहीं रखना चाहता हूं। लेकिन जहां आप पर ऐसे आरोप लगते हैं, तो आपको शर्म करनी चाहिये, लेकिन विरोधी होते हुए भी मुझे शर्म करनी पड़ती है कि हमारे मंत्रियों के ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके मूल में जो कारण निहित हैं, उसका निदान करने की आप चेष्टा कीजिये। अगर आप मूल कारण का निदान करने की चेष्टा नहीं करते हैं तो आप कितनी ही कोशिश कर लीजिये, जनता को आप कितने ही उपदेश दे दीजिये, लेकिन न्याय और पुलिस के अन्दर उसका विश्वास नहीं होगा। मैं आपको छोटी-मोटी सी बात बताता हूं। आप पुलिस के मामले को ले लीजिये। आज जनता में पुलिस के प्रति असंतोष है, यह बात ठीक है। लेकिन आज जो पुलिस कर्मचारियों में असंतोष है तो वह क्यों है? जनता में जो असंतोष है उस बात के लिये तो कह सकते हैं कि जनता के साथ पुलिस दुर्व्यवहार करती है इसलिए उसमें असंतोष है, लेकिन आपके पुलिस कर्मचारियों में आपके प्रति असंतोष क्यों है? आपने पुलिस रेगुलेशन, 1963 बनाये और उन रेगुलेशन्स के तहत स्थानान्तरण, उन्नति आदि के प्रावधान रखे। लेकिन क्या आप उनका ठीक तरह से पालन करते हैं? आपने उन नियमों को देखा होता तो आप को मालूम होता कि उनके अन्दर प्रावधान है कि किसी मैटर के अन्दर डिस्प्यूट या विवाद चलता है तो उस विवाद को अपोइन्टमेंट डिपार्टमेंट को रेफर करना पड़ता है और अपोइन्टमेंट डिपार्टमेंट यानि राज्य सरकार का जो निर्णय होता है वह उस मैटर में फाइनल माना जाता है। लेकिन आपने इस पुलिस विभाग में क्या कार्यवाही की है? क्या किसी मैटर को किसी डिपार्टमेंट को रेफर किया है? और उस डिपार्टमेंट का जो निर्णय हुआ है क्या उसको फाइनल मान कर इम्प्लीमेंट किया गया है। पुलिस डिपार्टमेंट में जो प्रमोशन का सवाल आता है, उसके लिए रूल्स के अन्दर प्रावधान है कि जो क्वालिफाइड आदमी हैं, जो योग्य आदमी हैं वह सब-इन्सपेक्टर के पद के लिए इम्तिहान दे सकता है, और अगर वह उस इम्तिहान में फेल हो जाय तो आप उसको इम्तिहान में बैठने के लिए दो-तीन आपोर्चुनिटी देंगे। लेकिन आप पहले के पुलिस विभाग से इसकी तुलना करके देखिये। पुलिस विभाग के अन्दर, एक जमाने में यह पद्धति थी, मैरिट पर यह पदोन्नति करते थे। जो बहादुरी का काम करता था उसको प्रमोशन दिया करते थे। एक व्यक्ति है जो क्वालिफाइड नहीं है, जो आदमी पढ़ा-लिखा नहीं है, उसने अगर ईमानदारी से काम किया है तो उसको सब-इन्सपेक्टर की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया। लेकिन अब आपने प्रमोशन के अन्दर इम्तिहान

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

की पख लगा दी है। कोई व्यक्ति अगर इम्तिहान में फेल हो जाय, अगर वह क्वालिफाइड नहीं है, उसकी एकेडेमिक क्वालिफिकेशन नहीं है तो क्या आप उसको हैड कान्स्टेबल के पद पर रिवर्ट करेंगे, क्या करेंगे ? तो ऐसी हार्डशिप के इन्स्टान्सेज आपके डिपार्टमेंट में हैं जिनकी आपके डिपार्टमेंट के लोग शिकायत करते हैं। आपको नियम ऐसे बनाने चाहिए जिससे लोगों में असंतोष नहीं हो। लेकिन आपके इन नियमों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आपने नियम ऐसे बना दिये हैं जिनसे आप लॉ को फोलो नहीं करते हैं, कान्स्टीट्यूशन को फोलो नहीं करते हैं, और केवल एक हाईहैंडेडनैस से रूल बना देते हैं। आपको यह नियम फ्लोर आफ द हाउस पर रखने चाहिए, लेकिन आपने नहीं रखे। आपको लेजिस्लेचर की सैंक्शन लेनी चाहिए, लेकिन वह आपने नहीं ली। वह आप लेना नहीं चाहते हैं। उसकी आपसे अपेक्षा भी कैसे की जा सकती है। जब आपने यह कानून बनाया और उसके खिलाफ हाई कोर्ट में रिट दायर की गई और उस रिट पर हाई कोर्ट का जजमेंट हुआ, तो उसको सैट असाइड करने के लिए आप अपने बहुमत की ताकत के आधार पर दूसरा कानून ले आते हैं और उस कानून को तब्दील करते हैं। यह जो आपकी भावना है, इसको आप दूर करने की कोशिश कीजियेगा। यह बात इसलिए कही कि आप लोग जुडिशियल माइन्डेड हैं, आप अपना जुडिशियल बैकग्राउन्ड रखते हैं और जुडिशियल बैकग्राउण्ड की रखते हुए अब आप एक्जीक्यूटिव में आ गये हैं, और एक्जीक्यूटिव में आकर मंत्री पद पर बैठ गये हैं तो आप जुडिशियरी के सिद्धान्तों को भूल जाना चाहते हैं और आपका जो मोरल स्टेण्डर्ड है, जो आपकी मोरल स्ट्रेन्थ है उसको आप गिरा देना चाहते हैं। यह कितनी अनुचित बात है ? इसलिए इस पर आपको विचार करना होगा। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक पुलिस प्रशासन का सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में यह चीज निश्चित रूप से मान कर चलना होगा कि आज पुलिस थाने के ऊपर किसी भले और शरीफ आदमी को जाते हुए, किसी मामले की रिपोर्ट करते हुए डर लगता है, वह भय खाता है। यह फेक्ट है। लेकिन आप इसको इसलिए मान सकते, उसके लिए मान लीजिये कि आप इस बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, तो कभी अनुभव करने के लिए आप मेरे साथ में चलिये। मैं आपका रूप तो बदल दूंगा, फिर आप किसी थाने में जाकर देखिये कि किस प्रकार से कार्यवाही और व्यवहार होता है। मैं इस सम्बन्ध में लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहना चाहता। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के जस्टिस के साथ में पुलिस द्वारा गलत व्यवहार किया जाता है। तो मैं इस संबंध में लम्बी-चौड़ी बात न कह कर केवल इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि आपको पुलिस कर्मचारियों में इस प्रकार की भावना उत्पन्न करनी होगी कि वह जनता की सुरक्षा के लिए काम करें। उनको आपको शिष्टाचार के नाते, मानवता के नाते एक सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने की बात सिखानी होगी। यह तभी हो सकता है, उसी सूरत में हो सकता है, जब आप उनके हृदयों में उत्पन्न फस्ट्रेशन को दूर करें। उनके हृदय में फ्रस्ट्रेशन तब ही उत्पन्न होता है जब प्रमोशन के अन्दर उनका चान्स मारा जाता है। आपके अनड्यू

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

इन्फलूएन्स के एक्सरसाइज करने से एक आदमी जो राइट वर्क करना चाहता है उसको राइट वर्क न करके रोंग वर्क करना पड़ता है क्योंकि उसको दो बार के लिए पेट भरना है, उसको नौकरी करनी है। इस तरह आप अनड्यू प्रमोशन करके, आई० जी०, डी० आई० जी०, एस० पी० आदि से अपनी कलम की ताकत के जोम में गलत काम कराते हैं, तो वह दो काम आपके दबाव से गलत करता है तो चार काम अपने आदमियों को ओबलाइज करने के लिये करता है। तो इस तरह जो आज करप्शन फैल गया है, इसका उत्तरदायित्व मैं उन गरीब कर्मचारियों पर नहीं डालता हूं। आज टोप से करप्शन नीचे तक फैलाने की आप कोशिश करते हैं, नीचे से ऊपर करप्शन नहीं जाता है।

अब मैं, न्याय मंत्रीजी, आपसे जुडिशियरी के संबंध में दो-तीन बातें पूछना चाहता हूं आप कृपा करके मेरी बातों पर विचार करने की कोशिश कीजियेगा। आपने न्याय के कैडर किस प्रकार रखे हैं? आज कैडरों के अन्दर सबसे पहले आपने एक जूनियर स्केल, पुलिस, अकाउन्ट्स, इंजीनियरिंग जितनी सर्विसेज हैं, उन सारी सर्विसेज के अन्दर एक कैडर रखा है, 375 से 850 की ग्रेड का। इसके बाद में सीनियर स्केल आता है, तो सीनियर स्केल आपने 700 से 1,100 का रखा है। इसके बाद सलेक्शन ग्रेड आती है, जो आपने 1,100 से 1,500 रखी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह सारे अकाउन्ट्स डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट—इन सारे डिपार्टमेंट्स में आपने तीन ग्रेड रखे हैं लेकिन आप जुडिशियरी में एक चौथी चीज लेकर आना चाहते हैं। मुन्सिफ से सीनियर ग्रेड सिविल जज की आती है, उसके बीच में आपने एक पुछल्ला 500 से 1,000 का रख दिया है। एक आदमी जिसको आप पोस्ट ग्रेजुएट मानते हैं, जिसका आप जुडिशियल एक्सपीरियेंस मानते हैं, जो कि पांच-सात साल का मुन्सिफ का अनुभव रखता है, उसके बाद उसको सिविल जज की पोस्ट पर प्रमोट किया जाता है। लेकिन उसको ह्यूमिलियेट करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए आप उसे 500 से 1,000 की ग्रेड देते हैं। आप एक्जीक्यूटिव अधिकारी से उसकी तुलना करके देखिये, एक आर० ए० एस० अधिकारी है, नाजिम है, तहसीलदार है, उसके पास में जीप होती है, उसके पास में चपरासी होता है, उसका कमरा डेकोरेटेड होता है, उसको आप काफी एमेनिटीज और फैसेलिटी देते हैं लेकिन जिस आदमी को आप मुन्सिफ के पद पर बैठाते हैं उसको कागज आप इस प्रकार का देते हैं कि वह उस पर लिख नहीं सकता है। उसको आप कलम नहीं देते हैं, उसके पास कागज अच्छा नहीं है, उसको आप स्टेनो नहीं देते हैं और उससे आप न्याय कराना चाहते हैं। आप उससे एक्सपेक्ट यह करते हैं कि यह लोग भगवान की कुर्सी पर बैठने वाले हैं, यह निष्पक्ष व्यक्ति हैं, यह व्यक्ति पत्थर हृदय वाले होते हैं, इसलिए दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे लेकिन उन व्यक्तियों के साथ इस प्रकार का सौतेला व्यवहार आप करते हैं जिसके कारण उनमें फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है। इसी कारण से आज जुडिशियरी में भी करप्शन घुस गया है, जुडिशियरी के करप्शन के बारे में मैं सुनते-सुनते तंग आ गया हूं। मेरा अनुभव है और आपका भी यह अनुभव होगा कि पैसा लेकर जो अपाइन्टमेंट मुन्सिफ और सिविल जज का

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

हुआ है, वह आज लोगों से रुपया लेता है, और रुपया लेकर भ्रष्टाचार करता है और केसेज में सही गलत फैसले करता है। इस कारण से ही जो व्यक्ति क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियेन्स के हौसले के साथ न्याय की कुर्सी पर बैठा है वह आज अन्याय करने लग गया है। इस कारण ही आज जनता की यह भावना होती जा रही है कि जुडिशियरी भी करप्ट होती जा रही है। इस प्रश्न पर शांतिपूर्वक विचार करने के बाद में इस परिणाम पर पहुंचता है कि आपने उनमें एक फ्रस्ट्रेशन पैदा कर दिया है, न आप उनको अच्छा कागज देते हैं, न....

श्री श्रवणलाल : जिस प्रकार थाने में थानेदार अपने डण्डे के बल पर कागज पैंसिल वगैरह मंगा लेता है, ऐसा ही यह करें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : वही हो रहा है। लेकिन इसका कारण क्या है? ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण है कि जब अपनी तुलना करके देखता है कि मुझसे लैसर क्वालिफाइड व्यक्ति आर० ए० एस० मोटर में घूमता है, बंगला बना लेता है, तो मैं भी इन्सान हूं। वह तुलनात्मक दृष्टि से देखता है कि उसकी इतनी भौतिक प्रगति हो रही है, यह बात सही है कि प्रत्येक मानव भौतिक प्रगति के साधन उपलब्ध करना चाहता है, इसलिए ही उसके मस्तिष्क में विकार उत्पन्न होता है। तो जब आप उसको साधन नहीं देते हैं, पूर्ण साधन नहीं देते हैं, और उससे ईमानदारी की अपेक्षा करते हैं, तो पहले तो ईमानदारी की अपेक्षा आपसे की जाय, जो कि आराम से रहते हैं। आपने मंत्रियों की एक लम्बी-चौड़ा फौज इकट्ठी करली है, जिनमें से हरएक मंत्री पांच-सौ रुपये तो टेलीफोन पर खर्च कर देता है, जब कि आप एक सिविल जज को पांच सौ रुपये की तनख्वाह देकर अपेक्षा करते हैं कि वह ईमानदारी से काम करेगा। ऐसी स्थिति में वह ईमानदारी से काम करे-यह नहीं हो सकता। इसलिए आपका जुडिशियरी के साथ जो सौतेला व्यवहार है, उसको आपको छोड़ना होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक मुन्सिफ का ट्रांसफर हो जाता है उसके बाद भी वह पोस्ट छः-छः महीने तक खाली पड़ी रहती है और छः महीने तक केसेज में तारीख पड़ती रहती है। कोर्ट में फरीकेन आते हैं और चले जाते हैं लेकिन आप छः-छः महीने तक दूसरे आदमी को अपाइन्ट नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति जयपुर में तो बराबर चलती आ रही है।

इसके साथ ही मैं गृह विभाग और न्याय विभाग के मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आप बाइफरकेशन आफ कोर्ट कैसे करते हैं। मुझे मालूम हुआ है कि जुलाई के महीने में आपने बाइफरकेशन आफ कोर्ट किये हैं जिसके अनुसार बस्सी के थाने के जो मुकदमें हैं, उनमें आई० पी० सी० के मुकदमें का चालान पेश होगा वह दौसा में होगा, सी० आर० पी० सी० के जो मुकदमें पेश होंगे उनके लिये जयपुर में कलेक्टरी में आना पड़ेगा और जो सिविल मुकदमें होते हैं उनका चालान मुन्सिफ-मजिस्ट्रेट, जयपुर के पास होंगे। यह आपने क्रिमिनल, आई० पी० सी० और सिविल मुकदमों का बाइफरकेशन किया है। यह तीन-तीन तरीके के मुकदमों के लिए जिले के तीन सब-डिविजनों में चालान होंगे। यह मेरी समझ में नहीं बैठता। आपके दिमाग में यह नहीं बैठता है कि आप जो बाइफरकेशन आफ कोर्ट करते हैं, वह आप तीन-तीन अदालतों में कैसे करते हैं? यह आपके दिमाग में नहीं आता है। यह कामन सेंस

(श्री दुर्गालाल बादुदार)

की बात है। इसलिए मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि यह बात आपके दिमाग में होनी चाहिए लेकिन आप इस ओर ध्यान नहीं देते हैं।

एक सिद्वान्त की बात में निवेदन करना चाहता हूं

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

विदिन फाइव मिनट्स, आई विल फिनिश। वह यह है कि न्याय बिलकुल सस्ता मिलना चाहिये, क्या सस्ता न्याय जनता को दिलाने के लिये, जनता को सस्ता न्याय मिले इस दृष्टि से राज्य सरकार ने कोई स्टेप लिया है। हाई कोर्ट के प्रश्न को लेकर कई मामले आपके सामने आते हैं, कई बार इस सदन में चर्चा उठाई गई। राजस्थान इतना बड़ा विस्तृत राज्य है। इतने बड़े विस्तृत राजस्थान में एक आदमी को अपनी पैरवी करने के लिये आने-जाने में कितना खर्चा करना पड़ता है, इस चीज को मैं आंकड़ों के आधार पर हजार बार निवेदन कर चुका हूं; पर क्या कभी आपने इस विषय में गौर किया है? आपके मुख्यमंत्री आंकड़ों के बाजीगर हैं, बड़े होशियार है आंकड़ों के बारे में, उन आंकड़ों के आधार पर आप देखें कि राजस्थान में कुल लिटिगेशन कितना है, राजस्थान के इस हिस्से का लिटिगेशन कितना है और दूसरे हिस्सों का कितना है? यदि आप जनता को सुविधा देने के लिये सोचते, यदि आप लिटिगेशन के इन आंकड़ों के आधार पर सोचते तो निश्चित रूप से राजस्थान के जिस हिस्से का लिटिगेशन ज्यादा है उनको सुविधा पहुंचाने के लिये यहां अन्तरिम हाई कोर्ट सीट आपको देनी चाहिये थी। जयपुर, जोधपुर की क्षेत्रीय भावना में मैं नहीं जाना चाहता, प्रान्तीय भावनाएं, क्षेत्रीय भावनाएं और जातीय भावनाएं तो आपने जागृत की हैं, ये इस प्रकार की क्षेत्रीय और जातीय भावनाएं, कांग्रेस रिजीम ने जागृत की हैं। एक तरफ आप छोटे-मोटे भेदभाव को दूर करने की बातें करते हैं पर दरअसल भेदभाव आपके दिलों में आपके हृदय में घुसा हुआ है, पक्षपात आपमें घर किये हुए है। इन क्षेत्रीय भावनाओं को, जातीय भावनाओं को और पक्षपात को आपको निश्चयात्मक रूप से दूर करना होगा। पर जिस चीज को लेकर आप आगे चलना चाहते हैं, उसे आप पूरा नहीं कर पाते।

अब अन्त में मैं दो-तीन छोटी सी बातें निवेदन कर देना चाहता हूं। एक तो यह है कि हमारी राज्य सरकार अपनी नीति निश्चित रूप से व्यक्त करे कि जुडिशियरी का एक्जीक्यूटिव से सैपरेशन कर देंगे। जब अभिभाषण दिया जा रहा था तो गवर्नर साहब ने यह कहा था कि इस वर्ष तो हम पूर्ण रूप से एक्जीक्यूटिव से जुडिशियरी का सैपरेशन कर देंगे पर आपने इसके लिये अब तक क्या स्टेप्स लिये हैं? मैं बहुत से स्थान आपको बताऊंगा जहां जुडिशियरी का एक्जीक्यूटिव से सैपरेशन नहीं हुआ है। पोस्ती पिये पोस्त, दिन भर में चले ढाई कोस। और अगर कोई ढाई कोस से ज्यादा चले तो दूसरा पोस्ती कहे कि कोई डाक का हलकारा होगा जो इतना जल्दी चलता है। इस तरह आप अपनी पालिसियों को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो आपमें जनता की आस्था कैसे पैदा होगी?

माननीय लॉ मिनिस्टर साहब! आपने डिक्लेरेशन किया 6 के रेशियो का राजस्थान हाई जुडिशियरी सर्विसेज के बारे में। आप नियमों का अवलोकन कर लीजिये, जो रेशियो जो

(श्री दुर्गालाल बाढदार)

प्रोपोर्शन आपने रखा है, वह 6 या 4 या 10 होता है, इस विषय पर निश्चयात्मक रूप से काम कीजिये, आप यह मत कीजिये कि सेक्रेटरी, या डिप्टी सेक्रेटरी जो चाहें कर दें और आप उस पर आंख मीच कर बरकतुल्ला खां दस्तखत कर दें।

Our Law Minister happens to be an eminent Lawyer in his past life.

लेकिन वह इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहते। रूल्स फोर रीएम्प्लायमेंट आफ राजस्थान जुडिशियल आफीसर्स के बारे में मुख्य मंत्रीजी बड़े गर्व के साथ, वे बड़े होशियार हैं, यह कह देते हैं कि हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है। रिटायर्ड जजेज का अपोइन्टमेंट कर देते हैं तो आप संविधान की बात करते हैं पर जब हाई कोर्ट आपके आर्डर्स को क्वेश कर देता है तो उसको वेक्ट करने के लिए ले आते हैं। प्रोनाउन्समेन्ट हो बेरी आयोग का तो उसको कन्डेम करने के लिये आप दलीलें देते हैं। हमारे यहां राजस्थान का लॉ मिनिस्टर लॉ ग्रेज्युएट है, उसकी बजाय अंगूठा टेक गांव का गांवेड़ी होता तो कुछ समझ में आ सकता था, हमारे यहां लॉ मिनिस्टर लॉ ग्रेज्युएट होते हुए भी जुडिशियरी के प्रति कहते हैं कि सरकार मानने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं मानते? जनता आपको जबरदस्ती मनवा देगी और आपको मानना होगा। तो आप जुडिशियल आफिसर्स का रीएपोइन्टमेंट करते हैं, यह उनको टुकड़ा डालना होगा, गिराना होगा। टुकड़ा डालने के बराबर होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो आपकी जुडिशियल आफिसर्स को रीएम्प्लोयमेंट देने की नीति है आपने जुडिशियल आफिसर्स को, रिटायर्ड जजेज को टुकड़ा डाल दिया, आपकी इस प्रवृत्ति के कारण कोई केस उनके पास आया तो उनके दिल में यह भावना रहती है कि यदि मने इनको खुश रखा तो मुझे रीएम्प्लोयमेंट मिलेगा और वे न्याय नहीं कर के आपकी इच्छानुसार फैसले करते हैं, तो आप अपनी इस नीति के द्वारा उनमें जान-बूझ कर करप्शन पैदा करते हैं। जब वे यह समझ जायं कि मुझे रिटायरमेंट के बाद कोई जगह नहीं मिलने वाली है तो निष्पक्षता से कार्य करेंगे और जनता को न्याय देंगे। तो, उपाध्यक्ष महोदय, में यह कहूंगा कि इस प्रकार राज्य सरकार ने राजस्थान की जुडिशियरी म करप्शन फैलाया है।

उन रूल्स के तहत रिजर्वेशन को लेकर आपने आज तक कोई वान्ट नहीं निकाली। आपकी पोलिसी यह है कि अपाइन्टमेंट आप कर देंगे। पर उस समय कोई न कोई हाई कोर्ट में जायगा और मामला क्वेश हो जायगा और इस तरह से जिनको आपने अपोइन्टमेंट दे दिया वे अपने भाग्य को रोयेंगे और यह झगड़ा पैदा होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन नियमों का अवलोकन कीजिये और उनके अनुसार काम करने की कोशिश कीजिये, जो नियमों में प्रावधान हैं, उन्हीं के अनुसार आप काम कीजिये। राणावत कमीशन की जुडिशियरी के बारे में रिपोर्ट आई है, उसको ठीक तरह से इम्पलीमेंट कीजिये।

आपने आर० ए० एस० के लोगों को आर० जे० एस० के कैडर में आने का ओप्शन देने का अवसर दिया। जो आर० ए० एस० कैडर के लोग आर० जे० एस० में आ गये, एक दफा उन्होंने ओप्शन दे दिया और वे आर० जे० एस० में आ गये, अब राज्य सरकार के सामने ऐसा कौनसा कारण

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

आ गया कि उनको दुबारा आर० ए० एस० में जाने का ओप्शन देते हैं। इससे स्पष्ट है कि ये आर० ए० एस० और आर० जे० एस० हैं इनको आप समझते हैं कि यह तो आपके कनफड़े चेले हैं, वे आपके पिट्ठू बने हुए हैं, इस तरह की प्रवृत्ति से आप उनसे जैसे घर में बहू बेटियों से काम लेते हैं उस तरह से काम लेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह तो आप ज्यादती करते हैं, ये बहू बेटियां थोड़े ही हो सकते हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कई सासें बहुओं को गालियां निकालती हैं, उन पर जुल्म करती हैं, ये जल्लाद सासुएं हैं उनके लिये कह रहा हूं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): माननीय सदस्य जरा बहू बेटियों का नाम ले कर ढंग से बोलें....

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : रानी साहिबा, आप नाराज न हों, आपको मालूम होना चाहिये कि कई-कई सासें बहुओं के साथ कितना जुल्म करती हैं, मैं तो उनकी हिमायत कर रहा हूं।

तो आपको इस पोलिसी को रीकन्सीडर करना होगा, नहीं तो पुलिस में, जुडिशियरी में जनता की आस्था मिट जायेगी। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप दोनों मिल कर मेरे साथ चलें, मैं बुर्का आपको ओढा देता हूं ताकि कोई आप दोनों मंत्रियों को पहिचान न सके....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, भाषण समाप्त हुआ।

माननीय सदस्य श्री कल्याणमल।

श्री देवीदत्त गाड़िया : हमारी पार्टी को समय नहीं दिया जाता....

श्री उपाध्यक्ष : आपका नम्बर है। यह मेरे को रेगुलेट करने दीजिये, आपको समय मिल जायगा।

श्री कल्याणमल।

श्री कल्याणमल (जहाजपुर सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में पुलिस की प्रगति की रिपोर्ट पेश हुई है। सदन में हरेक विभाग की जिस समय चर्चा चलती है उसकी कमियों को बताना और हर तरह से विभाग को बुरा कहने की जो उनके काम काज में कमियां हैं उनको बताना जरूरी है। मैंने पुलिस की प्रगति रिपोर्ट को देखा है और मुझे गर्व है कि राजस्थान की पुलिस ने जो काम किए हैं उन पर मैं इस विभाग को धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकता।

माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान की पुलिस ने डकैतियों पर जिस तरह से काबू पाया है—1967 में 128 डकैतियां हुईं, 1968 में 132 पंजीबद्ध अभियोगों में से 42 अभियोग झूठे पाए गए और 50 डकैतियों केवल तकनीकी किस्म की पाई गई हैं। इस प्रकार 1968 में केवल 40 डकैतियां हुईं जब कि 1967 में 128 थीं। इसको देखते हुए राजस्थान की पुलिस ने जो कदम उठाए वह बहुत सराहनीय हैं, क्योंकि एक साल में इतना फर्क कोई मामूली बात नहीं है। आज जितने जुर्म होते हैं, उन पर पुलिस ने काबू पाया है। अगर इनको बताना शुरू करूं तो इतना लंबा हो जायगा कि बहुत लंबे समय तक बोलूं तो भी पूरा नहीं हो पाएगा।

हो सकता है कि इस विभाग में कुछ कमियां हों और गलतियां हों। लेकिन जो अच्छाइयां होती हैं और जितने विभाग जब काम करते हैं उन कामों को देखते हुए सदन की ओर से धन्यवाद मिलना चाहिए,

(श्री कल्याणमल)

क्योंकि आज के मुकाबले पहले जितनी चोरियां होती थीं, उन पर पुलिस ने काबू पाया है और जो कतलें होती थीं, खुले आम जिनकी गिनती नहीं, इतनी कतलें होती थीं आज उन पर काबू पाया है, तो यह सब अगर देखा जाय तो पुलिस के काम की प्रशंसा करनी पड़ेगी । पुलिस ने जितनी छानबीन करके, अपनी तफतीश या रिपोर्ट अदालत के समक्ष देती है उस दृष्टि से उसका असर आम जनता पर होता है । आम जनता में होने की वजह से हमारे जनतंत्र में उदाहरण जाते हैं । मैं तो उस दृष्टि से कहूंगा कि पुलिस ने तरक्की की है । अगर ये आंकड़े मैं सदन में प्रस्तुत करूं तो राजस्थान में दूसरे प्रांतों के मुकाबले में बहुत कम डकैतियां हुई । यह सब राजस्थान पुलिस के कठोर कदमों के कारण हो सका है ।

(2.04 म० प०)

(श्री कृष्णकुमार गोयल, सभापति पदासीन)

मैं फिर सदन में कहूंगा कि पुलिस ने जो काम किया है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए और जो कमियां हुई ह उन पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिससे पुलिस में परिवतन आ सके ।

एक थोड़ी सी बात में निवेदन करूंगा कि कई केसेज ऐसे भी हैं जहां पुलिस द्वारा ठीक नहीं किया गया । हमारी तहसील में एक ढिटोड़ा गांव है । वहां किसानों के खिलाफ और किसानों की जमीन छीनने में पुलिस जिस तरीके से पेश आई और किसानों के प्रति जो गद्दारी की है उसमें पुलिस को सूचना मिलने के बाद भी किसानों को बचाने में पुलिस असमर्थ रही । ऐसी कई कमियां हैं जिनकी ओर मैं गृह मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि ऐसी चीजों में पुलिस को मदद करनी चाहिए । जागीरदारों के मुकाबले में किसान न पनपें यह तो उचित नहीं है । जिन किसानों को जमीन नियमानुसार तहसील एलाटमेंट कमेटी ने एलाट की उस जमीन पर जागीरदार ने अपना झूठा कब्जा और झूठे पर्चे बताकर किसानों से झगड़ा किया और झगड़ा करने से किसानों में आपस में मारपीट हुई और मुकदमेबाजी चली जिससे आज वे किसान परेशान हो रहे हैं और सारे के सारे किसान भूमिहीन हैं । तो ऐसी जो कमियां हैं उस ओर गृह मंत्री ध्यान दें ताकि ऐसी शिकायतें नहीं आयें ।

एक बात और निवेदन करूंगा । हमारे ग्राम में एक आदमी को पकड़कर किले मे ले गए और रात भर उसकी पुलिस ने पिटाई की । उस संबंध में मैंने शिकायत की थी, अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई । इस तरह की शिकायत होते हुए भी पुलिस इस तरह अगर ज्यादती करे, तो इस तरह की जो कमियां हैं उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए । मैं सदन का ज्यादा समय न लेकर इन्हीं शब्दों के साथ अपना कटौती प्रस्ताव पेश करता हूं ।

श्री श्रवणलाल : आपने तो पुलिस की तारीफ की और कटौती प्रस्ताव में पुलिस के अत्याचार बताए हैं ।

श्री केशरीसिंह हाड़ा : गलत छप गया होगा ।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर): मान्यवर, अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी राजस्थान में हकूकों का विकास हो रहा है । चाहे खेत में, चाहे कारखाने में मजदूर हों, चाहे कर्मचारी हों, अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए लड़ाई

(श्री केदारनाथ)

होती है । चाहे राजनैतिक पार्टीज ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी हो लेकिन यह पुराना कन्सेप्शन है । लॉ एन्ड ऑर्डर मन्टन करने के लिए, इन्टरनल पीस मेन्टेन करने के लिए बदलती हुई हालात के मुताबिक मैं सोचता हूं कि हमारी सरकार को और विशेष तौर से पुलिस विभाग को अपने कन्सेप्शन को बदलना चाहिए । अगर हमने यह फैसला कर लिया इस दृष्टिकोण से समाजवादी समाज आया, प्रजातंत्र मजबत हो तो जो शक्तियां पुराने कायदे कानन के अनुसार अपनी नई लड़ाई लड़ती हैं चाहे जमीन पर, चाह लेबर यूनियन में, चाहे कारखाने में, चाहे ऑफिस में हों, उन पुराने कानूनों को सरकार ने बदला नहीं, नई हालात के अनुसार पुराने कानून फिट नहीं बठते, मेल नहीं खाते । उन शक्तियों को मजबूत बनाना चाहिए लेकिन मैं सोचता हूं पुलिस अपना रोल अदा नहीं करती । जिस व्यक्ति को कभी जेल जाने का मौका मिला हो, जिस व्यक्ति को ट्रेड यूनियन राइट्स के लिए फाइट करन का मौका मिला हो या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल में काम करने का मौका मिला हो तो उसको मालूम होगा कि पुलिस का रोल क्या है । आज केवल थानेदार को या हैड कान्सटेबल को अपना सब्जेक्ट आफ डिस्कशन बनायें और सारी आलोचना वहां पिनपाइंट करदें और सारे भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगायें तो यह गलत होगा । अगर पुलिस को समाज से अलग समझकर बदलती हुई कन्डीशन्स में अगर हमारा फैसला होता है तो उसके अनुसार पुलिस का रवैया ऐसा होना चाहिए तो हमारे कन्कलुजन्स गलत हो सकते हैं । आज सारे देश म ऐसा ट्रेन्ड चल रहा है कि जो फैसल होते हैं सब पोलिटिकल कन्सीडरेशन से होते हैं और जो लोग सत्ता पर हावी ह चाहे वे कहीं भी हों, उनको कोई भी पोर्टफोलियो दिया गया हो वह पोलिटिकल कन्सीडरेशन्स से करते हैं । उसका अपना दृष्टिकोण है । वहां सारा दोष पुलिस के हैड कान्सटेबल पर डाल दें या एस० एच० ओ० या एस० पी० पर डाल दें तो ठीक नहीं ।

पुलिस का रोल है रूल आफ लॉ मेन्टेन करने का, इन्टरनल पीस मेन्टेन करने का, लेबर फील्ड में लेबर मालिक डिस्प्यूट में पुलिस क्या रवैया अख्तियार कर, किसान मालिक लड़ाई में पुलिस क्या रवैया ले, हरिजनों की लड़ाई में क्या अख्तियार कर, तो इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है । इस बारे में अनेक सेमीनार्स हो रहे हैं, अलग-अलग तरीके से स्टडीज हो रही हैं, पुलिस मीट्स होती हैं मगर आज तक बदलती हुई हालात के मुताबिक पुलिस अपने रोल को अदा नहीं कर पाती । मैं यहां केन्द्रीय कर्मचारियों की हड़ताल का हवाला देना चाहता हूं । 13 सितम्बर को सारे देश में आर्डिनेन्स लागू हो गया—इसेंन्शल सर्विसेज मेन्टिनेन्स आर्डिनेन्स । आप ताज्जुब करेंगे कि 15-16 तारीख को ही इन्डविजुएल गिरफ्तारियां शुरू हो गई । 18 तारीख को मास अरेस्ट्स हो गई । 5-7 दिन पहले ही अगर आपने देखा होगा सड़कों में शहरों में पुलिस के दस्ते वहां पर चल रहे थे । ऐसा मालूम पड़ता है कि पुलिस राज है । सारी शक्तियां जो क्राइम को बंद नहीं कर पातीं, भ्रष्टाचार को बन्द नहीं कर पातीं, इनएफीशियेन्सी को, एडल्ट्रेशन को, मरडरर्स

(श्री केदारनाथ)

को ट्रेस करने में सर्फ नहीं होतीं सारी ताकत कर्मचारियों की हड़ताल दबाने के लिए लगाई गई । 19 सितम्बर को स्ट्राइक थी, गिरफ्तारियां 20 तारीख को हुईं जब कॉज-ऑफ एक्शन खतम हो गया । एक दिन टोकन हड़ताल थी, उसके बाद गिरफ्तारी किस बात की ? बूंदी पुलिस माइक पर बोल रही है कि जो व्यक्ति इनको आश्रय देगा, अपने घरों में रखेगा, उसको गिरफ्तार किया जायगा । 19 और 20 को भी एक्शन लिया पुलिस ने । दो हजार गिरफ्तारियां हुईं । एक श्री शर्मा था, इन्चार्ज था उसने मैनहैंडलिंग किया । राजाओं के समय भी हड़ताल करने का मौका मिला, एजिटेशन करने का मौका मिला, लेकिन ऐसी बातें नहीं देखीं । जसवंतसिंह, एडिशनल आई० जी० थे उस समय बड़े खूंखवार माने जाते थे लेकिन कोई एक मिसाल मैनहैंडलिंग का बतादें, बदतमीजी का बतादें ? जहां मास मूवमेंट्स होते हैं, खास कर जहां पढे लिखे कर्मचारी हैं, उन्होंने वायेलेंस का काम नहीं किया, तोड़-फोड़ की कार्यवाही नहीं हुई, वहां पर मैनहैंडलिंग हो, बदतमीजी हो, यह ठीक नहीं ।

केन्द्रीय सरकार ने अक्टूबर में, जनवरी में और तीन चार दिन पहले भी गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री ने लोक सभा में बयान दिया है कि जो लोग वायोलेंस में इन्वॉल्व्ड नहीं हैं, जो एक्टिव इन्सटीगेशन में, इन्टीमिडेशन में नहीं हैं, सबको रिइन्स्टेट किया जायगा । मेरा कॉल अटेन्शन मोशन भी था और गृह मंत्री इस पर बयान देंगे । 2 हजार अरेस्ट्स हुईं और आज तक 700-800 आदमी सस्पेंडेड हैं । टैम्परेरी हैंड्स के केसेज चल रहे हैं सेक्शन 4 और 5 के तहत आप ताज्जुब करेंगे कोई कसूर नहीं । जब मोशन आयगा तब मुझे इस पर बोलने का मौका मिलेगा । मेरी मान्यता है कि अगर आप चाहते हैं कुछ तब्दीली आए, फण्डामेंटल राइट्स की लड़ाई हो, पुराने लैंड लॉज बदल नहीं पा रहे हैं, लेबर लॉज आप बदलते नहीं, पुराने सारे कायदे कानून आपने बदले नहीं, नई हालात में वे मेल नहीं खाते । पुलिस स्टैटिस्टिक्स मेन्टेन करती है कि लॉ एण्ड ऑर्डर मेन्टेन करने को कोई हड़ताल हुई तो 107 या 151 में कार्यवाही करती है अमन भंग होता है । लेबर डिस्प्यूट्स में आप कहते हैं जब तक वायोलेन्स नहीं होती आप बीच में नहीं आते लेकिन सारे ट्रेड यूनियन लीडर्स को आप राउंड अप करते हैं 107 और 151 दफा के तहत । यह मदद किसको जाती है ? एम्पलायर को दी जाती है । ऐसी हालत में जब हमारे लैंड लॉज पुराने हैं, आप ताज्जुब करेंगे । अगर आंकड़े उपस्थित करूं कितनी जमीन हरिजनों को एलॉट की 10-15 सालों में और वह नॉन-हरिजन्स के पास चली गई, दो तीन साल की मियाद खतम हो गई, कब्जा करने जाते हैं तो कब्जा नहीं मिलता, फोर्जरी के केसेज बनते हैं । जब गृह मंत्री हमारे इलाके में गए, तो कहते हैं लॉ एण्ड ऑर्डर कैसा है ? मैंने बताया यह मसला है और कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने है तो समय तय किया जाय एक दिन डिबेट हो एट्रासिटीज ऑन हरिजन्स, स्पेशल सब्जेक्ट बनाकर इस सदन में डिस्कस करें । 20 साल में कितनी एट्रासिटीज हुईं हरिजनों पर, कितनी वारदातें हुईं और आज तक उन केसेज में क्या हुआ ? मैं अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन करूंगा कि

(श्री केदारनाथ)

इसके लिए समय तय करें। हरिजन जब कब्जा करना चाहते हैं, मियाद खतम होती है ठेके के लीज की, जो ओनर है वह रिच पैजेन्ट्री को बिलोंग करता है, कब्जा नहीं देता है, झूठे मुकदमें चोरी और डाके के बनते हैं, उसको गिरफ्तार करते हैं, न जमानत वाला, न पैरवी करने वाला, जो सुबह को कमाता है शाम को खाता है ऐसे व्यक्ति के बारे में आप ख्याल कर सकते हैं कि कोर्ट में जाकर मालिक का मुकाबला करे ? कहते हैं कि गांधीजी की शताब्दी आ रही है, हरिजनों को मकान दे रहे हैं, वे सिर पर मैला नहीं उठायेंगे । आप एक कानून बनादें कि जितनी जमीनें 10-15 सालों में हरिजनों को एलाट हुई हैं उनको खातेदारी हक मिलेंगे, किस्तें दे रहे हैं, सारी की सारी जमीन आप उनको वापिस दिला दें तो मैं समझूंगा कि आप गांधीजी के नाम को जिंदा रखना चाहते हैं ताकि ताकत आए। मैं निवेदन करूंगा कि पुलिस के इन्वेस्टीगेशन के मोड़ में कोई परिवर्तन नहीं। कभी गृह मंत्री और उनके उप-मंत्री वेश बदलकर जायं कम्पलेनेन्ट के रूप में जायें, सन्तरी अन्दर जाने नहीं देगा, सन्तरी से छूट गए तो मोर्हरिर कहेगा बैठ जाओ। जिसकी चोरी होती है उसको तीन घंटे बिठाते हैं कहते हैं अभी कोतवाल नहीं, बड़े बाबूजी नहीं। दो-तीन घंटे परेशान होते हैं, जब तक कुछ न कुछ ले नहीं तब तक कुछ नहीं पुलिस करती। अगर मौके पर पुलिस पहुंचती तो असलियत मालूम होती, उन लोगों को राऊंड अप कर सकती थी, लेकिन उनको मौका मिल जाता है। 99 प्रतिशत केसेज में यह हाल है, कहीं पुलिस अच्छी भी है। लेकिन आम तौर पर यह रिवाज, गाली गलौज से पेश आना, बदतमीजी से पेश आना। इससे मिस्क्रीएंट्स को डिफेंस का मौका मिल जाता है और पुलिस की तरफ से देरी यह साबित करती है कि वह उनके साथ है। कोई भी केस ले लें। कहीं कत्ल हो, कहीं फौजदारी केस हो। आप ताज्जुब करेंगे कि मेडिकल रिपोर्ट आती है और हमारे क्षेत्र में इसकी सीमा नहीं है।

दफा 324 के लिये एक हजार रुपया, 325 की दफा के लिये दो हजार रुपया और 326 की दफा का मेडिकल रिपोर्ट सर्टीफिकेट लेने के लिये तीन हजार रुपया लिया जाता है। कोई भी मामला है, 326 की दफा का सर्टीफिकेट आपको वहां पर मिल जायेगा। चालान के लिये यह टेक्नीकल जुर्म है। सारी केस की कार्यवाही वहां पैसे से हो जाती है। बिना पैसे के कुछ नहीं होता। जिस केस में जो कम्पलेनेन्ट है, उसको कोई मदद नहीं मिलती और दूसरा जो है उसको मदद मिल जाती है। इतना ही नहीं जिस केस में एस० पी० के लेविल तक की तफतीश हो जाती है, जिसका कि चालान हो जाता है कोर्ट में, उसमें आप यह जान कर ताज्जुब करेंगे कि ऊपर से सी० आई० डी० इन्सपेक्टर को तफतीश के लिये भेजा जाता है। एस० पी० की इन्क्वायरी, तफतीश के ऊपर सी० आई० डी० इन्सपेक्टर जाता है। यह देखकर आप ताज्जुब करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं मान्यवर कि एस० पी० की तफतीश पर उसके ऊपर की कैडर अधिकारी जाना चाहिये, सी० आई० डी० का आदमी भेजते हैं तो डी० आई० जी० की रेंक का आदमी भेजा जाना चाहिये या डी० आई० जी०, आई० जी० को जाकर जांच करना चाहिये।

(श्री केदारनाथ)

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप पांच, सात थाने को ले लीजिये, जिन थानेदारों में आपको विश्वास हो, जो आनेस्ट हों इफीशियेन्ट हों, उनको वहां पोस्ट कर सहूलियतें दीजिये। उनको वही-कैल्स दीजिये। उन पर कान्फीडेंस रखकर चलिये और उनके काम में आप दखल न करिये। फिर आप उनकी रिपोर्ट लें तो आपको मालूम होगा कि उन एरियाज की कन्डीशन्स में कितना इम्प्रवमेन्ट होता है।

मान्यवर, मैं अनूपगढ़ और सूरतगढ़ के बारे में निवेदन करूंगा। वहां जो जमीन है, वह सरकार की है और उसका अलाटमेंट गरीब व्यक्ति के नाम पर होता है। मैं आपसे पूछता हूं कि उनमें से कितने उस जमीन पर काश्त करते हैं, उस जमीन पर कोई और काश्त करता है और उस पर खड़ी फसल को कोई और काट ले जाता है। इस तरह से वहां पर लैन्ड लार्ड्स के झगड़े होते हैं। परन्तु वहां पर जो सी० आई० डी० पोस्ट है, वह इनएफीशियेन्ट है। यह उपद्रव कौन करते हैं, झगड़े फिसाद कौन करते हैं, इसके ऊपर सी० आई० डी० की कोई रिपोर्ट नहीं है। कौनसे बदमाशों का गिरोह फिर रहा है, इस पर कोई सी० आई० डी० रिपोर्ट नहीं है। वहां की सी. आई. डी. किसी काम की नहीं है। आप जानते हैं वहां बॉर्डर स्टेट्स हैं इसलिए वहां की सी० आई० डी० फोर्स को बहुत अलर्ट रहना चाहिए, इन्टेलीजेन्ट होना चाहिए। मर्डर हो जाते हैं किन्तु कुछ नहीं होता है। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं और खासतौर से हमारे गंगानगर जिले में आये दिन मर्डर होते हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आप जिस जिले से, गंगानगर से आये हैं, वहां अभी-अभी 10 मार्च को 8 वर्षीय एक लड़के उमेश कुमार को कुछ बदमाशों ने उड़ा लिया था और आज तक उस लड़के की बरामदगी पुलिस नहीं कर सकी और 17 तारीख को उस लड़के के टुकड़े टुकड़े कर उन बदमाशों ने फेंक दिये हैं। इसके विरोध स्वरूप गंगानगर में आज पूर्ण हड़ताल है और जनता ने कलेक्टर को घेर रखा है। अभी-अभी टेलीफोन से ये समाचार आये हैं और पुलिस ने, राज्य सरकार ने अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है, एक्शन नहीं ले रही है।

श्री केदारनाथ : मान्यवर, मुझे भी यह इत्तला मिली है। दो, तीन दिन पहले यह अपहरण हुआ था और उसका कत्ल कर दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि गृह मंत्री महोदय, आज ही वायरलेस द्वारा इस संबंध में सूचना लेकर अपने रिप्लाई में जो इस सदन में आज देंगे, उसमें लाजमी तौर से इस पर रोशनी डालेंगे।

मान्यवर, मैं कारागारों के बारे में निवेदन कर रहा था। जेलों के संबंध में एक मिशन बैठा था। इस संबंध में हमारे गृह मंत्रीजी यह कहेंगे कि हमने जेलों में इतना सुधार कर दिया है। सभापति महोदय, आपको जेल में जाने का मौका मिला है। आप जानते हैं कि जेलों की दशा क्या है? मैं तो जल में जाता रहता हूं। परन्तु आप अगर जायें तो आप जरा ध्यान से देखें। जिस कमरे में आप बन्द रहते हैं, उसकी कन्डीशन आप देखें। वहां न पीने के पानी की व्यवस्था है और न हवा के आने जाने का मार्ग है। वे तो केवल वैसे ही हैं जैसे राजाओं

(श्री केदारनाथ)

के वक्त में थे। आखिर यह मिशन किस बात का बिठाया था? जेलों में भोजन अच्छा नहीं मिलता, जेलों के कमरों की कन्डीशन अच्छी नहीं है। सेनेटरी नहीं है। आप हाथों पर हथकड़ी लगाते हैं, पैरों में बेड़ी डालते हैं, और जो आपके लॉकअप हैं, वे सब के सब पुराने हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके जेलों में भोजन अच्छा मिले, रहने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। हवा, पानी हो। इसका इन्तजाम आपको करना चाहिए। लॉकअप वैसे के वैसे हैं। पानी का, पेशाब करने का वहां इन्तजाम नहीं है। जो कमरे हैं, कोई हवा उनमें नहीं आती है। यह स्थिति है, राज्य के जेलों की और फिर आप कहते हैं कि सुधार किये हैं। आपके पास ही पंजाब है, हमारे यहां से बिल्कुल नजदीक है। वहां जेलों में कई सुधार हुए हैं। वहां भोजन अच्छा मिलता है। कोई शिकायत करते हैं तो जेलर अच्छी से अच्छी चीज पेश करने की कोशिश करता है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि आप इसकी तफतीश में जाकर सुधार कीजिये। इसी तरह आपके प्रोजीक्यूशन साइड में, इन्वेस्टीगेशन साइड में भी तब्दीली आनी चाहिए। दो साल हो जाते हैं, गंगानगर में किसी पुलिस थानेदार को? तो मैं सोचता हूं कि उसको काफी नफा हो जाता है। यह ठीक है। इसलिये आप जितने थानेदार भेजें, उसके साथ-साथ तय कर भेज दीजिये कि वह कितने अर्से तक रहेगा। एक बात तय कर दीजिये कि वे तीन, चार साल से ज्यादा गंगानगर के अन्दर न रहें। गंगानगर में काफी लूट होती है और उसमें उनका हिस्सा होता है। उस लूट के हिस्से में उनको भी 50, 60 हजार की आमदनी हो जाती है। मैं कहा करता हूं कि इस लूट के माल का आप बंटवारा कर दो। इससे समाजवाद तो आ जायगा। जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर के थानेदार को भी वहां भेजिये। पांच-पांच साल से गंगानगर में थानेदार मौजूद हैं। इसलिये इसकी कोई मियाद रख दीजिये। पुलिस में कई टॉप अधिकारी हैं। इस वक्त में पुलिस में काफी टॉप अधिकारी हैं। मान्यवर, 7 डी० आई० जी० हैं, तीन रेंज हैं। उसमें एक हैडक्वार्टर पर भी कर दी है। डिस्ट्रिक्ट में एस० पी० है और तीन डीवाई० एस० पी० हैं। टॉप लेविल का हेवी एडमिनिस्ट्रेशन आपने कर दिया है। पुलिस बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहे हैं, झगड़े फिसाद भी बढ़ रहे हैं, इसके इन्तजाम के लिए आप कहते हैं कि पुलिस फोर्स भी बढ़ना चाहिए। मान्यवर आप देखेंगे कि होम गार्ड के नाम पर, सिविल डिफेंस के नाम पर, सिक्यूरिटी फोर्स के नाम पर पुलिस की कितनी बड़ी ताकत पैदा कर दी है। सरकार यह सोचती है कि इसके कारण लॉ एण्ड आर्डर मेन्टेन होता है। मान्यवर, मैं कहता हूं सरकार का यह सोचना गलतफहमी होगी। अगर लोग करवट लें, खड़े होकर आन्दोलन करें, विद्यार्थी, मजदूर, किसान अपनी वाजिब मांग करें तो मैं कहता हूं उनको रोकने की पुलिस में कोई क्षमता नहीं है। वह उस वक्त लॉ एण्ड आर्डर मेन्टेन नहीं कर सकती। यह तो वे पोलिटिकल पार्टीज हैं, जिसकी क्षमता और लोगों की नेकनीयती है कि लॉ एण्ड आर्डर की व्यवस्था बनी हुई है। लोग सरकार के प्रति विद्रोह करने की सोच लें तो यह पुलिस, मान्यवर इन्तजाम नहीं कर पायेगी। मैं नहीं कहना चाहता हूं—आपने यहां कहा कि हमने कन्विक्टेड आदमी की सजाएं कम कर दीं। आपने पोलिटिकल

(श्री केदारनाथ)
वर्कर्स पर कितने ही केसेज चला रखे हैं। कितने ही सैन्ट्रल के एम्पलाईज पर केसेज हैं। उनके बारे में आप कहते तो ठीक होता। उनको आप वापिस लें। इनके खिलाफ एवीडेन्स आप अभी तक प्रोड्यूस नहीं कर पाये हैं। वे वापिस होने के लायक हैं। स्ट्राइक खत्म हो जाय तो जिसके कारण से वे जेल गये हैं, उनके खिलाफ केसेज विथड्रा कर लेने चाहिए। यह अपीजमेंट की पालिसी आप छोड़ दें। सैन्ट्रल के जितने एम्पलाईज है, उनके केसेज को आप विथड्रा कर लीजिये।

मान्यवर, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक स्पेशल कमीशन, स्टैंडी कमेटी बिठाई जाय, जो यह स्टैंडी करे कि कितने क्राइम बढ़ रहे हैं, उनके क्या कारण हैं। वह थानों का री-मोडलिंग करें। किन किन वजहों से क्राइम क्राप हो गया है, उसके बारे में स्टैंडी हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय-उपाध्यक्ष महोदय

(2.29 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

ज्युडिशियरी के बारे में एक लफ्ज और कहना चाहता हूं। वह है मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के बारे में। इसका सिलेक्शन आप पब्लिक सर्विस कमीशन से लेकर हाई कोर्ट को सौंप दीजिये। पब्लिक सर्विस कमीशन में श्री रामचन्द्र जी हमारे आदमी हैं। उनकी क्या मन्शा है, यह हम जानते हैं। ऐसे आदमी के हाथ से छुड़ाकर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का सिलेक्शन इस ज्युडिशियरी को दे दीजिये। यही कहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल !

श्री शंकरलाल (जैतारण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग और जल प्रशासन के संबंध में मैंने दो कटौती के प्रस्ताव रखे हैं। पुलिस का जहां तक संबंध है चोरियों का पता न लगाने के बारे में कटौती का प्रस्ताव दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह निर्विवाद है कि पुलिस का जहां तक ताल्लुक है, पुलिस का फर्ज है कि वह जनता के जान माल और सम्पत्ति की रक्षा करे लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य होता है और दुख है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर गत वर्ष जितनी चोरियां हुईं उनमें से एक का भी पुलिस पता नहीं लगा सकी। सन् 1968 के आंकड़े मिले हैं उससे यह तो मालूम हुआ है कि राजस्थान के अन्दर आम तौर पर अपराधों के अन्दर वृद्धि हुई है। आप यदि 64 और 68 की चोरियों के मामले देखें तो आपको पता चलेगा चोरियों के आंकड़ों में भारी वृद्धि हुई है। सन् 64 में 1823 मवेशियों की चोरी हुई वहां 68 में जाकर 2144 मवेशी चोरी गई। दूसरी प्रकार की चोरियां 64 में 6502 हुई जब कि 68 में 7855 संख्या तक पहुंच गई है। ये बढ़ते हुए आंकड़े इस बात के द्योतक हैं कि हमारी राजस्थान की पुलिस चोरियों का पता लगाने में असमर्थ रही है।

यह बात सही है कि राजस्थान पुलिस ने कुछ वैज्ञानिक तरीके चोरियों को पकड़ने के बारे में अपनाने का काम शुरू किया है। मूर्तियों की चोरियों का मामला आम जनता के सामने गंभीर मसला बन गया है। इसमें कुछ मूर्तियां बरामद कर ली गई हैं। एक जैतारण तहसील के अन्दर बलून्दा के जैन मन्दिर की मूर्ति, कालू के जैन मन्दिर की

(श्री शंकरलाल)

मूर्ति की चोरी का पता अब तक नहीं लग पाया है। ऐसे मामलों में वैज्ञानिक तरीका आपका कहां गया ? वास्तविकता में कहां है वैज्ञानिक तरीका ? हमने देखा है जब कभी उस इलाके में चोरियां होती हैं तो बावरी और मीणों को बुलाकर पुलिस उनको पूछती है। पुलिस अफसर कहते हैं तुमने ही चोरी की इससे उनको पीटते हैं फिर भी उनसे पता नहीं लगा पाते। यह जो पीटने का पुराना तरीका किस प्रकार से अपनाते हैं जब कि आप कहते हैं कि हमने वैज्ञानिक तरीके अपनाये हैं। मारपीट करने पर भी पता चला नहीं पाते।

बलून्दा में चोरियां हुईं उसके लिए सौ बांभियों के परिवार रहते हैं उनको चारों तरफ से घेर लिया और उनको खूब बुरी तरह से पीटा। जब उनकी तरफ से कोई कहने वाला आता है तो कहा जाता है कि ये बावरी चोरी करते हैं। दूसरी तरफ बावरी कहते हैं कि हमें बहुत बुरी तरह से पीटते हैं फिर भी चोरी का पता नहीं लगा पाते। इस प्रकार का पुलिस का जो रवैया रहता है लोगों को पीटने का उससे लोगों में आम धारणा बन गई है राजस्थान की पुलिस जहां तक मेरे क्षेत्र का अनुभव है मेरे क्षत्र की चोरियों का पता लगाने में बिल्कुल असमर्थ रही है।

यह भी कहा गया हमने कुत्तों का दल दो से बढ़ाकर 6 कर दिये हैं और इन कुत्तों ने कई अपराधियों का पता भी लगाया है। यह तो बड़ी अच्छी बात है इन नये तरीकों से चोरियों का पता लगाया जाता है। लेकिन वास्तविकता तो हमारे सामने चोरियां जैन मन्दिरों में हुई हैं उनको पता अभी तक नहीं लगाया गया है। लेकिन दूसरा तरीका जो पीटकर अपना कसूर कबूल करवाना। वह तो अभी तक चल रहा है। क्या इस तरीके को बदला नहीं जा सकता ? जहां तक चोरियों का पता लगाने का सवाल आता है उसमें वैज्ञानिक तरीका अपनाया जाना चाहिए यह पुराने तरीके मार पीट के अब तो बिल्कुल बन्द किये जाने चाहिए। आज दूसरे देशों में जिस प्रकार से चोरियों का पता लगाया जाता है वहां से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जहां तक वैज्ञानिक तरीकों के इस्तेमाल का सवाल है हम अभी प्रारम्भिक स्टेज पर हैं। हमें इसी से सन्तोष नहीं मानना चाहिए। यदि इन तरीकों से चोरियों का ज्यादा पता लगाया जा सके तो हमें इसमें ज्यादा खर्च करना चाहिए।

दूसरा जहां स्टाफ बढ़ाने की बात होती है दो आदमी जहां तफ्तीश करने के लिए काफी होते हैं वहां चार-चार पांच-पांच आदमी चले जाते हैं लेकिन वे अपराधी का पता नहीं लगा पाते। इसलिये इसमें वैज्ञानिक तरीका अपनाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो पुलिस का प्रशासन है एस० पी० लेवल तक उनको इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वे आज के समय के अनुकूल अपने नीचे के पुलिस अधिकारियों को ढाल सकें। मौजूदा तहजीब, मौजूदा सामाजिक वातावरण, लोगों की भावनायें डेमोक्रेटिक सेटअप में किस प्रकार से जनता के साथ व्यवहार करना चाहिए यह बात एस०पी० के लेवल तक मिलती है लेकिन लोअर लेवल पर थानेदार सर्कल इन्स्पेक्टर जो नीचे का स्टाफ होता है वह अभी तक अपनी आदतों को बदल नहीं पाया है कि लोकतान्त्रिक शासन के अन्दर पुलिस का क्या कर्त्तव्य है। पुलिस थानों के सामने

(श्री शंकरलाल)
लिखा हुआ जरूर होता है "मेरे योग्य सेवा" लेकिन उनमें वैसी भावना नहीं है। इस कारण का पता लगाया जाना चाहिए।

यह भी कहा जाता है कि थानेदार को कम वेतन मिलता है इसलिये वह भ्रष्टाचार करता है। कम वेतन मिलता है, इसका तात्पर्य यह नहीं कि उनको भ्रष्टाचार करने दिया जाय। लोकतन्त्र के मूल सिद्धान्तों को ताक में रखें। अधिकतर जनता का संबंध नीचे के लेवल तक के अधिकारियों से रहता है। आज होता क्या है कि जो आदमी पुलिस में रिपोर्ट करने जाता है उसको दुत्कारा जाता है। उसको कहा जाता है अभी बैठो थानेदार साहब जब आयेंगे तब लिखेंगे। आज इसके कारण आम आदमी रिपोर्ट दर्ज करवाने जाना पसन्द नहीं करता। एफ०आई०आर०में डिले होती है। होना तो यह चाहिए कि जो भी आदमी थाने में जाय और जैसी कैसी भी वह रिपोर्ट लिखाना चाहे वह लिखी जानी चाहिए। झूंठी होगी तो झूंठी रपट लिखाने वाला दोषी होगा। रपट लिखाने जो जाते हैं उनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया जाता है। लोअर लेवल पर बहुत बुरा व्यवहार होता है। वे कहते हैं हमें तनख्वाहें कम मिलती हैं इसलिये भ्रष्टाचार करते हैं। यह जो धारणा है। इसको खत्म किया जाना चाहिए। इससे मेरे कहने का यह तात्पर्य नहीं है, अपोइन्टमेंट्स या प्रमोशन्स में भ्रष्टाचार होता है। लेकिन जो आम धारणा है इस प्रकार की वह क्यों बन जाती है इस कारण का पता लगाया जाना चाहिए। इसके बारे में मैंने पहले सुझाव दिया था कि होम मिनिस्टर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पुलिस प्रशासन की मदद के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी कायम करें। जो समय समय मिल कर देखें कि लोकतन्त्र के आधार पर पुलिस काम करती है या नहीं। इस तरह से जनता का कोआँपरेशन भी रहेगा। और वह कमेटी पुलिस प्रशासन को ज्यादा जनता के अनुकूल बना सकेगी। उसमें चाहे किसी पार्टी का आदमी क्यों न हो, वे मिल कर चर्चा करें, पुलिस वालों से सहयोग वे करें। इस स्कीम को इम्पलीमेंट करना चाहिए। पुलिस के अन्दर जो पुराना ढर्रा चला आ रहा है उसको खत्म किया जाना चाहिए। यह ढर्रा आज के जमाने के अनुकूल नहीं है।

इस संबंध में मैं यह भी कहूंगा कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के अन्दर जो भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करना है तो हमें इसके बारे में सख्ती से काम लेना होगा। सभी अफसर इस तरह के हों-यह मैं नहीं मानता। मैंने एक दो मामले बताये। बड़ी खुशी की बात है कि उसके बारे में सरकार ने सख्त एक्शन लिया है।

जैतारण के थानेदार को रिश्वत के मामले में सस्पेण्ड किया गया। एक दूसरा थानेदार है रेल्वे का, नाम उसका लेना नहीं चाहता, होम मिनिस्टर साहब कहेंगे तो बता दूंगा, उसका मामला है, उसने धन्धा बना रक्खा था इधर उधर से लड़कियों को उडाकर दूसरों के हाथों में बेच देना और उसका तबादला हो जावे तो लड़कियां वापिस चली जावें और फिर उनको दूसरों और तीसरों के हाथ बेच देना। शिकायत हुई उसकी। मुकद्दमा भी दर्ज हुआ। लैटर है उसके हाथ का। केस दर्ज हो गया तो उसको सस्पेण्ड क्यों नहीं किया ?

यह भी पूछना चाहूंगा कि ये जो एन्टी-करप्शन के मामले आते हैं उनमें हमारी मौजूदा डिस्ट्रिक्ट लेवल की पुलिस की मशीनरी

(श्री शंकरलाल)

कह देती है कि यह काम हमारा नहीं, एन्टी करप्शन विभाग वालों को कन्टैक्ट करो। मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मुझे सूचना मिली कि अमुक थानेदार ने पांच हजार की रिश्वत लेना एक केस में तै कर लिया है। पैसा इकट्ठा भी करता है। तीसरी जगह जाकर अफीम खाकर मर गया बिलाड़ा में। यह 302 का केस उसने रजिस्टर नहीं किया। मैंने कन्टैक्ट किया जोधपुर डी०आई० जी०से और एस०पी०आदि से कहा तो वहां से जवाब मिला—इसके लिये एन्टी-करप्शन विभाग में जाइये। यह अलग बात है कि हमारी दिलचस्पी लेने के कारण वह थानेदार वह रिश्वत ले नहीं सका। हम मौके पर पहुंच गये। उसे बिना रिश्वत लिये भागना पड़ा। पर मैं पूछता हूं उस थानेदार के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया। हमने होम मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, आई०जी० सबसे शिकायत की। इस प्रकार की शिकायतें सामने आवें तो सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। दूसरी तरफ जिला लेवल पर जो पुलिस अधिकारी एडीशनल एस० पी०, एस०पी० या डी०आई० जी० हैं उनको भी आप एन्टी-करप्शन के अधिकार दें। 35 आपके पास एस०पी०हैं, 47 एडीशनल एस० पी०हैं, इतना होने पर भी वे चोरी डकैतियों का पता पूरा नहीं लगा सकें और फिर एन्टी-करप्शन के मामले में कहें कि एन्टी- करप्शन विभाग जावे तो यह अच्छी बात नहीं है। एडीशनल एस०पी०को अधिकार दिये जाने चाहिये कि वे एन्टी- करप्शन के मामले भी पकड़ सकें।

मैंने न्याय के संबंध में न्याय प्रशासन से संबंधित एक कटौती का प्रस्ताव भी रक्खा है। वह इसलिये रखा कि पाली जिले में बाली और देसूरी दो तहसीलें हैं और बाली सब-डिस्ट्रिक्ट भी है। जिस समय सिरोही जिले में आबू रोड नहीं आया था तो सिरोही जिले से यह मांग की गई थी कि सिरोही का महत्व बढ़ाने के लिए बाली--देसूरी के जो सिविल और दीवानी मुकद्मे हैं वे सिरोही के एडीशनल सैशन जज डील करें तो इस के लिये यहां के मुकद्मे वहां जाने लगे। पर अब जब कि आबू रोड वापिस सिरोही जिले में आ गया है तो उसका महत्व बढ़ गया है और अब बाली और देसूरी के मुकद्मे वापिस आ जाने चाहिए। इस समय आंकड़े देखे जावें मुकद्मों के तो सिरोही में बहुत ज्यादा मुकद्मे हो गये हैं। तो वैसे भी वहां से भार कम करना चाहिए। इनमें बहुत बड़ी संख्या बाली—देसूरी के मुकद्मों की ही है। फिर बाली, देसूरी में बाली बहुत बड़ा सब-डिस्ट्रिक्ट है जहां जाने का जनता का रोजमर्रा का काफी और काम भी पड़ता है। पाली में भी लोग कलक्टरी के काम से काफी जाते हैं पुलिस केसों के लिये पर सिविल केसों के लिए सिरोही जाना पड़े तो काफी परेशानी जनता को इससे हो रही है। बाली और देसूरी पाली जिले के अधिकार क्षेत्र में पड़ते हैं तो फिर वे लोग दूसरे जिले में अब क्यों जावें? इसलिये अब इस मामले को जल्दी से निपटा देना चाहिए और वहां की जनता के मामले पाली में ही डील किये जावें तो इससे जनता को सहूलियत मिलेगी। एक काम के लिये पाली जाना और दूसरे मुकद्मों के लिए सिरोही जाना यह बहुत दिक्कत पैदा करने वाला मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीदत्त गाड़िया।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के वित्त मंत्रीजी ने पुलिस विभाग को इस नये बजट में जो रकम दी है वह 51-52 के मुकाबले में बहुत ही अधिक है। 51-52 में 261.10 लाख का पुलिस का खर्चा था, जो कि बढ़ता बढ़ता 69-70 में 1058.25 लाख हो गया है। लेकिन अत्यन्त दुख के साथ कहना पड़ता है जिस रफ्तार से खर्चा बढ़ा उस रफ्तार से पुलिस में दक्षता और कार्यक्षमता घटती गई है। बढ़ने का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। जिस पुलिस पर हमारी आय का इतना बड़ा हिस्सा खर्च होता है वह पुलिस आये दिन होने वाली डकैतियों, चोरियों और हत्याओं का पता नहीं लगा पाई है। यह इस बात का द्योतक है कि राजस्थान की पुलिस आज बहुत ही ज्यादा अकर्मण्यता की ओर बढ़ रही है।

इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के इन कांग्रेसी नेताओं और मन्त्रियों ने पुलिस के अधिकारियों पर इतना पोलिटिकल प्रेशर डाल रखा है आज कि वे लोग चीफ मिनिस्टर के, मिनिस्टर के और डिप्टी मिनिस्टरों के दरवाजे खटखटाने के अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं करते। मुझे अत्यन्त खेद के साथ यह और कहना पड़ता है कि जिस अधिकारी को अपना प्रमोशन लेना हो या अपना स्थानान्तरण करवाना हो, यदि अपने पर आने वाले किसी भ्रष्टाचार के मामले को दबवाना हो तो गृह मंत्री के घर पर नहीं, पर मुख्य मंत्री के द्वारा थोपे गये उनके अपने कृपापात्र राज्य मन्त्री के दरवाजे पर जाकर हाजरी दो। आज राजस्थान के गृह मंत्रीजी पुलिस के प्रशासन को चलाने में असफल हो रहे हैं। इसका कारण है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री सुखाड़ियाजी कूटनीति में माहिर हैं। राजस्थान के गृह मन्त्री दामोदरजी, जो कि जयपुर क्षेत्र के हैं, उनकी राजनैतिक गतिविधियों को कमजोर रखने के कारण माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उनके प्रभाव को घटाये रखने के लिए उनके पीछे अपने क्षेत्र का जो राज्य मन्त्री गृह, हैं हीरालालजी देवपुरा, उनको उनके पीछे दुम की तरह लगा दिया है। और इसलिए आज पुलिस का हरएक अधिकारी यह समझने लगा है कि अगर वास्तव में उसको प्रगति करना है या प्रमोशन लेना है या अपने भ्रष्ट कारनामों को दबवाना है तो गृह मंत्री के दरवाजे पर हाजरी देने से कोई फायदा नहीं होगा। राज्य मंत्री गृह के घर पर हाजरी देने से फायदा होगा क्योंकि मुख्य मंत्रीजी के वे खास आदमी हैं और उनके इशारे पर उनकी तुरन्त तरक्की हो सकती है, या उनके सभी काम आसानी से हो सकते हैं। इस प्रकार प्रशासनिक व्यवस्था में भी राजनीति का दौर दौरा चल रहा है और यही कारण है कि पुलिस के अन्दर भी अव्यवस्था का साम्राज्य है।

आज पुलिस के द्वारा मामले अदालतों में चलते हैं उनमें 57.9 मामले पुलिस के पक्ष में फैसल हुए हैं जब कि 43 पर्सेंट मुलजिमों के पक्ष में हुए हैं। यह इस बात का सबूत है कि पुलिस कितने अधिक मामले झूंठे या गलत चलाती है और लोगों को तंग करती है। इस संबंध में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा जांच कराई जाय कि इसकी जड़ में क्या कारण है। इसके साथ साथ मैं यह भी सुझाव दूंगा कि पुलिस के अधिकांश मुकद्दमे मजिस्ट्रेटी में, मुन्सिफी में और सिविल जजी में जाते हैं तो उन लोगों की एक मीटिंग बुलाई जावे, जो भी इन कारणों के बारे में जांच करे और उनके द्वारा जो सुझाव दिये

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

जावें उनको अमल में लाया जावे और इस लिये अगर सरकार को कानून में भी परिवर्तन करना पड़े तो वहां भी परिवर्तन किया जावे या जो पुलिस के अकर्मण्य अधिकारी हैं, अयोग्य अधिकारी या काम करने वाले हैं, जो लिखना नहीं जानते, कानून को सही रूप से नहीं जानते-उस संबंध में सख्ती से कदम उठाये जावें ताकि उनको भी ठीक किया जा सके। जो नान-मैट्रिक हैं, लिखना नहीं जानते उनको लिखना सिखाया जाय ताकि उनकी एफ० आई० आर० का लाभ मुलजिम को नहीं मिल सके। वे सही ढंग से लिखी जा सकें।

इतना ही नहीं आज पुलिस माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने कारनामों को दबाने के लिये जन सम्पर्क के द्वारा प्रतिवाद निकलवाती है। एक समाचार दैनिक राष्ट्र-दूत में आया है, जोधपुर में सूरसागर स्थान है, वहां मोतिया पहाड़ है। उस पहाड़ पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा पाकिस्तान का झंडा लहराः और इतना ही नहीं राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने प्रतिवाद किया कि इस पहाड़ी पर कोई पाकिस्तानी झंडा नहीं लहराया। इस संबंध में मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के पटल पर फिदुत्तर स्थान पर उस पाकिस्तानी झंडे का फोटो रखता हूँ, वह मेरे पास है उसमें चन्द्रमा और सितारे का निशान है और झन्डे में सफेद पट्टी है। इस फोटो में स्पष्ट है लेकिन हमारी सरकार उस संबंध में तत्परता से काम नहीं करना चाहती है। इतना ही नहीं वह स्थान सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हमारी मिलिटरी में सुरक्षित स्थान घोषित कर रखा है। 1965 के अन्दर जिस समय पाकिस्तान ने जोधपुर में हवाई आक्रमण किया था, उपाध्यक्ष महोदय, इसी स्थान से पाकिस्तानी तत्वों ने टार्च से हवाई जहाज को संकेत दिया था। यह स्थान किसकी इजाजत से बना, यह मजार नहीं था लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी तत्वों ने उस स्थान को सुरक्षित समझ कर मस्जिद के रूप में बनाया।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें कटौती प्रस्ताव में नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : नहीं है। कटौती प्रस्ताव है। उपाध्यक्ष महोदय है।

श्री उपाध्यक्ष : इसका नहीं है।

श्री देवीदत्त गाडिया : हां है, उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में इतना ही नहीं एक स्थान की ओर जिसके अन्दर 30-40 व्यक्ति बैठ सकते हैं, छिप सकते हैं, मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इस पर सख्त कदम उठाये। इतना ही नहीं आपको सुनकर ताज्जुब होगा, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन को सुनकर ताज्जब होगा, हमारे हिन्दुस्तान में जो विदेशी दूतावास है और जो दिल्ली में रहते हैं किसी प्रोविन्स में जायं तो केन्द्रीय सरकार को सूचना देनी चाहिए लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है रूस के दो वरिष्ठ अधिकारी 15 नवम्बर, 68 को—इस नवम्बर के महीने में रसियन अधिकारी जीप के द्वारा जोधपुर आये और जोधपुर से जैसलमेर, जैसलमेर से बाड़मेर और बाड़मेर से बालोतरा आये और कम्युनिष्ट पार्टी के कार्यकर्त्ताओं को साथ लेकर गुप्त वार्ता की। मैं राजस्थान की सरकार से पूछना चाहता हूं आपकी क्या रिपोर्ट है। आपने केन्द्रीय सरकार को क्या जानकारी

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

दी ? लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान सरकार की पुलिस के अधिकारी जहां एस०पी० रहते हैं, सैन्ट्रल सी०आई०डी० रहते हैं और यह सीमावर्ती जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा ऐसे स्थान थे वहां रसियन ऐम्बेसी के आदमियों का आना, गुप्त वार्ता करना सीमा सुरक्षा के लिये खतरा है। यह चीन और रूस का दबाव है—सीमावर्ती इलाके में वरिष्ठ अधिकारियों का आना हमारी सरकार की निष्क्रियता का द्योतक है। न कलेक्टर ने कार्यवाही की, न पुलिस ने कार्यवाही की। इस संबंध में जांच करें और केन्द्रीय सरकार को लिखें ताकि रसियन एम्बेसी के अधिकारी हमारी सीमाओं में आकर गुप्त वार्तायें न करें। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है इस पर सख्त कदम उठायें।

इतना ही नहीं हमारी राजस्थान की सरकार का दो करोड़ का बजट है जयपुर जिले में करीब तीन हजार पुलिस के सिपाही रहते हैं। मैसिंग अलाउंस के नाम पर घोषणा की है कि पुलिस के कर्मचारियों को प्रति माह 12 रु० दिये जायें। इन गरीब पुलिस के कर्मचारियों को 12 रु० दिये जाने चाहिये वह नहीं दिये जाते हैं केवल 5 रु० दिये जाते हैं लेकिन ये पुलिस के अधिकारी 12 रु० प्रति माह राज्य सरकार से ड्रा करते हैं वह किस मद में जमा करते हैं? क्यों नहीं यह उनको दिया जाय? जिन पुलिस कर्मचारियों की 40 डाइट लगेगी उनको मिलेगा इसलिए पुलिस के अधिकारी उनको तामील करने के बारे में गांवों में भेजते हैं। अब वह उस समय में मैस में कैसे भोजन करेगा। केन्द्रीय सरकार ने नियम बना रखे हैं 25 रु० मांहवार मैसिंग अलाउन्स मिलता है तो राजस्थान की सरकार क्यों नहीं देती है? इतना ही नहीं उन कर्मचारियों के लिए एक दिन का एक रुपया 6 पैसे डाइट लगाया जाता है जबकि मैस में कम आता है और 53 पैसे की डाइट नहीं आती है तो जबरदस्ती करते हैं कि तुम हलुवा पुड़ी बनवाओ। वह गरीब आदमी इन्कार कर देता है। मैं कहता हूं अगर पैसे बचते हैं तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? इन पुलिस के कर्मचारियों से हमदर्दी नहीं है। राजनैतिक पार्टी आन्दोलन करती है तो पुलिस के अधिकारी एक तरफ बैठे रहते हैं। जब कोई आपत्ति आती है तो एस०पी० बच जाता है, डीवाई० एस० पी० बच जाता है और छोटे छोटे कर्मचारी फंस जाते है और उन पर मुकदमे चलाते है। इतना ही नहीं हमारा शाहपुरा क्षेत्र है उसका एक कान्सटेबिल श्री बन्सी सिंह वह राजस्थान अराजपत्रित कर्मचारियों की जो यूनियन है उसका मंत्री है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सचिवालय से चीफ सेक्रेट्री ने एक आदेश भेज रखा है जितनी भी यूनियन ह सरकारी विभागों की उन कर्मचारियों की यूनियन के प्रतिनिधियों का परिवर्तन न किया जाय। मैं गृह मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं चीफ सेक्रेट्री के आदेशों की पालना नहीं हुई। आई० जी० ने ध्यान क्यों नहीं दिया, डी० आई० जी० ने ध्यान क्यों नहीं दिया? इस कर्मचारी का, उपाध्यक्ष महोदय, प्रति माह ट्रांसफर करते है। 6-6 बार इसका ट्रांसफर करते हैं। यह शाहपुरा में था तो वहां का थानेदार श्री पदम सिंह इस गरीब आदमी पर इस तरह टूट पड़ा जैसे एक भूखा भेड़िया टूटता है। उस थानेदार ने उस बेचारे गरीब का बाया हाथ तोड़ दिया। वह जयपुर आया और उसने बेचारे न अपना मेडिकल करवाया। मैं कहता हूं यह सारी साजिश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की है क्योंकि वह यूनियन

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

चलाता है, कहते हैं, तुमने पुलिस की यूनियन का संचालन किया है। पहले इस व्यक्ति को टरमिनेट कर दिया था। इस व्यक्ति ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के अंदर आये दिन डकैतियां पड़ती हैं। शाहबाद, धोलपुर, सवाई माधोपुर में आये दिन डकैतियां पड़ती हैं, डकैतियां ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के कोटा के एस० पी०, सवाई माधोपुर रेल्वे पुलिस के एस० पी० ने एक जांच की थी कि कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के हथियार पकड़े गये थे। पुलिस के अधिकारियों की इस प्रकार की रिपोर्ट है। मेरी जानकारी के अनुसार आज जो राजस्थान के अन्दर डाकू हैं उन डाकुओं के पास पाकिस्तान के शस्त्र हैं, मशीन गनें हैं, टोमी गनें हैं। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान के हथियार डाकुओं के पास आये कैसे? छम्ब क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर में है वहां से पाकिस्तान के शस्त्र आये हैं। इस राजस्थान की सरकार ने क्यों नहीं ध्यान दिया? डाकू पकड़ने में आते नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं आज के 4-5 रोज पहले बारां क्षेत्र में शीशवाली में जो डकैती पड़ी उसमें पुलिस का हाथ है। पुलिस वाले डाकुओं से मिले हुए हैं।

(3 म० प०)

उस समय के तत्कालीन डी० एस० पी० मानसिंह, जिसकी डाकुओं से सांठगांठ थी, के खिलाफ, उपाध्यक्ष महोदय, इन्टेलीजेन्स ब्यूरो के पास ...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! इसका पहले आपने उल्लेख नहीं किया है कटौती प्रस्ताव में इसलिए यह महान हानिकारक है..

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, आपने निर्णय दिया था कि संबंधित व्यक्ति का नाम दिया जा सकता है। यह मामला बड़ा गम्भीर है, उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। यह मामला बहुत पुराना है और इसको आप पहले भी ला चुके हैं दो-तीन बार।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं इस संबंध में नयी बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : तो फिर आप नाम से नहीं कहेंगे यों ही कह देंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ठीक है। मैं यह कहना चाहता हूं कि उसके ऊपर दो किलो सोने को हड़प करने का आरोप था और वह जांच आज भी दबी हुई है। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, एक डाकू है, अमृतलाल नाम से वह पकड़ा गया और उसके पास लूट की एक पोटली थी जिसमें सोने-चांदी का जेवर था। मांगरोल में 3 व्यक्तियों को बुलाया गया और उनके सामने खोली गयी तो माल निकला। तो डी० एस० पी० ने भगा दिया और वह माल हज़म कर गया। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अमृतलाल डाकू जो मारा गया उसने भी डाका डाला था और उसने जो सोने चांदी का माल लूटा था कोटा के एस० पी० ने लूट का माल बरामद किया था। मध्य प्रदेश में जाकर, उपाध्यक्ष महोदय, 14 हजार रुपया नकदी चांदी के झाड़साई सिक्के के और मध्य प्रदेश के गांव में जिसका नाम है, उपाध्यक्ष महोदय, छीतिया बेड़ा कहां चूने के ढेर में से माल निकाला था वह कहां गया? किस मद में गया? सरकार इसका जवाब देगी।

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे इस इलाके में आये दिन चोरियां और डकैतियां होती हैं उसमें न चोर पकड़े जाते हैं न डाकुओं का पता लगता है। हत्यायें आये दिन होती हैं लेकिन इन पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ कोई शिकायत करे तो राजनैतिक आधार पर नारा देकर कि जनसंघ वाले इनके खिलाफ हैं उनको कोई सजा नहीं होती है, उनके खिलाफ कोई जांच नहीं होती है। और अगर कोई जांच होती भी है तो दबा दी जाती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस ओर सरकार तुरन्त ध्यान दे।

इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर के अंदर बाड़ी नामक स्थान है। बाड़ी के पुलिस स्टेशन पर 17-2-69 को एक रिपोर्ट हुई कि एक सांसी औरत फरार हुई जिसको वहां के थानेदार ने 19-2-69 को बरामद किया और उस औरत को 4 दिन तक थाने में रखा गया। मैं पूछना चाहता हूं कि किस नियम के अन्तर्गत उसको थाने में रखा और क्यों नहीं उसको जेल में रखा गया? 4 रोज तक उसका रोजनामचा नहीं लिखा गया और सी० ओ० ने रोजनामचे को अपने पास रखा जो कि एक सादा सफेद कागज पर लिखा था। उसमें लेने देने का सौदा चल रहा था। जब रुपया पुलिस को नहीं मिला तो, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उस पुलिस के थानेदार ने उसके साथ बलात्कार किया और उस बलात्कार से उस औरत ने दुखी होकर थानेदार के मकान पर जाकर 70 फीट की ऊंचाई से गिरकर आत्म-हत्या कर ली। यह, उपाध्यक्ष महोदय, 23-2-69 की घटना है। तो 24 तारीख को सुबह ही चार-पांच बजे पुलिस के अधिकारियों ने अपने पापों को छुपाने के लिए पुलिस के सिपाहियों को भेजकर श्मशान में जलाने के लिए उस को भेज दिया। जब जनता को सारी बातें मालूम हुईं तो जनता उस लाश को वापिस ले आयी। मैं पूछना चाहता हूं कि जब औरत ने आत्म हत्या की तो उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया, उसका डाइंग डिक्लेरेशन क्यों नहीं करवाया गया? जो भी डाइंग डिक्लेरेशन कराया गया वह फर्जी है और वह किसी के सामने नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गम्भीर है और हमारी राज्य सरकार ने उस मामले को दबाने के लिये एक एस० डी० एम० की नियुक्ति की है लेकिन उसका कहना है कि इसकी जांच करने के लिए मैं असमर्थ हूं एक सप्ताह के अंदर।

इतना ही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार जहां कि चोरियों और डकैतियों का पता लगाने में असमर्थ है, जन जीवन की सुरक्षा आज पुलिस नहीं कर सकती है, राजस्थान में लॉ एण्ड आर्डर का नाम नहीं है वहां हमारी सीमायें भी असुरक्षित हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान के अन्दर जैसलमेर जिले के अन्दर एक कांग्रेसी प्रधान जो कि ग्राम पंचायत काछी के प्रधान हैं जिनका नाम[××××]है उसके घर में तस्करी से संबंधित माल बरामद किया गया ... ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इसको कटौती प्रस्ताव में दिया नहीं है आपने...

×××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाला गया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं उस प्रधान का जिक्र कर रहा हूं जिसका नाम [×××] है और उसके घर पर तस्करी से संबंधित माल पकड़ा गया है . . . . .

श्री उपाध्यक्ष : बिना सूचना के नहीं उठायें। नाम एक्सपन्ज कर दिया जाये।

श्री भैरोंसिंह : पाइन्ट आफ आर्डर सर, उपाध्यक्ष महोदय, हमें कम से कम एक व्यवस्था से तो परिचित करा दिया जाये कि जब कांग्रेस पक्ष के कई सदस्यों ने कई व्यक्तियों के नाम लिये और उसके लिए प्रोटेस्ट किया तो आपने कहा कि नाम लिया जा सकता है। अब एक प्रधान का नाम लिया और आपने एक्सपन्ज कराने के आर्डर्स दे दिये। इन दोनों में कहां तक तारतम्य है इसका थोड़ा स्पष्टीकरण कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना जिक्र कर रहे हैं। उनका किसी एवीडेन्स में रेफरेन्स आया था। तो ऐसी बात नहीं कही गयी थी जो कि यहां पर कही जा रही हो। क्या चीज कही जाती है, क्या बात कही जाती है उसके ऊपर डिपेन्ड करता है?

श्री भैरोंसिंह : बिरला का एजेन्ट बता दिया था और बिरला का एजेन्ट बताना यदि संसद की प्रक्रिया में आ सकता है तो प्रधान के घर में तस्करी का माल पकड़ा जाये तो क्या उसका नाम लेना संसद की प्रक्रिया में नहीं आता ?

श्री उपाध्यक्ष : तस्करी का माल कहना और एजेन्ट कहना दोनों में फर्क है।

श्री भैरोंसिंह : वह व्यक्ति जो तस्करी का माल लाकर हिन्दुस्तान की इकोनामी को डिस्टर्ब कर रहा है उसका नाम लेने में आपत्ति हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : अपराध से उसका संबंध नहीं है। इसमें जो शब्दों का प्रयोग हुआ है उससे संबंधित है। किसी को एजेन्ट कहना बोलचाल की भाषा में है और खास तौर से जब उसको गवाह के तौर से डील कर रहे हैं। वह एक और बात होती है और तस्करी का माल रखना यह अपराध है और वह अपराध की संज्ञा में नहीं आता है—यह महा हानिकारक है और अपराध भी है।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा। सदन में किसी चोर का, डाकू का नाम नहीं लिया जा सकता है क्योंकि वह डिफेन्स में नहीं खड़ा हो सकता है। सदन में नहीं आ सकता है। यही मतलब है आपका ?

श्री उपाध्यक्ष : नियमों में व्यवस्था है कि पहले सूचना दे दी जाये ताकि उसके संबंध में दूसरा पक्ष भी जवाब दे सके। यह इसके लिए रखा गया है कि दूसरे पक्ष से जवाब आ जाये उसका। इसलिए पूर्व सूचना देकर किसी मसले को उठा सकता हूँ। अगर नाम लेना चाहते हैं तो 2 घन्टे पहले दें।

श्री भैरोंसिंह : [×××] को सूचना नहीं दी जा सकती।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार को सूचना दे दें और आसन को भी सूचित कर दें। नियमों में ऐसा प्रावधान है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौन से नियम में है?

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

Page No 115

श्री उपाध्यक्ष : यह बता दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप बता दें कि कौन सा नियम है? मैं भी निकाल लूं और आप भी निकाल लें।

श्री उपाध्यक्ष : नियम 273 "No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation inte the matter for the purpose of a reply."

इसका इतना ही उद्देश्य है इससे आगे नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें यह इन्टेन्शन कहां है कि किसी का नाम नहीं ले सकते?

श्री उपाध्यक्ष : फिर भी इसमें इतनी लेक्सिटी दी है कि डिफेमेटरी हो तो नाम से नहीं आये तो यह उसमें सुधार है जो कि डिबेट करने वाले माननीय सदस्य के पक्ष में बात पड़ती है वरना तो डिबेट करना इम्पासिबल हो जायेगा बिना सूचना के।

श्री भैरोंसिंह : जो प्रधान तस्करी का माल लेकर रखे....

श्री उपाध्यक्ष : फिर माननीय सदस्य उसी को दोहरा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : फिर तो डिबेट करने में कोई तुक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप ऐसा कह दें कि एक प्रधान है।

श्री धवलाल : जब केवल प्रधान शब्द का प्रयोग करेंगे तो माननीय मंत्री महोदय पूछेंगे कि उसका नाम क्या है....

श्री उपाध्यक्ष : फिर आपको यह चाहिए कि नियमों के अनुसार उसकी सूचना दे दें अगर आप इन्सिस्ट करते हैं तो।

आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष, मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं कि पंचायत समिति के प्रधान के यहां से पाकिस्तान से आया हुआ तस्करी का सामान करीब 70 हजार का, जिसमें सूत और दो मन घास जो कि दवाइयां बनाने के काम आता है, आदि सामान पकड़ा गया और उसके साथ-साथ प्रधान का भाई भी पकड़ा गया जिसका नाम [×××] था...

श्री उपाध्यक्ष : एक्सपन्ज किया जाय नाम को।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है...

श्री भैरोंसिंह : On a point of information, Sir. उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप नाम को एक्सपन्ज करते हैं तो इन प्रोटेस्ट हम नहीं बोलेंगे और, उपाध्यक्ष महोदय, अपनी व्यवस्था रखकर बैठे रहें।

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

(श्री भैरोंसिह)

जो आदमी पकड़ा गया था उसका नाम नहीं लेंगे तो किसका नाम लेंगे ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रधान का भाई पकड़ा जाय उसके नाम को डिक्लेयर किया गया तो आप पहले 273 को तो पढ़ लें एक बार।

श्री उपाध्यक्ष : आप पढ़ लें। मैंने पढ़कर रखा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर पढ़ लें। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि कन्सर्न्ड रूल में यह पर्टीक्युलर्ली नहीं है कि प्रधान का भाई तस्करी में शामिल पकड़ा जाय और उसका नाम हाउस में लिया जाय तो उसका नाम नहीं ले सकते और नाम लेंगे तो एक्सपन्ज करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन कर दूं कि नाम लिया जा सकता है लेकिन साथ में कष्ट करना पड़ेगा कि आप आसन को सूचित कर दें और मंत्री महोदय को सूचित कर दें और उसके बाद में आप नाम लें। दूसरा पक्ष भी तो इसका होता है।

श्री भैरोंसिह : नाम लेने से क्या चोर पकड़ा गया ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस संबंध में मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर इस रूल का इन्टेन्शन क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : इन्टेन्शन यह है जो मैंने स्पष्टीकरण कर दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप पढ़ लें एक बार। क्या दिक्कत है।

श्री उपाध्यक्ष : आप पढ़ दें, मैं सुन लेता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : "No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply."

जवाब देने के अन्दर उनको सहूलियत हो इस बात के लिए है सारी चीज।

श्री उपाध्यक्ष : यही मैंने निवेदन किया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने यह बात नहीं कही है।

श्री उपाध्यक्ष : यही कहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपका आब्जर्वेशन जनरल था कि नाम नहीं ले सकते। जवाब के लिए तो गवर्नमेंट कह सकती है कि नोटिस आपका प्रीवियस नहीं है इसलिए माननीय सदस्य ने जो बात कही है प्रधान के सम्बन्ध में, मैं समझता हूं कि उसका जवाब नहीं दे सकता, लोक सभा में अभी 14 तारीख को हरिभाऊजी के आर्टिकल के बारे में चव्हाण साहब ने कह दिया कि इसकी मुझे पर्सनल इन्फार्मेशन नहीं है इसलिए जवाब नहीं दे सकता। लेकिन हाउस में नाम नहीं लें तो डाकुओं का नाम लेंगे तो क्या डाकुओं को नोटिस देंगे ? तस्करी करने वालों को नोटिस देंगे या पाकिस्तानी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

एजेन्ट के बारे में कहेंगे तो क्या पाकिस्तानी एजेन्ट को नोटिस देंगे ? मेरी समझ से यह इस रूल का कभी भी इन्टेन्शन नहीं था। मिनिस्टर को फेसिलिटेट करने के लिए कि वे रिप्लाई दे सके, मिनिस्टर इस बात की प्ली ले सकते थे कि प्रीवियस इन्टीमेशन होती तो उस अधिकारी या उस व्यक्ति के सम्बन्ध में जानकारी करके सदन को जानकारी दे सकता था। यह प्ली वे ले सकते हैं। यहां बोलने से रोकने के लिए और कोई शब्द या नाम ले लिया जाय तो उसको एक्सपन्ज करें-यह इसका इन्टेन्शन नहीं। माननीय उपाध्यक्ष, हम आपका नाम कई बार दिन में लेते हैं और उसके लिए आपको नोटिस नहीं देते हैं तो क्या उसको एक्सपन्ज करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : इतना सीमित उद्देश्य उसका नहीं है। उसका उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति का नाम ले लिया जाय बिना किसी सूचना के तो दूसरा पक्ष जवाब नहीं दे सकता।

श्री भैरोंसिंह : दूसरे पक्ष को एतराज नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : होता है एतराज। अगर जवाब की जरूरत नहीं है तो जानेदें।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट एतराज करे और जवाब नहीं दे तो समझ में आ सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : सिर्फ जवाब की सहूलियत के लिए ही यह रूल होता है ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब यह भी है कि हाउस के अन्दर जो आदमी नहीं है उसको प्रोटेक्शन मिल सके। उसके पक्ष में बात हो तो कही जा सकती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रोटेक्शन आप तस्कर व्यापार करने वाले को देना चाहते हैं। इसमें क्या पब्लिक इन्ट्रेस्ट सर्व होता है। पब्लिक इन्ट्रेस्ट सर्व होता हो तो बात कही जा सकती है। इसके अन्दर एक प्रोवीजो है उसको पढ़कर देख लें। उसमें लिखा है·

"Provided that the Speaker may at any time prohibit any member from making any such allegation if he is of opinion that such allegation is derogatory to the dignity of the House or that no public interest is served by making such allegation."

जब पब्लिक इन्ट्रेस्ट सर्व नहीं होता है एलिगेशन लगाने में तो यह लगा सकते हैं, लेकिन यहां तो पब्लिक इन्ट्रेस्ट में सब बातें कही जा रही हैं। हम नहीं बोलेंगे इस बात पर।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री भैरोंसिंह :Point of order, Sir. उपाध्यक्ष महोदय, अभी आपने व्यवस्था दी है, देवीदत्तजी गाड़िया ने जिस मिश्रीलाल का नाम लिया है उसको सदन की प्रोसीडिंग में से निकाला जाय तो मैं यह जानकारी चाहता हूं कि क्या यह शब्द असंसदीय है, डिफेमेट्री है कि जिसके अन्दर एक्सपन्ज करने की व्यवस्था है तो उस व्यवस्था के अनुसार आपने इसको एक्सपन्ज किया है।

श्री उपाध्यक्ष : जो व्यवस्था है उसी के अनुसार वह शब्द हटाया जा सकता है जो

(श्री उपाध्यक्ष)

कि अभद्र हो, असंसदीय हो, मानहानिकारक हो, अस्पष्ट हो । ये चार तरह के शब्द हटाये जा सकते हैं । किसी व्यक्ति के लिए यह कहना कि वह तस्कर है मानहानिकारक है । लेकिन फिर एक नियम ऐसा बना हुआ है 273 कि उसके अनुसार पूर्व सूचना दी जायगी ताकि दूसरी ओर से उसका जवाब दिया जा सके कि यह बात सही है या गलत । इतना प्रोटेक्शन है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बड़े अदब के साथ मेरा यह निवेदन है...

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस प्रकार से 15 वर्ष के संसदीय जीवन में पहली बार इस प्रकार की व्यवस्था उपाध्यक्ष की ओर से मैंने देखी है। इस सदन में कई बार सदस्यों के नाम लिये जाते हैं सदन के अन्दर और जो बाहर बैठे रहते हैं उनके नाम लिये जाते हैं, कई बार पत्रकारों के नाम लेकर उन्हें बिरला के एजेन्ट बताये गये हैं, और आपने इस प्रकार की व्यवस्था दी है मैं उस शब्द के बारे में नहीं कहता लेकिन आपने जो व्यवस्था दी है उस व्यवस्था को मैं मानने को तैयार नहीं हूं यह हमारे अधिकारों पर आसन की ओर से एक प्रकार का कुठाराघात है और इस कुठाराघात के सामने मैं कन्सीड करने को तैयार नहीं हूं। मैं आसन के बीच में और सदस्यों के बीच में संघर्ष की स्थिति नहीं लाना चाहता, लेकिन इसके प्रोटेस्ट में मेरे दल के मेम्बर्स नहीं बोलेंगे और सदन से वाक आउट करके जाते हैं । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो व्यवस्था आसन की तरफ से दी जाती है उसमें सुधार नहीं हुआ तो दोष हमारा नहीं होगा और आसन अपने आपमें ट्रबल इनवाइट कर रहा है इस प्रकार की स्थिति पैदा होगी ।

(जनसंघ दल द्वारा बहिर्गमन)

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक दफा पहले भी मैंने इस असेम्बली में यह कहा था....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! मेरी बात सुन लें। पार्लियामेंट और असेम्बली में...

श्री भैरोंसिंह : (बहिर्गमन करते हुए रास्ते में) पार्लियामेन्ट बहुत देखी है। आपसे ज्यादा जीवन है मेरा संसद का ।

श्री उपाध्यक्ष : यह बहुत ही जबरदस्त अधिकार दिया हुआ है सदस्य को कि उसमें मानहानिकारक मामले भी कहे जायं इस सदन में तो मुकद्दमा नहीं चल सकता है या नागरिकों को यह अधिकार नहीं है कि उसके सम्बन्ध में कोई रैमेडी जारी हो सके तो ऐसी स्थिति के अन्दर केवल नियम यही है कि डिफेमेट्री हों या मानहानिकारक हों या इस तरह के मामले हों कि जिससे मुकद्दमा चल सकता है तो उसके लिए जो व्यक्ति वहां पर नहीं है कि उसकी ओर से कुछ कहा जा सके तो उसके लिए सूचना देना आवश्यक है। उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं । माननीय भैरोंसिहजी ने कहा था कि यह कभी नहीं हुआ है तो मैं निवेदन करूंगा कि जब कभी मानहानिकारक शब्द यहां पर प्रयोग किये गये हैं उस वक्त बार-बार सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है । यही मैं निवेदन कर देना चाहता हूं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझता हूं कि आपको जो अधिकार है इस रूलिंग के अन्तर्गत वे बहुत विस्तृत हैं, लेकिन मैं विनम्रतापूर्वक आपसे यह अवश्य निवेदन करूंगा कि इसके इन्टरप्रिटेशन को बहुत संकुचित नहीं किया जाय तो मेरे ख्याल में संसदीय प्रणाली के लिए अशोभनीय व्यवस्था नहीं होगी । विरोधी पक्ष वालों के सामने कई दफा ऐसी समस्या आती है कि उनको नामजद रूप से आरोप लगाने पड़ते हैं और नामजद आरोप लगाने में अगर वह अशोभनीय है, अगर कोई चोर है, अगर कोई तस्कर व्यापारी है तो उसका नाम लिया जाय तो मेरे ख्याल में वह अनपार्लियामेन्ट्री या असंसदीय नहीं है । जनसंघ के माननीय सदस्यों ने अगर वाक-आउट किया है....

श्री उपाध्यक्ष : मेरे कहने का मतलब यह है कि मान-हानिकारक मामले हैं उनकी बिना सूचना दिये यहां उनका नाम लिया जाय तो ऐसी प्रवृत्ति काफी चल सकती है ।

श्री दिग्विजयसिंह : बिरलाजी के एजेन्ट थे यह कहा गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : एजेन्ट के लिए इसीलिए यह व्यवस्था दी थी कि एजेन्ट कहना अनपार्लियामेंट्री नहीं कह सकते ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपके रूलिंग को मैं चैलेन्ज नहीं करता हूं, आपके रूलिंग को मैं चैलेन्ज कर भी नहीं सकता, लेकिन आपकी व्यवस्था के अन्तर्गत अगर इल्यूसिडेशन या कोई एक्स्प्लेनेशन करना मेरे पाइन्ट आफ व्यू से, आपको बहुत रेस्पेक्टफुल सबमिशन के रूप में अगर मैं कहूं तो, मुझे यह अधिकार है, और मैं यही निवेदन करूंगा कि इसका उस लाइट में इन्टरप्रिटेशन किया जायगा तो विरोधी पक्ष के लिए, मेरे ख्याल में, उपाध्यक्ष महोदय, और कोई तरीका नहीं होगा । कभी नाम लेना पड़ता है और अगर नाम नहीं लिया जाय तो उनको एक्सपोज कैसे किया जा सकता है कि वह व्यक्ति ऐसा है ? मैं इतना ही निवेदन करूंगा, जनसंघ के माननीय सदस्यों ने वाक-आउट किया है, उनके साथ हमारी सहानुभूति है । लेकिन मेरा दिल यह भी कहता है कि यह इश्यू ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर हम वाक-आउट करें । हम by way of very respectful submission विचार व्यक्त करते हैं ।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी है जो मानहानिकारक शब्द हैं, वह एक्सपंज किये जा सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : बिना किसी पूर्व सूचना के, यह किये जाते हैं ।

श्री दौलतराम सारण : हां, जहां तक उनका सवाल है, वहां तक ठीक है । लेकिन जो माननीय सदस्य नाम का उल्लेख कर रहे थे, वह किसी की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं था । जो एक आदमी किसी केस के आरोप में अरेस्ट हुआ था ।

श्री उपाध्यक्ष : उसका भाई प्रधान है । प्रधान के घर में तस्करी का माल मिला ।

श्री दौलतराम सारण : अगर एक प्रधान के घर में तस्करी का माल मिले भाई तस्करी के आरोप में अरेस्ट हुआ हो अगर उसका उल्लेख कर दिया है तो वह मानहानिकारक बात नहीं है । अगर प्रधान के

(श्री दौलतराम सारण)

घर में चोरी और तस्करी का अवैधानिक सामान पकड़ा जाता है तो वह मान-हानिकारक नहीं कहा जाता है। उस सन्दर्भ में माननीय सदस्य के नाम का उल्लेख किया है। मेरी नम्र राय में नहीं आता है कि आप, व्यवस्था का क्षेत्र है, सीमित कर लें। माननीय मन्त्री अगर इसमें अपनी असमर्थता बतलावें कि वे जवाब नहीं दे सकते तो हमारी तरफ से आपत्ति हो सकती थी। जिस सन्दर्भ में नाम लिया गया है, वह सन्दर्भ मान-हानि-कारक नहीं हो सकता है। आप ने जो व्यवस्था दी है उससे सदन का कार्य सीमित हो जाएगा। हमारे अधिकार सीमित हो जायेंगे। हम किसी विशेष मुद्दे पर प्रकाश नहीं डाल सकते हैं। इसलिये मैं पुनर्विचार के लिए आग्रह करता हूं। और निवेदन करता हूं कि आप इस व्यवस्था को ठीक करने की कृपा करें।

श्री गिरधारी लाल व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप ने जो रूल 67 के तहत में व्यवस्था दी है, जैसा कि गाड़ियाजी भाषण में कह रहे थे कि प्रधान के घर में तस्करी का माल मिला। कानून यह कहता है कि जब तक कोई मुकदमे में सजा नहीं पाई जाय तब तक वह अपराधी नहीं कहला सकता है। (कुछ माननीय सदस्यों के हंसने पर) आप हंसते क्या हैं ? समझते तो हैं नहीं कानून को, हंसते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैंने व्यवस्था दी है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह आशंका प्रकट की है कि इससे राइट आफ डिबेट बहुत सीमित हो जाएगा। मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं राइट आफ डिबेट सीमित हो जाएगा ऐसा कोई इरादा इसके पीछे नहीं है।

श्री विजयसिंह (नकराना): हम लोग जो कहते हैं उसको आप एक्सपंज करवा लेते हैं। कांग्रेस वाले क्या-क्या शब्द यूज करते हैं ? पहले जनसंघ के सदस्यों को वापिस बुलाया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री विजयसिंह : ऐसे आर्डर से क्या होगा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री विजयसिंह : हमें बोलने का अधिकार है। हम सोच समझ कर बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : सोच समझ कर ही बोलें।

श्री विजयसिंह : आपको यह हठधर्मिता छोड़नी पड़ेगी। आप को यह हठधर्मिता नहीं रखनी चाहिए। आपने हठधर्मी रखी है उसी का यह परिणाम आया है जिससे कि कुछ माननीय सदस्य सदन के बाहर चले गये हैं। आप को कोआपरेशन रखना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नथमल चौहला !

श्री हीराभाई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप ने जो व्यवस्था दी है, यह अनियमित रूप से लगा दी है। जो कोई भी माननीय सदस्य किसी का भी नाम लें नाम लेने पर उसको गवर्नमेंट पूर्ण रूप से जवाब देने की हकदार नहीं रहती है।

(श्री हीराभाई)

गवर्नमेंट वह सूचना मंगा भी नहीं सकती है। लेकिन परिस्थिति यह है....

(3.25 म० प०)

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

लेकिन उस समस्या में नाम लेने पर...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। कृपया स्थान गृहण करें।

श्री हीराभाई : नाम लेने पर ही मालूम होगा। नहीं तो ऐसी समस्या उत्पन्न करने का प्रोत्साहन मिलता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी तस्करी करने वाले को, चोर को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा।

श्री विजयसिंह : पहले जनसंघ के सदस्यों को वापिस बुलाया जाये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

साधारण से प्रश्न पर उद्विग्नता पैदा हो गई है। प्रश्न नियम 273 के इण्टरप्रिटेशन का है। जिसको जनसंघ के सदस्यों ने किसी आरोप के संबंध में यहां कहा है उस प्रसंग में मैं चाहता हूं जनसंघ के माननीय सदस्य जो बाहर चले गये हैं विरोध में, वे सदन में चले आयें तो अच्छा है। साथ ही जहां तक इस प्रसंग का संबंध है, हम उस प्रक्रिया के प्रावधान का काफी उदारता से इण्टरप्रेट करते रहे हैं। मेरा विचार है कि सारी इस स्थिति पर विचार करके सदन के मार्ग दर्शन के लिए और स्वयं आसन के मार्ग दर्शन के लिए मैं कल इस पर स्पष्टीकरण करूंगा। लेकिन इस छोटे से प्रश्न पर माननीय सदस्य उद्विग्न हों यह भी इस सदन की परम्परा के लिए उचित नहीं है। उनके उस भाषण और प्रवचन से, माननीय सदस्यों को लाभ मिलता उससे वह वंचित हो जायेंगे। कई प्रश्न अहमियत के रखने वाले थे, उनसे गृह मन्त्रीजी को जो सुझाव मिलने वाले थे उनसे भी वंचित रह जायेंगे। इस सदन से जो माननीय सदस्य बाहर चले गये हैं उनको मैं पुनःअनुरोध करता हूं कि कृपया इस सदन में चले आयें। सारे नियमों का पुर्ननिरीक्षण और सारे नियमों का अवलोकन करके कल ऐसी व्यवस्था हो जाएगी, जिससे माननीय सदस्यों की उद्विग्नता न हो। मैं कल इसके बारे में स्पष्टीकरण कर दूंगा।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया था आसन से, जैसा कि आप ने भी कहा है, गम्भीरता से नहीं लेना चाहिए था। बरामदगी का केस हो, तस्करी का माल बरामद हुआ हो, उसका उल्लेख कर दिया..

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है। सारे प्रश्न पर अवलोकन करके ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि आगे उद्विग्नता नहीं हो। उस पर अध्ययन करके कल व्यवस्था दे दूंगा।

श्री नथमल चौहला (लक्ष्मणगढ़ सु०) : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो कटौती प्रस्ताव है उसके द्वारा मैं पुलिस विभाग की लापरवाही के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मैं आपके द्वारा माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि गृह मंत्री की कठोर कार्यवाही के कारण पुलिस विभाग का काम अच्छा हो गया है लेकिन कुछ लापरवाही अब भी पुलिस में है उसके दो-चार उदाहरण मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। लक्ष्मण थाना

(श्री नथमल चौहला)

ग्राम भूमा छोटा में केस दर्ज किया गया कि सेल्समैन के यहां से चीनी डकैती हो गई है, जो दीवाली के त्योहार पर बांटनी थी। 19-10-68 को एक बोरी तो बिकी हुई निकली और दो बोरी दस बारह आदमी हमला करके ले गये। उन्होंने दो चीनी विक्रेताओं को मारा और चीनी की डकैती करके ले गये। उन्होंने 20 तारीख को पुलिस से मिल कर अपने आप गोली चलाई और गोली चला कर 307 का झूठा केस दर्ज कर दिया। इसके बाद मुलजिमान को पकड़ना तो दूर रहा, 307 में मुस्तगीस को फंसाने की चेष्टा की जा रही है। इसमें मुलजिम गौरूराम था, उसने 4-3-69 को एक आदमी के गोली मार दी और उसके साथी हमलावरों ने पांच-सात आदमियों पर बरछा और भाले से वार किया जो अस्पताल में पड़े हैं। लेकिन पुलिस ने गौरूराम को न पकड़ कर उसे छोड़ दिया और इनके पास से बिना लाइसेन्स का रिवाल्वर भी बरामद नहीं किया। ग्राम डेरकावास की कोआपरेटिव सोसाइटी को जनवरी, 68 से लेकर अगस्त, 68 तक की चीनी नहीं मिली। जिला रसद अधिकारियों ने एक फर्जी डीलर नियुक्त कर दिया, और उसको एक माह भर में चार बार पच्चीस बोरी चीनी की दे दी। और इस पर चीनी ब्लैक करने का केस कलेक्टर साहब ने पुलिस में दे दिया। लेकिन पुलिस अभी तक कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और मुस्तगीस को फंसाने की चेष्टा की जा रही है। ग्राम आफास लक्ष्मण थाने में दो पार्टियों में लड़ाई हो गई। एक दिन एक आदमी का कत्ल हो गया और उसके बाद एक आदमी का कत्ल हुआ। एक आदमी बाद में मरा और एक मर गया लड़ाई में। इस संबंध में एस० डी० ओ० साहब के सामने बयान किये, उसमें पांच मुलजिम बताये, तीन के नाम बताये, दो के नाम जानते नहीं थे। लेकिन उन दो आदमियों की जगह, जो मुलजिम थे उनको छोड़ दिया और निर्दोष आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया। मेरा निवेदन है कि इन मामलों की जानकारी करा कर, इनकी इन्क्वायरी करा कर होम मिनिस्टर साहब जल्दी से जल्दी इनके संबंध में कार्यवाही करने की कृपा करें।

(उपर्युक्त भाषण राजस्थानी में दिया गया था, किन्तु भाषा ज्ञान की कठिनाई के कारण हिन्दी में प्रस्तुत है)।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का बहुमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहता किन्तु माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्र जी अग्रवाल ने आज बेरी कमीशन के संबंध में कुछ चर्चा उठाई, इसलिये मैं भी विरोधी पक्ष की ओर से अपने विचार सरकार के समक्ष रखना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, इस बेरी कमीशन के ऊपर 15 लाख रुपये खर्च हो चुके और पता नहीं, कितने लोग घायल हुए, लेकिन नौ व्यक्ति मर गये। सरकार की तरफ से यह व्यवस्था की गई है कि मुआवजे के रूप में उनको 25 हजार रुपटटी दी जाय। हम एक विशाल जनतांत्रिक देश हैं। अगर जन-क्षति होती है, अगर पुलिस की बेएतिहाती से जन-क्षति होती है तो बहुत से सभ्य देशों के अन्दर, जहां जनतंत्र के आधार पर सत्ता है, मैंने देखा है, पांच हजार पौंड, दस हजार पौंड, बीस हजार पौंड, बीस हजार डालर का कम्पेन्सेशन मुआवजे के रूप में दिया जाता है। यह जनता के जीवन से संबंधित प्रश्न है,

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

और मेरे ख्याल में एक उच्च स्तरीय आयोग के द्वारा, यह निर्विवादित रूप से बेरी कमीशन द्वारा वर्डिक्ट दिया गया है कि पुलिस ने इस संबंध में जो एतिहात बरतना चाहिए था वह नहीं बरता। मुझे व्यक्तिगत रूप से उस समय का कटु अनुभव है। मैं बहुत लम्बी चौड़ी बात करके इसके अन्दर चर्चा में नहीं घुसना चाहता, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, यह विरोधी पक्ष में बैठने वाले आखिरकार जिम्मेदार लोग हैं और जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से मैं सरकार से यह अपेक्षा करना चाहता हूं कि बेरी कमीशन की जो फाइंडिंग्स हैं उनको आप ईमानदारी के रूप से कार्य रूप में परिणत करिये, उनको इम्प्लीमेंट करिये। एक जिम्मेदार सरकार के नाते यह कोई अच्छी चीज नहीं है, यह कोई प्लेजेन्ट बात नहीं है कि पुलिस के आदमियों की पकड़ा-धकड़ी की जाय या सजा दी जाय। लेकिन सरकार का बहुत से समय यह कटु कर्तव्य हो जाता है कि निष्पक्ष रूप से, अगर पुलिस भी अपराधी है, उसके बाद यदि पुलिस का उच्च से उच्च अधिकारी भी अपराधी साबित होता है तो उसको दण्ड दिया जाय। मैं इस निष्क्रिय सरकार को यह निवेदन करूं कि आपको कुछ हौंसले और साहस के साथ निष्पक्षता की ओर देखना चाहिए। मैं नहीं समझता कि जनतंत्र की पद्धति की सरकार है लेकिन आप तिकड़मबाजी की आदत की बात से होली खून की खेल कर शासनारूढ़ सरकार हैं, ऐसी स्थिति में भी, मेरे ख्याल में, आपका पुनीत कर्तव्य है कि बेरी कमीशन की जो कुछ भी फाइंडिंग हैं, उनको ईमानदारी से कार्य रूप में परिणत करें, और ईमानदारी से कार्य रूप में परिणत करना चाहते हैं उसके लिए एक हाई कोर्ट का जज बैठायें। मैं नहीं कहता कि किसका दोष था, हाई कोर्ट के जज को बैठायें और उसको कहिये कि वह निष्पक्ष रूप से यह जांच करके यह कहे कि कौन कौनसे पुलिस ऑफिसर थे और कहां कहां पर उन्होंने किस-किस तरह की बेएतिहाती बरती, और उनको मेरे ख्याल में....

श्री मूलचन्द डागा: आन ए पाइन्ट आफ आर्डर! कटौती प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है, श्रीमान् किस पर भाषण दे रहे हैं। न कटौती प्रस्ताव है, न....

श्री दिग्विजयसिंह: पुलिस की अव्यवस्था की बात चल रही है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: यह पुलिस से संबंधित है।

श्री मूलचन्द डागा: लेकिन आपका कटौती प्रस्ताव नहीं है....

श्री विजयसिंह: माननीय सदस्य नींद में थे।

श्री अध्यक्ष: आप थोड़ा स्थान ग्रहण करें, आसन और इनके बीच से।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: विरोधी पक्ष के नाते हमारा यह जन्मसिद्ध अधिकार है कि इस संबंध में हम विचार व्यक्त करें और उसी नाते में विचार व्यक्त कर रहा हूं........

श्री फतेहसिंह (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय नेता के भाषण में इस तरह हस्तक्षेप करेंगे तो यह सदन के लिए अच्छी परम्परा नहीं होगी।

श्री विजयसिंह: अगर इस तरह हस्तक्षेप करेंगे, तो भले ही आप 109 हों या 110

(श्री विजयसिंह)

हों, आपके नेता महोदय जब बोलेंगे तो हम बता देंगे कि हर बार हस्तक्षेप करने का क्या मतलब होता है।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा-सु०) : अगर इस प्रकार करेंगे तो जब आपके कांग्रेस के नेता बोलेंगे....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! विरोधी दल के माननीय नेता खड़े हैं। आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं। मैंने उन्हें समय दिया है, हालांकि कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अधिकार उनका है जिनको कटौती प्रस्ताव पर बोलना है....

श्री मूलचन्द डागा : इनका कटौती प्रस्ताव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इसमें सन्देह नहीं है। लेकिन विरोधी दल के नेता महोदय बीच में बोलना चाहते थे, इसलिए मैंने समय दिया अपवाद रूप में। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक स्पष्टीकरण मैं करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : इसमें स्पष्टीकरण करने का प्रश्न नहीं है। विरोधी दल के माननीय नेता बोल रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा, जैसा कि कांग्रेस दल के माननीय सदस्य ने कहा, मैं भी यह स्पष्टीकरण चाहूंगा कि जिन माननीय सदस्यों ने कटौती के प्रस्ताव दिये हैं उनको क्या हर एक को समय दिया जा सकेगा ?

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करिये। अभी नहीं कह सकता। आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य ! माननीय नेता महोदय....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय गाड़िया अपने भाषण को जारी रखना चाहें तो मैं चाहूंगा कि वह अपने भाषण को जारी रखें।

श्री अध्यक्ष : यह आसन पर है। आप आरम्भ रखें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, उधर की तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य को मैं यह सूचित करना चाहूंगा कि मैंने अध्यक्ष महोदय से इस संबंध में निवेदन करके उनकी आज्ञा प्राप्त की है कि पांच मिनिट के लिए मैं इस संबंध में बोलूँ, खास तौर से जब कि सरकार की ओर से उत्तर पांच बजे होने वाला है। आखिरकार विरोधी पक्ष का अधिकार है, जो भी विचार इधर की ओर से व्यक्त करें, अगर सरकार उचित समझे तो उस संबंध में दो शब्द के रूप में अपने भी विचार व्यक्त करें।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि बेरी कमीशन की फाइंडिंग के इम्प्लीमेंटेशन के संबंध में जो गृह मंत्री ने लोक सभा में विचार व्यक्त किये हैं, वहां भी कांग्रेस की सरकार है, और यहां के गृह मंत्री भी इस सदन में उसी दल के सम्माननीय सदस्य हैं। मैं चाहूंगा कि उनके विचार इस संबंध में क्या हैं वह उसके ऊपर अपने विचार व्यक्त करने का कष्ट करें।

इसके अतिरिक्त कमीशन के गवाह एक श्री अनुसूयाप्रसाद थपलियाल नामक व्यक्ति थे उनको भी हर तरह से निम्नस्तरीय हथकंडों के द्वारा पुलिस ने परेशान किया, सैंसर वगैरह उन पर लगाये गये थे, यह मामला ऐसा है कि लेबर कमिश्नर को दिया जाना चाहिए। आप निम्नस्तरीय तरीकों से अन्डरहैंड मीन्स से इस प्रकार के काम करना चाहते हैं तो मैं सरकार से स्पष्टतया निवेदन

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

करना चाहता हूं कि सारे भारतवर्ष में जो आज नजारा नजर आता है, वही नजारा यहां नजर आयेगा, आपका पाप का घड़ा धीरे-धीरे भर रहा है। कोई भी आये दूसरा लेकिन मुझे तो बहुत आशंका है आपकी ईमानदारी के प्रति, आपकी जीवनी शक्ति के प्रति, आप तो अब नहीं रहेंगे : you are on your way.

श्री बरकतुल्ला खां : We will go together.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : पार्डन।

श्री बरकतुल्ला खां : We will go together.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : Who knows. We may go together. However if we go together, we shall be very happy.

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : He will go as an Ambassador.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : They are sailing in the same boat.

श्री बरकतुल्ला खां : Shri Ramanand will get support from Communist Party.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : There are others who are successors to you.

तो, अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि जो भी व्यवस्था करें, वह व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि It should appear to be fair.

अगर आप बिलकुल ईमानदारी से कार्य करने पर तुलें और कार्यरूप से उसको अमली जामा ऐसा दें कि जिसके प्रति लोगों को शंका हो तो मेरे ख्याल से आपने जो कुछ यह कार्यवाही की है वह किया न किया बराबर है। जो कुछ करें but it should appear that it is fair and just.

बस मैं इतना ही निवेदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : राजवी श्री रूपसिंह।

श्री डूंगाराम राजोरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री देवीदत्तजी गाड़िया का भाषण हो रहा था....

श्री अध्यक्ष : काई अपने राइट्स का असर्ट करके नहीं चले तो मैं नहीं कह सकता।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : उपाध्यक्ष महोदय ने रूलिंग दी थी...

श्री अध्यक्ष : आप आरम्भ रखें और 10 मिनिट में समाप्त करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करने के लिये कह रहा था कि सम पंचायत समिति के प्रधान ××× के घर पर जो तस्करी का सामान 70 हजार के करीब का पकड़ा गया, उनका भाई भी पकड़ा गया, इस सामान को पकड़ने के लिये एस० पी० ने छापा मारा, उसको दबाने के लिये डी० आई० जी० ने उससे सम्बन्धित फाइल को अपने यहां मंगा लिया और एस० पी० को वहां से परिवर्तित कर दिया। तो राजनैतिक आधार पर इस प्रकार के ईमानदार आदमियों को रहने नहीं दिया जाता। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय,....

श्री दामोदरलाल व्यास : कहां के एस० पी० को परिवर्तित कर दिया है ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : दूसरी जगह।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार इ.का. कार्यवाही से निकाले गये।

श्री दामोदरलाल व्यास : कौनसे एस० पी० को परिवर्तित कर दिया है ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : एस० पी० जैसलमेर को।

श्री दामोदरलाल व्यास : उनको परिवर्तित कर दिया गया है या वे ट्रेनिंग पर गये हैं।

श्री देवादत्त गाड़िया : उसी समय उनको भेजा गया।

इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, चौहटन पंचायत समिति का प्रधान XXX जो दो पाकिस्तानी व्यक्ति हिन्दुस्तान में आये हुए थे, उन दोनों पाकिस्तानियों को पंचायत समिति की जीप में ले कर गया और उनको वापिस पाकिस्तान के अन्दर छोड़ कर आया। 18 दिसम्बर को बाड़मेर के जिलाधीश ने उसको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद राजनैतिक दबाव में आकर राजस्थान के गृह मंत्रीजी ने उसे पैरोल पर छोड़ दिया। इस सम्बन्ध में प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट के केसेज में सलाह देने के लिये एक सलाहकार कमेटी बनी हुई है उसमें हाई कोर्ट के एक जज भी हैं, उन्होंने गृह मंत्रीजी के इस घृणित कार्य की निन्दा की और फिर उसको गिरफ्तार करना पड़ा। मैं पूछना चाहता हूं गृह मंत्रीजी से कि ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तानी एलीमेंट है जो पाकिस्तानी व्यक्तियों को इस तरह से पाकिस्तान की सीमा में छोड़ आया, ऐसे व्यक्ति को कैसे उन्होंने छोड़ा ? उसी दिन बाड़मेर के, वहीं के कौआपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हैं जो इस सदन के माननीय सदस्य हैं, श्री मोहम्मद हादी, जो पहले प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट में गिरफ्तार किये गये थे, उन्होंने उस रोज का टी० ए०, डी० ए० वसूल किया है, जो पहुंचाने गये थे, इस तरह पाकिस्तान की सीमा में जा कर, पीर पगारो के मुजाहिदों से मिलावें, उनको छुड़ावें, यह राष्ट्रद्रोहिता का मामला है, जो अपनी कुर्सी बनाये रखने के लिए ऐसे लोगों को साथ लिए हुए हैं और उनकी सहायता करते हैं....

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : मैं इतना नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं, एक रूलिंग इस संबंध में दी जा चुकी है, हादी के बारे म कहा जाता है, उसके संबंध में मंत्री महोदय को और संबंधित मा० सदस्य को इसके लिये नोटिस देना चाहिए। X X X प्रधान के लिए यह कहा जाता है कि उसके संबंध में एडवाइजरी बोर्ड ने मेरे घृणित काम की निन्दा की है, यह बिलकुल गलत बात है। इस तरह के आरोप लगाये जाते हैं तो इसके लिये प्रीवियस नोटिस देने की आवश्यकता है नहीं तो किसी की इज्जत आबरू यहां खैरियत से नहीं रह सकती, किसी के खिलाफ कुछ भी कहें और वह समाचार पत्रों में आ जाय और उसको जवाब देने का कोई मौका ही नहीं मिले।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब्दुल हादी साहब डी० आई० आर० में गिरफ्तार हुए इसमें कोई डिस्प्यूटेड बात है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं एक बात कहना चाहता हूं सतीशचन्द्रजी, इधर से बोलने वाले अगर इस तरह का तरीका अख्त्यार करेंगे तो सदन का डेकोरम नहीं रह सकता। आप इस तरह की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मत दीजिये, इस तरह की परम्परा मत बनाइये, यह परम्परा बहुत खराब है इसमें भले और शरीफ आदमी की इज्जत बिगड़ती फिरेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इससे मैं सहमत हूं पर जो फैक्ट्स प्रूव्ड हैं उनका रिपिटिशन हो रहा है....

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज । मैं माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहूंगा कि जो ऐसे एलिगेशन के प्रश्न हैं, जिनकी सूचना दिया जाना नियमों के अनुसार आवश्यक है, उनके लिये यह आवश्यक है कि उन एलिगेशन्स के संबंध में गृह मंत्री को सूचना दी जाए ताकि वे उसका स्पष्टीकरण कर सकें, ऐसे एलिगेशन्स की सूचना दिया जाना अनिवार्य है ऐसी पूर्व सूचना से माननीय सदस्य के खिलाफ कोई एलिगेशन है तो माननीय सदस्य को भी मौका मिल सके उस एलिगेशन के संबंध में अपना एक्स्प्लेनेशन देने का । माननीय गाड़ियाजी ने जो प्रश्न उठाये हैं, उनमें जो निर्विवाद हैं उनके बारे में मुझ को कुछ नहीं कहना है किन्तु जो आरोप लगाया गया कि उन्होंने टी०ए० और डी०ए० उठाया यह विवाद का प्रश्न है, इसके संबंध में पूर्व सूचना दी जानी चाहिए । जिसके लिए सूचना देना आवश्यक है, उस प्रश्न को सूचना देने के बाद ही उठा सकते हैं, वरना माननीय गृह मंत्रीजी यहां उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं कर सकेंगे और जो व्यक्ति यहां नहीं है उनके बारें में निराधार धारणा पैदा होगी । ऐसे एक प्रकार के प्रश्न पर माननीय सदस्य श्री रामानन्दजी ने पूर्व सूचना दी थी, राजस्व मंत्रीजी को सूचना दी थी और उसके बाद उन्होंने उस प्रश्न को उठाया । यह परम्पराएं सदन में रही हैं । इसलिए मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की परम्पराओं को बनाए रखें । इस प्रकार के विवादग्रस्त प्रश्न हों उन पर पूर्व सूचना दी जानी चाहिए ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : 26 जनवरी को जिला जैसलमेर के पोकरण नगर के अन्दर 26 जनवरी को जिस समय उप-जिलाधीश राष्ट्रीय झंडा लहरा रहे थे तो उससे 100 गज की दूरी पर मुस्लिम मदरसा था वहां पर पाकिस्तानी झंडा लहराया गया और पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाये गये । इतना ही नहीं वहां के अध्यापकों ने और छात्रों ने पाकिस्तानी झंडे को सलामी दी । जब वहां एन०सी०सी० के विद्यार्थियों को पता चला तो उसका उनके द्वारा विरोध किया गया । इस प्रकार की प्रवृत्तियां सीमावर्ती क्षेत्रों में चलें, पुलिस को पता नहीं चले, सी०आई०डी० चुप रहे, राजकीय अधिकारी मौन रहें तो इस प्रकार की प्रवृत्तियां चलीं तो हमारी सीमा पर पाकिस्तान और सक्रिय होगा ।

अध्यक्ष महोदय, मेरे दल के सचेतक महोदय माननीय श्री सतीशचन्द्रजी ने बेरी आयोग के बारे में कहा, वह एक अत्यन्त गम्भीर प्रश्न है । लोक सभा में विरोधी दल के सदस्यों ने जो बातें वहां रखीं उनके ऊपर केन्द्रीय सरकार के गृह मंत्रीजी ने जिस प्रकार की बातें कहीं, वह इस बात का संकेत करती हैं कि केन्द्रीय सरकार भी राजस्थान के गृह मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में चिन्तित है, और निन्दा की और कहा कि कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इस प्रकार का वक्तव्य नहीं दे सकता । यह भी कहा संसद में कि बेरी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लेना चाहिए । यह बेरी आयोग की रिपोर्ट केवल जयपुर का या राजस्थान का प्रश्न नहीं सारे देश का प्रश्न है । अर्थात बेरी आयोग की रिपोर्ट का संबंध सारे देश से है और यदि सरकार ने इस रिपोर्ट पर मौन रखा तो राजस्थान की स्थिति तो गंभीर होगी ही लेकिन इसके साथ साथ सारा देश, सारा केन्द्रीय शासन जिस तरह से लोकतंत्री ढंग से है, प्रभावित होगा । और कहीं ऐसा न हो कि राजस्थान सरकार की अकर्मण्यता के कारण, सरकार द्वारा तत्परता से निर्णय न लिये जाने के कारण

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

देश के अंदर, जब एक ओर चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन सामने हैं और दूसरी ओर रूस पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, इस प्रकार जन भावनाओं का अनादर किया तो राजस्थान की जनता राजस्थान सरकार की अकर्मण्य नीति को बर्दाश्त नहीं करेगी और राजस्थान में यदि किसी प्रकार की स्थिति पैदा हुई तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इतना ही नहीं जो माननीय सतीशजी ने कहा कि यदि सरकार ने 7 दिन के अंदर निर्णय नहीं लिया तो धरना देंगे और यदि एक नेता ने और माननीय सदस्य ने धरना दिया, भूख हड़ताल की, उसके कारण गृह मंत्रीजी आप यह न मानें कि राजस्थान का एक ही सदस्य इस भूख हड़ताल पर बैठेगा, सदन में जितने माननीय सदस्य हैं विरोधी दल के, अपने अधिकार के लिए जनता को न्याय दिलाने के लिए, यह क्रम बन जायगा और उस कारण राजस्थान में विषम परिस्थितियां पैदा होंगी। राजस्थान की जनता इस अन्याय और जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगी और उसके लिए जिम्मेदारी आपकी होगी।

अंत में मैं कहूंगा विधि मंत्री से कि माऊंट आबू जो 1951 में बम्बई में था वह 1956 में राजस्थान में मिला और उसके बाद भी वहां दोनों प्रकार के कानून चल रहे हैं। एक तो बोम्बे फारेस्ट्स एक्ट, पुलिस एक्ट और मोटर व्हिकल्स एक्ट। इसके क्या कारण हैं। क्यों नहीं ये बम्बई के तीनों कानून वहां से हटा दें? इससे वहां की जनता परेशान है, बम्बई के पुलिस एक्ट के अन्तर्गत चलते हुए व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, यह राजस्थान के लिए कलंक की बात है कि दूसरे प्रांत के कानून आज भी राजस्थान में लागू हैं। इससे ज्यादा अकर्मण्यता का संकेत राज्य सरकार का और नहीं होगा कि इस प्रकार तीन-तीन कानून दूसरे राज्य के यहां पर लागू हों और सरकार सोती रहे।

अंत में मैं कहूंगा कि रावतभाटा कोटा के निकट है उसको चित्तौड़गढ़ से नत्थी कर रखा है, उस कारण लॉ-एण्ड आर्डर वहां ठीक तरह से नहीं रहता। वहां एटॉमिक इनर्जी प्लांट है, वहां राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है, इतने महत्वपूर्ण स्थान पर जहां देश की सुरक्षा का सवाल हो, जहां उत्पादन और बिजली का प्लांट लगा हुआ है, लॉ एण्ड आर्डर मेन्टेन करने के लिए चित्तौडगढ़ जाना पड़ता है जब व्यवस्था का सवाल आता है, रावतभाटा के नागरिकों को चीनी कोटा से परमिट से मिलती है तो समझ में नहीं आता कि इसको चित्तौड़गढ़ से क्यों नत्थी कर रखा है। वहां अमन और शांति बनाए रखने के लिए रावतभाटा को कोटा से मिला दिया जाय।

जेलों की व्यवस्था ठीक नहीं। कारागार मंत्री, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। बारां सब-जेल में वहां के जेलर ने एक हेड कान्सटेबल को सस्पेंड कर दिया, एक सिपाही को सस्पेंड कर दिया, उसके बाद आई० जी०, प्रिजन्स ने उसे बहाल कर दिया। उस जेलर के खिलाफ इतने भयंकर आरोप हैं कि मुल्जिमान को हथकड़ी, बेड़ियां और डंडे डलवाता है.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जब तक उसको रिश्वत नहीं मिलती परेशान करते हैं। मुल्जिमान के जो रिश्तेदार आते हैं बीड़ी के लिए, दूसरी चीजों के लिए, रुपया लेकर आते हैं वह रुपया उनको नहीं देता, स्वयं हजम कर जाता है। दो महीने पहले वहां के कैदियों ने जेलर के खिलाफ

(श्री देवीदत गाड़िया)

जेलर मुर्दाबाद के नारे लगाए। जनता ने मांग की और मैंने भी मंत्री महोदय को लिखा लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। जेल के अंदर जो राशन मिलता है वह पूरा नहीं मिलता है। महीने में जो 3 और 5 दिन की छुट्टी मिलती है उसमें पक्षपात होता है, इसकी जांच करवानी चाहिए ताकि जेलर और दूसरे अधिकारी जो इस प्रकार भ्रष्टाचार करते हैं उन पर रोक लगे।

श्री अब्दुल हादी (चौहटन): अभी मेरे एक दोस्त ने मेरे खिलाफ कुछ इल्जाम लगाया। हालांकि मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया जो कुछ उन्होंने फरमाया फिर भी यह समझा कि मैंने पाकिस्तानियों को जीप में बिठाकर सीमा पर पहुंचाया। मुझे सुनकर दुख हुआ। आप यहां पर रहने वाले इस तरह बेबुनियाद इल्जाम लगाते हैं। कम से कम एक मेम्बर साहब को दूसरे मेम्बर की इज्जत रखनी चाहिए। ऐसे इल्जाम तो हरेक के खिलाफ लगाए जा सकते हैं। मुझे अफसोस है जो कुछ माननीय सदस्य ने फरमाया। आइंदा के लिए मेहरबानी करके आप जिम्मेदारी से बोलें, जो कुछ कहा गया बिलकुल बेबुनियाद और पोलिटिकल हिसाब से बोला गया। इस तरह से अगर मेम्बर साहबान एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम लगायेंगे तो यह बुरी बात है। हम क्योंकि माइनोरिटी में हैं इसलिए इन्साफ करने वाला कोई नहीं हम पर इस तरह से ज्यादतियां की जा रही हैं। मैं तमाम मेम्बरान को और अपोजिशन के लीडर से निवेदन करूंगा कि हम लोगों के साथ जो गुजर रही है, मैं उसका मतलब नहीं कहना चाहता इसलिए कि हम पर नुक्ताचीनी होगी कि ये लोग खामखाह इस तरह की बातें करते हैं। पुलिस वाले जुल्म करने में कोई कसर नहीं रखते हैं, सब कुछ होता है, मगर इसलिए चुप बैठे हैं कि जो वक्त गुजरे गनीमत है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): माननीय सदस्य पर जो जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं, वह हम सुनना चाहते हैं और अगर वास्तव में हो रही हैं तो हम आपकी मदद करेंगे। इस संबंध में स्पष्ट बतायें।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): पाइंट ऑफ ऑर्डर। पर्सनल एक्सप्लेनेशन के नाम से जो माननीय सदस्य ने इस प्रकार की बात कहने की कोशिश की है कि आज हम माइनारिटीज पर जो ज्यादतियां हो रही हैं, उनको मैं नहीं कहना चाहता। मैं समझता हूं कि ये शब्द जो उन्होंने कहे हैं किसी मन्शा को लेकर कहे हैं और केवल 4-5 शब्दों को पकड़कर इस तरह से कहें, विदेशी ताकतें हिन्दुस्तान को बदनाम करना चाहेंगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री कृष्णकुमार गोयल: इसलिए इसको एक्सपंज किया जाय।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल: माननीय सदस्य ये शब्द भी सुनना नहीं चाहते। सारी कहानी तो सुनेंगे केवल 4 शब्द कहे उनके बोलने पर एतराज है....

श्री कृष्णकुमार गोयल: स्पष्टीकरण करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: कुछ नहीं पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर फिर स्पष्टीकरण नहीं होता।

Page No 130

श्री देवीव्रत गाड़िया : मैंने यह नहीं कहा कि जीप लेकर गया था। मैंने कहा टी० ए०, डी० ए० लिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य ने अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया है। जो बात कही कि माइनोरिटीज में होकर वे जो कुछ बातें कहना चाहते हैं, नहीं कह सकते। ऐसा मालूम पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी ने कोई डिसीजन ले लिया है जिसको वह नहीं कहना चाहते।

कई माननीय सदस्य : नहीं नहीं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : इस बात का यह द्योतक है कि कम्युनिस्ट पार्टी...

(अश्रव्य—शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आज तो एक ही स्वरूप जनसंघ और कांग्रेस का नजर आ रहा है। माइनोरिटीज डिसीजन से दबती है और दूसरों को बोलने नहीं देते।

(4 म० प०)

श्री अध्यक्ष : राजवी श्री रूपसिंह।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य...

श्री अध्यक्ष : मैं आप से क्या कहूं नेता महोदय, मैंने दूसरों को बुला लिया है।

राजवी श्री रूपसिंह : अध्यक्ष महोदय...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सहानुभूति प्रकट करने वाला था, कुछ नहीं कहूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल मोहम्मद हादी साहब ने जो कुछ कहा उनके साथ सहानुभूति है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य।

राजवी श्री रूपसिंह : अध्यक्ष महोदय, पुलिस और न्याय प्रशासन के संबंध में मैंने कटौती प्रस्ताव रखे हैं, उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

सबसे पहले मैं मुन्सिफ-मजिस्ट्रेट के रिक्रूटमेंट के बारे में यह अर्ज करना चाहता हूं कि मुन्सिफ-मजिस्ट्रेट डाइरेक्टली हाई कोर्ट के अन्तर्गत है। राजस्थान में सन् 1962 से पहले तक यह प्रथा चली आ रही थी कि ज्युडिशियल ऑफिसर के रिक्रूटमेंट व सिलेक्शन के संबंध में जो सिलेक्शन कमेटी होती थी उसका चैयरमेन हाई कोर्ट का जज होता था। सन् 1962 के बाद में एक समस्या पैदा हो गयी कि पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों ने कहा कि इस कमेटी का चैयरमेन हम में से होगा। इस पर हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट के जज को भेजना बन्द कर दिया। पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की बाबत ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन वह ज्युडिशियरी के बाबत अनुभव नहीं रखते। इसलिए मेरी यह प्रार्थना है कि मुन्सिफ-मजिस्ट्रेट का रिक्रूटमेन्ट बजाय पब्लिक सर्विस कमीशन के अण्डर होकर डाइरेक्ट हाई कोर्ट के अन्डर रहे तो अच्छा है। जो मुन्सिफों का सिलेक्शन होगा वह इन्टिग्रिटी व अनुभवी लोगों का होगा। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि मुन्सिफ-मजिस्ट्रेट्स का अपोइन्टमेंट डाइरेक्ट हाई कोर्ट के अन्डर में हो। यदि यह सजेशन मन्जूर न हो तो मेरा आल्टरनेटिव सजेशन है कि सिलेक्शन कमेटी का चैयरमैन हाई कोर्ट का जज व एक मेम्बर पब्लिक सर्विस कमीशन का होना चाहिए वह एक मेम्बर हाई कोर्ट का जज होना चाहिये। इसमें दूसरे आदमियों की एप्रोच नहीं होगी और राइट टाइप के आदमी का इस पोस्ट के लिये सिलेक्शन होगा।

(राजवी श्री रूपसिंह)

मुन्सिफ-मजिस्ट्रेट के ज्युरिस्डिक्शन का जहां तक सवाल है वह दो हजार रुपये तक का है। दो हजार रुपयों की आज क्या कीमत हो गयी है आप ही जानते हैं। इसलिये मेरा सजेशन हैं कि मोनीटरी ज्युरिस्डिक्शन दस हजार तक की कर दी जानी चाहिये ताकि वहां के रहने वाले को दूर जाने की तकलीफ न हो। वरना होता यह है कि मुन्सिफ की कोर्ट से सिविल जज कोर्ट के पास जाना पड़ता हैं। इसलिये मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का ज्युरिस्डिक्शन दो हजार से बढ़ाकर दस हजार तक कर दिया जाय।

अब जो एग्जीक्युटिव से ज्युडिशियरी को सपरेट करने की बात है उसके लिये मेरी राय है कि सैपरेशन कम्पलीट होना चाहिये। अब जो डिसीजन सरकार ने सैपरेशन ऑफ ज्युडिशियरी की बाबत लिया है इसकी बाबत अर्ज है कि महज आई० पी० सी० के केसेज ही नहीं होंगे एक्ट्स के केसेज के सुनने की बाबत जुरिस्डिक्शन दिया जावे। जिससे लोगों को इन्साफ मिलेगा। इससे अगर मुन्सिफ-मजिस्ट्रेट्स के पास काम अधिक हो जायगा तो कुछ पोस्टें बढ़ा दी जायं।

जुडिशियल ऑफिसर्स के लिये जो सब से बड़ी प्रोब्लेम है वह हाउस की प्रोब्लेम है। मैंने अपने समय में भी देखा है। ऐसी व्यवस्था कीजिये कि जहां जुडिशियल ऑफिसर्स जायं तो उनको रहने के लिये मकान मिल जाय और तकलीफ न हो।

(4.05 म० प०)

(श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत, सभानेत्री पदासीन)

सिविल जजेज के बारे में यह निवेदन करना है कि उनका ज्युरिस्डिक्शन कम है। जब मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का दस हजार का कर देते हैं तो सिविल जजेज का 25 हजार तक का कर दिया जाय। फौजदारी के मामलों के लिये असिस्टेन्ट जज को पावर्स दे दिये जाय। सिविल जजेज को जब प्रोमोशन सेशन जज का मिलेगा तो बहुत ठीक रहेगा। तमाम सिविल जजेज को असिस्टेन्ट सेशन जज की पावर्स दे दी जाय। राणावत पे-कमीशन के अनुसार वेतन में परिवर्तन हुआ है। लेकिन जहां तक इनकी पे का सवाल है इनको 750 रु० मिलना चाहिये। कुछ को जुनियर माना और कुछ को सीनियर माना है। जिसको प्रोमोशन होता है तो उसकी वही पे मिलनी चाहिये जो दूसरे सिविल जजों को मिलती है। इसलिये जो मुन्सिफ सिविल जज बनते हैं तो उनको वैसा ही स्टार्ट दिया जाय ताकि ग्रिवान्सेज न रहें।

अब मैं गवर्नमेन्ट एडवोकेट्स के लिये अर्ज करता हूं। गवर्नमेन्ट एडवोकेट जिनका अपोइन्टमेन्ट किया जाता है वे हाई कोर्ट में केसेज को कण्डक्ट करते हैं। मैंने पिछली दफा भी कहा था कि इनके संबंध में अपोइन्टमेन्टस के रूल्स बनाये जायं तो अच्छा है। लॉ मिनिस्टर सहाब ने कहा था कि सोच विचार कर रहे हैं और जल्दी ही रूल्स बना देंगे। मुझे पता नहीं कि रूल्स अभी तक बनाये या नहीं। रूल्स बनने के बाद हर एक आदमी का मेरिट पर सिलेक्शन होगा। रूल्स नहीं होने से अपोइन्टमेन्ट योग्यता आदि के अनुसार नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेन्ट एडवोकेट के लिये लोगों की यह धारणा बन गई है कि अन्ट्रेन्ड, अन-एक्सपीरियन्सड, अन-सुटेबल लोग आजाते हैं। गवर्नमेन्ट एडवोकेट्स का डाइरेक्ट कन्सर्न रहना है हाई कोर्ट से। गवर्नमेंट उसको सिलेक्ट करके भेजती है। सलिये मेरा सुझाव है कि इनका सिलेक्शन

(राजवी श्री रूपसिंह)

रूल्स के आधार पर हाई कोर्ट द्वारा होना चाहिये । एडवोकेट और डिप्टी गवर्नमेंट एडवो- केट दोनों का ही हाई कोर्ट से सिलेक्शन होना चाहिये।

पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स के लिये अर्ज करना है। गवर्नमेंट केसेज को कण्डक्ट करने के लिये पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स होते हैं। इनके लिये भी रूल्स बने हुए नहीं हैं। लॉ मिनिस्टर ने पिछली दफा कहा था कि रूल्स बना देंगे लेकिन रूल्स नहीं बनें। ऐसा लगता है कि जो पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स बनाये गये है उनको न तो तजुर्बा है और न कुछ। न लॉ का ज्ञान ही है, गवर्नमेंट की इच्छा पर बना दिये जाते हैं। आयन्दा के लिये डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जजेज के द्वारा उनका सिलेक्शन होना चाहिये क्योंकि उनको उनकी कोर्ट में काम करना पड़ता है।

डिले इन डिस्पोजल ऑफ केसेज की आम शिकायत है कि केसेज में काफी डिले होती है। मैं खुद मानता हूं। इसके बहुत से कारण है उन कारणों में जाने की जरूरत नहीं है। लॉ मिनिस्टर से अर्ज करना है कि जहां 350 से अधिक केसेज हो जायं तो एडीशनल कोर्ट कायम कर देना चाहिये। यदि एरियर्स ज्यादा हो जाय तो मुन्सिफ मजिस्ट्रेट या सिविल जज कायम करके निपटा देने चाहिये।

पी० एस० आई० की बाबत कहना है कि पुलिस के अण्डर में न रखकर डाइरेक्ट सेशन जज के अन्डर में रखा जाय। इनका अपोइन्टमेंट पुलिस के द्वारा न होकर गवर्नमेंट खुद करे या सेशन जज से कराये।

टाइम की कमी है।

सभानेत्री महोदया, पुलिस की बाबत मेरा जो कटौती का प्रस्ताव है उसकी बाबत समय के अभाव के कारण इतना ही अर्ज करता हूं कि गंगानगर जिले में सब इन्स्पेक्टर और इन्सपेक्टर के ट्रान्सफर, पोस्टिंग व प्रोमोशन के लिये, जहां तक मेरी नॉलेज है, रुपया लिया जाता है। हमारे चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि यह गलत है। मैं इसीलिये कह रहा हूं कि इसके बाबत सबूत मेरे पास है। दस-दस हजार, पन्द्रह-पन्द्रह हजार रुपया ट्रान्सफर के लिये दिए जाते हैं। उस जिले के जो मिनिस्टर्स हैं, एम० एल० एज० है वे खुद ट्रान्स- फर्स करवाते हैं और अपने अपने आदमियों को वहां ले जाते हैं और जब वे वहां जाकर उनकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते हैं तो उनका ट्रान्सफर करा दिया जाता है। (घंटी)

सभापति महोदया, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि गंगानगर जिले में तीन साल से ज्यादा किसी एस० आइ० को न रखा जावे और 15 सालों तक उसका तबादला गंगानगर जिले में नहीं होना चाहिये।

सभानेत्री महोदया, मैं मेरी का मर्डर केस के बारे में कहना चाहता हूं। यह मर्डरर आज तक पकड़ा नहीं गया है। जो मर्डरर है, वह जयपुर में मिनिस्टरों के बंगले पर रहता है। मिनिस्टर ने उसको शेल्टर दे रखी है। इससे लोगों में गलत धारणा बनती है। जस्टिस यह डिमाण्ड करता है कि ऐसे मर्डरर को शेल्टर नहीं दी जाय।

इसके अलावा सभापति महोदया, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। हमारी सबसे मुख्य मांग यह है कि हमें टाइम बहुत कम दिया जाता है। एक दिन में तीन-तीन डिमाण्ड रख दी जाती है और एक विधायक को, जो समय दिया जाता वह बहुत कम है। 184 के हाउस में 7

(राजवी श्री रूपसिंह)
आदमी बोलने वाले होते हैं और सबको बोलने का हक है उसे आप किलप नहीं कर सकते हैं इसलिये बिजिनेस एडवाइजरी कमिटी को चाहिये कि एक दिन में एक ही डिमाण्ड रखें। इतना कह कर मैं अपना आसन ग्रहण करता हूं ।

श्रीमती सभानेत्री : श्री जयनारायण ।

श्री जयनारायण (लसाड़िया-सु०) :..

श्री रामचन्द्र आर्य : भ्रष्टाचार गंगानगर में नहीं है। भ्रष्टाचार तो यहां से वहां जाता है । वहां नहीं है भ्रष्टाचार ।

श्री जयनारायण (लसाड़िया-सु०) : सभापति महोदया, एक कटौती प्रस्ताव मैंने रखा है । जो प्रगति पुस्तिका 68-69 को वितरित की गई है, उससे यह आभास होता है कि राजस्थान के अन्दर पुलिस विभाग ने तत्परता से लॉ एण्ड ऑर्डर को मैन्टेन किया है। वह इस ओर तत्पर है। मैंने अपने कटौती प्रस्ताव के अन्दर दो, तीन मांगे गृह मन्त्री महोदय के सामने रखी हैं ।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर एस० पी० के लेविल तक जितने कर्मचारी हैं, मैं मानता हूं कि वे कार्य-कुशल हैं और वे ईमानदार कर्मचारी ह लेकिन उससे नीचे की श्रेणी के जितने कर्मचारी हैं, उन्होंने और उनके द्वारा जो कुछ हरकतें होती हैं, उससे पुलिस विभाग की बदनामी होती है। इसकी पुष्टि के लिये मैं उदयपुर जिले का एक उदारहरण रखना चाहता हूं। पारसोली के थानेदार ने जब-जब पारसोली में किसी महाजन के यहां चोरी हुई तो अनेक आदिवासियों को पकड़ा । एक आदिवासी, जिसने कि कान में सोने की कड़ी पहन रखी थी, गिरफ्तार किया और पूछाताछ की कि यह कड़ी उसने सोने की चोरी करके पहन रखी है । उस सोने से तुमने इस कड़ी को बनवाया है । सभापति महोदया, मैं यह मानकर चलता हूं कि आदिवासी लोगों में कुछ चंद ऐसे भी हैं जिनकी कि सोना पहनने की क्षमता है। और पुलिस कर्मचारी यह मानकर चलते हैं कि इन आदिवासियों की यह सोने की कड़ी पहनने की हैसियत नहीं है । इससे मुझे सख्त एतराज है । आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि उन थानेदार साहब ने उस आदिवासी से पांच सौ रुपया मांगा लेकिन वह आदिवासी उस समय यह पांच सौ रुपया देने की स्थिति में नहीं था। अन्त में यह मामला दो सौ रुपया में तय हुआ और उसमें कुछ महाजन जो उसी गांव के थे, बीच बचाव के लिये आये। तो सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस विभाग के इन छोटे कर्मचारियों द्वारा राजस्थान के अन्दर पुलिस विभाग को बदनाम करने की हरकतें की जाती है । इसलिये मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इन छोटे कर्मचारियों को सतर्क करें और स्वयं जागरूक रहें और समय समय पर इनको चैक करने के लिये एक ऐसे आयोग का गठन किया जाय, जो जनता की शिकायत आने पर अचानक निरीक्षण करके इन थानेदारों को काबू में रखा जा सके । और जो दूसरे कर्मचारी हैं उनका भी निरीक्षण किया जा सके ।

दूसरा सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से गृह मन्त्री महोदय का ध्यान डूंगरपुर जिले में हुई तीन, चार डकैतियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदया, डूंगरपुर जिले में पिछले कुछ वर्षों से डकैतियां बढ़ती जा रही हैं। पुलिस विभाग इन

(श्री जयनारायण)

डकैतियों का पता लगाने में असमर्थ रही है। लेकिन इस वर्ष में मानता हूं कि पुलिस विभाग ने इस डकैती का पता लगाने की कोशिश की और डकैती का पता लगाया है। इसी सन्दर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि उदयपुर जिले के गांव मानपुर, गांव देवला, लोहागढ के आदिवासियों को पकड़ पकड़ कर निर्दयतापूर्वक मारा गया, पीटा गया। सभापति महोदया, मैं गृह मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं..

श्री रामचन्द्र आर्य : आप गृह मन्त्रीजी को हटाने का प्रस्ताव रखें ताकि डाके नहीं पड़ें।

श्री जयनारायण : कि इन आदिवासियों को पकड़ पकड़ कर निर्दयतापूर्वक क्यों मारा गया ? मैं पूछता हूं कि इनको पीटने के लिये पुलिस के पास क्या आधार था। मैं यह मानकर चलता हूं कि इस सिलसिले में जिन आदिवासियों को पकड़ा है, वे सारे के सारे डूंगरपुर जिले के थे। इसके अलावा कुछ जो उदयपुर जिले के थे। उनको भी पुलिस ने निर्दयतापूर्वक पीटा और यहां तक कि उनसे हां भराने के लिये बैटरी, बिजली के करेन्ट चढ़ाये गये उनको। सभापति महोदया, किसी आधार बगैर इन आदिवासियों का परेशान क्यों किया गया ? पुलिस विभाग के कर्मचारी कैम्प लगाकर दो-तीन महीने तक वहां पड़े रहे। मैं यह चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इसकी जांच करें कि उसका क्या आधार था जिससे बेगुनाह आदिवासियों को परेशान किया गया। अगर कोई आधार नहीं था तो उन पुलिस विभाग के कर्मचारियों को सज़ा दी जाय।

सभापति महोदया, जिन गांवों के आदिवासियों को पुलिस ने परेशान किया है, पुलिस को आज भी उन आदिवासियों पर शंका है। मैं इस शंका का समाधान करने के लिये राज्य सरकार को यह सलाह देना चाहता हूं कि राज्य सरकार भबराना स्थान पर, जहां खरीद आदि हेतु सारे आदिवासी आते हैं वहां पर एक थाने की स्थापना करें जिससे पुलिस के लोगों को उस क्षेत्र की देखरेख करने का मौका रहेगा और ऐसी घटनाएं नहीं होंगी।

सभापति महोदया, इसके अलावा मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी का ध्यान एक महत्वपूर्ण बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वह यह है कि कोटड़ा थाना उदयपुर जिले का है। इस थाने में मामेर एक गांव है। उस गांव में पुलिस के सिपाहियों की कर्तव्यपरायणता या जो कुछ कहना चाहिये, वह चरम सीमा पर पहुंच गयी है। मामेर गांव के पुलिस के दो सिपाही व कोटड़ा थाने के हैड मोहर्रिर, उस गांव के भावता आदिवासी के घर में घुस गये और तीन दिन तक उसके घर पर मुकाम रखा और इन तीनों ने भारता की कुंआरी लड़की के साथ बलात्कार किया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भावता की वह कुंआरी लड़की परेशान होकर घर से भाग गई और इतना ही नहीं पुलिस ने भारता को भी घर से भगा दिया। उसकी मां लड़की के पीछे पीछे भागी। वह लड़की अपनी इज्जत को बचाने के लिये पेड़ पर रस्सी डालकर अपने गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर मर गयी। सभापति महोदया, यह कहते हुए दुःख होता है कि पुलिस ने उस लड़की की लाश को उसके मातापिता को नहीं दी और न उसका पोस्ट मोर्टम ही किया गया और उन पुलिस कर्मचारियों ने उस लड़की की लाश को जला दिया।

(श्री जयनारायण)

माननीय सभापति महोदया, छोटे कर्मचारियों ने पुलिस को बदनाम कर रखा है छोटे कर्मचारियों के द्वारा इस प्रकार की घटनायें पैदा की जाती हैं। पुलिस विभाग बदनाम पुलिस के छोटे कर्मचारियों से है। गृह मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे कर्मचारी जो इस तरह की हरकतें पैदा करते हैं, जो पुलिस विभाग को बदनाम करते हैं उनको काबू में लेने के लिये किसी तरह का प्रयत्न करें।

श्रीमती सभानेत्री : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदया, पुलिस की मांग पर मैंने कटौती प्रस्ताव रखे हैं। उस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं जो आपने क्रिमिनल प्रोसीज़र कोड में नियम है एक जो मुकद्दमा होता है वह कन्टिन्युअसली लिया जाना चाहिये। फौजदारी मुकद्दमों को देखा जाये तो वे कई सालों तक चलते हैं इस कारण न्याय नहीं मिलता है। ऐसे मुकद्दमों को डे टु डे लेना चाहिये जो न्याय देरी से होता है वह नुकसानप्रद भी होता है।

दूसरा, जो आप मुन्सिफ मजिस्ट्रेट मुकर्रर करते है मैं चाहता हूं कि वह वकीलों से लिये जांय जिनको दस साल का अनुभव हो उनको मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के पद पर लिया जाना चाहिये.....

एक माननीय सदस्य : आपका नम्बर है क्या ?

श्री मूलचन्द डागा : इससे क्या होगा ऐसे मुन्सिफ मजिस्ट्रेट होंगे तो उनको कम से कम दस साल तक का अनुभव होगा तो वे कार्य अच्छी प्रकार कर सकेंगे।

तीसरी बात यह है कि कई अदालतों में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट बयान नहीं लेते हैं। प्राईवेट कम्पलेन्ट्स पर रीडर बयान लेता है। मैंने यह 75 परसेन्ट केसेज में देखा है सारे बयान रीडर और अहलकार ले लेते हैं। मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की गैर मौजूदगी में बयान होने के कारण कई घर के घर बरबाद हो जाते हैं। मुन्सिफ मजिस्ट्रेट अपना माइन्ड एप्लाई नहीं करते इसलिये न्याय दिलाने के लिये कायदा होना चाहिये कि सारे बयान मुन्सिफ मजिस्ट्रेट नियमों के अन्तर्गत रेगुलर ले। कई बार ऐसा देखा गया है कि गवर्नमेन्ट मुलाजिमों को ज्यादा टी०ए०, डी० ए० दिलाने के लिये कई बार उनको कोर्ट्स के सामने बुलाया जाता है। कई सरकारी कर्मचारियों को बार बार बुलाने पर गवर्नमेन्ट पर खर्चा भी ज्यादा पड़ता है उनको फायदा पहुंचाने के लिये दिन ब दिन सुनवाई न करके उसमें जानबूझकर देरी की जाती है।

न्याय सस्ता मिलने का एक तरीका होना चाहिये डिस्ट्रिक्ट्स में सरप्राइज चेकिंग की व्यवस्था होनी चाहिये। अक्सर यह देखा जाता है कि तीन तीन और चार चार वर्ष तक केसेज चलते रहते है। मुंसिफ मजिस्ट्रेट को अनुभव न होने के कारण इस प्रकार डिले होती है। आज के जमाने में रीडर्स मुन्सिफ मजिस्ट्रेट बन जाते हैं उनको अनुभव नहीं होता उन लोगों को बिठा देते हैं ऐसे पदों पर इसलिये मैंने बात कही थी कि वकीलों में से जिनको आठ साल का अनुभव, हो उनको लेना चाहिये।

पी० एस० आई० जो हो वह ला ग्रेजुएट हो। इसके बिना बनाते हैं तो गलत काम करते हैं।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं बेरी आयोग के बारे में विरोधी दल के नेताओं

(श्री मूलचन्द डागा)

ने इस बारे में काफी चर्चा यहां पर करदी है और उस पर काफी वाद-विवाद हो चुका है। इस बारे में हमारे यहां के दोनों पार्टियों ने अपने अपने विचार रख दिये हैं। सारे मामले पर इसी दृष्टिकोण से विचार हो रहा है। जो लोग मर गये हैं उसके प्रति सब की सहानुभूति है। जो कुछ उनके लिये समिति तय करेगी उनको दिया जायगा। अब वे वेरी आयोग की रिपोर्ट से अपने राजनैतिक स्वार्थ सिद्ध करन पर उतारू हो गये हैं जो उचित नहीं है। आज जसा कि एक माननीय सदस्य ने भूख हड़ताल भी करने का नोटिस दिया है और वे यहीं सदन में भूख हड़ताल करेंगे यह भी कहा है। यह कोई जगह भूख हड़ताल करने की नहीं यदि उनको भूख हड़ताल ही करनी है तो चौगड़ है और रामलीला मैदान है, जौहरी बाजार है, वहां वे कर सकते हैं। इसका एक्सप्लोइटेशन राजनैतिक स्वार्थ के लिये कर रहे हैं, उचित नहीं है। इसलिये इस पर बार बार कहने से कोई लाभ नहीं होगा। भूख हड़ताल के लिये और भी कई स्थान हैं। आपको इस बारे में सोचना चाहिये।

श्रीमती सभानेत्री : श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : सभानेत्री महोदया, मैंने पुलिस, कारागार और न्यायालय तीनों पर कटौती के प्रस्ताव दिये हैं। पहले मैं पुलिस के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। यह बात नहीं कि पुलिस में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार तो सभी जगह पर फैला हुआ है चूंकि पुलिस से ज्यादा आशा रखी जाती है कि वह सेवा का काम करे। हर पुलिस स्टेशन पर लिखा हुआ होता है कि 'मेरे योग्य सेवा' यह कितना अच्छा शब्द है। मेरे योग्य सेवा तभी हो सकती है जब उनमें सादगी हो, सुरक्षा की भावना हो, सच्चाई, सेवा भावना और सहिष्णुता और संयम ये पांचों चीजें जब तक नहीं होती है सेवा भावना से वे काम नहीं करते।

बातां में कांई धरयो, कोड़ी लगे न एक
बोले ज्यूं चाले सदा, वो है सांचों नेक॥

लेकिन अन्दर क्या है और बाहर क्या। बोलते कुछ और करते कुछ। आज आधार क्या है बोतल और बकरा। बोतल और बकरा आ जाता है तो रम और रमी, शराब और सुरा आप ही आ जाते है शराब ने इन्सान को इतना भ्रष्ट कर दिया है मैं तो आपकी मारफत निवेदन करना चाहूंगा आइ० ए० एस० और आइ० पी० एस० के जितने भी अधिकारी हैं यदि वे शराब पीते हैं तो हमें ऐसे अधिकारी नहीं चाहिये। आप उन्हें फिरसे केन्द्र में भेजदें। यदि आप इस तरह का कदम उठायेंगे तो आप यह निश्चित मानकर चलिये उनमें सुधार होगा।

कंजर चोरी करते है, लेकिन सभी नहीं। इसी प्रकार सभी पुलिस अधिकारी भ्रष्ट हो यह बात नहीं बहुत सारे अच्छे भी है, उनमें से कई की भावना अच्छी है पर आज तो देश में पुलिस के प्रति हर बच्चे बच्च के मुंह से निकलता है कि पुलिस में भ्रष्टाचार होता है। जब पुलिस के अधिकारी कन्जरों से रिश्वत लेते हैं तो यह मानी हुई बात है कि चोरों से जो रिश्वत ले उनको क्या कहा जाय। बहुत सी दफा रिश्वत लेने के लिये सामाजिक कुरीतियां मजबूर करती है। आज जो दैनिक कामों में पोलिटिकल पार्टीज का दखल है सत्ताधारी पार्टीज का जो दिन प्रतिदिन प्रशासन में दखल होता है उसके कारण भी

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

यह भ्रष्टाचार फैलता है। सामाजिक कुरीतियां भी इसके लिये दोषी है आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारी थानेदार जब रिश्वत खाते हैं तो नीचे वाले भी यही करने का प्रयत्न करते हैं। आजकल शादी में देने का इतना रिवाज बढ़ गया है कि हर आदमी चाहता है कि उसकी लड़की का विवाह अच्छी जगह पर हो उसमें पचास हजार भी देना पड़े तो वह देता है आखिर वह लायेगा कहां से चोरी करेगा या रिश्वत लेगा।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं इसके बारे में क्या उपाय काम में लेने चाहियें आपके आइ० जी० पी० से लेकर नीचे तक का अधिकारी कोई भी आदमी हो वह शराब न पीये। ऐसे अधिकारी आपके यहां होंगे तो पुलिस के प्रति लोगो की श्रद्धा होगी।

जैल सुधार गृह बनें वहां ऊंचे ऊंचे स्तर के आदमी होने चाहिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं इसके लिये ट्रेनिंग स्कूल होना चाहिये उसमें ऊंची से ऊंची योग्यता के चरित्र के आदमी रखे जांय तो फिर सरकारी सर्विस में जो आयेंगे इसी केलीबर के आये आदर्श जीवन लेकर आयेंगे।

तीसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रोमोशन सर्विस के आधार पर नहीं अच्छे अच्छ काम किये जाते है उसके आधार पर पद वृद्धि दी जाय। उस आधार पर तरक्की दी जाय। जिस जिले में चोरियां बरामद नहीं होती हो उस इलाके के एस० पी० और संबन्धित अधिकारियों को चार्ज शीट दी जाय क्योंकि उन्होंने ठीक काम नहीं किया। इसके अलावा मैं एक बात के लिये सरकार को और इस पुलिस विभाग को बधाई भी देना चाहता हूं कि मैं सांगानेर का रहने वाला हूं अभी अभी वहां का एक पोस्ट मास्टर मारा गया था पर पुलिस ने तत्परता से मारने वाले का पता लगाया।

पुलिस वेलफेयर फण्ड क़ायम किया हुआ है। यह बड़ी खुशी की बात है। इससे उनके पीछे उनके बच्चों को, औरतों को, परिवार वालों को कोई कठिनाई नहीं हो पाती। मैं चाहता हूं इस प्रकार और भी विभागों में ऐसे वेलफेयर फण्ड कायम किये जावें ताकि कोई छोटी उमर में मर जावे तो तत्काल उनके बच्चों को घर वालों को मदद मिल सके।

मेरा समय समाप्त हो गया है, इसलिये बैठ जाता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री रामानन्द अग्रवाल। मैं निवेदन करूंगी कि आप समय का खयाल रक्खें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): सभापति महोदया, चौथे आम चुनावों के बाद मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश में अराजकता काफी बढ़ी है। अब इसके बारे में सरकार की ओर से कैसे भी आंकड़े प्रस्तुत किये जावें आज जनजीवन में यह सत्त दिखाई दे रहा है। इसमें दो राय नहीं हो सकती।

सभापति महोदया, मैं समझता हूं कि इसका एक राजनैतिक कारण है। 67 के आम चुनावों के बाद जिस प्रकार कांग्रेस का बहुत बड़ा बहुमत होकर हुकूमतें बनती थीं, वैसा बहुमत नहीं बना, वह काफी क्षीण हो गया, कांग्रेस कई जगह हार गई और और प्रान्तों में उसी तरह हमारे प्रान्त में भी हार गई। ऐसी सूरत में भी जिस तरह से यह मन्त्रीमण्डल बना उसमें पुलिस अधिकारियों का सरकार के दूसरे विभागों

(श्री रामाननन्द अग्रवाल)

के अधिकारियों का उपयोग किया गया और उनके सहारे कई एम० एल० ए० तोड़े गये। ये समरथलाल जी, जो राजगढ़ से चुनाव जीतकर आये हैं और इस समय ट्रेजरी बैंचों पर हैं उनकी तरफ सभापति महोदया, मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा। इसमें खुले तौर पर डी० एस० पी० और एस० डी० एम० का प्रयोग किया गया उनको अपनी तरफ डिलेड करने के लिये। सदन के सदस्य इस पर गम्भीरता से विचार करें कि इस तरह से सर्विसेज का और विशेष-तौर से पुलिस का उपयोग हो तो जो कन्सीडरेशन या मदद पोलिटिकल पार्टी को इनसे मिलती है, उसके लिये इनके खिलाफ कोई गलती या लापरवाही करने पर एक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर एक सलैण्डर मेजोरिटी में जो सत्ताधारी दल होता है उसको अपने दल के लोगों को साथ रखने में उनकी इच्छाओं को और आदर्शों को अपना मानना पड़ता है।

सभापति महोदया, आज यह वास्तविक स्थिति है कि राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार चल रही है उसमें यह कहना दुरुस्त नहीं होगा कि छोटे छोटे पुलिस कर्मचारियों के कारण पुलिस का प्रशासन बदनाम हो रहा है। यदि इसकी जड़ में जाकर गहराई से देखा जावे तो मैं समझता हूं कि इसका मुख्य कारण तो यह राजनीति जो इस प्रशासन में घुस गई है। यह आज की वास्तविकता है सभापति महोदया, कि आज डाकू लोग बड़े बड़े असामाजिक तत्व, बड़े बड़े गिरहकट, बड़े बड़े स्मगलर्स वोटों के ठेकेदार बन गये हैं। आज बड़े बड़े लोग यह महसूस करने लगे हैं कि उनके आतंक के कारण किसी न किसी प्रकार से चुनाव उनकी मदद से जीते जा सकते हैं। इसलिए अगर उनके कोई रिश्तेदार थानेदार हैं, एस० पी० है या कोई और अधिकारी के पद पर है या किसी नौकरी पर है तो उनके खिलाफ कितनी भी शिकायत क्यों न हों, कोई भी एक्शन लेना मुश्किल हो जाती है।

सभापति महोदया, अभी थोड़े दिन हुए मैं करौली गया था। वहां अजीब बात सुनने को मिली जिसकी कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। वहां दो मशहूर डाकू हैं। एक है लज्जाराम जो ब्राह्मण कहे जाते हैं और दूसरा डाकू है रूपा जो गूजर जाति से कहा जाता है। वहां पर आम-तौर से जनता में यह धारणा थी कि एक तो ब्राह्मण मिनिस्टर है उसको लज्जाराम की मदद मिलती है और लज्जाराम से उसको चुनाव में मदद मिलती है, दूसरा जो गूजर मिनिस्टर है उससे इस गूजर डाकू को मदद मिलती है वह मिलती है और बदले में वे चुनाव में मदद लेते हैं। कहां तक अब इसमें तथ्य है इसको मैं नहीं जानता। पर जनता में इस प्रकार की भावना का इस प्रकार की धारणा होना मैं समझता हूं इस प्रकार से है कि सीजर्स वाइफ शुड बी एबोव सस्पीशियस। आज इसको यह प्रशासन कतई नहीं मानता।

मुझे यह भी बताया गया कि ब्राह्मण अफसर है वे लज्जाराम से मिलते हैं। लज्जाराम डाके डालता है दूसरी कौमों पर और जो गूजर है वह गूजरों पर नहीं डालता दूसरी कौमों पर डालता है। तो यह कास्टिज्म कम्यूनलिज्म उधर इन लोगों के जरिये मिल जुल कर फैलाया जा रहा है। करौली में डाकू कुछ लड़कों को उड़ाकर ले गए। अब बजाय पुलिस उनको छुड़ाती, और डाकुओं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

को पकड़ती, पुलिस अपने हथियार जंगल में ही छोड़कर उनके पास गई और लज्जाराम से यह कहकर उस लड़के को वापिस लाया गया कि यह फलां का रिश्तेदार है और फलां कौम का है। इस तरह की बातें करौली में मुझे जानने को मिलीं।

सभापति महोदया, मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की स्थिति अगर हमारे राज्य में है और राजनैतिक लोग इस प्रकार के दबाव में आकर स्थिति को पैदा कर रहे हैं, इस स्थिति को पैदा करने में योग दे रहे हैं तब तो फिर इस सारी व्यवस्था को कायम रखना मुश्किल ही है।

मैं अपने जिले का ही उदाहरण दूं। हमारे जिले में अलवर में पिछले दिनों काफी इस प्रकार की घटनाएं हुईं जिनमें कि कई कत्ल हो गये। मामूली मामूली चीजों पर। मामूली मामूली चीजें चोरी गई। किसी की बकरी उठा ली, किसी का कडला निकाल लिया इस तरह की छोटी-मोटी चीजों पर कत्ल हो जावे यह आश्चर्य की बात है। और सभापति महोदया, इन पर इफेक्टिवली काबू नहीं पाया जा सके, इसके पीछे भी राजनैतिक कारण हैं। हमारे यहां से चार मिनिस्टर हैं। दो मिनिस्टर तो जिनमें हमारे नवाब साहब भी हैं छुटभइयों में गिने जाते हैं। नवाब साहब वैसे चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हों, शोभारामजी और जैकिशनजी ये टीकैत हैं। वहां सभापति महोदया, समस्या यह है कि अगर एक थाने में बहुत क्राइम्स हो रहे हैं और जनता अगर यह कहती है कि थानेदार क्रिमिनल्स से मिला हुआ है तो इसको यहां से हटाओ, इसके खिलाफ कार्यवाही करो, तो एक मिनिस्टर हटाने की बात करेगा और दूसरा कहेगा कि यह तो नहीं जावेगा यहां से। रामगढ़ में किशनसिंह थानेदार है। कितनी ही जबर्दस्त शिकायतें उसके खिलाफ हों, पर वहां के प्रधान साहब से उनकी दोस्ती चलती है और प्रधान साहब पुराने फुटैल कहलाये जाते हैं शोभारामजी जैसों से उनकी दोस्ती चलती है उनकी वोटों में प्रधानजी की जरूरत है और इसलिये उस प्रधानजी को खुश रखना जरूरी है इसलिये थानेदार वहां रहना चाहिये। हटना नहीं चाहिये।

रघुनाथगढ़ में कत्ल हो गया। कुम्हार की बारात निकल रही थी जागीरदार साहब ने बन्दूक से कुम्हार को गोली से उड़ा दिया। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करके मामला 302 से निकाल कर 304 में लेकर, वैसे ही मामूली जमानत पर क्रिमिनल को छोड़ दिया गया। इसी प्रकार एक थानेदार बीस बीघा सिवाय चक जमीन काश्त किये हुए हैं। पर कुछ नहीं किया जा सकता। गर्ज यह कि इस तरह की कितनी ही शिकायतें हैं। सरपंच ने, और और लोगों ने इसकी लिखित में शिकायतें कीं। एक बार उसका तबादला भी कर दिया पर वह कैंसिल हो गया। इसी तरह अलवर में कटारिया साहब कोतवाल थे। उनके खिलाफ पब्लिक चिल्लाई तो जयकिशनजी अड़ गये कि ये यहीं रहेंगे। ये मेरे दोस्त हैं। इस तरह की स्थिति हो गई है। शोभारामजी किसी का तबादला कर दें तो वह जयकिशनजी के पास पहुंच जाय और अपना तबादला कैंसिल करवा ले और जयकिशनजी किसी का तबादला कर दें तो वह शोभारामजी के पास शरण ले ले। तो जड़ में प्रोब्लेम यह राजनैतिक अड़ंगेबाजी की है। वैसे मिनिस्टर साहब ने उत्तर देते हुए उस रोज दो

Page No 140

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

डकैतों का नाम लिया जो कि जेल से भाग गये हैं । वे मानसिंह और पल्ली । तो वह प्रोब्लेम तो है । पर बुनियादी प्रोब्लेम यह नहीं, जयकिशन और शोभाराम हैं । अगर आप एक्चुअली क्राइम्स को कन्ट्रोल करना चाहते हैं तो राजनीति का विशुद्ध आधार पर निर्माण करना होगा। आज आप इस तरह के तत्वों के आधार पर जनता से सम्पर्क तोड़ते जा रहे हैं । इसके कारण आज का किसान और मजदूर आप का साथ नहीं देता। चोर, डकैत, भ्रष्टाचारी, ब्लैक मार्केटियर्स, स्मगलर्स इनके ऊपर अपना आधार रखकर आज आप चलना चाहते हैं। आज इस बात से इन्कार किया जा सकता है । सभापति महोदया, आज यह आम-बात है किसी भी थानेदार का अपाइन्टमेंट 10 हजार के बगैर नहीं हो सकता है, ट्रान्सफर 7 हजार के बगैर नहीं हो सकता है । अलग अलग थानों की कीमतें मुकर्रर हैं—गंगानगर की सबसे ज्यादा हैं । कोई यह कहे कि फलां ने यह दिया, फलां ने यह दिया तो मुझे किसी थानेदार के खिलाफ शिकायत नहीं है । अभी माननीय सदस्य कह रहे थे, छोटे कर्मचारियों की प्रोब्लेम है लेकिन ये तो बड़ों को देखकर करते हैं जैसा राजा वैसी प्रजा । बड़े ज्यादा खाते हैं तो छोटे कम खाते हैं । लेकिन इस प्रोब्लेम पर आंख बन्दकर नहीं चला जा सकता है । यह वास्तविकता है । मेरे जिले में एक थानेदार बहुत बहादुरी के साथ शहीद हुआ और जनता ने बहुत शानदार तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित की। क्या चर्चा थी उसकी शव यात्रा में, क्या जिक्र था, लोग कह रहे थे अभी पिछले साल तो बेचारा 5 हजार देकर थानेदार बना है। इसके बच्चों का क्या होगा, उनकी क्या हालत होगी? मैं यह कहूंगा यह गवर्नमेंट ही नहीं पूरे मिनिस्टिरियल लेवल पर है । मिनिस्टिरियल लेवल पर डाऊट करते हैं । ट्रेजरी बेंच पर बैठने वाले डाऊट करते हैं यह बात अलग है डिसिप्लिन के तरीके पर आगे नहीं आयें। जयपुर जिला कमेटी ने बताया एक मिनिस्टर ने स्तीफा दिया गृह मंत्री के खिलाफ कि उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के चार्जेज हैं उनकी जांच कराई जाय वरना मैं कैबिनेट से स्तीफा दे दूंगा । उसको मनाया गया, वह चिट्ठी वापिस दिलाई गई इस तरह की घटनायें आ रही हैं । इस बात पर सीरियसली विचार करें जिसको आप तरजीह दे रहे हैं। आपको सबसे ज्यादा चिन्ता पोलिटिकल अपोनेन्टस को दबाने की है । अलवर में पिछले साल किसान सभा ने सत्याग्रह आन्दोलन किया, आपने एक हजार पुलिस वालों को भेज दिया और उस सत्याग्रह को दबा दिया। जो चोरी और डकैती के केसेज आते हैं कलेक्टर और एस० पी० बराबर चिट्ठी लिख रहे हैं कि पुलिस फोर्स भेजी जाय लेकिन आप कहते हैं फोर्स नहीं है । लेकिन कम्युनिस्टों को पकड़ने के लिये, किसानों को पकड़ने के लिये आप सब कुछ ताकत लगा सकते हैं । यह आप में भारी परिवर्तन हुआ है । चोरी डकैतों पर आप अपनी सत्ता कायम नहीं रख सकते हैं । सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करूंगा छोटे छोटे मामलों में ब्यावर के अन्दर लक्ष्मणसिंह संयुक्त समाजवादी पार्टी के एक्स म्यूनिसिपल कमिश्नर श्री सेवा राम को बुरी तरह से पीटा । बजाय एन्क्वायरी होने के हैड कान्स्टेबल पर मुकद्दमा चलाया गया ।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मैं समझता हूं हाईएस्ट लेवल पर उसकी शिकायत हुई । मैंने आई० जी० पी० से बात की उन्होंने शायद यह कहा था कि एन्क्वायरी की है और उसको ससपेन्ड कर दिया । लेकिन मैंने बताया एक्चुअली में आज तक उसका कुछ भी नहीं हुआ है । उनको बुरी तरह से बेइज्जत किया गया और पीटा गया । मैं निवेदन करना चाहता हूं जो कांग्रेस आज यह चाहती है कि पोलिटिकल अपोनेन्ट्स आन्दोलन न करें, मैं मानता हूं कि पोलिटिकल आन्दोलनों से आपकी असहमति हो सकती है, उसको न मानें, न मानें, लेकिन पुलिस को जो अधिकार दिये हैं, जिस अत्याचार के खिलाफ हम लड़े हैं उसे प्रशासन को रोकने के लिये आप वह अधिकार पुलिस को देना चाहते हैं । मैं कहना चाहता हूं जिस जालिम के खून मुंह लग जाता है वह दूसरों का मिलता है तो उसको खा जाता है नहीं मिलता है तो घर वालों को खाता है । इसका नतीजा मंहगा पड़ेगा । सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करूंगा कि हरिजनों के साथ जो विशेषतौर से पुलिस के अत्याचार हैं मेरे पास समय नहीं है कि मैं उन सारी घटनाओं को कहूं । पिछले सैशन में मेरा मोशन था जिसमें मैंने सारे राजस्थान के आंकड़े इकट्ठे किये थे । हरिजनों की, आदिवासियों की हत्यायें की हैं और उनको पीटा गया है । कोई गवाह देने गया उसको पीटा गया, कोई किसी भी रूप में गया उसे पीटा गया इस प्रकार उनको दबा दिया जाता है अभी समय नहीं है, मैं चाहता हूं इसको दूसरे रूप में लाऊं । मैं समझता हूं इस बार पिछली बार की तरह पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी और हाउस अबरप्टली एडजोर्न नहीं किया जायेगा इसलिये मैं उस मामले को दूसरे समय के लिये रखना चाहता हूं ।

जो प्रगति रिपोर्ट पुलिस डिपार्टमेन्ट की तरफ से पेश की गई है उसमें गंगानगर जिले के रहमत अली के गिरफ्तार करने का जिक्र किया है ।

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

लेकिन सभापति महोदया, डिपार्टमेन्ट ने इस बात को छिपाया, सप्रेस किया मेटीरियल फैक्ट यह है कि वह जमानत पर छूट गया । आपने उस पर विजिलेन्स नहीं रखा और वह पाकिस्तान में भाग गया । वह रहमत अली जो केवल स्मगलिंग ही नहीं करता था, वह पाकिस्तान का स्पाई भी था । इस तरह के और भी कई मामले हैं । आप पोलिटिकल वर्कर को जो एक जुर्म से छूट जाय तो उसको दूसरे जुर्म में डाल देते हो....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उसके ऊपर आपका कोई बस नहीं है । उसकी एक्टीविटी पर आपने ध्यान क्यों नहीं रखा, कैसे भाग गया वह पाकिस्तान ? मुझे जानकारी मिली है कि ऐसे अराष्ट्रीय तत्व की जमानत देने वाले कांग्रेस के कार्यकर्त्ता हैं । गृह मंत्रीजी अपने उत्तर में पूरा वाकियात बतायेंगे ? क्या चार्जेज थे, किन हालतों में वह चला गया, पुलिस ने क्या एक्शन लिया, मैं पूछना चाहता हूं पुलिस ऑफिसरों के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया ?

सभापति महोदया, मैं एक ज्यूडिशियल डिपार्टमेन्ट के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । नम्बर एक जो लोग चीन या पाकिस्तान की लड़ाई में ऐमरजेन्सी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कमीशन लेकर गये थे गवर्नमेन्ट ने डिसिजन लिया था कि ऐसे पुलिस ऑफिसर्स के लिये जिनको पदमुक्त कर दिया गया है—सरप्लस घोषित कर दिया गया है उसके लिये आर० ए० एस० में जगह रखें, आर० पी० एस० के लिये रखें लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आर० जे० एस० में उनका परसेन्टेज क्यों नहीं रखा गया ? जो एलएल० बी० है, हर तरह से क्वालिफाइड हैं मैं निवेदन करूंगा उनके भी हर तरह से हक हैं और आर० जे० एस० में उनको स्थान दिया जाय और दूसरे लोगों के साथ बैठने का मौका दिया जाय । दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं जैसे कि श्री राजवी साहब ने जिक्र किया कि जो राणावत कमीशन का गवर्नमेन्ट ने लेटेस्ट डिसिजन लिया है उसमें सिविल जजों के साथ मैं समझता हूं — मैंने समझा है ऐसा लगता है कि कुछ जल्दी में गलती हो गई है चूंकि उनका जो पे स्केल मुकर्रर किया है उसके अन्दर यह रखा है कि वन-थर्ड जूनियर सिविल जजेज होंगे और टू-थर्ड सीनियर सिविल जजेज होंगे । जूनियर सिविल जज होने के लिये मुन्सिफ-मजिस्ट्रेट को 10 वर्ष लगाना पड़ता है तो जो ग्रेड रखा है वह तो वैसे ही पास हो जायगा। सीनियर और जूनियर का डिसक्रिमिनेशन रखा है वह गलत है । इसमें आप मेरिट पर न लेकर बहुत बड़ी तादाद नहीं है, सारे राजस्थान में कुल 33 है और उसमें से 11 छांटेंगे, अभी 22 को तो सिविल जज मुकर्रर भी नहीं किये हैं । तो जो नयी ग्रेड्स दी हैं उस नयी ग्रेड का फ़ायदा अभी तक किसी को भी नहीं मिल सकता । मैं समझता हूं कि जुडिशियरी इन्डीपेन्डेन्ट हो, ईमानदार हो तो उनको ठीक तरीके से वेतन जो दूसरे कारस्पोन्डिंग पोस्ट्स है उनके मुताबिक उनको मिलना चाहिए और इस रूप में जो आपने उसका रिमार्क्स कॉलम है और 1/3 जूनियर का कॉलम रखा है और उनका ग्रेड 500 का रखा है मैं समझता हूं कि उसका कोई औचित्य नहीं है । हायर ग्रेड का कोई फायदा नहीं उठा सकेंगे इसलिये मैं समझता हूं कि यह गलती डेलीब्रेट नहीं होकर मुझे तो यह स्लिप लगता है और इसको दुरुस्त किया जाना चाहिये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटमोशन्स को मूव करता हूं ।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्रीमती सभानेत्री : सरकार की ओर से उत्तर दिया जाये ।

श्री रामचन्द्र आर्य : सभापति महोदया, दो मिनट दिये जायें । मेरा भी कटमोशन है और बड़ा महत्वपूर्ण है । ....

श्री बनवारीलाल : सभापति महोदया, पांच-पांच मिनट कुछ माननीय सदस्यों को दिये जायें ।

श्री रामचन्द्र आर्य : मुझे सिर्फ 2 मिनट दिये जायें ।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य आपकी पार्टी को जो समय दिया गया था वह पूरा हो चुका है । माननीय मंत्री महोदय उत्तर देंगे ।

श्री बरकतुल्ला खां (विधि मंत्री) : माननीय सभापति महोदया, आपकी आज्ञा के अनुसार....

श्री रामचन्द्र आर्य : माननीय सभापति महोदया, मुन्सिफ-मजिस्ट्रेट, भादरा ने एक वारन्ट जारी किया और फर्जी मुकदमा बनाकर उस फाइल को चला दिया गया और यह पी० एस० आई० के खिलाफ वारन्ट अदालत से जारी हुआ उसकी कोई फाइल नहीं और वह आज सिविल जज बना बैठा है। इसकी जांच की जाये क्योंकि ऐसी बातों से ऐसे व्यक्तियों को बढ़ावा मिलता है और यह मेरे पास फोटो है इस फर्जी वारन्ट को जिसको मैं सदन की मेज पर रखना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि न्याय मंत्रीजी इसकी खुली जांच करायेंगे और ऐसे आदमियों को सजा मिले। मैं इसको सदन की मेज पर रखता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : इसे सदन की मेज पर रख दें।

(कई मानीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

माननीय सदस्यों काफी समय हो चुका है। मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री शिवचरणसिंह : पाइन्ट ऑफ आर्डर सर......

श्री रामचन्द्र (खण्डेल) : पाइन्ट आफ ऑर्डर सर .....

श्रीमती सभानेत्री : आपका (श्री रामचन्द्र) पाइन्ट ऑफ आर्डर है ......

श्री शिवचरणसिंह : मेरा पाइन्ट ऑफ आर्डर है। अभी माननीय रामानन्दजी अग्रवाल ने अपने भाषण में मेरे लिये कहा कि मेरा डाकू रूपा से लगाव है मैं इस संबंध में स्पष्टीकरण करना चाहूंगा....

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : आपका यह पाइन्ट ऑफ आर्डर है क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैंने यह नहीं कहा है कि लगाव है। मैंने तो कहा है कि वहां की पब्लिक में यह बात फैली हुई है।

श्री शिवचरणसिंह : उस इलाके में जो भी डकैत हैं उसमें चाहे किसी भी जाति के लोग हों—मैं स्पष्ट कर दूं कि जब से मैं सदन में आया हूं और उसके पूर्व भी मैं सदन में उनके खिलाफ आवाज उठाता रहा हूं और आज भी मैं इसी धारणा का हूं और मैं सदन के माध्यम से निवेदन करूंगा कि वह इस प्रकार की अनर्गल बातें गैर जिम्मेदारी के साथ आइन्दा कभी प्रकट नहीं करें।

श्री रामसिंह कुड़ी : आप रूपा डाकू को यहां लाकर खड़ा कर दो वह अपने आप कह देंगे।

श्रीमती सभानेत्री : आपका (श्री रामचन्द्र) क्या पाइन्ट आफ आर्डर है ?

श्री रामचन्द्र (खण्डेला) : सभापति महोदया, व्यवस्था का सवाल है। जब आपने एक बार व्यवस्था दे दी कि सरकार की तरफ से उत्तर होगा और उसके बीच में विरोधी पक्ष वाले बोल रहे हैं और हम सुबह से चिल्ला रहे हैं तो हमारे साथ में इस प्रकार का सौतेला व्यवहार क्यों ?....

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। आपने जो पाइन्ट ऑफ आडर उठाया है यह कोई पाइन्ट ऑफ आर्डर नहीं है। आपकी पार्टी को भी जो समय दिया गया था वह पूरा हो गया और इधर की पार्टी का भी समय पूरा हो चुका है। अब गवर्नमेन्ट की तरफ से उत्तर दिया जायेगा।

श्री बनवारीलाल : 5 मिनट का समय दिया जाये।

श्रीमती सभानेत्री : मुझे अफसोस है। अब समय नहीं दिया जा सकता है । माननीय मंत्री महोदय उत्तर दें ।

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : मानीय सभापति महोदया, पुलिस की ग्रान्ट के ऊपर आज दिन भर से माननीय सदस्यों ने अपने विचार बहुत खुले दिल से रखे हैं । मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों से कि पुलिस के जो कर्त्तव्य हैं उनके ऊपर जरा विचार कर गंभीरता से यह भी सोचें कि किन कठिनाइयों में पुलिस को काम करना पड़ता है। यह कहना कि पुलिस तो सारी की सारी ही भ्रष्टाचारी है और उसमें खराबियां ही खराबियां नजर आय मैं समझता हूं कि यह न्यायसंगत बात नहीं होगी । एक तरफ यहां कुछ पुलिस के आफिसर्स खराब हो सकते है तो बहुत से ऐसे आफिसर्स भी हैं कि जो ईमानदार हैं, अच्छा काम करने वाले हैं और उन्होंने अपने कर्त्तव्य पालन में राजस्थान के अन्दर अपनी जान भी दी है। ऐसे व्यक्ति एस० पी० से लेकर हमारे सिपाही तक सैकड़ों आदमियों ने अपनी कुर्बानी की है इस लॉ एण्ड आर्डर को मैन्टेन करने के लिए और समाजवादी तत्वों का सफाया करने के लिए ...

कुछ माननीय सदस्य : समाज विरोधी तत्वों ......

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बहुत बढ़िया आपका एडजेक्टिव है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मुझे असल में रामानन्दजी नजर आ गये इसलिए समाजवादी तत्व कह गया । "आई एम सौरी" समाज विरोधी तत्व ......

श्री रामानन्द अग्रवाल : आखिरी वक्त तो सच जबान पर आ गयी ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरा अर्ज करना है यह है कि कुछ माननीय सदस्यों ने बहुत ही स्वापिंग रिमार्क्स पुलिस के लिए कहे । मैं कहता हूं कि यह उनके लिए उचित नहीं है । आज भी जो स्थिति राजस्थान में है राजस्थान बना उस समय से अगर पुलिस के इतिहास पर निगाह डालें तो पुलिस का इतिहास बहुत ही ब्राइट है और शाइनिंग है और पुलिस ने शान्ति और व्यवस्था कायम करने में, समाज विरोधी तत्वों का सफाया करने में जान पर खेलने में कोई कसर नहीं रखी । इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि जब पुलिस के कर्त्तव्यों का आप चिन्तन करें, आप अपने विचार प्रकट करें उस समय जहां कमियां हैं उनको आप बतायें मुझे खुशी है मैं उन पर अवश्य बयान दूंगा और कोई एक्शन लेने वाली बात होगी तो एक्शन भी लूंगा । लेकिन साथ ही साथ जो पुलिस के एचीवमेन्ट्स हैं उनको कहना भी वाजिब होगा । जहां पुलिस ने अच्छे काम किये हैं क्राईम्स के डिटेक्शन में और क्राईम्स के प्रिवेन्शन्स में और जो सोशियल एलीमेन्टस हैं उनको वाइप-आउट करने के लिए जो उन्होंने काम किये हैं उनके लिए भी आपको कहना चाहिए । पिछले साल 1968-69 में यहां इसी सदन में इसी पुलिस डिमाण्ड के ऊपर काफी बहस हुई थी और अगर आप उस बहस को और आज की बहस को मिलान करें तो करीब-करीब उसी तरह की यह बहस आज की है परन्तु यह देखना यह है कि पिछले वर्ष में पुलिस के एचीवमेंट्स क्या हुए और जो जरायम की तादाद है उसके अनुसन्धान के लिए पुलिस ने क्या कार्यवाही की इससे आपको पुलिस के एचीवमेन्ट्स मालूम होंगे । यही ठीक बात पहले कही गई है । सदन में जो प्रतिवेदन

(श्री दामोदरलाल व्यास)

पेश किया गया है पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से उससे जाहिर है कि पिछले वर्ष से जरायम बढ़े हैं, क्राइम्स में बढ़ोतरी हुई है। उसके साथ-साथ यह भी देखना है कि क्राइम इन्क्रीज केवल राजस्थान में हुई हो या हिन्दुस्तान में ही हुई हो यह बात नहीं है, बल्कि दुनिया में 10 पर्सेन्ट क्राइम में इन्क्रीज हुई है। हिन्दुस्तान की सभी रियासतों के अन्दर माना गया है कि 10 पर्सेन्ट क्राइम इन्क्रीज हर साल होता है। इस साल क्राइम बहुत ज्यादा बताये गये हैं। सन् में 37,001 केसेज हुए हैं और उनमें 6,5[illegible] केसेज झूठे पाये गये हैं कि जिनके लिए 182 और 211 ताजीरात हिन्द के अन्दर कार्यवाही की गई है। इसका मतलब यह है कि 17 पर्सेन्ट केसेज फाल्स पाये गये और फाल्स केसेज को निकालने के बाद क्राइम्स की पोजीशन को देखेंगे तो राजस्थान के अन्दर बहुत इन्क्रीज नहीं हुआ है। यह कहा जाय कि पोपुलेशन की इन्क्रीज से क्राइम्स में इन्क्रीज नहीं हुई है तो क्राइम्स की बढ़ोतरी के कारण कई हो सकते हैं.....

श्रीमती सभानेत्री : सदन की आज्ञा से सदन का समय बढ़ाया जाता है जब तक कि यह भाषण पूरा नहीं हो।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह नहीं है कि पोपुलेशन की इन्क्रीज के कारण ही क्राइम्स में बढ़ोतरी हुई हो लेकिन इन्डस्ट्रियेलाइजेशन हुआ है और जब इन्डस्ट्रीज बनती हैं तो बाहर से बहुत से लोग ऐसे आते हैं लेबर में टैक्निकल काम करने के लिए कि जिनके आने से बहुत सी क्राइम्स के अन्दर बढ़ोतरी होती है। और उसके साथ हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि अकाल जब पड़ता है और केटल का जब माइग्रेशन होता है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : पाइंट आफ आर्डर, सर। सभापति महोदया, यह बड़े खेद की बात है कि माननीय गृह मंत्रीजी ने एक वर्ग, मजदूर वर्ग, के प्रति इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है कि उनके वहां से आने से यहां क्राइम बढ़े हैं। इससे उन्होंने उस वर्ग को दूषित और कलंकित करने की कोशिश की है। मैं कहूंगा कि इन शब्दों को एक्सपन्ज किया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप मेरी बात को गलत समझने और गलत समझाने की कोशिश नहीं करें। मैंने आपसे यह कहा है कि इन्डस्ट्रियेलाइजेशन जब राजस्थान में बढ़ रहा है तो बहुत से लेबर और टैक्निकल लेबर बाहर से आते है जिनके एन्टिसीडेन्ट्स को हम नहीं मानते हैं; और बाहर से आने वाले लेबर के लिए जो मैंने कहा है वह मुकद्दमात के आधार पर, जो डिटेक्टेड केसेज हैं उनके आधार पर कहा है। उन लोगों के अन्दर बहुत से क्रिमिनल्स आये हैं जिन्होंने क्राइम्स कमिट किये है और क्राइम्स [illegible]ी तादाद बढ़ी है। आप इस बात की कोशिश नहीं करें समझाने की कि मैंने लेबर वर्ग को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन लेबर में भी समाज विरोधी तत्व होते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि समाज-विरोधी तत्व कहां-कहां हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : बहुत से वहां बैठे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने अलवर के लिए नहीं कहा है और न आपके लिए कुछ कहूंगा। आप चिन्ता मत कीजिये।

परन्तु इस बात को मत भूलिये कि इन्डस्ट्रियेलाइजेशन की वजह से पोपुलेशन

(श्री दामोदरलाल व्यास)

बढ़ी है, क्योंकि इन्डस्ट्रीज में लोग बाहर से आते हैं जिनके एन्टिसीडेन्ट्स हमको मालूम नहीं होते हैं और पुलिस को उनकी निगरानी रखने में दिक्कत पेश आती है। मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि इन्डस्ट्रीज ने आजकल एक नया तरीका निकाल रखा है। कान्ट्रेक्ट सिस्टम पर लेबर को लगाते हैं। लेबर लॉज से बचने के लिए कान्ट्रेक्टर्स को लेबर का ठेका देते हैं और कान्ट्रेक्टर्स लेबर इम्पोर्ट करते हैं दूसरी स्टेट से, और उनकी वहां न तो फेक्ट्रीज के अन्दर हाजरी होती है और न नाम होता है, न उनके एन्टिसिडेन्ट्स मालूम होते हैं। ऐसी सूरत में पुलिस को दिक्कत पेश आती है उन लोगों का पता लगाने में कि उनके क्या क्या एन्टिसिडेन्ट्स हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : गंगानगर जिले के थानों पर तबादला करने का ठेका किस का है?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्योंकि वहां पर लोग 15-15 हजार रुपया देकर आते हैं। यह ठेका किस के हाथ में है यह तो हमें जानकारी देदें ताकि उससे बात करें।

श्री दामोदरलाल व्यास : रामानन्दजी इनको अपने पास बिठाइये। कोई फर्क नहीं है।

मुझे अर्ज करना यह है कि इन्डस्ट्रियेलाइजेशन के कारण, पोपुलेशन की इन्क्रीज के कारण— माननीय सारणजी ने कहा है कि पापुलेशन इन्क्रीज कोई कारण नहीं है। हो सकता है कि उनकी निगाह में पोपुलेशन इन्क्रीज कोई कारण नहीं हो सकता है। पोपुलेशन इन्क्रीज होती है, इन्डस्ट्रियेलाइजेशन होता है तो क्राइम्स बढ़ते हैं। यह यहीं पर नहीं है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पोपुलेशन इन्क्रीज से क्राइम बढ़े हैं या क्राइम से पोपुलेशन बढ़ी है।

श्री दामोदरलाल व्यास : ज्यों ज्यों इन्डस्ट्रीज बढ़ती जायगी त्यों-त्यों क्राइम्स बढ़ते जायेंगे। लेकिन राजस्थान में जिस प्रकार से इन्डस्ट्रीज बढ़ी हैं तो क्राइम बढ़े हैं। जहां इन्डस्ट्रीज बढ़ती हैं वहां डिस्प्यूट भी बढ़ते हैं क्योंकि समाज-विरोधी तत्व झगड़ा पैदा करते हैं उससे क्राइम बढ़ते हैं।

पिछले वर्ष से बराबर इस बात की कोशिश की गई है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम्स फ्री होना चाहिए और आफेन्स वर्किंग नहीं होना चाहिए जहां तक शहादत का ताल्लुक है मैंने खुदने यह कहा है कि आफेन्स वर्किंग के अन्दर क्राइम्स रजिस्टर्ड नहीं होते हैं तो मिनिमम पनिशमेंट उसकी बर्खास्तगी की होगी...

श्री रामचन्द्र आर्य : एक....

श्रीमती सभानेत्री : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगी कि आप इनको बोलने दीजिये। बीच बीच में इन्टरप्ट नहीं करें।

श्री दामोदरलाल व्यास : जिसकी वजह से क्राइम फीगर्स बढ़े हैं तो इस बढोत्तरी के लिए इस बात को नहीं भूल सकते हैं, और अन्य कारण भी हो सकते हैं। जो यहां पर आपके पास हमने अन्य राज्यों के भी फीगर्स (आंकड़े) इस प्रतिवेदन के अन्दर दिए हैं, उससे मालूम होगा कि क्राइम्स के फीगर्स सब जगह बढ़े हैं। 10 पर्सेन्ट बढ़ते हैं तो वे इस बात को मानते हैं कि आम तौर से हर जगह बढ़ते। यहां 7-3 हैं

(श्री दामोदरलाल व्यास)

क्राइम और फिर उसमें से 17 पर्सेन्ट फाल्स केसेज के हैं जो कि बिल्कुल दर्ज किये गये हैं, वे निकाल देते हैं और उसके साथ में फ्री रजिस्ट्रेशन है तो मैं समझता हूं कि उससे आपको सन्तोष होना चाहिए। राजस्थान के अन्दर क्राइम की पोजीशन ठीक है और सन्तोषजनक है।

दूसरी बात साथ-साथ मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि क्राइम के डिटेक्शन के साथ क्राइम के पनिशमेंट का भी सवाल है। वह बहुत ही जरूरी है। आप सब माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि पिछले वर्ष में जो फीगर्स हमने आपको दिये हैं उससे आपको मालूम होगा..

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं अच्छी तरह से आपको बता देना चाहता हूं कि रावतसर थाने में मेरे सामने एक आदमी को चाकू मारा गया और मुलिजम का चालान पेश नहीं किया गया और थानेदार ने रिश्वत खाकर उसको छोड़ दिया ! (शेम, शेम)।

श्री दामोदरलाल व्यास : ये आपको शेम शेम कह रहे हैं।

माननीय सभापति महोदया, इनका भाषण नोट नहीं करवाया जाय नहीं तो ये नहीं मानेंगे बोलते हुए।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह बिल्कुल सही बात है। आप इसकी एन्क्वायरी करा लें। मैंने एस० पी० और एडिशनल एस०पी० को कहा लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और थानेदार ने 5 हजार रुपये लेकर उसको छोड़ दिया।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप अपनी आवाज को वजनदार बनाइय समझदारी करके।

मेरा निवेदन यह है कि जहां तक चालान का प्रश्न है 61 पर्सेन्ट केसेज में चालान किया गया है 1968 में। रिकवरी का जो सवाल है तो 49.4 पर्सेन्ट जो रिकवरी है। मेरा अर्ज करना यह है कि हिन्दुस्तान में सब स्टेट्स की रिकवरीज को देख लें कि इतने पसन्टेज की रिकवरी कहीं नहीं आती है। रिकवरी को देख लें, चालान के पर्सेन्टेज को देख लें और कन्विक्शन को देख लें तो आपको मानना पड़ेगा कि यहां की पोजीशन आफ क्राइम्स, डिटेन्शन आफ क्राइम्स और विशेष रूप से पनिशमेंट के आंकड़ों को देखते हुए बहुत अच्छी नहीं हो तो सन्तोषजनक तो जरूर है। इसमें दो राय नहीं हो सकती है। आपको इस बात का अन्दाजा फीगर्स से लगाना पड़ेगा।

मैं, माननीय सभापति महोदया, एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक चोरी के मामलात के अन्दर, नकबजनी के मामलात के अन्दर माननीय सदस्यों ने इस बात को कहा है कि चोरी और नकबजनी के केसेज बहुत हुए हैं। मैं निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार करता हूं कि चोरी और नकबजनी के केसेज में कुछ बढ़ोत्तरी है। परन्तु इसका कारण माननीय सदस्य भी जानते हैं और जैसे कि मैंने कारण बताये हैं कि क्राइम इनक्रीज के कुछ कारण है। चोरी और नकबजनी के केसेज की बढ़ोत्तरी के भी खास कारण हैं कि क्रिमिनल्स जो हैं वे आजकल काफी इन्टेलीजेन्ट हो गये हैं और मोड्स आपरेन्डी दिन पर दिन बदलता जा रहा है। इन्टेलीजेन्ट क्रिमिनल्स के साथ में पुलिस को कितनी दिक्कत आती है। इसको आपको समझना चाहिए। जो लोग क्राइम करने के आदि हैं वे मोड्स आपरेन्डी तब्दील कर रहे ह और जीप और मोटरों

(श्री दामोदरलाल व्यास)

के जरिये चोरी करके भाग जाते हैं....

श्री रामचन्द्र आर्य : कुर्सियों के पीछे सामन आते है....

एक माननीय सदस्य : मंत्री लोग जो चोरियां करते हैं उनकी क्या आदत है चोरी करने की..

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य ।

श्री रामचन्द्र आर्य : पब्लिक आपके खिलाफ है, आपने यह सोचा भी है कभी कि जितने आपके खिलाफ आरोप लगाये जाते हैं तो पब्लिक आपके खिलाफ है । उसका आपने कभी भी खण्डन नहीं किया ।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, मैं कई बार आपसे निवेदन कर चुकी हूं कि आप बीच में इन्टरप्ट न करें । मैं फिर निवेदन करना चाहूंगी कि आप बार बार बीच में न उठें । आप जिम्मेदार आदमी हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : ज्यादा अच्छा तो यह होगा रामानन्दजी कि इनको आप अपने पास बिठा लें ।

श्री भैरोंसिंह : रामानन्दजी समझते हैं कि इनको मंत्रीजी के पास बिठायें ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं अर्ज कर रहा था कि क्राइम ज्यों ज्यों आगे बढ़ते जाते हैं तो क्रिमिनल्स इन्टेलिजेन्स रखते हैं और आजकल पढ़े लिखे लोगों द्वारा व्हाइट कॉलर क्राइम्स देश के अन्दर ज्यादा हो रहे हैं।... ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : व्हाइट कॉलर नहीं व्हाइट केप ।

श्री दामोदरलाल व्यास : व्हाइट कॉलर क्या होता है यह बताऊं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : व्हाइट कालर नहीं व्हाइट केप ।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह रामानन्दजी से पूछ लें कि व्हाइट कॉलर क्राइम किस को कहते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : व्हाइट कॉलर नहीं व्हाइट कोट क्राइम कहिये ।

श्री दामोदरलाल व्यास : इस साल में खास तौर से देखते है कि नकबजनी और चोरियों के अन्दर थैफ्ट में क्रिमिनल्स मोटर गाड़ियां प्रयोग में लाते है। बावजूद इन तमाम बातों के आपको महसूस होगा कि पुलिस के अचीवमेन्ट्स काफी सन्तोषजनक है । जहां तक कत्ल और रिक्वरी का सवाल हैं, वह हमने कह दिया है । क्राइम्स करने वाले मोबाइल ज्यादा हो गये हैं। उनका पीछा करने की दिक्कत हो चुकी है । रिक्वरी कम नहीं है पर यह सन्तोषप्रद नहीं है । इसके अलावा, राजस्थान से मूर्तियों की चोरियां बहुत हुई है । यह चोरियां ऐसी हैं, जिनसे जनमानस एजीटेट होता है। राजस्थान में मूर्तियों की थैफ्ट हुई है । 20 केसेज पकड़े गये हैं । 42 आदमी गिरफ्तार हुए हैं । और 41 आदमियों का चालान दे दिया गया है । मूर्तियां बरामद हुई हैं। वह हमारे क्राइम ब्रांच में हैं । 152 मूर्तियां दिल्ली में, 2 बाम्बे में, 10 मूर्तियां अहमदाबाद में हैं, 21 मूर्ति चोर गिरफ्तार हुए हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अश्रव्य ।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो सही है वहां बात कर लिया कर । इसके अलावा सभापति महोदया, पिछले वर्ष भी इस सदन में वह मामला आया था राजस्थान के इण्डस्ट्रीज मिनिस्टर की मोटर गाड़ी थैफ्ट हुई थी । गाड़ी चोरी होकर गई थी । माननीय सदस्यों ने नाराजगी जाहिर की थी। इण्डस्ट्रीज मिनिस्टर की वह गाड़ी मद्रास में

(श्री दामोदरलाल व्यास)

जाकर बरामद करके लाई गई है। वह इण्टर स्टेट गेंग थी। वह पकड़ा गया है। सात गाड़ियां और साथ में पकड़ी गई हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्रेडिट दो।

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदया, अभी माननीय सदस्यों ने डकैती की समस्या पर काफी नुक्ता-चीनी की है। जो इन्सीडेंट गावों में खासतौर से पूर्वी राजस्थान के बोर्डर पर एक्टिव हैं। माननीय सदस्य ने बताने की कोशिश की है कि यहां बहुत जुर्म होते हैं। मैं आपको बता दूं कि पुलिस की तत्परता है जो चम्बल रेविन्स है उनको रोकने को, डकैती के मुकाबलों को, जिन सदस्यों ने चम्बल रेविन्स देखी है, वहां फौज की फौज गायब हो सकती हैं। जो बोर्डर डिस्ट्रिक्ट है, आगरा, मुरैना, शिवपुरी, भरतपुर, कोटा है, अगर आप फीगर्स की स्टडी करें तो जो वारदातें हुई है वह बमुकाबले बहुत कम हैं। आगरा में सन् 1968 में 63। मुरेना—122। शिवपुरी—54। भरतपुर— 6। सवाई माधोपुर 6। कोटा में 9। ये आकड़ें डकैती और किडनैपिंग के हैं। इसके अलावा, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह जाहिर किया है कि भरतपुर जिले में काफी डकैतियां हुई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परसों ही 8 डकैतों को मय माल के गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस काफी तत्परता से काम कर रही है। कितन ही मुकाबले में डकत मारे गये है। माननीय सदस्य यह कहते है कि पुलिस ने कुछ नहीं किया है। परन्तु यू० पी० में और मध्य प्रदेश मे रहने वाले लोग हैं, वह राजस्थान पुलिस की प्रशंसा करते हैं। मुरैना में हड़ताल की गई है कि राजस्थान की पुलिस कामयाब हो सकती है तो मध्य प्रदेश की पुलिस कामयाब क्यों नहीं हो सकती है। हालांकि माननीय सदस्य यह महसूस नहीं करते है। दीगर राज्यों की पुलिस के मुकाबले में हमारी पुलिस बहुत अच्छी है। यहां आप पुलिस को खराब दिखाना चाहें, दिखाइये। मैं पुलिस को डिफेंड करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। जितना सुधार उनमें आये, आना चाहिए। जनता का विश्वास पैदा हो इसके लिए हम आपका सहयोग चाहते हैं। साथ में यह भी है कि अगर अच्छा अचीवमेंट होता है तो उसको एप्रीसियेशन होना चाहिए। कई मेजर्स हमने लिये हैं जिससे यू० पी०, मध्य प्रदेश पुलिस को साथ लेकर ज्वाइंट एक्शन का कार्य किया है, एण्टी डकैती के लिए। और समय समय पर जो हमारी यूनिट्स हैं, उनको मोबाईल बनाकर काम किया है। ताकि वह वायरलेस से तुरन्त हमको सूचना पहुंचाये। किडनैपिंग का जो सवाल है, आज का नहीं है। पुराने राजाओं के समय, रियासतों के समय का सवाल है। फीगर्स से आप नतीजे लगा सकते हैं। उन फीगर्स को आप देख सकते हैं। राजस्थान पुलिस पैट्रोलिंग करती है। इसके अलावा चौकियां कायम कर रखी है। बमुकाबिले और राज्यों के हमारा काम बहुत अच्छा है।

श्री भैरोंसिंह : आपने सारी स्टेट्स के कम्परेटिव फीगर्स तो दे दिये हैं। चम्बल रेविन्स में डाकू बढ़ रहे हैं। चम्बल रेविन्स हमने भी देखी है। लेकिन डाकुओं को आसानी से पकड़ा जा सके इसके लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपको बताऊं, जनसंघ के नेताजी, मुखियाजी, एक दफा आप वहां जाकर तो देखें।

श्री भैरोंसिंह : हमने आपसे ज्यादा देखा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : वहां के डी० आई० जी०, कलेक्टर, कमिश्नर और एस० पी० से हमने बात की है। विचार-विमर्श किया है। हम डकैती को कैसे रोक सकते हैं, इस पर हमने काफी विचार-विमर्श किया है। हम ज्वाइंट काम्बिंग के लिये सोचते है। वहां की अन्दरूनी स्थिती ऐसी है कि अगर सारी आर्मी लगा दी जाये तब भी कुछ नहीं हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह : वहां पर रोड्स आप बना सकते हैं। आवागमन की सुविधाएं आप कर सकते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : अब रहा सवाल रेविन्स को रिक्लेम करने के लिए हमने पॉलिसी अनाउन्स की है। चम्बल के रेविन्स और दूसरे रेविन्स को रिक्लेम करना चाहे तो उनको बहुत कन्सेशन पर जमीन देंगे, ताकि रिक्लेम हो जाय और डेकोइटी मीनेस बन्द हो जाय, और जमीन पर पैदावार चालू हो जाय। लेकिन माफ कीजिये, इसी सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात का विरोध किया और कहा कि पूंजीपतियों के रिक्लेमेशन के लिए यह पॉलिसी सरकार करना चाहती है। मैं मानता हूं कि रेविन्स के रिक्लेमेशन का एक अच्छा तरीका है। लेकिन यह साधारण काम नहीं है क्योंकि एक एकड़ को रिक्लेम करने में तीन हजार रुपये का खर्चा होगा। यह भी आज की बात नहीं है, आज प्राइसेज बढ़ गई है, मैंने जो 1961 के अन्दर असेसमेंट करवाया था, उस वक्त चम्बल रेविन्स के एक एकड़ को रिक्लेम करने का तीन हजार के लगभग खर्चा आया था, वह आज ज्यादा होगा। मैं उसूलन इस बात को मानता हूं कि चम्बल रेविन्स का रिक्लेमेशन हो जाय लेकिन यह मुश्किल है।

रोड कन्स्ट्रक्शन का जो सवाल है उसके सम्बन्ध में हमने गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया को लिखा है कि एन्टी डेकोइटी मेजर्स के लिए जरूरी है कि हम इन रेविन्स के अन्दर रोड बना सकें इसलिए उसके लिए हमें फंड दिये जाये। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसके बारे में अभी जवाब नहीं आया है। हम फिर ताईद करते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे इस बात की कि हम इसको रिक्लेम करें और रोड बनाने की कोशिश करें। आपका सुझाव अच्छा है, सुझाव स्वागत करने योग्य है लेकिन प्रेक्टिकल कितना है इसको देखने की आवश्यकता है।

माननीय सदस्यों ने कुछ पुलिस विभाग के भ्रष्टाचार के ऊपर बातें कहीं। यहां भ्रष्टाचार के ऊपर जो कुछ कहा गया, मैं यह नहीं कहता कि पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है। करप्शन है और जैसा शुरू में मैंने आपसे कहा कि पुलिस विभाग के अन्दर केवल भ्रष्ट ही नहीं, कुछ लोग भ्रष्ट भी हैं, कुछ ईमानदार भी हैं। तो इसे जनरेलाइज नहीं किया जा सकता कि पुलिस विभाग म......

श्री रामचन्द्र आर्य : कितने हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सतीशचन्द्रजी, रामचन्द्रजी को बैठाना।

श्री रामचन्द्र आर्य : कितने भ्रष्टाचार के मामले हैं, यह बता दीजिये और भ्रष्टाचार कहां तक पहुंच गया है, आप तक पहुंच गया है या आपसे दूर है। यह बता दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : सतीशचन्द्रजी, आप हाथ जोड़ दें तो यह बैठ सकते हैं। (श्री रामचन्द्र आर्य के पुनः बोलने के लिए खड़े होने पर) वह हाथ जोड़ रहे हैं, आप देख लें।

मेरा निवेदन है कि भ्रष्टाचार के मामले में राज्य सरकार ने इस बात की कोशिश की है कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए पूरा प्रयत्न किया जाय। इसके लिए सब माननीय सदस्य जानते हैं कि एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट अलग से इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर रहा है, जो डी० आई० जी० के अन्डर में है, इसके अलावा विजिलेन्स कमीशन अलग से काम कर रहा है और पुलिस ऑफिसर के केसेज को विजिलेन्स कमीशन डील करता है। पिछले वक्त विजिलेन्स कमीशन की रिपोर्ट पर यहां बहस हुई थी, उस वक्त मैंने माननीय सदस्यों को कई आंकड़े दिये थे। यह भूलना नहीं चाहिये कि विजिलेन्स कमीशन ने खुद अपनी रिपोर्ट में यह स्वीकार किया है कि पुलिस ऑफिसर्स के जितने करप्शन के केसेज थे, उसकी उसने जांच की और जो कुछ भी सिफारिशें दीं उन सिफारिशों को गवर्नमेन्ट और आई० जी० ने इम्प्ली-मेन्ट किया है। ऐसी कभी शिकायत नहीं की है कि उन सिफारिशों को इम्प्लीमेंट करने से मना कर दिया है। मैं आपको कुछ फीगर्स से बताने की कोशिश करूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जितना सख्त कदम उठाना चाहिए उतना उठाया जा रहा है। इन फीगर्स से आप देखेंगे कि पुलिस मुला-जिम कितने सस्पेन्डेड हैं, कितनों के खिलाफ मुकद्दमें चल रहे हैं, कितनों को सजा हुई है केवल 1968 की एक साल में, और उनसे आपको संतोष होगा कि पुलिस महकमे की तरफ से पूरी तत्परता से इस बुराई को मिटाने की कोशिश की जा रही है। उदाहरण के तौर पर आज पुलिस पर्सनल्स नं० 395 अन्डर सस्पेन्शन हैं......

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने जो कम्परेटिव आंकड़े क्राइम्स के बारे में यू० पी०, मध्य प्रदेश आदि के दिये हैं क्या आपने इस प्रकार के फीगर्स कलेक्ट किये हैं कि दूसरे विभागों में पुलिस विभाग से भ्रष्टाचार कम है या ज्यादा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पुलिस की डिमाण्ड पर बहस कर रहे हैं। उसकी डिमाण्ड आये तो उनके मंत्रीजी से आप पूछ लीजिये। अगर आज के लिए आप कहते तो मैं यह भी कलेक्ट कर लेता। आपकी उत्सुकता का मुझे पता नहीं था कि दूसरे डिपार्टमेंट में आपकी ज्यादा उत्सुकता है पुलिस के मुकाबले में। वैसे पुलिस आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहती है।

तो आप अन्डर सस्पेन्शन के फिगर्स देखिये, कुल 395 हैं अन्डर सस्पेन्शन में, उनमें 36 एस० आई० हैं, 3 ए० एस० आई० हैं, 89 हैड कान्स्टेबल हैं और 271 कान्स्टेबल है।

श्री रामचन्द्र आर्य : गरीब आदमियों को आपने सस्पेन्ड कर दिया है.......

श्री दामोदरलाल व्यास : सतीशचन्द्रजी, इनके आप हाथ जोड़ें।

श्री रामचन्द्र आर्य : लेकिन जो बड़े ऑफिसर करते हैं और जो गजेटेड ऑफिसर करते हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं करते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपके हाथ जोड़ने से इन पर असर पैदा होता है, मैं कहता हूं आपसे।

इसके अलावा जो सजायें इन सब पुलिस पर्सनलस को दी गई हैं उनकी तरफ से मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा, डिसमिसल 41, डिस्चार्ज 48, रिडक्शन इन रैंक 21, स्टौपेज इन ग्रेड इन्क्रीमेन्ट 202, सेन्स्योर्ड 70, सर्विस रोल में वार्निंग 50, रिडक्शन इन पे 78। इस प्रकार कुल 475 पुलिस पर्सनल्स को सजा दी गई। यह रूल 16 में सजायें दी गई हैं, रूल 17 में जो सजायें दी गई हैं, उनको आप देखें तो 2,856 आदमियों को सजा दी गई है, जितने आदमियों को सजा दी गई है, जितने आदमियों को सस्पेन्शन किया गया है और जिनका चालान किया गया है और उनमें से जिनको सजा हुई है इस साल वह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। इस साल आठ मुकद्दमात का फैसला हुआ पुलिस पर्सनलस के केसेज के अन्दर जिनमें से चार आदमियों को सजा हुई और चार बरी हुए। बाकी के मुकद्दमात जैर तफतीश हैं......

श्री बाल सिंह सोढ़ा : आपने सस्पेंड तो कर दिया और सजा भी दे दीं लेकिन अच्छे काम के लिए, ईमानदारी के लिए इनाम कितनों को दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : दण्ड के अलावा इनाम भी मिलते हैं पुलिस विभाग में यह आपको पता नहीं हैं, मैडल मिलते हैं, तरक्की दी जाती है, उसके साथ प्रमोशन भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि गुड वर्क के लिए इनाम न देते हों। आप कहें, उतने केसेज में साइट कर सकता हूं। मैरिट के ऊपर पुलिस ऑफिसर्स के काम को एप्रीसियेट किया है। उनको मैडल दिये गये हैं, और मैडल ही नहीं, मैडल के अलावा ग्रेड इन्क्रीमेन्ट भी दिया गया है, अवार्ड दिया गया है और कैश अवार्ड भी दिया गया है। ऐसा नहीं है कि गुड वर्क के लिए अवार्ड नहीं दिया हो। आप यह फील करें कि पुलिस ऑफिसर्स को, पर्सनलस को कहां कहां इनाम मिले हैं, तो मैं बता सकता हूं। इनाम मिलते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिलते हैं।

बहुत से कटमोशन्स माननीय सदस्यों ने यहां सदन में रखे और अलग अलग मुद्दों को भी उठाया, कुछ केसेज को भी यहां उठाया। माननीय सदस्य इस बात को महसूस करेंगे कि मेरे लिए यह मुमकिन नहीं है कि हर एक केस जो यहां उठाया गया है, उसके सम्बन्ध में कुछ जानकारी दे सकूं क्योंकि उसके लिए........

श्री रामचन्द्र आर्य : आपके पास इतना समय था कि आप जानकारी करें, जो भी कटौती प्रस्ताव में प्रश्न उठाये हैं उनके बारे में........

श्रीमती सभानेत्री : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य !

श्री दामोदरलाल व्यास : भई, सतीशचन्द्रजी, इनके हाथ जोड़ दें।

श्री रामचन्द्र आर्य : जिन्होंने जो कटौती प्रस्ताव रखे हैं और जो उन पर नहीं बोले हैं उनको उत्तर मिलना चाहिए। यह कार्यवाही जरूरी है।

श्रीमती सभानेत्री : आप उत्तर न दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं बता रहा हूं । मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि जिन्होंने स्पेसिफिक मुद्दे उठाये हैं कुछ केसेज के लिए उठाये हैं और जिनका जवाब यहां देना मुमकिन नहीं हैं, उनको इस बात के लिए मैं लिख कर भेजूंगा । जो मुद्दे उन्होंने उठाये हैं उनका मैं जवाब लिखकर भेजूंगा । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मेरा यह तरीका रहा है, पिछली साल बजट के वक्त में जिन-जिन कट-मोशन्स का जवाब यहां नहीं दिया गया या जिन पर माननीय सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिला और जो स्पेसिफिक मुद्दे थे, उनके बारे में मैंने लिख कर भेजा है । और किसी की यह शिकायत नहीं है कि उनके पास मैंने लिख कर नहीं भेजा हो । इस साल भी मैं वायदा करता हूं कि बराबर आपको लिख कर भेज दूंगा, अगर स्पेसिफिक मुद्द उठाये होंगे तो ।

दूसरी बात यह है कि यहां पर जोर शोर से कहा जाता है कि पुलिस पर्सनल्स के पोस्टिंग में, ट्रान्सफर में और प्रमोशन में काफी अनियमिततायें हैं और कुछ माननीय सदस्यों ने तो भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं । मैं बहुत नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि मेरे पास आज तक एक भी शिकायत नहीं आई है कि किसी पुलिस पर्सनल के पोस्टिंग में, ट्रान्सफर में या प्रोमोशन में कोई भ्रष्टाचार हुआ हो । मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप इस प्रकार की शिकायत मेरे ध्यान में लायेंगे तो मैं बराबर उस पर एक्शन लूंगा । मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आप थोड़ी पुलिस पर्सनल्स के प्रोमोशन और रिक्रूटमेंट आदि के रूल्स पर निगाह डालें तो आपको मालूम होगा कि मेरिट के ऊपर हर स्टेज पर प्रमोशन देने के लिये इम्तिहान होता है, इन्टरव्यू होता है और उसमें सीनियर ऑफिसर बैठते हैं और वह प्रोमोशन करते हैं......

श्री श्रवणलाल : सब इन्सपेक्टर्स की लिस्ट क्यों रोकी हुई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी बता रहा हूं । आप सवाल पूछ रहे हैं, इसका अभी जवाब मिल जायगा ।

तो कान्स्टेबल से हैड कान्स्टेबल बनते हैं, उनके लिये मिनिमम क्वालिफिकेशन मुकर्रर हैं और उनके लिये प्रोमोशन के लिये अलग से रूल्स हैं । हैड कान्स्टेबल्स से ए० एस० आई० के लिये अलग रूल्स हैं, ए० एस० आई० से एस० आई० के लिये अलग से रूल्स हैं । इस प्रकार सब इन्सपेक्टर तक जो बोर्ड बैठता है उस बोर्ड में तीन डी० आई० जी० और दो एस० पी० शामिल होते हैं । इस प्रकार पांच व्यक्तियों का बोर्ड है, जो उनका एग्जामिनेशन लेता है और एग्जामिनेशन में भी एक तरीका है । जो एग्जामिनर होता है उसके पास रोल नम्बर नहीं होते हैं, वह आई० जी० के दफ्तर में सील्ड रहते हैं । फिर एग्जामिनेशन के रिजल्ट के ऊपर इन्टरव्यू होता है । जो इस प्रकार डिपार्टमेंटली फिट माने जाते हैं उनका प्रोमोशन होता है ।

इसलिये अगर आप उन रूल्स को देखेंगे तो पुलिस डिपार्टमेंट में हर एक कटेगरी के प्रोमोशन्स के लिये, रिक्रूटमेंट के लिये रूल्स हैं और आर० पी० एस० से लेकर हैड कान्स्टेबल तक के लिये रूल्स हैं ।

(दामोदर लाल व्यास)

इसके अलावा सभापति महोदया, कुछ ट्रेनिंग स्कूल्स के लिये माननीय सदस्यों ने कहा, राजस्थान में पुलिस की ट्रेनिंग के ऊपर एतराज किया है और यह बताने की कोशिश की है कि ट्रेनिंग अच्छी नहीं है। कुछ माननीय सदस्यों ने इस पर जोर दिया कि पुलिस का डेमोक्रेटिक आउटलुक ठीक नहीं है, जनता के साथ व्यवहार ठीक नहीं है, ट्रेनिंग ठीक नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि जहां तक ट्रेनिंग का सवाल है पुलिस की ट्रेनिंग के लिये राजस्थान में पुलिस की ट्रेनिंग स्कूल किशनगढ़ में है, 5 रीजनल ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, इसके अलावा यहां पर एम० ओ० बी० मोडिस अपरेन्डी का ट्रेनिंग स्कूल है; स्पेशल ब्रांच की ट्रेनिंग का यहां अलग स्कूल है और खास तौर से जिस बात पर आपका एतराज है कि पुलिस का आउटलुक ठीक नहीं है, इसके लिये खास तौर से ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से डेमोक्रेटिक आउटलुक जनता के साथ ठीक रखा जा सकता है। हां हो सकता है कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स का रूड एण्ड रफ बर्ताव हो, डेमोक्रेटिक आउटलुक ठीक नहीं हो, पर जहां तक डिपार्टमेंट का सवाल है, उनकी ट्रेनिंग का सवाल है उनको इस बात की बराबर ट्रेनिंग दी जाती है कि जनता के साथ कैसा व्यवहार करें। मैं तो आम तौर पर जब कभी मुझे मेरे ऑफिसर्स से बात करने का मौका मिलता है तो उन्हें यही कहता हूं कि एक अच्छा पुलिस ऑफिसर वही है कि बदमाशों और गुण्डों के दिल में जिस का डर हो और ईमानदार और भले आदमियों के दिल में पुलिस के प्रति प्रेम हो। तो हम बराबर इस बात की ट्रेनिंग देते हैं कि पुलिस का जनता के साथ अच्छा व्यवहार हो। फिर वही अर्ज करूंगा, माननीय रामानन्द जी सुन लीजिये, इसमें भी आपके सहयोग की पूरी आवश्यकता है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी कामयाबी जनता के सहयोग पर ज्यादा मुनस्सर करती है, जनता का जितना ज्यादा सहयोग पुलिस को मिलेगा उतनी ही ज्यादा पुलिस कामयाब होगी और असामाजिक तत्वों को खत्म करने में सहायता मिलेगी। इसके बजाय कि पुलिस को कोई विदेशी पुलिस समझे, आप उसे अपनी पुलिस समझ कर सहयोग दीजिये तो आपको पुलिस ज्यादा एफिशियेन्ट, ज्यादा ईमानदार और ज्यादा मुस्तैद नजर आयेगी और पुलिस में भी कान्फिडेन्स पैदा होगा कि वह अपने ही भाइयों की सेवा कर रही है। यह मैं मानता हूं कि पुलिस अपना आउटलुक बदले, जनता के साथ अच्छा व्यवहार करे पर आप भी पुलिस को अपना पूरा सहयोग उसकी कामयाबी के लिये दें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : एड्वाइजरी कमेटीज तो वर्क नहीं कर रही हैं ?

श्री विजयसिंह : मैं आपसे एक बात निवेदन करता हूं आप किसी भी पुलिस थाने में टलीफोन कर लें और यह नहीं बतायें कि आप गृह मंत्री हैं, फिर आपको मालूम हो जायगा कि पुलिस का डेमोक्रेटिक आउटलुक कैसा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं यह भी एक्सपेरिमेंट करूंगा जो आपने सुझाव दिया है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं पुलिस को डिफेन्ड करने नहीं खड़ा हुआ हूं। हो.

(श्री दामोदरलाल व्यास)

सकता है कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स रूढ़ और ज्यादा रफ होंगे, अनडेमोक्रेटिक रवैया उनका हो। आप ऐसे दो चार ऑफिसर्स को बतायें, मैं बुर्का पहनकर तो जाने को तैयार नहीं हूं जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, पर मैं उनके सम्बन्ध में कार्य करने को तैयार हूं।

इसके अलावा सभापति महोदया, एक बात हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने कही है और मैं समझता हूं कि वह वजनदार बात है। जहां तक हमारी प्रोसीक्युशन मशीनरी का सवाल है, मैं भी कह सकता हूं कि मुझे पूरा संतोष नहीं है। पुलिस के लिये यह जरूरी है कि जहां जरायम को डिटेक्ट करें वहां जरायम की इन्स्दाद भी करें, और जरायम की इन्स्दाद तभी होती है जबकि मुल्जिमान सजा पा जायें। हम चाहते हैं कि तीनों स्टेजज पर अच्छी तरह से काम हो, इसके लिये यह आवश्यक है कि प्रोसीक्यूशन ठीक हो, बेगुनाह सजा नहीं पायें, और जो असली मुल्जिम हैं वे सजा से बच नहीं पायें। इसके लिये जरूरी है कि प्रोसीक्यूशन मशीनरी को हम गियर अप करें। कुछ अर्से से प्रोसीक्यशन लाइन के एस० आईज० लेवल पर जो रिक्रूटमेंट रखा है उनके लिये मिनिमम क्वालिफिकेशन लॉ ग्रेज्युएट रखी गई है। बराबर लॉ ग्रेज्युएटस को पी० एस० आईज० की पोस्ट्स के लिये रिक्रूट करते हैं और यह कोशिश करते हैं कि हमारी प्रोसीक्यशन मशीनरी ज्यादा से ज्यादा एफिशियेन्ट हो।

जहां तक पी० आईज० का सवाल है, एक दो के अलावा सभी पी० आईज० लॉ ग्रेज्युएट्स हैं। वर्षों तक प्रोसीक्यूशन लाइन में काम करते करते जो अनुभवी हो जाते हैं, पुराने हैं, प्रोसीक्यूशन लाइन से वाकिफकार हैं, उनको डिपार्टमेंटल प्रोमोशन से पी० आई० बनाया है।

प्रोसीक्युशन मशीनरी को एफिशियेन्ट बनाने के लिये पी० आईज० को लेटेस्ट लॉ बुक्स मुहैय्या की हैं, ताकि वे मुकद्दमात की अदालतों में पूरी तरह से पैरवी कर सकें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई: लॉ बुक्स उनके पास नहीं हैं।

श्री दौलतराम सारण: इसे आप पुलिस से अलग करने को तैयार हैं क्या, बरकत साहब को प्रोसीक्यूशन लाइन देने को तैयार हैं क्या?

श्री दामोदरलाल व्यास: अभी कहूंगा, सब कहूंगा, सुनिये। हम लॉ रेफरेन्सेज तक पी० एस० आईज० को प्रोवाइड करते हैं। यदि कहीं कमी पाई जायेगी तो आपके सुझाव पर अमल करेंगे।

माननीय सारणजी बार-बार सवाल उठा रहे हैं कि बरकत साहब को प्रोसीक्यूशन लाइन देने को तैयार हैं क्या, बरकत साहब प्रोसीक्यूशन को लेकर क्या करेंगे। यह बरकत साहब को देने का सवाल नहीं है। प्रोसीक्यूशन जूडिशियरी को दे दिया जाय यह बड़ा कन्ट्रोवर्सियल सवाल है। यदि कहीं दिया भी गया है तो वापिस रिवर्ट किया है। इसलिये मैं इस राय का नहीं हूं कि इसे जूडिशियरी को दे दिया जाय। राजस्थान सरकार ने इसके लिये एक कमेटी मुकर्रर की है, एडवोकेट जनरल इसके चैयरमेन हैं, उस

(श्री दामोदरलाल व्यास)
कमेटी की रिपोर्ट का इन्तजार है, उसके आने पर सरकार उस पर मुनासिब विचार करेगी। खास तौर से क्योंकि आपने सुझाव दिया है, उस सुझाव को ध्यान में रखूंगा।

पुलिस पर्सनल्स की तन्ख्वाह पर भी काफी बातें कही गई। मैं इस सम्बन्ध में अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक राणावत कमीशन की रिपोर्ट के बाद हमारे यहां पुलिस पर्सनल की तनख्वाहें किसी से कम नहीं हैं बल्कि दूसरों के मुकाबले राजस्थान की अच्छी नजर आयेंगी। फिर यह कहना कि हमारे यहां राजस्थान में पुलिस पर्सनल की तनख्वाहें अच्छी नहीं हैं, यह वाजिब नहीं होगा। हमारे यहां कान्स्टेबल से लेकर स्टेट सेलेक्शन ग्रेड तक देखेंगे तो पता चलेगा कि इनकी तनख्वाहें किसी राज्य से कम नहीं हैं, बल्कि कई राज्यों से ज्यादा हैं। 1,250 फिक्स्ड हमारे यहां सेलेक्शन ग्रेड के लिये रखी गई है। सीनियर और पी० एस० ऑफिसर को मिलता है 700 से 1,200 375 से 850 तक मिलता है आर० पी० एस० को। इन्सपेक्टरों को 275 से 650। सब-इन्सपेक्टरों को 160 से 360 तक मिलता है जबकि पहले 130 से 320 मिलता था, असिस्टेन्ट सब-इन्सपेक्टर्स को 110 से 230 मिलता है, हैड कान्स्टेबल्स को 90 से 150 मिलता है। कान्स्टेबल्स को 70 से 110 मिलता है।

इसके अलावा महंगाई, मैस अलाउन्स और दूसरे अलाउन्स अलग हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : 15 रुपया मैस अलाउन्स है पर वह दिया नहीं जाता, 7 रुपया ही दिया जाता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपकी बात को मैं सही मान लेता हूं। इसी तरह पुलिस रेडियो आर्गेनाइजेशन में हमारी तनख्वाहें दूसरे राज्यों के मुकाबले में कहीं अच्छी हैं जहां तक तनख्वाहों का सवाल है, उसके लिए कोई शिकायत का या असंतोष का कारण नहीं हो सकता।

मैं यहां पाकिस्तान-राजस्थान की सीमा के बारे में कुछ ज्यादा कहना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन यहां एक बात कहने की कोशिश की गई है जो ठीक नहीं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि राजस्थान की सीमा जो पाकिस्तान से मिलती है, उस पर हम बिल्कुल सजग हैं, बी० एस० एफ० तैनात है और जो डिफीकल्ट एरियाज हैं वहां भी बी० एस० एफ० की चौकियां लगाई हैं और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। किसी प्रकार की एबनार्मल बात नहीं है।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात का संकेत दिया कि ईस्टर्न राजस्थान में कुछ डकैतों को पनाह देते हैं कुछ राजनीतिज्ञ, यह बिल्कुल गलत है। राजनैतिक पार्टियों में राजनैतिक विरोध के कारण ऐसे प्रश्न उठते हैं, यह बात ठीक नहीं। मेरे पास भी बराबर गुमनाम पत्रों से व समाचार पत्रों से शिकायतें आती हैं और मुझे जांच करने पर यह निराधार बात लगी। डकैत चाहे कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, यह क्षेत्र ऐसा है जहां हर कौम—हरिजन भी मिलेगा, राजपूत भी मिलेगा, ब्राह्मण भी मिलेगा और क्षत्रिय भी मिलेगा। जो कुछ डकैतों की गेंग्स वहां काम कर रही हैं वे सब मिक्स्ड गेंग्स हैं। इसलिए यह कहना कि

(श्री दामोदरलाल व्यास)

पर्टीक्यूलर कम्युनिटी के लिए कि वह डकैतों को शेल्टर देती है, सही नहीं है।

इसके अलावा कुछ मुद्दे ऐसे उठाए गए जो केन्द्रीय सरकार से संबंधित हैं। माननीय सदस्यों ने केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल पर काफी गर्मागर्म बहस की कि उन पर मुकद्दमे चलाए गए और शहादत पेश नहीं की जाती है। आप जानते हैं कि यह सारी नीति का संबंध सीधा भारत सरकार से है। उन्होंने अध्यादेश जारी किया और उसका इम्प्लीमेंटेशन हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि आखिर राज्य में शांति व व्यवस्था कायम करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है तो जो कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं, उनमें डर पैदा करने के लिये नहीं की गई हैं बल्कि लॉ एण्डआर्डर मेंटेन करने के लिए और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ठप्प करना चाहते थे उनको रोका जाय। ऐसी कोई बात नहीं की गई है, जिसमें सरकारी मुलाजिमान के साथ ज्यादती की गई हो। हमने शुरू से ही काफी उदार रुख अपनाया है। जहां तक मुकद्दमे उठाने का सवाल है, हाल ही में हमने एक समिति बनाई है जिसमें कलेक्टर, एस० पी० और उस विभाग का हैड है जहां का वह कर्मचारी है। वह उनके केसेज की स्क्रूटिनी करके सरकार को सलाह देंगे कि कौनसे मुकद्दमे उठाए जायं और कौन से चलाये जायं। क्योंकि यह केसेज सबजुडिस हैं और उन पर असर न पड़े, इसलिए ज्यादा नहीं कहना चाहता। जो साइलेंट स्ट्राइकर्स हैं, कोई वायोलेट एक्शन नहीं किया है तो उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जायगी। परन्तु उसके लिए हमें कोई तरीका अपनाना है, वह है, समिति मुकर्रर की है। जब रिपोर्ट आएगी तो उस पर विचार करेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक क्लैरीफिकेशन चाहता हूं। यह जिला लेविल की कमेटीज़ बनाई हैं? अगर हां तो सिफारिशें राज्य सरकार को आयेंगी और राज्य सरकार विचार करेगी कि कौनसे केसेज में प्रोसीक्यूशन किया जाय और कौनसे विथड्रा किए जायं तो सरकार उचित नहीं समझती कि केन्द्रीय कर्मचारियों को हैरसमेंट से बचाने के लिए जल्दी से जल्दी यह कार्यवाही हो जाय और तब तक मुकद्दमों को स्टे किया जाय?

श्री दामोदरलाल व्यास : स्टे कराना मेरे हाथ में नहीं है परन्तु देरी इसमें नहीं लग रही है और विधान सभा को मालूम हो जायगा कि क्या एक्शन लेते हैं। जब हमारी नीति उदार है तो हरेसमेंट का सवाल नहीं। यह कोई नाटक नहीं रच रहा हूं। हम तो सिर्फ डिस्क्रिमिनेट करना चाहते हैं क्वाइट और वायोलेट स्ट्राइकर्स के बीच में। इसलिए हमने सम्बन्धित हैड ऑफ डिपार्टमेंट को भी इसमें शरीक किया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने बाड़ी के सब-इन्सपेक्टर के बारे में कहा कि किसी औरत को मकान से गिराया। यह सही है कि औरत किसी मुकद्दमे में थी, वह अपने मकान की छत से गिर गई। माननीय सदस्यों ने एक्यूज किया है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। ज्योंही मुझे यह मालूम हुआ, मैंने सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट को इस बात के लिए मुकर्रर कर दिया है कि इसकी जांच कर और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उस पर सख्त से सख्त

(श्री दामोदरलाल व्यास)

कार्यवाही की जायगी अगर उसका कसूर पाया गया, इसमें किसी तरह की ढिलाई नहीं होगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : थानेदार को सस्पेंड किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : वास्तव में यदि सही जांच कराना चाहते हैं तो थानेदार को सस्पेंड कर, मामला गंभीर है। उसकी उपस्थिति में जांच सही नहीं होगी। या तो उसे ट्रांसफर करें, फिर जांच करायें।

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड करना आसान बात है। परन्तु राज्य सरकार की नीति है कि अगर आरोप उसके खिलाफ ऐसे हैं जिसके अंदर आखिर उसकी बरखास्तगी होगी तब सस्पेंड करते हैं, वरना आर्डिनरीली नहीं करते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ट्रांसफर कर दें वरना जांच नहीं होगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर प्राइमा फेसी उसके खिलाफ कोई शहादत मिली जिससे उसकी बरखास्तगी संभव होगी तो जरूर उसको सस्पेंड किया जायगा, इसलिए मैंने एस० डी० एम०, धौलपुर से कहा है कि जल्दी से जल्दी इसकी जांच करके रिपोर्ट भेज। इसलिए सस्पेंड करने में या बरखास्त करने में हमें हिचक नहीं होगी बशर्ते कसूर साबित होगा।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य न स्थगन प्रस्ताव दिया था कि जयपुर शहर में अन्ड्यू रेस्ट्रिक्शन्स लगाई हुई हैं। जयपुर में चाहे एस० पी० हो या उनके मातहत हो उनकी मन्शा कतई यह नहीं है कि किसी को अनेसेसरी हैरेसमेंट किया जाय परंतु एक तरफ उनकी दिक्कत यह है कि क्रिमिनल्स को डिटेक्ट करने के लिए मालूम करना पड़ता है। इतना बड़ा शहर है फिर रात को 11 बजे के बाद रिक्शा वाले भी चलते हैं, आप जानते हैं कि इनमें भी बहुत से क्रिमिनल्स होते हैं। होटेल्स के अंदर जो काम करने वाले होते हैं उनमें भी होते हैं परन्तु उनकी मन्शा यह कतई नहीं कि जनता के किसी तबके को इस बात के लिए तकलीफ पहुंचे या जरूरत की चीजें मुहैया न हों। इस लिहाज से मैंने एस० पी०, जयपुर से बात की है और माननीय सदस्य को इस प्रकार की शिकायत नहीं आएगी कि किसी तरह से अन्ड्यू रेस्ट्रिक्शन हो या हैरेसमेंट हो। फिर भी आपकी शिकायत हो तो मैं आपको एस० पी० के साथ बैठाकर बात करूंगा और जो वाजिब बात होगी, करेंगे। जयपुर एस० पी० जो कुछ एक्शन ले रहे हैं उनकी सारी मन्शा यही है कि क्रिमिनल्स रात को फ्रीली न घूमें। वह रात को 10 बजे से 2 बजे तक जीप में गश्त करते हैं......

श्री रामचन्द्र आर्य : जो रोटी बनाने वाले हैं गरीब उनको जो साढ़े दस बजे ही बंद कर देते हैं......

श्री भैरोंसिंह : आप एस० पी० से बात करेंगे वह तो है। इस समय जयपुर में 11 बजे के बाद दुकान खोल नहीं सकते। यदि इस बात को उचित समझते हैं किसी कानून या नियम की दृष्टि से तब तो कहूं कि वाजिब है परन्तु यदि गैर वाजिब है तो बात करने की आवश्यकता नहीं। 11 बजे दुकान

(श्री भैरोंसिह)

बंद करने का कोई कानून नहीं। एस० पी० इस प्रकार के कानून नहीं बना सकता न कलेक्टर के इस प्रकार के आदेश हैं, न हिन्दुस्तान के किसी भी शहर में 11 बजे दुकान बंद हो जाते हैं। इस प्रकार का कानून आज तक हमने नहीं देखा।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपको अर्ज किया कि इस प्रकार के कोई आदेश नहीं दिये गये हैं। केवल उन होटल्स, रेस्टोरेन्ट्स और टी स्टाल्स, जिनके ऊपर बाहर से आये हुए काम करते हैं उनका चैकिंग किया गया है। यह हो सकता है कि चैकिंग के डर से बन्द कर देते है।

श्री भैरोंसिह : यह नहीं है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : लोग-बाग टाइम से घर जायं और टाइम से घर सोय तो क्या हर्ज है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मैं नहीं कहना चाहता कि 11 बजे के बाद सोयें या न सोयें। हो सकता है बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको 11 बजे बाद भी इधर उधर घूमना पड़ता हो। और लफ्ज मैं काम नहीं लाना चाहता। शाप एस्टेब्लिशमेन्ट कानून लागू नहीं होता जिन पर उनको बन्द करने की बात नहीं की जावेगी। इसके बावजूद भी आपको कोई दुविधा हो, तकलीफ हो तो मैं उसको मिटाने के लिये तैयार हूं। मैं कहना तो नहीं चाहता था छोटे-मोटे टी स्टाल्स, होटल्स पर एन्टी-सोशियल एलीमेन्ट्स काम करते हैं। सवाई मानसिंह होस्पिटल ही देख लीजिये। क्यू में पेशन्ट लगते हैं वहां पर जेब कतरी शुरू हो गयी। पेशेन्ट्स की जेब कतर जाते थे। जब इसकी इन्क्वायरी की तो पता चला की बाहर टी स्टाल्स पर एन्टी-सोशियल एलीमेन्ट्स रहते थे। स्टाल्स को ही वहां से हटा दिया गया। अब वहां यह जेब कतरी बन्द हो गयी। कुछ पुलिस के काम में दिक्कतें जरूर हैं। पुलिस अपना कर्त्तव्य पालन कर सके उसके लिये आपका सहयोग मिलना चाहिये। साथ ही पुलिस की ओर से आपको तकलीफ होती है तो मैं उसको रफा करूंगा।

रामानन्द जी से बात मत करो भैरोंसिह जी बहक जावेंगे।

श्री विजयसिंह (मकराना) : ठीक ढंग से बात ही नहीं करते।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने कहा कि एक्सपर्ट्स के द्वारा ट्रेनिंग देनी चाहिये। हम पूरी कोशिश इस बात के लिये करते हैं कि उनको ट्रेनिंग दें। इसके लिये कोर्स रखे हुए हैं। राइट फ्रोम कान्स्टेबल से सब-इन्स्पेक्टर तक उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी प्रकार पुलिस का जनता के साथ व्यवहार होना चाहिये बदलते हुए जमाने में रह रहे हैं उसके लिये भी ट्रेन्ड करते हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनमें कमी होती है तो उनको सुधारने के लिये मैं और आई० जी० पी० और जितने मातहत अफसर हैं उनकी ओर से हिदायतें करते रहते हैं। पुलिस ऑफिसर के दो ही गुण हैं जो मैंने कहा उसी पर उनको इनाम मिलता है और उसी पर उनको सजा भी मिलती है। इसके सिवाय और कोई क्राइटेरिया नहीं है।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

क्राइम्स को रोकने के लिये जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये जैसा माननीय सदस्यों से कहा, पिछली दफा विधान सभा में भी मैंने कहा था कि हम क्राइम प्रिवेन्शन वीक ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसको हमने मनाया। जनता को ट्रेनिंग दी जाय चाहे ट्राफिक के केसेज हों। आज एक्सीडेन्ट्स ज्यादा होते हैं क्योंकि मोटरों की तादाद ज्यादा बढ़ रही है, नयी फिजा जो आज पैदा हो गई है वह यह है कि देयर इज ए रेस फोर स्पीड। चाहे साइकिल हो, चाहे रिक्शा, चाहे मोटर हो या ट्रक सब एक दूसरे से बाजी मार ले जाना चाहते हैं दौड़ में। रेस फोर स्पीड यह भी एक एक्सीडेन्ट का प्रमुख कारण है। इस सम्बन्ध में जनता को ट्रेन्ड करने की काफी कोशिश की है। दूसरे क्राइम्स में जनता का सहयोग किस प्रकार मिल सकता है और जनता किस प्रकार पुलिस को मदद करके क्राइम के डिटेक्शन में मदद कर सकती हैं उसके लिये काफी ट्रेनिंग देने की कोशिश की और उससे आगे जनता को पहुंचाना चाहते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : विदेशों से पुलिस को बुलाकर ट्रेनिंग दिलाओ जिससे मालूम हो कि वे लोग किस प्रकार का जनता के साथ व्यवहार करते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि स्पेसिफिक कट मोशन्स का जवाब उनके पास भिजवा दूंगे। उनके साथ ही मैं उनसे आशा करता हूं कि पुलिस की कमियों को वे मेरे ध्यान में लावें। अगर मैं एक्शन न लूं तो बराबर मैं गुनाहगार हूं और आपके सामने खड़ा होकर जवाब देही हूं। यह विश्वास दिलाता हूं कि नये-नये साइन्टिफिक तरीके से स्टाफ को ट्रेन्ड किया जायगा। पुलिस में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये कोशिश कर रहे हैं और स्टेप्स इस बात के लिये ले रहे हैं कि पुलिस में सुधार हो।

सभापति महोदया, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। वह यह अर्ज करना चाहता हूं कि बेरी आयोग की रिपोर्ट पर यहां सदन के अन्दर दो दिन तक पहले बहस हुई थी और माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये। मैंने भी अपनी बात सदन के अन्दर कही थी। और यह कहा था कि यह बात सही है कि बेरी आयोग हाई कोर्ट के जज का कमीशन मुकर्रर हुआ है और उसकी रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश सरकार से सलाह लूंगा क्योंकि उनकी दो प्लाटून का उससे कन्सन्ड था। उनकी सलाह आने के बाद राय दूंगा। इसका मतलब यह नहीं है कि रिपोर्ट पर बैठे हुए हैं। हम बराबर उसका चिन्तन कर रहे ह और जिस प्रकार का एक्शन होना चाहिये उस पर बराबर काम कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी ऐलान किया था कि जो वृद्ध हैं, इन्जर्ड हैं उन लोगों को पैसा दिया गया उनको कितना एडीक्वेट पैसा मिलना चाहिये उसके लिये एक समिति का गठन किया था। ऑफिशियल लेवल पर तीन अफसरों की एक कमेटी मुकर्रर कर रहे हैं जो सरकार को एडवाइस करने के लिये रिपोर्ट देगी कि क्या करना चाहिये। माननीय सतीशचन्द्रजी ने जैसा जोश और आवेश में आकर सदन में ऐलान किया

(श्री दामोदरलाल व्यास)

मैं उनसे अपील करता हूं कि मैंने उनको अपने जवाब में यह कभी नहीं कहा कि मैं बेरी आयोग की रिकमन्डेशन्स को नहीं मानूंगा। यह बात सही है कि मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि बेरी आयोग की सारी रिकमन्डेशन को कतई मान लूंगा। मैंने कभी नहीं कहा कि नहीं मानूंगा। उल्टा मतलब न लें। जैसा आपने सदन में अनाउन्स किया वैसा स्टेप न लें। सरकार की दुश्वारियों पर गंभीरता से विचार करना चाहिये और सरकार की जगह काश, खुदा न खास्ता आप होते तो आप क्या सोचते और क्या स्थिति होती। आप से और जनसंघ के नेता से अपील करता हूं कि आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और ऐसा कदम न उठायें जिससे सदन में माननीय सदस्यों को एम्बरेसं फील होना पड़े।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैंने स्पेसिफिकली आॅउट-पोस्ट्स के लिये कहा था।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा था कि जवाब भिजवा दूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : गर्ल्स स्टुडेन्ट्स के साथ असामाजिक तत्व अभद्र व्यवहार करते हैं उसको रोकने के लिए होम मिनिस्टर साहब ने कुछ नहीं कहा। मैं इस ओर गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदया, माननीय सदस्य ने एक बहुत अहम् मसला सामने रखा है। इसमें कोई शंका नहीं है कि इस प्रकार की शिकायत जगह जगह बढ़ रही हैं। इस सम्बन्ध में मैंने स्टेप्स् लिये हैं किन्तु वे यहां नहीं बताऊंगा। मैं यही अर्ज कर सकता हूं कि जयपुर जैसे शहर में और दूसरे बड़े-बड़े शहरों में मैंने इस बात का प्रबन्ध कर दिया है, जिससे कि इस समस्या का निराकरण हो। जयपुर में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। उन विद्यार्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनका चालान अदालत में पेश कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी तथा दूसरी जगह जो यूनिवर्सिटीज हैं, वहां भी इस प्रकार का प्रबन्ध सरकार कर रही है कि इस प्रकार के कुकर्म करने वालों को फौरन गिरफ्तार कर कार्यवाही की जाय, यह विश्वास मैं सदन को और माननीय सदस्य को दिला सकता हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : सब-इन्सपेक्टर्स का बोर्ड के द्वारा जनवरी में इम्तिहान लिया गया था और मैंने सुना है कि अभी तक उसकी लिस्ट, यदि सिलेक्शन कर लिया हैं, तो क्यों नहीं आउट हुई है, क्या मैं यह जान सकता हूं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इस सम्बन्ध में एक प्रश्न है। सदन के अन्दर उसके जवाब में मैं इसका मुस्तकिल जवाब दे दूंगा।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : मैंने जो मुद्दा उठाया था, उसका उत्तर नहीं दिया गया है। एक तो यह है कि जो सिविल ब्रांच, रेंज है और इस तरह से जो अलग अलग शाखाएं हैं जैसे गुप्तचर शाखा, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, आदि इनको अलग-अलग कर दिया जाय।..

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य ने जो कहा है, मैं उनके पोइन्ट्स को समझ गया हूं। ये बेसिक पोइन्ट्स हैं। करप्शन डिपार्टमेन्ट, स्पेशल ब्रांच,

(श्री दामोदरलाल व्यास)

क्राइम ब्रांच, सी० आई० डी० ब्रांच और सिविल पुलिस के इन्टर-ट्रान्सफर नहीं होने चाहियें, यह आपका कहना है । यह तब हो सकता है कि जब करप्शन डिपार्टमेन्ट की एक अलग इन्डीपेन्डेन्ट ब्रांच हो। आप चाहते हैं कि इसका पुलिस विभाग से ताल्लुक नहीं हो । एस० पी०, डी० आई० जी० ये सब पुलिस डिपार्टमेन्ट के हैं । एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट, सी०आई०डी०, स्पेशल ब्रांच इसके लिये मैं यह कहने की स्थिति में नहीं हूं कि इनके ट्रान्सफर आपस में नहीं होंगे । यह दिक्कत हो सकती है, जो आप कहते हैं कि जो एन्टी-करप्शन में काम करते हैं, उनके लिये यह दिक्कत हो सकती है कि पुलिस के उच्च आफिसरों के खिलाफ जांच करने में उनको हेजीटेशन पैदा हो सकती है । मैं यह कह सकता हूं कि आमतौर जो सी० आई० डी० के व्यक्ति पुलिस के उच्च आफिसरों के खिलाफ इन्क्वायरी करते हैं, उनका पोस्टिंग उन आफिसरों के मातहत नहीं किया जाता है, यह आई० जी० ने एक उसूल बना रखा है और वे इसका ध्यान रखते हैं । मैं आश्वासन दे सकता हूं कि वे फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं और कम से कम उनका पोस्टिंग उन आफिसरों के मातहत नहीं किया जाता है, जिनके कि खिलाफ वे जांच करते हैं । यही मैं आपको अर्ज कर सकता हूं । यह एक नीति का सवाल है और आपकी बात मानें तो इसमें पुलिस विभाग को एक इन्डीपेन्डेन्ट सेक्टर के रूप में क्रियेट करना पड़ेगा । एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट को पुलिस से ताल्लुक नहीं रखना पड़ेगा । जहां तक क्राइम ब्रांच और स्पेशल ब्रांच की बात है, ये दोनों शाखाएं पुलिस का ही एक अंग हैं और इसमें किसी तरह से यह नहीं हो सकता कि इनके तबादले न हों । सारण साहब, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि क्राइम ब्रांच और स्पेशल ब्रांच इन दोनों ब्रांचेज में हम हमेशा-हमेशा के लिये पुलिस के किसी एक अफसर को नहीं रख सकते । पुलिस आफिसर को हर ब्रांच में ट्रेन्ड होना चाहिये । इसके एक्सपीरियन्स के साथ उनको एन्टी-करप्शन का भी अनुभव होना चाहिये, और उसको ट्रेनिंग स्कूल में भी जाना चाहिये । डिफ्रेंट प्लेसेज के ऊपर, हरेक काम के अन्दर उसको तजुर्बा हासिल करना उसके लिये आवश्यक है । इसलिये मैं आपके सुझाव को मानने के लिये तैयार नहीं हूं ।

श्री दौलतराम सारण : आप मेरे सुझाव को मान जायेंगे, यह मैं उम्मीद नहीं करता हूं । अगर आप इस सुझाव को मानते हैं तो इसकी बुनियाद में आपको जाना पड़ेगा। और मैं जानता हूं कि आप इसमें नहीं जायेंगे । अगर आप जाते हैं तो बहुत ी जो गड़बड़ियां हैं वे अपने आप दूर हो जायेंगी । एन्टी-करप्शन को सी० आई० डी० से अलग कर देंगे तो बहुत गड़बड़ियां दूर हो जाती हैं। एक थानेदार जो सी० आई० डी० में है, उसको आप सिविल पुलिस में भेजते हैं इसलिये उसमें एफीशियेन्सी और इन्डीपेन्डेंस नहीं आ सकती । मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूं और उनकी डिफिकल्टीज़ को महसूस करता हूं इसलिये उसको आपके सामने कहा है । वे इतने पारंगत भी नहीं हो सकते जितने होने चाहिय। सी० आई० डी० के थानेदार को सिविल में बदल देते हैं तो वह वहां उस

(श्री दौलतराम सारण)

तरह से काम नहीं कर सकता । वहां उसकी कारगुजारी दूसरी तरह की है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं पहले माननीय सदस्य को अर्ज कर रहा हूं कि पुलिस विभाग के नौकरों, आफिसरों के लिये सबसे पहले यह जरूरी है कि वे सी० आई० डी० में भी काम करें । इन्फोर्मेशन कलेक्ट करने का भी उसको अनुभव होना चाहिये । क्राइम ब्रांच और पुलिस में कोई फर्क नहीं है । एन्टी-करप्शन में जिन आई० पी० एस० के केसेज हैं, उसमें भी वह तफतीश कर सकता है । यह ठीक है कि आपने सुझाव दिया परन्तु मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि उसे मान सकूं ।

माननीय सभापति महोदया, विरोधी दल के नेता महोदय ने यहां सब-इन्स्पेक्टर्स का सवाल उठाया था । मैं आपको अर्ज कर सकता हूं कि सब-इन्स्पेक्टर्स की लिस्ट वि हेल्ड करने का कोई इरादा नहीं है । उसको अन्डरमाइन करने का इरादा नहीं है । यह मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं । आप यह मानें । हमारे सामने कुछ कारण हैं, एक तो यह कि पुलिस पर्सनल को कितना बढ़ावें और आज तक हम यह निर्णय नहीं कर पाये हैं कि कितने पर्सेन्ट नको बढ़ायेंगे और कितने सब-इन्स्पेक्टर्स की हमको जरूरत होगी । इसलिये विथ हेल्ड कर रखा है । दूसरा कारण इम्तिहान का था । बहुत से बी० ए०, एम० ए० की परीक्षाएं दे रहे हैं । और दूसरा कोई कारण नहीं है । किसी ने कहा कि इस-लिये रोक रखा है—पांच आफिसर इस बोर्ड के मेम्बर हैं, उन्होंने लिस्ट बना कर दस्तखत कर दिये हैं, उसमें अब कोई तब्दीली नहीं कर सकते । बाकुदार साहब आप जानते हैं-आप यह न समझें कि ईमानदार दुनियां के अन्दर कोई नहीं है । आई० जी० के पास लिस्ट है । आप यह समझते हैं कि उसमें तब्दीली कर दी जायेगी । बहरहाल एडमिनिस्ट्रेटिव पाइन्ट से, उसके लिहाज से हमारे सामने जो दिक्कत है, वह आपके सामने रख दी है । आज लिस्ट आउट करते हैं तो कल ही उनको ट्रेनिंग में भेजना पड़ता है ।

श्री दुर्गालाल बाकुदार : आपकी इन्टी-ग्रिटी में डाउट नहीं है किन्तु आपके एक्शन ही ऐसे हैं जिससे दूसरों को डाउट हो जाता है ।

श्री दामोदरलाल व्यास । गवर्नमेन्ट के बीच में कहीं नहीं होता है । बोर्ड बना हुआ है । आई० जी० और गवर्नमेन्ट को सोचना है कि कब आउट करना है ।

एक माननीय सदस्य : यह तय नहीं है तो फिर इन्टरव्यू किस बेसिस पर किये गये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इन्टरव्यू हम करते हैं, यह हमारा अधिकार है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : स्पष्टीकरण के तौर पर मेरे प्रश्न को दोहराना चाहूंगा । एडमिनिस्ट्रेशन एक कन्वेंशन और हेल्दी अन्डरस्टेन्डिंग पर डिपेन्ड करता है । आपका सिलेक्शन बोर्ड है, वह बैठता है, उसकी इन्टीग्रिटी को आप नहीं मानते हैं । मैं यह पूछ कर मिनिस्टर साहब को एम्ब्रेस नहीं करना चाहता हूं । मैं ओछे सवाल नहीं पूछता हूं । आप कन्वेन्शन को वायोलेट

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

करते हैं। आप अपने सिलेक्शन बोर्ड की ऑथोरिटी को अन्डरमाइन करते हैं। आप सीटिंग ऑन फैंस हैं। सिलेक्शन का जो सवाल है उस पर आप इन डिसीजन और रेड टैपिज्म करते हैं, तो हरेक आदमी को शक होगा। यह व्यवस्था के अन्दर आप खेल रहे हैं। इसमें बीडींग चल रहा है, तीन-तीन हजार, पांच-पांच हजार का, परन्तु इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ये छोटी-मोटी बातें हैं। जब सिलेक्शन बोर्ड आप ने बैठाया है तो उसके डिसीजन को आपने विथहेल्ड क्यों किया है। यह मोस्ट अनहैल्दी और करप्ट कन्वेंशन है।

श्रीमती सभानेत्री : सदन की इजाजत से जब तक मांग स्वीकार न हो जाय, सदन का समय बढ़ाया जाता है।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 12, मुख्य शीर्षक 23–पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,61,25,000 रु० की राशि प्रदान की जाये। जो इसके पक्ष में हों वे हां कहें।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

श्री बरकतुल्ला खां (विधि मंत्री) : सभानेत्री महोदया, विधि विभाग से संबन्धित जो बात-चीत चल रही थी उसी दौरान में अर्ज करना चाहता हूं। राजस्थान की जुडिशियल सर्विस बहुत इन्डीपेंडेन्ट है उसके अन्तर्गत पोस्टिंग, अपोइन्टमेन्ट्स, डिसीप्लिनरी एक्शन आदि सारे के सारे हाईकोर्ट के अधीन हैं। कुछ कंटमोशन्स ऐसे हैं जिनका मैं यहां पर जवाब नहीं दे सकता उन मुद्दों को लेकर मैं हाई कोर्ट के सामने जाऊंगा।

जैसा कि यहां बताया गया कुछ मुन्सिफ कोर्ट्स में गड़बड़ है, कुछ मुन्सिफ कोर्ट्स में प्रोसीजर के बावजूद मुन्सिफ-मजिस्ट्रेट्स बयान न लेकर डे टु डे हियरिंग नहीं होती। इसकी रिमेडी मेरे पास नहीं है सिवाय इन चीजों को हाई कोर्ट के नोटिस में लाने का सदन की क्या मन्शा है उससे उसको अवगत कराने के सिवाय मैं कुछ नहीं कर सकता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप गिरधारी लालजी व्यास का भी स्टेटमेन्ट साथ ले जावें।

श्री बरकतुल्ला खां : इसके साथ-साथ मैं अर्ज करना चाहता हूं सब का ख्याल है, न्याय सस्ता मिलना चाहिये इसके अन्दर एतराज नहीं हो सकता। एक सोसाइटी की कम्पलेन्ट्स होती जा रही है लिटिगेशन की भावना बढ़ती जा रही है। सैकड़ों कानून पार्लियामेन्ट द्वारा पास हो रहे हैं उसके अन्दर सहयोग देते हैं, तो लिटिगेशन बढ़ती है। कई दफा सिच्युएशन अराइज होती है, कम्पलिसिटी अराइज होती है ला के अन्दर तो उसमें सही रास्ता मिलना चाहिये वह नहीं मिल सकता।

(6.04 म०प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

न्याय पंचायतों के अन्दर ला इन्टरप्रीट करने में दिक्कत होती है जैसे-जैसे ऊपर जाना पड़ता है ला के इन्टरप्रेट करने में दिक्कत पड़ती है।

Page No 165

(श्री बरकतुल्ला खां)

इसके अन्दर प्रोसीजर होता है केसेज के बारे में, स्टडी होती है, निर्णय होते हैं। आसानी से इनको खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन यह जरूरी है कि न्याय सस्ता और जल्दी मिले यदि वह नहीं मिलता है तो लोगों के दिमाग में न्याय के प्रति घृणा पैदा हो जाती है।

इसके अन्दर कई दसरी मुश्किलें भी हैं। उन मुश्किलों का हल निकलना चाहिये जिस आदमी का केस होता है उसकी सुनवाई उसके इलाके के करीब-करीब होनी चाहिये। जो पोसीबल नहीं हो सकता। इसीलिये छोटे-मोटे केसेज में न्याय पंचायतों को अधिकार दिया है। उसके बाद मुंसिफ मजिस्ट्रेट, सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जज, और उसके बाद हाईकोर्ट आता है।

न्याय सस्ता नहीं मिलने का दूसरा कारण यह है किसी न्याय के अन्दर उसको दिलाने में वकीलों की प्रैक्टिस होती है उसकी उजरत भी उनको मिलनी चाहिये। वकीलों को मेहनत करनी पड़ती है उसका खर्चा भी क्लाइन्ट पर पड़ता है। पेशियों में देरी होती है तो उसमें भी खर्चा लगता है। इस तरह से न्याय एक तरीके से महंगा बन रहा है इसके बारे में हम सब को मिल कर सोचना होगा न्याय महंगा न हो किसी हद तक ऐसा हो जाय यह इजीली एक्सीसीबल हो। इसीलिये राजस्थान सरकार ने जा० फौजदारी की धारा 302 के अन्तर्गत जो मामले हैं जिसमें कोई गरीब आदमी इनवोल्वड है उसके पास वकील रखने की क्षमता नहीं है तो सरकार उसके लिये वकील कर देती है। इस तरह से इस बात का ख्याल रख रहे हैं सोशियल वेलफेअर मिनिस्टर से भी बात की है कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जो बहुत गरीब लोग हैं उसकी मदद के लिये सोशियल वेलफेअर बोर्ड को आना चाहिये, उसके अन्दर सहयोग देना चाहिये। इस तरह से दो महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं।

एक तो यह कि लॉ कोर्ट्स की भाषा क्या होनी चाहिये। इस बारे में राजस्थान सरकार बहुत क्लियर है। उसकी पोलिसी है कि गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया के लेवल और सेन्ट्रल मिनिस्टर्स के लेवल और कई राज्यों के अन्दर हम यह मानते हैं कि सारा ला का काम हिन्दी के अन्दर करना चाहिये, और हम करना चाहते हैं। इस बारे में हमने सब से पहले एक कदम उठाया सब से पहले नोटिफिकेशन निकला लॉ कोर्ट्स के बारे में कोर्ट्स में सेल खुलने चाहिये केस रिपोर्टिंग प्रोपर लॉ होना चाहिये हिन्दी के अन्दर। हिन्दी के अन्दर लॉ रिपोर्टर निकलना चाहिये। हाई कोर्ट के जजमेन्ट्स का हिन्दी अनुवाद हो, सुप्रीम कोर्ट्स ने भी इस को माना है कि वहां भी केसेज का जो जनरल निकलेगा उनका हिन्दी अनुवाद हो और वह अनुवाद इस तरह का हो एक ही तरह की फैंजोलोजी उसमें काम में ली जाय ताकि आगे उसको कोट किया जाय तो आसानी हो। इस बात की कोशिश करेंगे भूतपूर्व चीफ जस्टिस ने तो इस बारे में अपनी तरफ से कोशिश भी की है कि हिन्दी जजमेन्ट्स होने चाहिये। लोअर कोर्ट्स के बयान हिन्दी में होते हैं सम्मन हिन्दी में होते हैं आफिस आर्डर हिन्दी में होते हैं। कभी कभी जजमेन्ट्स अंग्रेजी में लिखे जाते हैं।

(श्री बरकतुल्ला खां)

कुछ लोगों को वहम है कि वे जजमेंट हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जायेंगे अगर अंग्रेजी में नहीं लिखेंगे तो पोइन्टेड तरीके से रेफरेन्सेज नहीं मिलेगा । कुछ लोग तो हिन्दी में जानकर भी नहीं लिखते है । राजस्थान ने इस बात की कोशिश की है और हम यह मानते हैं कि सिविल जजेज और डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन्स जजेज ऐसे हैं जो आज भी हिन्दी में जजमेंन्टस लिख रहे हैं । हमारी बराबर यह कोशिश रही है कि हमारे कोर्ट्स के अन्दर जजमेन्टस और सारा वर्क हिन्दी में होना चाहिये । मैं यह मानता हूं कि कोई आजाद मुल्क अपनी भाषा अपनी जबान से ही जिन्दा रह सकता है दूसरे की मांगी हुई जबान से ज्यादा दिन काम नहीं चलेगा । यह जो सदन की भावना है वह मैं चीफ जस्टिस के सामने रखूंगा और अपनी ओर से भी निवेदन करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट एण्ड सैशन्स जज अपना जजमेन्ट्स हिन्दी में लिखे । यह डर नहीं होना चाहिये कि हिन्दी में लिखे हुए जजमेन्ट्स पर आगे अटेन्शन पे नहीं करेंगे ।

दूसरा मुद्दा भ्रष्टाचार के बारे में उठाया गया और कुछ बातें बतायी गईं । म भी थोड़ा सा इस बारे में चिन्तित था जब छोटे-मोटे कोर्ट्स के बारे में इस प्रकार की बातें आती हैं तो जुडिशियरी म जिसमें सबसे ज्यादा विश्वास है, राज्य सरकार और इन्डिविज्युअल के बीच में जो फैसले कराते हैं जिसको सब मानते हैं । अगर लॉ कोर्ट्स में भ्रष्टाचार चालू हो जाय यह ख्याल आते ही अपने हथियार हाथों से गिर जाते हैं । इससे डेमोक्रेसी की नींव भी कमजोर होती जा रही है । इस साल हमने सुझाव दिया है जैसा कि रघनाथजी ने आलरेडी दे दिया था इस साल के बजट में हमने प्रावधान कर दिया है । मुन्सिफ-मजिस्ट्रेट्स चूंकि चीफ जस्टिस के अण्डर में हैं हम उनके करप्शन के चार्जेज के लिये कुछ नहीं कर सकते । इसलिये हमने चीफ जस्टिस से अनुरोध किया है कि सीनियर डिस्ट्रिक्ट एण्ड सैशन्स जज इसके लिये नियुक्त कर दिया जाय जो पोइण्टेड करप्शन के बारे में जांच करे । इसके लिये एक पोस्ट इसी साल के बजट में प्रोवाइड भी कर दी है जो हाईकोर्ट के नीचे रहेगा और वह ऐसे मामलों की देखभाल करेगा ।

इसके अलावा, हम इस बात के लिये भी तैयार हैं कोर्ट चाहे तो हम उनकी मदद के लिये डिप्टी सुपरिन्टेन्डन्ट पुलिस और उसके साथ कुछ अमला दे सकते हैं जो हाईकोर्ट की ज्युरिस्डिक्शन के अन्दर काम करे । उसका ज्युरिस्डिक्शन हाईकोर्ट तक ही रहेगा । जिस कोर्ट्स की कम्पलेंट आती हैं वह वहां जाकर इन्क्वायरी करके हाईकोर्ट के सामने वह रखे । हम यह अपनी तरफ से थोप नहीं सकते हाईकोर्ट से मैं बात करूंगा अगर वे मानते हैं तो हम सब सुविधा देने को तैयार हैं । इसी तरह से जहां तक ज्युडिशियरी के रिक्रूटमेन्ट का ताल्लुक है इसमें थोड़ी अड़चन आती है, इसको भी मैं समझता हूं । जैसे मेरे मित्र ने कहा कि पी० एस० सी० से एसोसियेट नहीं होना चाहिये, पर मुश्किल यह है कि आर्टिकल्स 320 के नीचे कोई भी स्टेट सर्विस होगी उसमें पी० एस० सी० के जरिये ही रिक्रूटमेन्ट किया जा सकता है । इसलिये मैंने अपनी ओर से भी कोशिश की है कि इमर्जेन्सी रिक्रूटमेन्ट पी० एस० सी०

(श्री बरकतुल्ला खां)

और हाईकोर्ट में तालमेल होकर हो। इनमें डिफरेन्सेज न हों, हाईकोर्ट में पी० एस० सी० का कोई मेम्बर जावे और एसोसियेट हो जावे और इस तरीके से उसको कम्पलीट करले। इस तरीके से इसकी भी कोशिश की जा रही है कि जुडिशियरी में आर० एच० जे० एस० क्लास की वजह से जो जगहें खाली रह गईं इस कारण जो दिक्कत आई इसके लिये आर० ए० एस० ऑफिसरों को जुडिशियरी में लगाना पड़ा। पर जो भी लगाये गये वे हमने अपनी मर्जी से नहीं लगाये। हाई कोर्ट ने ही लगाये लॉ ग्रेजुएट्स समझकर लगाये और हाई कोर्ट ने जिनको उपयुक्त समझा उनको ही उसमें लगाया है। उनका पिछला रिकार्ड देखकर लगाया है और हाई कोर्ट ने जिनका सिलेक्शन नहीं किया, उनको नहीं लगाया है। जिन्होंने ओप्शन दिया उनके मामले हाई कोर्ट के सामने रख दिये। हाई कोर्ट ने अपोइन्ट किया है तभी वे आये हैं, वर्ना नहीं आये हैं।

इसी तरीके से जो यह प्रश्न उठा कि बार की तरफ से कितने लोग लिये जावें तो इसके लिये क्लियर कट रूल्स हैं कि किसी हालत में जो बार की ओर से रिक्रूट किये गये हैं उनका नम्बर कभी भी वन-थर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिये। आज ही नहीं बल्कि तीन दिन के बाद 10 दिन और साल भर के बाद रिटायर भी होते हैं तो सिचुएशन ऐसी रहनी चाहिये कि बाहिर से सिलेक्ट किये हुए लोग वन-थर्ड से ज्यादा न हों। इसलिये 27 वेकेन्सी को फुलफिल करना है इसलिये उनको रखा है।

इसी तरह कुछ परेशानियां सिविल जजों की ग्रेड के बारे में हैं ऐसा कहा गया। इस पर अर्ज करना चाहता हूं कि उसके लिये एक ही बात मानी गई और वह यह कि कोई भी जो जूनियर सिविल जज है वह उस ग्रेड पर आकर ब्लोक न हो। इसको तुरन्त एग्जामिन किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि जब मेक्सिमम पर पहुंचेंगे उससे पहले पहले सिविल जज सीनियर ग्रेड में आ जावेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि यह सबजेक्ट तुरन्त डिसकस किया गया है इसकी हम डिटेल में गये और अब भी आप चाहें तो सदन के बाहर बैठकर आप फाइल वगैरह सब देख सकते हैं कि हमने पूरी तरह से इसको देखा है कि सिविल जज मेक्सिमम पर जाकर ब्लोक न हो सीनियर ग्रेड में वह आ जावे। इसलिये ी यह रखा गया था कि आर० ए० एस० ऑफिसरों का ख्याल है उनका सीनियर ग्रेड क्यों नहीं ? हमने भी समझा हाई कोर्ट अच्छी तरह से स्क्रूटिनी कर सकता है तो हमें इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

इस तरीके से दौराने बहस यह सवाल आया हाई कोर्ट की बेंच का। मैं इस विषय में ज्यादा बोलना नहीं चाहता था। फिर भी अर्ज करूं कि जिस वक्त हमारे पास 22 रियासतें थीं चीफ कोर्ट और हाई कोर्ट थे। इसके बाद राजस्थान बना तो स्वाभाविक था कि 22 ही सेक्रेटरियट नहीं रहते थे चीफ कोर्ट और हाई कोर्ट भी उतने नहीं रह सकते थे। राजस्थान बना तो थोड़ी थोड़ी तकलीफ सबको उठानी पड़ना स्वाभाविक था। और आज के दिन जितने लोग हाई कोर्ट जाते हैं उससे ज्यादा लोग सेक्रेटरियट आते हैं, कुछ लोग रेवेन्यू बोर्ड

(श्री बरकतुल्ला खां)

भी जाते हैं और यह सबजेक्ट भी तुरन्त लॉ कमीशन ने भी डिसकस कर लिया और तरीके से भी यह तय हो गया तो अब सरकार इस मामले को ओपन नहीं करना चाहती इस समय। इसमें और कोई सवाल नहीं है। इस ओर और उस ओर बैठने वाले काफी चाहते हैं कि जोधपुर में रहे काफी ऐसे हैं जयपुर में रहे तो यह पार्टी लाइन नहीं है। हाई कोर्ट की बैंच के लिये कमीशन ने यह माना है कि और मैं भी पसन्द करूंगा कि अगर हाई कोर्ट का फंक्शन युनीफाइड तरीके से कायम रहे। अगर यह नहीं रहा तो जो तकलीफ पाकर हमने अचीव किया है अब तक उसको लूज कर देंगे। हाई कोर्ट चाहे जोधपुर में रहें, जयपुर में रहे या कोटा में रहे चाहे बूंदी में रहें, पर एक तो रहे। अगर इस तरह से नहीं करेंगे तो एक स्टेज यह आवेगी कि हर डिविजन में मांग होगी। क्योंकि एक जगह का आदमी दूसरी जगह के लिए सुविधाजनक नहीं कहेगा। उदयपुर वाले को क्यों न मिले वह यह कहेगा उसको सुविधा कोटा में नहीं मिल सकती। तो इस तरह से फोर्सेज ऑफ इन्टीग्रेशन नहीं मिलकर डिसइन्टीग्रेशन की तरफ जा सकती है। इसलिये सरकार ने यह तय नहीं किया है कि बैंच यहां लावेंगे। पर मेरा परसनल...—

श्री रामचन्द्र आर्य : कट्टल ज्यादा गंगानगर में होते हैं इसलिये गंगानगर में लगा दें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : ताकि फिर वहां जाने के बाद वापस आने की जरूरत ही नहीं रहे।

श्री बरकतुल्ला खां : जिस वक्त रूल्स बनाने की बात आई, तो जिस वक्त तक हम रूल्स नहीं बनावेंगे तब तक कोई अपाइन्ट नहीं करेंगे, न हीं अभी तक किया है। मैं कोशिश करूंगा कि रूल बनाने के बाद अपोइन्टमेन्ट किया जाय। रूल्स बनाने की जल्दी कर रहे हैं। एक टैक्निकल पोइन्ट पर यह मामला एडवोकेट जनरल के पास भी गया है, दूसरी जगह भी ट्रान्सफर हो रहे हैं। पर एक बात सही है कि इसके बाद कोई अपोइन्टमेन्ट नहीं किया, मैं कोशिश करूंगा कि जब तक रूल्स नहीं बनेंगे गवर्नमेन्ट एडवोकेट और डिप्टी एडवोकेट का अपोइन्टमेन्ट न करें।

इसी तरह से कोपिस्टों के बारे में शिकायतें की गई। यह जायज है। मुझे भी यहं मालूम है। 29 कोपिस्टों का प्रोपोजल बनाकर भेजा गया है। बहुत जल्दी इसके लिये हमें फाइनल एप्रूवल मिल जावेगा।

इसी तरीके से जब यह मालूम हुआ बिल्डिंग की कमी है, जुडिशियरी में और रिपेयर भी प्रोपर नहीं हो रही है तो अनुदान दिया है और जनरल डिसकसन भी किया है मुख्य मन्त्री भी शरीक थे। हमने तै किया है कि इसके लिये 5 लाख रुपया बिल्डिंग पर और मरम्मत पर खर्च किया जावेगा। वह हाई कोर्ट से पूछ कर किया जावेगा और पक्के तरीके से प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। एक साथ सब जगह नहीं लगा सकते पर ईयर टू ईयर रुपया अवेलेबल हो जावें और हाई कोर्ट जहां मुनासिब समझे.......

श्री रामानन्द अग्रवाल : हाईकोर्ट के डिस्पोजल पर छोड़ देंगे?

Page No 169

श्री बरकतुल्ला खां : एट दी डिस्पोजल ऑफ हाईकोर्ट की बात कही है । पांच लाख का जो खर्चा किया जावेगा वह जहां जहां हाईकोर्ट बतावेगा वहां-वहां पी० डब्ल्यू० डी० के जरिये नये भवन में या रिपेयर में जिस तरह से वे चाहेंगे खर्च कर दिया जावेगा ।

श्री दौलतराम सारण : कागज पेंसिल तो दें उनको ।

श्री बरकतुल्ला खां : यह आपने बिलकुल ठीक कही । स्टेशनरी की इकोनामी कट लगाया गया था । उसको वापिस कर लिया है । फाइनेन्स ने एग्री कर लिया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब आप हाई कोर्ट और जुडिशियरी को इन्डिपेन्डेन्ट बनाने जा रहे हैं और बनाना चाहते हैं तो ये जज केवल एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग को यह लिखें कि 100 रुपये की फलां चीज हमें दें तो क्या यह उनकी डिग्निटी के खिलाफ नहीं है ?

श्री बरकतुल्ला खां : हाईकोर्ट को तो इसके लिये डिस्चार्ज किया नहीं करते हैं ऐसा नहीं है । बल्कि ऐसा है कि इस बात की कोशिश करते हैं, बजट प्रोवीजन में हम पूछते हैं कि किसको कितनी जरूरत पड़ती है । फिर इसके लिये न तो मशीनरी है हाईकोर्ट के पास । पी० डब्ल्यू० डी० हाईकोर्ट के अन्डर में नहीं है । यह कोई गारन्टी नहीं कर सकता कि सौ प्रतिशत तरीके से हाईकोर्ट के आर्डर को माना जाय यह तो एग्जीक्युटिव आर्डर है कि यह बिल्डिंग यहां बनादो । यह रिपेयर कर दो । इन छोटी छोटी चीजों में हाईकोर्ट को इन्वोल्व नहीं करना चाहते । जैसा वे आर्डर देंगे वैसा हम करेंगे ।

एक माननीय सदस्य : टाइम का क्या किया ।

श्री बरकतुल्ला खां : यह हाईकोर्ट से बात करके तै करेंगे । आफ हैण्ड हाउस में इस समय कुछ कहने की स्थिति में मैं नहीं हूं । और इसके साथ ही साथ जो मैंने वहां पर बात कही थी उसके लिए विश्वास दिलाता हूं कि इसको हाईकोर्ट में मूव कर रखा है आलरेडी और मैं कोशिश करूंगा कि जहां-जहां कोर्ट्स की कमी है उसके लिए हाईकोर्ट अपने आप निर्णय ले लेगा ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैंने बोम्बे एक्ट्स को हटाने के लिए कहा था उसका क्या उत्तर है ?

श्री बरकतुल्ला खां : वाकई आपने बहुत वक्त पर मुझे यह बात याद दिलाई, वर्ना मैं भूल जाता । लॉ डिपार्टमेन्ट ने इस मामले को बहुत पहले से उठा लिया था और जितने भी विभाग हैं उनके नोटिस में हम ले आये । उनको हमने पत्र लिख दिये और जब हमें वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पूरी लिस्ट नहीं मिली तो हमने अपनी तरफ से आफिसर्स को भेजकर लिस्ट मंगाई और लिस्ट मंगाने के बाद जो जो विभाग थे उनकी नोटिस में लाये कि यह कानून हैं उनको आप रिप्लेस करदें । यहां तक तो हमने कर दिया लेकिन कानून रिप्लेस करने का जो फैसला है वह डिपार्टमेन्ट करते हैं, लॉ डिपार्टमेन्ट नहीं कर सकता । हम तो इन कानून को बदलना चाहते हैं । जिस कानून को वह बदलवाना चाहें हम बदल

(श्री बरकतुल्ला खां)

सकते हैं लेकिन इसके लिए तो वही इनीशियेट करेंगे। लेकिन हम उनके नोटिस में ले आये हैं और एक्साइज एण्ड टैक्सेशन, मोटर व्हिकल्स में भी कोई न कोई कदम निकलेगा..

श्री देवीदत्त गाडिया : जनता को बड़ी परेशानी है इससे।

श्री दुर्गालाल बाढ़वार : एक प्रिसाइडिंग आफिसर का ट्रान्सफर हो जाता है और उसके बाद में सक्सेसर दो-दो महीने तक नहीं आते हैं और मुकद्दमों का टालमटोल होता है उसकी भी तो आप व्यवस्था कर दें।

श्री देवीदत्त गाडिया : बोम्बे पुलिस एक्ट के कारण, बोम्बे फारेस्ट एक्ट के कारण से वहां के नागरिकों को चाहे जब चलते फिरते पकड़ लेते हैं। उनको परेशानी है इसलिए यह कब तक हो जायेगा गवर्नमेन्ट की तरफ से इसका एश्योरेन्स तो कोई न कोई होना चाहिए।

श्री बरकतुल्ला खां : जहां तक लॉ डिपार्टमेन्ट का सवाल था सबके नोटिस में ले आये हैं और पर्सनली नोटिस में लाकर इसकी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर निर्णय हो जाये।

श्री दुर्गालाल बाढ़वार : उपाध्यक्ष महोदय, प्रिसाइडिंग आफिसर का ट्रांसफर हो जाता है और सक्सेसर दो तीन महीने तक नहीं आता है और कोई इन्तजाम नहीं होता है।

श्री बरकतुल्ला खां : आर० जे० एस० रूल्स की वजह से बीच में रिक्रूटमेन्ट नहीं हुआ तो बीच में कमी आ गयी थी लेकिन अब इस तरह की दिक्कतें आने वाली नहीं हैं और मैं समझता हूं कि सारे कोर्ट्स अब रेगुलरली फंक्शन करेंगे और इसमें जो भी दिक्कत आपको नजर आये तो मैं हाईकोर्ट के नोलेज में ला सकता हूं और उनको बता सकता हूं और उसके बाद में इन्तजाम फैसला वही करेंगे।

श्री रामसिंह कुड़ी : कम्पलीट सैपरेशन ऑफ जुडिशियरी के बारे में क्या कहना है?

श्री बरकतुल्ला खां : सैपरेशन ऑफ जुडीशिरी के लिए मैं मानता हूं कि यह होना चाहिए इसलिए आई० पी० सी० केसेज और रेल्वे केसेज तक ही है लेकिन मैं समझता हूं कि इस एक्सपेरीमेन्ट को भी देख लें और यह एक्सपेरीमेन्ट सक्सेसफुल हो जाये तो और आगे अच्छे तरीके से कदम बढ़ायेंगे क्योंकि कुछ जगह जहां सैपरेशन है आंध्र में लेकिन वहां पर लॉ सेक्रटरी और होम सेक्रेटरी एक ही है। सैंक्शनिंग अथारिटी एक ही है। तो हम तो उसको बहुत क्लियर करना चाहते हैं। इस एक्सपेरीमेन्ट को करना चाहते हैं और इसको सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। इसलिए जो प्रोसीजरल डिफिकल्टीज मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के लेवल पर आ सकती हैं उन प्रोसीजरल डिफिकल्टीज को समझते हुए इसको मुस्तैदी के साथ जमाना चाहते हैं लेकिन परपज यही है कि एक न एक दिन कम्पलीट सैपरेशन होगा। यह नहीं हो कि कहीं एक प्रोसेस पर आकर रुक जाये और जो शिकायतें आपने की हैं मैं उनके बारे में फर्दर जानकारी करके हाईकोर्ट के नोटिस में ले आऊंगा।

कारागार के बारे में मैं यह कह सकता हूं कि जो भी आपने सुझाव दिये हैं और माननीय सदस्य, श्री देवीदत जी ने जो

(श्री बरकतुल्ला खां)

शिकायत की है उसके बारे में साफ जवाब देना चाहता हूं कि हमने उस आदमी को 25-2-69 को वह रिलीव हो गया। हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उसकी इन्क्वायरी दे दी और वह इन्क्वायरी कर रहा है। ऐसी बात नहीं है कि माननीय सदस्य मुझे शिकायत करें और मैं लाइटली ले लूं ऐसी बात नहीं है। उसके खिलाफ इन्क्वायरी शुरू हो गई है।

श्री रामसिंह कुड़ी : पी० पी० के अपाइन्टमेन्ट के बारे में ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिनको इमर्जेन्सी कमीशन मिल गया था और उनको आर० जे० एस० में लेने के लिये पूछा था उसका क्या हुआ ?

श्री बरकतुल्ला खां : मैं चाहूंगा कि उनके लिए रिजर्वेशन हो उसके लिए न तो हमारे रूल्स में प्रावधान है और न ही इतनी जल्दी ऐसा प्रावधान किया जा सकता है। यह पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ बातचीत करके तय होगा। यह मैं जरूर समझता हूं कि इमरजेन्सी रिक्रूटमेन्ट में जो लोग हैं वह ओपन कम्पीटीशन में आ जायं तो मैं समझता हूं कि उनमें कुछ लोग अच्छे और काबलियत रखते हैं इसलिए वह जरूर आ जायगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह एश्योरेन्स चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट के लिए वकील नियुक्त करने के बारे में क्या आप आश्वासन दे सकते हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट के लिए जिस क्षेत्र का वह है उसी क्षेत्र का वकील नियुक्त करेंगे और उसकी नियुक्ति पालिटिकल आधार पर नहीं होगी। जो सिविल जज द्वारा जिसका नाम लिस्ट में भेजा जाता है और जिस क्षेत्र के वकीलों की लिस्ट आती है उन्हीं में से उनको नियुक्त किया जायेगा यह आश्वासन दे सकते हैं ?

श्री बरकतुल्ला खां : किसी और कन्सीडरेशन पर नहीं होगा सिवाय मेरिट्स के।

श्री रामचन्द्र आर्य : जेलों के अंदर रोटियां तो ठीक मिलनी चाहिएं यह कल को आप के भी काम आयेंगी।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 11 मुख्य, शीर्षक 22 - कारागार के संबंध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 61,42,000 रु० तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गयी)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 10, मुख्य शीर्षक 21—न्याय प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,02,37,000 रु० तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

(मांग स्वीकार की गई)

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० 6.37 बजे, दिनांक 19-3-69 के म० पू० 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(ता० प्र० सं० 355 की सूची)

MEDICAL & HEALTH DIRECTORATE, RAJASTHAN

No. G-5537 Dated 8-2-66

OFFICE ORDER

Shri Ramesh Chandra, Junior Malaria Inspector attached to the N. M. E. P. Unit, Alwar may please be treated as Junior Malaria Inspector with effect from the date the orders for his transfer and appointment issued vide this Directorate No. E-32/26948-953, dated 11-8-59 instead from the date of his joining at N. M. E. P. Unit, Udaipur as mentioned therein.

Sd./ P. L. RISHI,
Director of Medical & Health Services,
Rajasthan, Jaipur.

परिशिष्ट 2

(ता० प्र० सं० 236 की सूची)

क्रमांक	दिनांक	उपभोक्ता का नाम		विशेष विवरण
1.	17-6-66	श्री प्यारे लाल		क्रम संख्या 1 से 9 तक के सारे कुऐ रेवेन्यू बाउन्ड्री के बाहर है।
2.	17-6-66	श्री कमल सिंह		
3.	17-6-66	श्री जग्गू राम		
4.	17-6-66	श्री नत्थी लाल		
5.	17-6-66	श्री रामजी लाल		
6.	18-6-66	श्री मुकन्दी		
7.	18-6-66	श्री छुट्टन		
8.	18-6-66	श्री ग्यासी		
9.	18-6-66	श्री नत्थी	डिमान्ड नोटिस देने की ता० 8-11-66	डिमांड नोटिस के अनुसार पैसे जमा नहीं कराया
10.	30-9-66	श्री बलवीरसिंह		एल. फार्म नहीं दिया
11.	8-12-66	श्री राम स्वरूप	11-1-67	24-4-67 को पैसे जमा कराया
12.	7-1-69	श्री फूलचन्द	1-2-69	3-2-67 को पैसा जमा कराया

परिशिष्ट 3

(अता० प्र० सं० 233 की सूची)

YEAR 1967

LIST OF ESTABLISHMENTS WHERE STRIKES AND LOCKOUTS OCCURRED

1. Associated Soap Stone Co., Udaipur.
2. Municipal Board, Jhalawar.
3. Municipal Board, Chhapar.
4. Tailoring Establishments, Jodhpur.
5. Man Industrial Corporation Ltd., Jaipur.
6. Life Time Products, Jodhpur.
7. Prabhakar and Sons, Jaipur.
8. Rajasthan Spinning and Weaving Mills Ltd., Bhilwara.
9. Rajasthan Metal Works Ltd., Bhilwara.
10. Hind Construction Co., Rawat Bhata.
11. Kamala Factory, Bhilwara.
12. Municipal Board, Nathdwara.
13. Aditya Mills Ltd., Kishangarh.
14. Udaipur Cotton Mills Ltd., Udaipur.
15. Kamala Spinning and Weaving Mills Ltd., Bhilwara.
16. Kamani Engineering Corporation Ltd., Jaipur.
17. Mewar Textile Mills Ltd., Bhilwara.
18. Dharti Dhan Ltd., Udaipur.
19. Municipal Board, Rajaldesar.
20. Nathany and Co., Bhilwara.
21. Rajasthan Wasted Spinning Mills Ltd., Churu.

YEAR 1968

STRIKES AND LOCKOUTS

1. United Motors, Rajasthan, Jaipur.
2. Mewar Textile Mills Ltd., Bhilwara.
3. Edward Mills Ltd., Beawar.
4. Mahalaxmi Mills Ltd., Beawar.
5. Municipal Board, Mundawa.

6. Power Cables Ltd., Kota.
7. Rajasthan Vanaspati Products Ltd., Bhilwara.
8. Chief Engineer, Rana Pratap Sagar Dam, Kota.
9. Superintending Engineer Irrigation Department, Kota.
10. Executive Engineer, Irrigation Department, Kota.
11. Gopal Industries Ltd., Kota.
12. Vijai Cotton Mills Ltd., Bijainagar.
13. Associated Soap Stone Co., Udaipur.
14. Indo Engineering Ltd., Kota.
15. Nagarpalika, Bhilwara.
16. Municipal Board, Gangashahar.
17. Sri Sadul Textile Mills Ltd., Sri Ganganagar.
18. Mewar Textile Mills Ltd., Bhilwara.
19. Sri Sadul Textile Mills Ltd., Sri Ganganagar.
20. Municipal Board, Sikar.
21. Rajasthan Textile Mills Ltd., Bhawani Mandi.
22. Municipal Board, Suratgarh.
23. Rajasthan State Electricity Board, Sawai Madhopur.

परिशिष्ट 4

(अ० प्र० सं० 239 की सूची)

सूची ऐसे सरपंचों की जिनको कूप निर्माण एवं मरम्मत हेतु धनराशि अनुदान स्वरूप पंचायत समिति से दी गई (जिनका विवरण प्राप्त नहीं हुआ है)।

क्र०सं०	नाम सरपंच व पंचायत	वर्ष	कार्य	धनराशि जो दी गई	
1.	श्री मिस्साराम, सरपंच, दताणी	66-67	कुआ दताणी	1,000/	29-4-66
2.	श्री मिस्साराम, सरपंच, दताणी	65-66	कुआ डावरीयान	250/	25-3-66
3.	श्री जस्सराम, सरपंच, मोकाला	64-65	कुआ मोकाला	825/	29-6-64
4.	श्री शंकरलाल, ओलादन	65-66	कुआ ओलादन	400/	19-11-66
5.	श्री शंकरलाल, ओलादन	65-66	कुआ सिसला	450/	18-12-65
6.	श्री सुगन चन्द, इन्दावड़	65-66	कुआ इन्दावड	1,800/	21-2-66 व 25-4-66
7.	श्री प्रताप राम, भूतपूर्व उप-सरपंच, खाखड़की	64-65	कुआ बासली कछावा	563/	7-5-64
8.	श्री फतेह सिंह, कुरडाया	66-67	कुआ कुरडाया	400/	23-6-66
9.	श्री प्रताप राम, भूतपूर्व उप-सरपंच, खाखड़की	64-65	कुआ उम्वारडा	500/	7-5-64
10.	श्री घनश्याम दास, भूतपूर्व सरपंच (इन्दावड)	64-65	कुआ सेखासनी	900/	26-6-64
	(मृत्यु हो चकी)	63-64	कुआ इन्दावड	1,000/	27-7-63
11.	श्री तेजराज, सरपंच, मेड़ता रोड	64-65	कुआ भोमियों का मेड़ता रोड़	500/	18-12-64
12.	श्री नारायण सिंह, सरपंच, नेताड़िया	64-65	कुआ पांचडोलिया	400/	

कुल योग . . 8,988/-

परिशिष्ट 5

(प्र. प्र. सं. 242 की सूची)

क॰सं॰	नाम ज़िला	ग्रामों की संख्या	उनकी आबादी	क्षेत्रफल
1.	अजमेर	899	868550	570000
2.	अलवर	166	108358	197221
3.	बांसवाड़ा	1461	474439	1250788
4.	बाड़मेर	852	649794	1992896
5.	भरतपुर	201	96686	162515
6.	भीलवाड़ा	1328	740276	439954
7.	बीकानेर	679	444406	6752560
8.	बूंदी	387	136746	844717
9.	चित्तौड़गढ़	1608	602583	1233385
10.	चूरू	834	616207	4464000
11.	डूंगरपुर	789	372864	721841
12.	गंगानगर	609	232566	2214592
13.	जयपुर	2607	1342454	2780800
14.	जैसलमेर	512	104338	9596183
15.	जालोर	607	551571	2610534
16.	झालावाड़	314	97170	280614
17.	झुंझुनू	698	707077	1460250
18.	जोधपुर	726	660504	5556480
19.	कोटा	445	107314	136694
20.	नागौर	970	725077	3641779
21.	पाली	853	805682	3018857
22.	स॰ माधोपुर	488	2 0044	94335
23.	सीकर	694	702046	972716
24.	सिरोही	455	352236	1277170
25.	टोंक	1037	487404	1748234
26.	उदयपुर	2578	998040	3692800

Page No 177

सूची संख्या 2

क० सं० नाम जिला	राशी जो स्वीकृत की गयी (लाखों में)
1. अजमेर	41.50
2. अलवर	1.00
3. चूरू	46.00
4. चित्तौड़गढ़	18.50
5. बाड़मेर	244.30
6. बीकानेर	183.00
7. बून्दी	5.45
8. बांसवाड़ा	34.20
9. भरतपुर	0.50
10. भीलवाड़ा	25.50
11. डूंगरपुर	29.50
12. गंगानगर	3.00
13. जयपुर	7.50
14. झालावाड़	1.50
15. जालौर	73.00
16. जैसलमेर	173.00
17. झुन्झुनू	18.00
18. जोधपुर	211.00
19. नागौर	30.00
20. कोटा	1.50
21. पाली	34.00
22. टोंक	21.00
23. सवाई माधोपुर	3.50
24. सीकर	11.50
25. सिरोही	10.50
26. उदयपुर	37.00
	1265.45

परिशिष्ट 6

(प्र० प्र० सं० 244 की सूची)

तहसील टोंक

सिंचाई विभाग के कार्य

1. लवादर
2. लाम्बा बन्द

वन विभाग के कार्य

3. सोहेला प्लान-टेशन

सार्व० नि० वि० के कार्य

4. नाथडी से रानोली
5. जयसिंहपुरा से रानोली (कार्य चालू नहीं है)
6. बोरखन्डी से सीतारामपुरा
7. टोंक से उम- वाया सोनवा

तहसील निवाई

सिंचाई विभाग के कार्य

1. माशीबन्ध व नहरों की मरम्मत
2. लहारा बन्ध व नहरों की मरम्मत
3. हालोलाव बन्ध व नहरों की मरम्मत

भू-संरक्षण विभाग के कार्य

4. ग्राम नला
5. ग्राम दतवास
6. पो०डी०पी० साईड

सार्व० नि० वि० के कार्य

7. गुनसी से राहोली
8. भिलाय से बहड
9. चैनपुरा से दतवास

तहसील अलीगढ़

सिंचाई विभाग के कार्य

1. गोरडा बन्ध
2. मोहम्मदगढ़ बन्ध

वन विभाग के कार्य

3. फुलेता क्लोजर
4. मोहम्मदपुरा क्लोजर
5. झालरा क्लोजर

सार्व० नि०वि० के कार्य

6. उनियारा से नगर
7. ढिकोलिया से बोड़ा

तहसील मालपुरा

सिंचाई विभाग के कार्य

1. टोरडी सागर व नहरों की मरम्मत

वन विभाग के कार्य

2. टोरडी प्लानटेशन

सार्व० नि० वि० के कार्य

3. डिग्गी से पचेवर
4. पाडली से मंडावरी
5. मालपुरा से घाटी
6. नगर से लाम्बाहरीसिंह
7. पचेवर से चोसला (कार्य चालू नहीं है)
8. लाम्बा से उनियारा
9. पचेवर से नगर
10. तीतरिया से मान्दोलाई
11. चान्दसेन से भगवानपुरा (कार्य चालू नहीं है)
12. टोरडी से कलमेन्डा
13. कलमेन्डा से नानेर (कार्य चालू नहीं है)
14. रेणाहेलीर से हिन्डोला वाया काटोली

तहसील टोडा

वन विभाग के कार्य

1. टोडारायसिंह क्लोजर

सार्व० नि०वि० के कार्य

2. सवारिया मोर दतोक
3. टोडारायसिंह से मोडयाला
4. टोडा से बोटून्दा
5. मा. पु. से पंवालिया
6. कुपालभैरू से हमीरपुर
7. मोडियाला से हमीरपुर

तहसील देवली

वन विभाग के कार्य

1. आंवा क्लोजर कार्य पूर्ण हो गया है।

सार्व० नि० वि० के कार्य

2. बंथोली से राजकोट मालेडा
3. मालेडा से हिसामपुर
4. सन्थली से राजमहल

ह० जिलाधीश, टोंक

परिशिष्ट 7

(अ० प्र० सं० 246 की सूची)

सन् 1968 में समाज कल्याण विभाग द्वारा खोले गये आदिवासी छात्रावासों की सूची

क०सं०	नाम छात्रावास	स्थान	जिला	खोलने की तारीख	स्वीकृत छात्र सं०	मासिक व्यय लगभग
1.	राजकीय अनुसूचित जन जाति छात्रावास	भाखार	डूंगरपुर	27-7-68	25	1,250
2.	अनुदानित आदिवासी छात्रावास	डूंगड़ा	बांसवाड़ा	1-7-68	25	1,000
3.	आदर्श अनुसूचित जन-जाति छात्रावास	रेणी	अलवर	7-11-68	25	1,000

परिशिष्ट 8

(अ० प्र० सं० 248 की सूची)

STATEMENT SHOWING THE PROGRESS OF STERLISATION OPERATIONS & I. U. C. D. INSERTIONS FROM JANUARY, 1968 TO DECEMBER, 1968.

S. No.	Month	Male	Female	Total sterlization operations	I. U. C. D insertion
1	January	1643	230	1873	1263
2	February	2516	241	2757	1490
3	March	3869	299	4168	3771
4	April	999	387	1386	1096
5	May	1109	335	1444	1199
6	June	3305	301	3606	2474
7	July	1142	288	1430	1231
8	August	1250	317	1567	1071
9	September	6180	340	6520	2234
10	October	1039	332	1371	849
11	November	1233	350	1583	988
12	December	4848	399	5247	2818
	TOTAL ..	29133	3819	32952	20484

शुद्धि-पत्र

मंगलवार, दिनांक 18 मार्च, 1969

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
2	अन्तिम		tried	tired
3	अन्तिम से	10	श्री विट्ठल प्रसाद	श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा
7	अन्तिम		ों	में
9	अन्तिम से	8	बाकानेर	बीकानेर
12	,,	10	मने	मैंने
13		13	(अनुपस्ति ,	(अनुपस्थित
13	अन्तिम से	5	डिवजन	डिवीजन
19		14	(हिन्डैन)	(हिन्डौन)
21	अन्तिम		ोते	होते
31	,, से	5	ो	तो
34	शीर्षक		प्रनोत्तर	प्रश्नोत्तर
34		18	मानती	मानते
34	अन्तिम से	2	मौजूदा	मौजूद
34	,,		मआवजा	मुआवजा
35	,,		उनकी—बात	उनको इस बात
36	,,		विस्थापित—तक	विस्थापित अभी तक
39	,,	5	24 हजारों	24 हजार
39	,,	3	चकी	चुकी
40	,,	5	मेन से	मेन केनाल से
41		6	रादा	इरादा
48		16	से	में
53		4	पंच र्षीय	पंचवर्षीय
55		1	तालिका	तालिका
58	अन्तिम		वित्ती	वित्तीय
60		9	शाख	शाखा
66		2	कब-क	कब-कब
69	अन्तिम		मलने	मिलने
73	,, से	7	कित	कितन

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
82		10	सची	सूची
83	अन्तिम		स्त्रीवृत	स्वीकृत
84		1	प्रस्तत	प्रस्तुत
89	शीर्ष		(श्री मनोहर सिंह मता)	(श्री मनोहर सिंह मेहता)
92		13	बतलाय	बतलाया
98		17	चुना	चुनाव
101	अन्तिम से	15	ध्यक्ष	अध्यक्ष
102	„	2	याचिक	याचिका
103		9	प्रस ाव	प्रस्ताव
110		2	श्रा वृद्धिचन्द्र जैन	श्री वृद्धि चन्द्र जैन
111	शीर्ष		(श्री रघनाथ विश्नोई)	(श्री रघुनाथ विश्नोई)
115		17		में
147 से 212	शीर्षक		कटोती प्रस्ताव	अ. की मांग सं. 10, 11 व 12 पर विचार
152		1	की बटोरने चेस्टा	बटोरने की चेष्टा
171		13	हेना	होना
172		5	कान्स्टेबल	कान्स्टेबल
175	अन्तिम से	14	अनुभहीन	अनुभवहीन
175	„	10	लॉ एण्ड आर्डर खरब	लॉ एण्ड आर्डर खराब
175	„	4	नह	नहीं
176		7	के	को
179	शीर्ष		(श्री रघनाथ विश्नोई)	(श्री रघुनाथ विश्नोई)
183		7	आस्थ	आस्था
183		14	इ	इस
183	अन्तिम से	14	निति	निहित
185		9	लाग	लोग
185		12	नियनों	नियमों
186	अन्तिम से	2	त्पन्न	उत्पन्न
189		3	लम्बी–चौड़ा	लम्बी–चौड़ी
190		18 व 21	कार्ट	कोर्ट
192	अन्तिम से	16	पअ	अप
194		4	मने	मैंने

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
194	5	मलेगा	मिलेगा
199	5	म टन	मेन्टेंन
200	14 व 16	कर	करें
205	8	द वल	दखल
206 अन्तिम से	6	जल	जेल
219 ,,	15	लहरा`	लहराये
220 ,,	5	कम्युनिष्ट	कम्युनिस्ट
224	4	कहां	जहां
226 अन्तिम से	12	औं	लौं
229	14	inte	into
238 अन्तिम से	5	श्री दालतराम सारण	श्री दौलतराम सारण
240	1	डिर्वेट	डिबेट
243	3	चीनी डकैती	चीनी की डकैती
248	12	खस	खास
256	9	लांट	प्लाट
258	6	(डूंगर ढ़)	(डूंगरगढ़)
262 अन्तिम		सलिये	इसलिये
265	3	किलप	क्लिप
270	1	मजिस्ट्रस्ट	मजिस्ट्रेट
270	4	रडर	रीडर
270	10	अन्तरीत	अन्तर्गत
270	8	मने	मैंने
271	11	करन	करने
271	12	जसा	जैसा
275 शीर्ष		(श्री रामाननद अग्रवाल)	(श्री रामानन्द अग्रवाल)
279	20	अलग- अलत	अलग-अलग
284 अन्तिम से	13	मह वपूर्ण	महत्वपूर्ण
288 ,,	6	यह देखना यह	देखना यह
289 ,,	13	श्रा मती सभानेत्री	श्रीमती सभानेत्री
290 ,,	13	ी	की
315	10	कर	करें
321 अन्तिम		स	इस

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
324	अन्तिम से	14	ी	सी
325	„	15	वि हेल्ड	विद हैल्ड
325	„	8	नको	इनको
341		7	मुछे	मुझे
342		8	अ दर	अन्दर
342	अन्तिम से	5	का वाही	कार्यवाही